415
7 H.C

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

0 5 JUN 1998

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
(वैज्ञानिक विभाग)
1998 की संख्या 5

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
(वैज्ञानिक विभाग)
1998 की संख्या 5

विषय-सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii

अध्याय 1

वित्तीय प्रबन्धन

विषय-प्रवेश	1.1	1
बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	1.2	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.3	9

अध्याय 2

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

जनशक्ति लेखापरीक्षा	2.1	11
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	2.2	47
औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ	2.3	66
दोषपूर्ण समझौते के कारण हानि	2.4	84
अव्ययित अनुदान की गैर-सुपुर्दगी	2.5	86
परिहार्य व्यय	2.6	87

अध्याय 3

परमाणु ऊर्जा विभाग

आणविक ईंधन परिसर, हैदराबाद	3.1	89
देयताओं की गैर-वसूली के कारण हानि	3.2	101
एक ऑफसेट मुद्रण मशीन के क्रय पर निष्क्रिय निवेश	3.3	103
ड्रिलिंग राडों की परिहार्य खरीद	3.4	104
निष्फल व्यय	3.5	105

अध्याय 4

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

निर्धारित पावर फैक्टर बना रखने की विफलता के कारण परिहार्य व्यय	4.1	108

अध्याय 5

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

संघटक के रूप में आयात विकल्प वाली अनुसंधान-विकास परियोजनाएं	5.1	110

अध्याय 6

अन्तरिक्ष विभाग

परिहार्य व्यय	6.1	120
मुद्रा अंकन में परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान	6.2	121

अध्याय 7

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सीमा शुल्क का अधिक भुगतान	7.1	124
परिहार्य व्यय	7.2	125

अध्याय 8

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में वस्तु-सूची प्रबन्धन	8.1	128
दोषपूर्ण उपस्कर के आयात पर निष्फल व्यय	8.2	138
निधि अवरोध	8.3	139
समायोजित न किये गये अग्रिम	8.4	141

अध्याय 9

पर्यावरण और वन मंत्रालय

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून	9.1	143

अध्याय 10

गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय

सौर ऊर्जा केन्द्र, गुड़गांव	10.1	154

परिशिष्ट

i.	स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान	171
ii.	बकाया उपयोग प्रमाण–पत्र	174
iii.	बकाया कृत कार्यवाही नोट	177
iv.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्टाफ तथा ग्रेडो की श्रेणियां	178
v.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्य घटकों की तुलना में जनशक्ति पर खर्च	180
vi.	1992-96 के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और छः प्रयोगशालाओं में रिक्तियों की संख्या	181
vii.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की छः प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों और अवैज्ञानिकों का अनुपात	183
viii.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में संस्वीकृत संख्या से अधिक नियमित स्टाफ	184
ix.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और छः प्रयोगशालाओं में रिक्त स्थानों को समाप्त नहीं किया गया	185
x.	सी डी आर आई द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं योजनाओं पर नियमित कर्मचारियों का परिनियोजन	186
xi.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की छः प्रयोगशालाओं में संस्वीकृत संख्या का उलंघन	187
xii.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में शीघ्रतर पदोन्नतियों के मामले	188

xiii.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और उसकी छः प्रयोगशालाओं में पूर्व प्रभाव से पदोन्नति	189
xiv.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में काडर समीक्षा के पहले और बाद के प्रशासनिक पद	190
xv.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में बेकार पड़े उपस्कर	191
xvi.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में उपस्करों/मशीनरी के प्रतिष्ठापन में विलम्ब	192

प्रस्तावना

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (i) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । इस खंड में संघ सरकार के वैज्ञानिक विभागों, इन विभागों द्वारा वित्तपोषित स्वायत निकायों, तथा अन्य विभागों से संबद्ध वैज्ञानिक संगठनों के लेन–देनों की नमूना लेखापरीक्षा से प्रोद्भूत मामलों को शामिल किया गया है ।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 15 पैराग्राफों और 8 समीक्षाओं को सम्मिलित किया गया है । समीक्षाओं के शीर्षक हैं,

(i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जनशक्ति लेखापरीक्षा
(ii) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
(iii) औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
(iv) आणविक ईंधन परिसर, हैदराबाद
(v) संघटक के रूप में आयात विकल्प वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाएं
(vi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में वस्तु–सूची प्रबन्धन
(vii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून
(viii) सौर ऊर्जा केन्द्र, गुड़गॉव

मसौदा पैराग्राफों और समीक्षाओं को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/परिषदों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था । तथापि, चार पैराग्राफों और तीन समीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके उत्तर नही प्राप्त हुए ।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो 1996-97 और 1997-98 के प्रारम्भ में किये गये लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे। पूर्णता की दृष्टि से, विगत कुछ वर्षों से सम्बन्धित मामले जिनको पूर्व प्रतिवेदनों में नहीं सम्मिलित किया जा सका था, उनको भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार, 1996–97 के बाद के लेन–देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों का आवश्यक होने पर उल्लेख किया गया है ।

विहंगावलोकन

वित्तीय प्रबन्धन

1996–97 के दौरान, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक विभागों तथा उनकी एजेन्सियों का अनुसंधान – विकास व्यय 4696 करोड़ रुपये था, जिसमें से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (1436 करोड़ रु), अन्तरिक्ष विभाग (1065 करोड़ रु), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (589 करोड़ रु), परमाणु ऊर्जा विभाग (520 करोड़ रु), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (457 करोड़ रु) और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग (352 करोड़ रु) पर 4419 करोड़ रु का व्यय हुआ ।

वैज्ञानिक विभागों/संस्थाओं के बजट आबंटन के विपरीत, कुल 236 करोड़ रु की (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को छोड़कर) बचत हुई थी । यह उनके कुल आबंटन का लगभग 4 प्रतिशत बना । कुछ प्रमुख मंत्रालय/विभाग जहॉ पर्याप्त बचत हुई गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधन (87 करोड़ रु) पर्यावरण और वन (33 करोड़ रु), इलैक्ट्रॉनिकी (22 करोड़ रु), भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (21 करोड़ रु) और परमाणु ऊर्जा (19 करोड़ रु) थे।

वैज्ञानिक विभागों द्वारा प्रदान किये गये सहायता अनुदानों के विपरीत कुल 532 करोड़ रु मूल्य के 6585 उपयोग प्रमाण पत्र अनुदान प्राप्त संगठनों से प्रतीक्षित थे। इनमें से 340 करोड़ रु लागत के 4587 प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक से प्रतीक्षित थे। इसमे 1994–95 के पूर्व गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से प्रतीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र नही शमिल है जहां अभिलेखों को आग में नष्ट हो गये बताया गया था । 8 पैराग्राफों पर कृतकार्यवाही नोट लोकसभा सचिवालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों की उपेक्षा में बकाया थे ।

वैज्ञानिक विभागों और एजेन्सियों (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को छोड़ कर) की लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को इस समीक्षा में प्रदर्शित किया गया है ।

(पैराग्राफ 1)

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

जनशक्ति लेखापरीक्षा

5 दशकों से अस्तित्व में होने के बावजूद, वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंघान परिषद अपने मुख्यालय और प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए अथवा वैज्ञानिक से अवैज्ञानिक जनशक्ति के सम्बन्धित अनुपात के लिए विस्तृत मापदंड की रुपरेखा प्रस्तुत करने के लिए किसी तंत्र को विकसित नही कर सकी है। वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसधांन परिषद में इससे सम्बन्धित प्रबन्ध सूचना प्रणाली भी नही है और इसलिए प्रयोगशालाओं के जनशक्ति प्रबन्धन पर प्रभावित नियंत्रण नही रख

पायी है। इसके परिणामस्वरुप, 14 प्रयोगशालाओं में उनके लिये निर्धारित अपने संस्वीकृत पदों के अतिरिक्त 122 वैज्ञानिक तथा 500 तकनीकी पद प्रचालित किया । इसके बारे में वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोई स्पष्टीकरण नही मांगा । बिना अनुमोदन और कई बार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुदेशों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के नियमित कार्यो के लिए आकस्मिक कामगारो और ठेकागत व्यक्तियो को नियोजित करने की प्रवृत्ति प्रयोगशालाओं ने अपनायी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा उनके निर्धारण के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत व्यक्तियों को ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया गया जो प्रयोगशाला के कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी थे । पदों की सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत कटौती करने के लिये फरवरी 1992 में जारी किये गये सरकारी निदेशों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सितम्बर 1995 में विलम्ब से प्रभावी किया गया था और वह भी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के ही सम्बन्ध में और प्रशासनिक पदों को नहीं छुआ गया था । 6 प्रयोगशालाओं में, 49 वैज्ञानिकों और 155 तकनीशियनों को गैर-अनुसंधान-विकास कार्य दिये गये थे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में 83 वैज्ञानिकों और 222 तकनीशियनों को गैर–अनुसंधान विकास कार्य पर नियोजित किया गया। केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने 2 प्रायोजित परियोजनाओं के लिए नियमित आधार पर 37 कार्मिकों को नियुक्त किया था यद्यपि, उनको अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना था । इसके परिणामस्वरुप, उनको नियमित किये जाने का दायित्व केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पर आ गया, जिन्हे प्रायोजकों से 84.71 लाख रु की वसूली की जानी है । 2 उत्पादन युनिटों के बन्द हो जाने के कारण फालतू हो गये 310 अस्थायी कर्मचारियों को अन्य प्रयोगशालाओं में बिना उस प्रयोगशाला में पदों की उपलब्धता अथवा सम्बन्धित प्रयोगशालाओं में प्रत्येक कर्मचारी की उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किये हुये अन्य प्रयोगशालाओं में एकपक्षीय समायोजन किया गया था । केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की संस्वीकृत पद संख्या में वृद्धि की गई थी ताकि संरचनात्मक इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र के पूर्व आबंटन पर गाजियाबाद जाने के लिये अनिच्छुक कर्मचारियों को रखा जा सके और जनशक्ति की कमी की पूर्ति के लिये संरचनात्मक इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद में अतिरिक्त व्यक्तियों की भर्ती की गई थी।

अनुसंधान-विकास कार्यों में नियोजित वैज्ञानिकों को उसी स्थान पर समयबद्ध पदोन्नति देने के लिये बनायी गई पदोन्नति योजना का प्रसार शनै: शनै: तकनीकी और इन्जीनियरिंग कार्यों के लिये किया गया था । 6 प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में 1992-97 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ को दी गई सभी 1667 पदोन्नतियॉ पॉच वर्ष और उससे अधिक की अवधि के पूर्व प्रभाव से दी गई थी। इस पदोन्नति योजना के अर्न्तगत, गैर तकनीकी कार्मिकों को भी तीव्र पदोन्नति और उच्च आयु पर सेवा निवृति का लाभ देने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तकनीकी ग्रेडों में उनके प्रवेश की योजनाये विकसित की । इन प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित 74 मामलों में से, 53 में पदाधिकारियों के पास ऐसे पदों पर सीधी भर्ती के लिये निधार्रित न्यूनतम योग्यता और अनुभव भी नहीं था और बहुत से मामलों में वे गैर–तकनीकी कार्य ही करते रहे । तकनीकी काडरों में रिक्त स्थानों की अनुपलब्धता की समस्या के हल के लिए, प्रवेश के लिये चयनित व्यक्तियों को तकनीकी ग्रेडों में अपने पदों को ले जाने की अनुमति थी । वैज्ञानिक काडरों में ऐसी योग्यताधारियों को पदोन्नति की सुविधा प्रदान करने के लिये अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य आदि जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रियों को एम.एस.सी. के समकक्ष माना गया था । वैज्ञानिक एवं

तकनीकी स्टाफ के लिये बनाई गई पदोन्नति योजनाओं का लाभ देने के लिये कुछ गैर–तकनीकी पदों को तकनीकी पदों के रुप में वर्गीकृत किया गया था । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ को उपलब्ध पदोन्नति के अवसर प्रशासनिक काडर को प्रदान करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्राय: काडर समीक्षा शुरु किया जिसके परिणामस्वरुप, 278 अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ और 1987-94 के बीच बिना वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से विभिन्न ग्रेडों में 1740 पदों का उन्नयन किया गया । सरकारी निर्देशों की बार बार उपेक्षा करते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रशासनिक कर्मचारियों की चार श्रेणियों के 1959 व्यक्तियों को उच्च वेतनमान प्रदान किया ।

1992-97 के दौरान, 6 प्रयोगशालाओं में नमूना जॉच किये गए 271 वैज्ञानिकों ने किसी भी शोध पत्र का अंशदान नहीं किया 88 ने केवल एक शोध पत्र प्रति व्यक्ति का अंशदान किया और 91 ने दो शोध पत्र प्रति व्यक्ति का अंशदान किया।

(पैराग्राफ 2.1)

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

1992-97 के दौरान, शोध कार्यक्रमों के निरुपण अनुसंधान कार्य कलापों की आवधिक समीक्षा कराने के लिये और परियोजनाओं की प्रगति निर्धारण करने के लिये अनुसंधान समिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को परामर्श करने के मामले में अनुसंधान समिति में कमी थी । प्रयोगशाला के नियोजन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष ने परियोजनावार आंकड़े नहीं बनाये थे ।

तीन घरेलू परियोजनाओं के समय पूर्व बन्द हो जाने के कारण, 1.62 करोड़ रु का व्यय अनुत्पादक हो गया 3 अन्य परियोजनाएं, यद्यपि समाप्त हो गई थी, कथित उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही जिसके कारण 74 लाख रु का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि इन परियोजनाओं के शोध परिणामों को लेने वाला कोई नहीं था । 11.78 लाख रु लागत की 2 सहायता अनुदान परियोजनाओं के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, जिसके कारण व्यय अनुत्पादक हो गया । 1992–97 के दौरान, पूरी हुई 1.60 करोड़ रु की लागत की सभी 17 सहायता अनुदान परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम प्रयोगकर्ताओं को उनकी उपयोगिता और उपयोग की मात्रा भी उपलब्ध नही थी । 1992–97 के दौरान, कोई प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी विकसित नही की गई थी, यद्यपि, प्रयोगशाला में 131 वैज्ञानिक और 144 तकनीकी कार्मिक कार्यरत थे । 1991-92 तक विकसित की गई 35 प्रौद्योगिकियों में से उद्योग को केवल 19 निर्मुक्त की गई थी । 1992-97 के दौरान प्राप्त किये गये सभी 7 पेटेन्ट 1988 से पूर्व के शोध कार्यकलापों के सम्बन्ध में थे । एक परियोजना की समाप्ति के बाद, 14.28 लाख रु मूल्य के उपस्कर की खरीद के कारण व्यय निष्फल हो गया। 1986-87 के बाद भंडारों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। 5.16 करोड़ रु मूल्य के भंडारों को स्टाक लेजरों मे लेखांकित नहीं किया गया था। अतिरिक्त निधि का निवेश न किये जाने के कारण 51.94 लाख रु के ब्याज की हानि हुई। 3.90 करोड़ रु के कुल अग्रिम 1 वर्ष से अधिक से बकाया थे।

(पैराग्राफ 2.2)

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान–विकास कार्यकलाप गिरावट पर थे। 1992-97 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र कोई भी नई घरेलू परियोजना शुरु करने में विफल रहा। 33 विद्यमान परियोजनाओं को बन्द करने और नये क्षेत्रों में अनुसंधान–विकास कार्य शुरु करने के लिये अनुसंधान समिति के निदेशों को औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा केवल संशोधित और 6 परियोजनाओं में उनका विलय करके उलंधन किया गया। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने 1992-94 के दौरान पूरी की गई 28 घरेलू परियोजनाओं में से किसी की भी परियोजना समापन रिपोर्ट नहीं बनाया। पूरा स्टाफ होने के बावजूद, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के नियोजन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष ने किसी भी परियोजना का प्रलेखन नही किया । 1992–97 के दौरान शुरु की गई 150 ठेकागत परियोजनाओं में से, 113 परियोजनायें पूरी हो गई थी । लेखापरीक्षा द्वारा पूरी हुई परियोजनाओं पर मॉगी गई फाइलों में से औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने केवल 35 फाइलें प्रस्तुत किया । 4 ठेकागत परियोजना फाइलों की जांच से देखा गया कि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र परियोजनाओं पर समय से काम करने/पूरा करने तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित कर सका वह भी आठवीं योजना के दौरान विकसित की जाने वाली 4 से अलग थी। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा अंशदान किये गये शोध पत्रों की संख्या 1992-93 में 97 से घटकर 1996-97 में 43 रह गई । 31 प्रतिशत शोधपत्र प्रभाव तथ्य (इम्पैक्ट फैक्टर) विहीन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये थे।

(पैराग्राफ 2.3)

दोषपूर्ण समझौते के कारण हानि

जलपोत का प्रयोग न किये जाने की स्थिति में प्रचालन/निर्धारित देय व्यय का संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किये जायेंगे के आशय की एक धारा को भारतीय जहाजरानी निगम के साथ किये गये समझौते में शामिल करने में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की विफलता के कारण संस्थान से सम्बन्धित "गवेषणी" अनुसंधान पोत के बीमा दावे से प्राप्त 163.67 लाख रु को निगम ने विनियोजित कर लिया ।

(पैराग्राफ 2.4)

परिहार्य व्यय

राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला द्वारा एक प्रायोजित परियोजना के लिये खरीदा गया 17.04 लाख रु लागत का एक उपस्कर और उसके सहायक पुर्जे जून 1991 में परियोजना पूरे हो जाने के पश्चात फरवरी 1992 और जुलाई 1993 के बीच प्रयोगशाला में पहुंचे। यद्यपि, यह उपस्कर जनवरी 1997 में विलम्ब से चालू किया गया था, प्रयोगशाला अभी तक इस उपस्कर का प्रयोग नहीं कर सकी थी ।

(पैराग्राफ 2.6)

परमाणु ऊर्जा विभाग

आणविक ईंधन परिसर, हैदराबाद

आणविक ईंधन परिसर की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के आणविक विद्युत कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन बंडलों, जरकलॉय संघटकों, दावानुकूलित भारी जल रिएक्टरों के लिये कैलेन्द्रिया और कूलेन्ट टयूबों और उबलते हुये जल रिएक्टरों को देश में बनाने और आपूर्ति करनें के लिये 1970 में की गई थी। प्रसार, वृद्धि और नवीनीकरण कार्यक्रमों पर निवेशित 93.12 करोड़ रु मात्रा और गुणवत्ता दोनों रुप में वांछित परिणाम देने में विफल रहा। यूरेनियम ऑक्साइड छर्रों (पिलेटों) के उत्पादन की गुणवत्ता निम्न कोटि की थी और प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में इनको अस्वीकार किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरुप, चीनी-मिट्टी ईंधन संरचना संयंत्र जहों ईंधन बंडलों का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता के 61 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं हुआ का कम–उपयोग हुआ । उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य भी प्रतिष्ठापित क्षमता से बहुत कम थे । चीनी मिट्टी ईधंन संरचना संयंत्र में इस आघात से न केवल जरकलॉय संरचना संयंत्र में उत्पादन सीमित हो गया अपितु उसके परिणामस्वरुप, अन्य साढ़े तीन वर्षों के लिये पर्याप्त 9 लाख से अधिक जरकलॉय ईंधन टयूबें इक्ट्ठी हो गई । ईंधन बंडलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, 3 नये संयंत्रों के प्रतिष्ठापन पर 190 करोड़ रु का व्यय किया गया था । दोषपूर्ण परियोजना नियोजन के परिणामस्वरुप, नवीन यूरेनियम ईधंन असेम्बली संयंत्र पूरा हो गया, बिना नवीन यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयंत्र के पूरे हुए ईंधन बंडलों को असेम्बल किया जाना था और जहां छर्रों (पिलेट) का उत्पादन ईधन बंडलों के इन पुटों के रुप में किया जाना था। इसके कारण, नवीन यूरेनियम ईंधन एसेम्बली संयंत्र पर किया गया 40.79 करोड़ रु का व्यय निष्क्रिय हो गया। ईंधन टयूबों के उत्पादन के लिये नवीन जरकलॉय संरचना संयंत्र के आगे और पीछे की दोनों कड़ियॉ गायब थी, जबकि इस संयंत्र के लिये जरकलॉय इनगाटों के उत्पादन के लिये जरकलॉय स्पंज परियोजना दिसम्बर 1997 तक शुरु नहीं की जा सकी थी। ईंधन टयूबों की कोई मॉग नहीं थी क्योंकि वर्तमान जरकलॉय संरचना संयंत्र का भी कम उपयोग किया जा रहा था । इस प्रकार, पूरे हो गये इस संयंत्र पर 69.51 करोड़ रु का व्यय ही निष्क्रिय हो गया । संयुक्त उद्यम के रुप में कार्यान्वित होने वाले जरकलॉय स्पंज और टिटेनियम स्पंज परियोजना पर 8.29 करोड़ रु का दूसरा निवेश भी निष्फल रहा संयुक्त क्षेत्र भागीदार की पहचान नहीं की गई थी और इस परियोजना के लिये तकनीकी जानकारी की स्थापना अभी की जानी थी। प्रोफ्रोर्मा लेखा बनाने का काम 1993-94 से बकाया था ।

(पैराग्राफ 3.1)

शुल्कों की वसूली न होने से हानि

भारी जल संयंत्र, बड़ौदा ने गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा उत्पादित अमोनिया संश्लेषित गैस को भारी जल के उत्पादन में प्रयोग करने के लिये जुलाई 1973 में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ समझौता किया । संश्लेषित गैस की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि भारी जल संयंत्र प्रतिदिन एक टन संश्लेषित गैस की उत्पादन लागत की भरपाई गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को करेगा । समझौते की इन व्यवस्थाओं के उलंधन में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने 6 टन संश्लेषित गैस प्रतिदिन की

उत्पादन लागत को 1975 के पूर्व प्रभाव से मार्च 1997 तक 11.90 करोड़ रु भारी जल संयंत्र को देय शुल्क में से वसूल कर लिया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुसरण में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस मामले को रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के साथ उठाया । मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिये हकदार नहीं थी । परमाणु ऊर्जा विभाग ने अभी तक रकम की वसूली नहीं किया था ।

(पैराग्राफ 3.2)

निष्फल व्यय

इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने 3.26 करोड़ रु की लागत से वेरिएबल स्पीड ड्राइव सिस्टम की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और शुरु करने के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जनवरी 1994 में एक आदेश प्रस्तुत किया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 30.14 लाख रु का अग्रिम भुगतान किया। इस ड्राइव की आवश्यकता प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के परीक्षण के लिये थी जिसके लिये उस समय तक डिजाइन पैरामीटरों को अन्तिम रुप नहीं दिया गया था । तत्पश्चात्, रिएक्टर का डिजाइन बदल दिया गया था जिसके कारण अक्तूबर 1994 में आदेश निरस्त हो गया। इस कारण न केवल 30.14 लाख रु का अग्रिम भुगतान निष्फल को गया अपितु प्रोद्भूत दायित्व के रुप में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से 34.16 लाख रु का अतिरिक्त दावा भी किया गया ।

(पैराग्राफ 3.5)

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

संघटक के रुप में आयात विकल्प वाली अनुसंधान विकास परियोजनायें

पॉच समितियों में से, विभाग की तीन समितियों ने आठवीं योजना के दौरान संघटक के रुप में आयात प्रतिष्ठापन वाली किसी परियोजना को नहीं शुरु किया। अन्य समितियों में 873.34 लाख रु की लागत पर 31 परियोजनायें पूरी कर लिया था, जहां आयात प्रतिष्ठापन कथित उद्देश्यों में से एक था। इनमें से विभाग द्वारा 374-75 लाख रु मूल्य के 17 मामलों में प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिये कार्यवाही नहीं शुरु की गई थी। केवल पांच परियोजनाओं में वाणिज्यीकरण के लिये प्रौद्योगिकी प्रजनन हुआ। इन आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं का प्रभाव, जो सामान्य अवधि में उत्पादन मूल्य और विदेशी मुद्रा की बचत पर गुणात्मक प्रभाव पड़ गया होता, नगण्य था।

(पैराग्राफ 5.1)

अन्तरिक्ष विभाग

मुद्रा के अंकन में परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान

लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र, वलियामला ने जून 1995 में 200709 अमरीकी डालर के स्थान पर 200709 पौंड स्टरलिंग में साख पत्र खोला। साख पत्र खोलने के समय मुद्रा के अंकन में त्रुटि के कारण विदेशी फर्म को 34.91 लाख रु का अधिक भुगतान हो गया। यद्यपि, त्रुटि का पता अगस्त 1995 में लग गया था, फिर भी यह केन्द्र दो वर्षों से अधिक तक उस फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरु करने में विफल रहा। अधिक भुगतान की अभी वसूली की जानी थी।

(पैराग्राफ 6.2)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सीमा शुल्क का अधिक भुगतान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 आल्डेन मॉडल 9315 टी आर टी-128 कम्पैक्ट फेसीमाइल रिकार्डरों की आपूर्ति के लिये फरवरी 1994 में एक विदेशी फर्म को आदेश प्रस्तुत किया। निर्धारित दर से अधिक दरों पर सीमा शुल्क का निर्धारण किया गया था । दरों की सत्यता को सत्यापित करनें में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप, 16.95 लाख रु की सीमा शुल्क का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में वस्तु–सूची प्रबन्धन

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 11 संस्थानों में वस्तु–सूची अभिप्राप्ति और प्रबन्धन प्रणाली की कमी पाई गई थी। 1.11 करोड़ रु मूल्य के उपस्कर की अनियोजित अभिप्राप्ति की गई थी, क्योंकि यह 6 महीनें से लेकर 12 वर्षों तक निष्क्रिय रहा । कुल 6.99 करोड़ रु मूल्य के उपस्कर के प्रतिष्ठापन में 36 महीनों तक के विलम्ब के मामले देखे गये थे। 1.30 करोड़ रु मूल्य की खरीद बिना खुली निविदा आमंत्रित की गई थी और 55.40 लाख रु मूल्य के उपस्कर, जिस योजना के लिये खरीदे जाने थे उसकी समाप्ति के बाद खरीदे गये।

(पैराग्राफ 8.1)

दोषपूर्ण उपस्कर के आयात पर निष्फल व्यय

केन्द्रीय फ्रैशवाटर अकुआ कल्चर संस्थान, भुवनेश्वर ने एक फीड मिल में एण्ड प्रोडक्शन फीड और इनग्रेडियन्टों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और फीड मिल की स्थापना हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर

वाणिज्यिक फीड उत्पादन के नमूनों का विश्लेषण करने के लिये भी जुलाई 1994 में 13.98 लाख रु की लागत का एक उपस्कर आयात किया। यद्यपि, फीड मिल जिसके लिये उपस्कर 1994 में खरीदा गया था उसकी स्थापना फरवरी 1997 में हो गई थी परन्तु अक्तूबर 1997 तक उपस्कर को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरुप, 13.98 लाख रु का व्यय निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 8.2)

समायोजित न किए गए अग्रिम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 89 प्रयोगशालाओं में से नमूना जॉच की गई 10 प्रयोगशालाओं में अपने ही कर्मचारियों,प्राइवेट पक्षों और सरकारी विभागों को किये गये कुल 12.73 करोड़ रु के अग्रिम भुगतान अलग अलग समय पर असमायोजित रहे। इसमें से 11.13 करोड़ रु 2 वर्षो से ऊपर से वसूली/समायोजन के लिये लम्बित थे।

(पैराग्राफ 8.4)

पर्यावरण और वन मंत्रालय

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून

एक स्वायत निकाय भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, की स्थापना पर्यावरण और वन मंत्रालय के अर्न्तगत जून 1991 में हुई थी। 1992-93, 1994-95 और 1995-96 के दौरान, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ने अपने बजट की जगह बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मंत्रालय से प्राप्त 21.25 करोड़ रु का विपणन करके अधिक व्यय किया। उन्ही लेखापरीक्षकों से लेखे का लेखापरीक्षा कराया गया था जिन्होंने उनके लेखाओं का संकलन किया था। स्थान की अनुपलब्धता, आवश्यक विद्युत आपूर्ति जैसी समस्याओं के कारण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये 1993-96 के दौरान खरीदे गये 8.41 करोड़ रु लागत के उपस्कर प्रतिष्ठापित नहीं किये जा सके।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ने पोत पर्यन्त नि:शुल्क के स्थान पर लागत, बीमा और भाड़ा आधार पर उपस्कर के 126 परेषणों को अभिप्राप्त किया जिसके परिणामस्वरुप, 55.51 लाख रु मूल्य की विदेशी मुद्रा का विकास हुआ। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, साख–पत्र के सीमान्तक रु को आवधिक जमा में निवेश करने में विफल रही और 21.20 लाख रु के ब्याज की हानि हुई। 36.07 लाख रु मूल्य के कुल प्रकाशनों में से, दिसम्बर 1997 तक 29.69 लाख रु मूल्य के प्रकाशन बिक्री के लिये भंडार में पड़े थे।

(पैराग्राफ 9.1)

गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय

सौर ऊर्जा केन्द्र, गुड़गॉव

सौर ऊर्जा उपकरणों के लिये प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रोत्साहन देने के लिये इस केन्द्र की स्थापना 1982 में हुई थी। अयथार्थवादी बजट और कार्य कम किये जाने के कारण केन्द्र 1992-97 के दौरान अपने अनुदान के एक तिहाई से अधिक का उपयोग नहीं कर सका। यह अपने कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी विफल रहा, जैसा कि इसके सौर तापीय और फोटोवोलटाइक परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कम किये जाने से प्रत्यक्ष है।

50 के.डब्लू क्षमता का सौर तापीय विद्युत संयंत्र 5 वर्ष से अधिक तक प्रचालित नहीं हो सका। बाद में , उसकी क्षमता को घटाकर 15.20 के.डब्लू क्षमता पर प्रचालित किया गया था। उसकी मरम्मत, रखरखाव और कर्मचारियों पर 23.83 लाख रु के व्यय के साथ 2.43 करोड़ रु का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। विभिन्न परियोजनाओं के लिये खरीदा गया 32.05 लाख रु मूल्य का उपस्कर निष्क्रिय रहा और 89 लाख रु मूल्य का उपस्कर 22 से 57 महीनो के विलम्ब के बाद प्रतिष्ठापित हुआ। प्रथम चरण में उद्देश्यों की प्राप्ति न होने के कारण 2.3 मिलियन डी.एम. की सहायता, भारत--जर्मन परियोजनाओं के द्वितीय चरण के लिये आस्थगित की गई थी। 18.47 लाख रु की लागत से 1991 में निर्मित अतिथि गृह पॉच वर्षों तक खाली पड़े रहने के कारण उसकी आवश्यकता पर शक होता है।

(पैराग्राफ 10.1)

अध्याय 1 वित्तीय प्रबन्धन

1.1 विषय–प्रवेश

1.1.1 भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसरण में, अनुसंधान–विकास कार्यकलापों को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधान और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रू. की नगण्य राशि का निवेश बढ़ कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 20,000 करोड़ रू. हो गया है।

1.1.2 1996-97 में भारत सरकार की 13 बड़ी वैज्ञानिक एजेन्सियों में सरकारी अनुसंधान–विकास व्यय का हिस्सा निम्नानुसार था :

(करोड़ रू. में)

एजेन्सी	वास्तविक व्यय	प्रतिशतता
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	1435.70	30.58
अन्तरिक्ष विभाग	1065.32	22.69
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	589.28	12.55
परमाणु ऊर्जा विभाग	520.41	11.08
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित	457.26	9.74
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	351.92	7.49
पर्यावरण और वन मंत्रालय	68.05	1.45
महासागर विकास विभाग	59.47	1.27
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	57.04	1.22
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	48.58	1.03
जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	37.77	0.80
खनन मंत्रालय–भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण	3.17	0.07

गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय	1.65	0.03
जोड़	4695.62	100.00

1.1.3 1996-97 के दौरान विशेष उपलब्धियॉं

वैज्ञानिक विभागों द्वारा आपूर्त की गई सूचना के आधार पर, 1996-97 के दौरान उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार थी:

– भूतल केन्द्र (अर्थ स्टेशन), शादनगर स्थित तीन एंटीनों के माध्यम से राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेन्सी द्वारा 98 प्रतिशत क्षमता पर आंकड़ों का अभिग्रहण किया गया था। आई आर एस सीरीज के देषज उपग्रहों और संयुक्त राज्य अमरीका के लैन्डसैट–5 तथा नेावा–12 तथा 14 और युरोप के ई आर एस 1 तथा 2 दोनों से अच्छी गुणवत्ता के आंकड़े प्राप्त हुये थे।

– इन्दिरा गॉधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाकम की एक बड़ी सुविधा 40 एम–डब्लु फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को 10.5 मेगावाट पर प्रचालित किया गया था। 25 फ्युएल सब–एसेम्बलियों वाले छोटे कोर के साथ किरणन अभियान पूरा किया गया था। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर देश में विकसित किये गये मिलेजुले कारबाइड ईंधन का प्रयोग कर रहा था जो संसार में अपनी किस्म का प्रथम कोर है। 3000 आर पी एम की समकालिक गति तक टरबाइन भी सफलतापूर्वक रोल की गई थी।

  प्रिड़िक्शन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सब–एसेम्बली पावर में इस्तेमाल के लिये एक थ्री डाइमेन्शनल कोर बर्नअप कोड विकसित किया गया था।

– कलपाकम फ्युल रिप्रोसेसिंग संयंत्र के कोल्ड–कमिशनिंग प्रोसेस रन 23 मार्च 1996 को सफलतापूर्वक शुरू किये गये थे।

– युरेनियम–233 ईंधन का प्रयोग कर रहा एक 30 के डब्लु ईंधनित अनुसंधान रिएक्टर कामिनी, कलपाकम में 29 अक्तुबर 1996 को प्रचालित हुआ।

- रेडियो फार्मास्युटिकल प्रयोगशाला, वशी में एक कम्प्युटरीकृत रेडियो आइसोटोप पैकेज मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू किया गया था।

- भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की एक बड़ी सफलता 64–नोडे अनुपम सुपर कम्प्युटर की रूपरेखा का पूरा होना थी। सुपर कम्प्युटर की अधिकतम (पीक) गति 5.7 गीगा फ्लाप्स थी और भारी कम्प्युटेशनल जॉबों की समपोषित (सस्टेन्ड) गति लगभग 400 मेगाफ्लाप्स है। यह सिस्टम वर्तमान में उपलब्ध उच्च गति के वर्कस्टेशनों और सर्वरों से पॉच से सात गुणी अधिक स्पीड से कम्प्युटेशनीय जॉबों को संसाधित करने में समर्थ है। इस सिस्टम का फ्लुइड डाइनामिक्स, इलेक्ट्रानिक्स स्ट्रक्चर कम्प्युटेशनों, मॉलिक्युलर, डाइनामिक्स, न्युट्रॉन स्कैटरिंग, प्रेाटीन क्रिस्टलोग्राफी और गामा–रे–आस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में कम्प्युटेशनीय जॉबों को संसाधित करने के लिये प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुपम सुपर कम्प्युटर पर मीडियम रेन्ज मौसम पूर्वानुमान कोडों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया था।

- ध्रुव रिएक्टर में दो लांग कोल्ड न्युटरॉन ग्राइडों की सफलतापूर्वक शुरूआत न्युट्रान बीन अनुसंधान उपकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

- राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र का मौसम विज्ञानसूचना प्रणाली केन्द्र विकसित किया गया था। राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र के मौसमविज्ञान सूचना प्रणाली केन्द्र, ने भारत के 500 नगरों के विद्यमान मौसम के हालात प्रदान किये और जो किसी भी निकनेट नोडे से प्राप्त किया जा सकता है।

1.1.4 प्रतिवेदन–विस्तार

1996-97 के दौरान और विगत दो वर्षों में इस प्रतिवेदन के अर्न्तगत प्रमुख वैज्ञानिक विभागों/संगठनों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	1994-95	1995-96	1996-97
1.	परमाणु ऊर्जा	1681.03	1960.22	2264.11
2.	अन्तरिक्ष	757.43	917.88	1065.32
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	494.18	521.88	589.28
4.	पर्यावरण और वन (भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण सहित)	387.53	373.20	520.04
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय सर्वेक्षण तथा भारतीय मौसमविज्ञान विभाग सहित	393.28	415.78	469.56
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को प्रदत्त अनुदान सहित)	374.00	431.61	466.11
7.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	202.49	244.11	282.70
8.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (खान मंत्रालय)	125.36	141.62	247.69
9.	इलेक्ट्रॉनिकी	123.77	141.39	134.40
10.	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (योजना आयोग)	77.79	84.55	96.27
11.	जैव–प्रौद्योगिकी	84.12	85.60	91.39
12.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	59.32	62.52	66.95
13.	महासागर विकास	57.63	58.24	64.05
14.	दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग)	44.11	31.33	46.53
	जोड़	4862.04	5469.93	6404.40

इन एजेन्सियों और इनके नियंन्त्रण के अधीन प्रमुख रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसरण में कार्यरत संस्थानों के लेखों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

1.1.5 व्यय में बचत और अधिक खर्च

उपरोक्त वैज्ञानिक विभागों/प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों के सम्बन्ध में 1996-97 के विनियोग लेखाओं का सार पैरा 1.1.4 में वर्णित निम्नानुसार है:

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	अनुदान/ विनियोग (पूरक सहित)	व्यय	(-)बचत (+)अधिक
1.	परमाणु ऊर्जा	2283.25	2264.11	(-) 19.14
2.	अन्तरिक्ष	1078.74	1065.32	(-) 13.42
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	582.54	589.28	(+) 06.74
4.	पर्यावरण और वन (भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण सहित)	552.77	520.04	(-) 32.73
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (भारतीय सर्वेक्षण तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सहित)	484.05	469.56	(-) 14.49
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को प्रदत्त अनुदान सहित)	470.32	466.11	(-) 4.21

7.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	370.02	282.70	(-) 87.32
8.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (खान मंत्रालय)	268.82	247.69	(-) 21.13
9	इलेक्ट्रॉनिकी	156.20	134.40	(-) 21.80
10.	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (योजना आयोग)	104.80	96.27	(-) 8.53
11.	जैव–प्रौद्योगिकी	96.67	91.39	(-) 5.28
12.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	67.19	66.95	(-) 0.24
13.	महासागर विकास	66.83	64.05	(-) 2.78
14.	दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग)	58.50	46.53	(-) 11.97
	जोड़	6640.70	6404.40	(-) 236.30

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 236.30 करोड़ रू. की समग्र बचत थी जो समग्र निधि व्यवस्था का 3.56 प्रतिशत थी।

1.1.6 वित्त लेखों में प्रतिकूल शेष

साधारणतया, 'सिविल निक्षेप शीर्ष' क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिये क्योंकि निक्षेप के विपरीत भुगतान प्राप्त हुये निक्षेप से अधिक नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार, 'आरक्षित निधि' शीर्ष को भी क्रेडिट शीर्ष के साथ बन्द होना चाहिये। वसूली/समायोजन की प्रतीक्षा में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाने के लिये डेबिट शेष के साथ 'ऋण और अग्रिम' शीर्ष भी बन्द होना चाहिये। तथापि, संघ सरकार के वित्त लेखा के विवरण संख्या –13–वर्ष 1996-97 से वैज्ञानिक विभागों से सम्बन्धित प्रतिकूल शेष के निम्नलिखित मामलों का पता लगा :

1	अंतरिक्ष विभाग 8443- सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा	16,38,000 रू. (डेबिट)
2	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय – जे–आरक्षित निधि	34,20,000 रू. (डेबिट)
3	महासागर विकास विभाग 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण 203 अन्य वाहनों की खरीद के लिये अग्रिम	3,000 रू. (क्रेडिट)

अन्तरिक्ष विभाग के मामले में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) 31 मार्च 1993, 1994, 1995 और 1996 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदनों में भी सिविल जमा के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष बताये गये थे। विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि प्रतिकूल शेषों को समायोजित करने से सम्बन्धित कार्यवाही पर अनुसरण किया जा रहा था।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मामले में 1 अप्रेल 1996 को 65.80 लाख रू. (क्रेडिट) का अथशेष दिखाया जा रहा था और वर्ष के दौरान 100 लाख रू. सॅवितरण दर्ज किया गया था, उसके द्वारा, 31 मार्च 1997 को 34.20 लाख रू. का (डेबिट) का प्रतिकूल शेष दिखाया जा रहा था। मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि प्रतिकूल शेष को समाप्त करने के लिये कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी।

प्रतिकूल शेष जो गलत वर्गीकरण अथवा अधिक प्रति अदायगी अथवा लेखा का मिलान न किये जाने अथवा किसी अन्य कारण से थे, तो उनकी जॉच और शीघ्र संशोधन किया जाना चाहिये।

1.1.7 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अनुदान तथा ऋण प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 के संबद्ध व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

31 मार्च 1997 को भारत सरकार के वैज्ञानिक विभाग से आवर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकाय 54 थे। परिशिष्ट-I में यथा प्रदर्शित इन स्वायत्त निकायों को 1996-97 के दौरान, 1465.86 करोड़ रू. के अनुदान का भुगतान किया गया था। उनको भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये अपने लेखे प्रस्तुत करने थे। 54 में से, 1996-97 वर्ष के/ अथवा तक के लिये 9 स्वायत्त निकायों के लेखे जनवरी 1998 तक नही प्राप्त हुये थे।

इस अधिनियम की धारा 19(2) तथा 20 (1) के अन्तर्गत सात स्वायत्त निकायों अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, केन्द्रीय प्राणी विज्ञान प्राधिकरण, श्री चित्रथिरूनल आर्युविज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लेखाओं पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाई जाती है।

1.2 बकाया उपयोग प्रमाण–पत्र

31 मार्च 1997 को कुल 532 करोड़ रू. के 6585 उपयोग प्रमाण–पत्र बकाया थे

मंत्रालय और विभागों द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले अर्थात विधिक निकायों, गैर–सरकारी संस्थानों आदि से यह दर्शाते हुये कि अनुदान का उपयोग परियोजना के लिये किया गया था और जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और जहॉ अनुदान किन्ही शर्तों के अन्तर्गत थे, निर्धारित शर्ते पूरी कर ली गई थी। इस आशय का अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है परिशिष्ट II में यथा प्रदर्शित है। 532 करोड़ रू. की कुल अनुदान के लिये 6585 उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे। इसमें गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय जहॉ 1994-95 के पूर्व से सम्बन्धित अभिलेख आग में जलकर नष्ट हो गये बताये गये थे से सम्बन्धित प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र शामिल नहीं थे। (i) पर्यावरण और वन, (ii) महासागर विकास, (iii) इलेक्ट्रानिकी विभाग, (iv) गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय/विभाग प्रमुख चूक कर्त्ता थे।

340 करोड़ रू. के कुल 4587 उपयोग प्रमाण पत्र 3 साल के ऊपर से बकाया थे। विभाग को उच्चतम स्तर पर इस मामले में जाने की और प्रमाण–पत्र प्राप्त करने अथवा रकम को वसूल करने की आवश्यता है।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्णित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यकारियों की जवाबदेही लागू करने को सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति मे 1982 में निर्णय किया कि इनमें शामिल किये गये सभी पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों को उपचारी/सुधारात्मक कृत कार्यवाही नोट प्रस्तुत करना चाहिये।

लोक लेखा समिति ने 1995 तक लंबित सभी कृत कार्यवाही नोटों को तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करने की सिफारिश की

समिति ने निर्धारित समय सीमा में कृत कार्यवाही नोट प्रस्तुत करने में पर्याप्त संख्या में मंत्रालयों/विभागों की लगातार विफलता तथा असाधारण विलम्ब को गम्भीर रूप से लिया। 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत किए गए अपने नवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोकलेखा समिति ने इच्छा व्यक्त किया कि मार्च 1994 और मार्च 1995 समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कृत कार्यवाही नोट के प्रस्तुतीकरण को तीन महीनों की अवधि के अन्दर पूरा किया जाये और सिफारिश किया कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और उसके बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच किए गए कृत कार्यवाही नोट संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने से चार महीनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

1995-96 से प्रतिवेदनों को संसद में रखे जाने के 4 माह के अन्दर कृत कार्यवाही नोट प्रस्तुत किए जाने चाहिए

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) के प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया कृत कार्यवाही नोटों की जनवरी 1998 में समीक्षा से निम्नानुसार पता लगा :

मंत्रालय/विभाग/परिषद	पैराग्राफों की संख्या जिनके लिये कृत कार्यवाही नोट प्रतीक्षित थे	प्रतिवेदन रिपोर्ट जिससे कालम–२ के पैराग्राफ से सम्बन्धित थे
खान (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)	1	1993-94
गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	2	1994-95
परमाणु ऊर्जा विभाग	2	1995-96
महासागर विकास विभाग	1	1995-96
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	2	1995-96

उपरोक्त आठ पैराग्राफों पर कृत कार्यवाही नोट, लोकलेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लोकसभा सचिवालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य निदेशों की उपेक्षा में शीघ्रता से प्रस्तुत किये जाने के लिये बकाया थे, के ब्यौरे परिशिष्ट III में दिये गये हैं।

दिसम्बर 1997 में बकाया कृत कार्यवाही नोटों की स्थिति मंत्रालयों/विभागों और परिषद को बतायी गई थी, जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

अध्याय 2 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

2.1 जनशक्ति लेखापरीक्षा

2.1.1 विषय–प्रवेश

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के प्रोत्साहन, मार्ग दर्शन, समन्वयन, शोध और औद्योगिक मामलों की जानकारी का संग्रहण और प्रसार तथा शोध–परिणामों को देश में उद्योगों के विकास के लिये उपयोग में लाने के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में मार्च 1942 में हुई थी। इसके अन्तर्गत, 41 राष्ट्रीय प्रयोगशालाए/संस्थान हैं। सारे देश में फैली यह प्रयोगशालाएं विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान–विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं।

2.1.2 लेखापरीक्षा–क्षेत्र

इस समीक्षा में, जन शक्ति से सम्बन्धित व्यय की प्रकृति का विश्लेषण करने के अतिरिक्त, जनशक्ति नियोजन, नियुक्ति, नियोजन और पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह समीक्षा प्रमुख रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्–मुख्यालय के अतिरिक्त प्रमुख रूप से निम्नलिखित छः प्रयोगशालाओं पर आधारित है:

- केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की
- केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
- औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
- संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद

2.1.3 संगठानात्मक ढाँचा

भारतीय प्रधानमंत्री एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। एक शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) जिसका सभापति के रूप में प्रधान, महानिदेशक होता है द्वारा

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यो को प्रशासनित, निदेशित और नियंत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रभार के अन्तर्गत विभिन्न अनुभाग कार्मिकों से सम्बन्धित नीतियों और कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं।

2.1.4 मुख्य मुख्य बातें

- **अपने मुख्यालय और प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये मानक प्रतिमान विकसित करने में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् विफल रही। गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों पर वैज्ञानिकों का अनुपात बहुत ऊँचा था।**
  14 प्रयोगशालाओं में, 622 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी जुलाई 1995 में उनकी संस्वीकृत संख्या से अधिक थे। अन्य प्रयोगशालाओं में अधिक प्रचालित पदों के ब्यौरे यदि कोई है, फाइल पर उपलब्ध नही थे।
  प्रशासनिक पदों की संस्वीकृत संख्या में 735 रिक्तियों के बावजूद, पदों में 10 प्रतिशत कटौती के फरवरी 1992 के सरकारी निदेशों को जून 1997 तक इन पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं किया गया था।

  (पैरा 2.1.7)

- **भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने बिना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये नियमित प्रकार के तकनीकी और प्रशासनिक कार्य के लिये ठेकेदार के माध्यम से 116 तक कार्मिकों को नियोजित किया। केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने प्रयोगशालाओं और कार्यालय भवनों की सफाई के लिये ठेकेदार के माध्यम से बिना ठेके की प्रकिया का अनुपालन किए 245 कार्मिकों को नियोजित किया।**

  नियमित किस्म के काम के लिए आकस्मिक कर्मचारियों को लगाने पर रोक के बाबजूद, 26 प्रयोगशालाओं/परिषद मुख्यालय में अप्रैल 1990 के पूर्व 1107 आकस्मिक कर्मचारियों को लगाया गया था जिनमें से, 75 कर्मचारियों का विलयन हुआ था और जुलाई 1996 में नियमित रिक्तियों के विपरीत विलयन के लिए 1032 व्यक्ति प्रतीक्षा में थे।

1990–91 स्तर तक, व्यय को सीमित रखने के वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के विपरीत, 1992–93 में समयोपरिभत्ता व्यय 81.57 लाख रु से बढ़कर 1996–97 में 151.56 लाख रु हो गया।

बहुत से मामलों में, वैज्ञानिक/तकनीकी ग्रेडों/पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के पास प्रवेश स्तर के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी नही थी।

(पैरा 2.1.8)

- अनुग्राही पूरक योजना के अनुरूप मूल्यांकन पदोन्नति योजना में उसी स्थान पर पदोन्नति की व्यवस्था है यद्यपि, यह योजना केवल वैज्ञानिकों के लिये थी जिसे न्युनतम स्तर तक के सारे इंन्जीनियरी और तकनीकी कार्मिकों के लिये लागू की गई थी। यह योजना तकनीकी रूप में वर्गीकृत प्रशासनिक कार्मिकों के कुछ वर्गो के लिए भी लागू की गई थी जिसके परिणामस्वरूप, 12807 के आसपास इन्जीनियरी, तकनीकी और सहायक कार्मिकों को समयबद्ध मूल्यांकन पदोन्नति तथा 60 साल की आयु पर सेवानिवृत्ति का अदेय लाभ मिला।

  1992–97 के दौरान, सभी छः प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में पदोन्नत सभी 1667 वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों को 5 वर्षो से अधिक तक की अवधि के पूर्व प्रभाव से लाभ दिया गया।

  वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के समान प्रशासनिक कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर देने के लिये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अगस्त 1987 और अक्तूबर 1994 के मध्य सात वर्षों के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों की काडर समीक्षा तीन बार पूरा किया और विभिन्न स्तरों पर अगले उच्च ग्रेडों में 1740 पदों के ग्रेड बढ़ाने के अतिरिक्त, 278 नए (अतिरिक्त) पदों का सृजन किया, जो बिना वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए हुए सरकारी आदेशों के उलंघन में किया गया था।

  कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के अनुदेशों की लगातार उपेक्षा करते हुये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान

परिषद् ने सहायकों सहित अपने प्रशासनिक कार्मिकों की चार श्रेणियों को 1640–2900 रु का उच्च वेतनमान प्रदान किया।

छ: प्रयोगशालाओं में तकनीकी धारा में लाये गये 74 प्रशासनिक कार्मिकों में से, 53 सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आवश्यक तकनीकी योग्यता तथा अनुभव से रहित थे।

(पैरा 2.1.9)

– वैज्ञानिक जनशक्ति के अनुसंधान–विकास कार्यकलापों का परिणाम नगण्य था। 1992–97 के दौरान, 6 प्रयोगशालाओं के 271 वैज्ञानिको ने किसी भी शोध–पत्र कर अंशदान नही किया, 88 वैज्ञानिकों में से प्रत्येक ने केवल एक शोध–पत्र का अंशदान किया तथा 91 वैज्ञानिकों में से प्रत्येक ने केवल दो शोध–पत्रों का अंशदान किया। 1992–97 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित की।

(पैरा 2.1.10)

– दो इकाइयों के बन्द हो जाने के कारण फालतू हो गये 310 कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोगशालाओं में बिना रिक्त स्थानों तथा/अथवा सम्बन्धित प्रयोगशाला को उनकी उपयुक्तता के समायोजित कर लिया गया।

संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र के रूड़की से गाजियाबाद ले जाये जाने पर 15 वैज्ञानिकों, 49 तकनीशियनों, तथा 28 प्रशासनिक स्टाफ को उनको अव्यवस्थित होने से बचाने के लिये केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को अन्तरित कर दिया गया था जबकि संरचानात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र कार्मिकों की कमी और परिणामी प्रचालनात्मक समस्यों से ग्रस्त था।

1995–97 के दौरान, 15 व्यक्तियों के वेतन पर 29.32 लाख रु का निष्फल व्यय किया गया था, यह व्यक्ति केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के चार प्रसार केन्द्रों पर नियोजित थे और जिन्हें अगस्त 1994 में बन्द करने की सिफारिश की गई थी।

(पैरा 2.1.11)

- **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कुशल जनशक्ति प्रचालन नियंत्रण के लिये एक प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणाली का अभाव था।**

(पैरा 2.1.12)

2.1.5 जनशक्ति पर व्यय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आपूर्त किये गये आंकड़ो के आधार पर, विभिन्न योजना अवधि के दौरान प्राप्तियों और जनशक्ति पर व्यय निम्नानुसार थे:

(करोड़ रु. में)

योजना	अवधि	प्राप्तियाँ		कुल व्यय	जनशक्ति पर व्यय
		डी एस आई आर से अनुदान	अन्य प्राप्तियाँ		
V	1974-79	203.54	20.69	228.23	93.75
योजना अवकाश	1979-80	48.16	5.48	53.76	20.89
VI	1980-85	448.70	40.71	490.08	195.04
VII	1985-90	907.10	79.59	986.63	428.31
योजना अवकाश	1990-92	471.87	63.52	531.00	248.58
VIII	1992-97	1790.87	204.86	1987.23	1007.64

जनशक्ति पर किये गये वास्तविक खर्च में वेतन, पारिश्रमिक तथा पेंशन पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 1974–94 के दौरान, पारिश्रमिक पर किये गये व्यय के ब्यौरे नहीं दिया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा पाँचवीं से आठवीं योजना अवधि के दौरान, संस्वीकृत पद संख्या, तैनाती की स्थिति, ठेकागत/आकस्मिक कर्मचारियों और सृजित अतिरिक्त पदों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई थी।

1 अप्रैल 1997 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और उसकी प्रयोगशालाओं में सहायक कार्मिको सहित वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक काडरों में विद्यमान वर्गो और ग्रेडों की स्थिति परिशिष्ट–IV, में दिये गये अनुसार थी।

2.1.6 जनशक्ति, उपस्कर, खपने योग्य और कार्यालय स्थापना पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

परिशिष्ट–V में यथाप्रदर्शित जनशक्ति, खपने योग्य मदों, उपस्कर और अन्य कार्यालय खर्च पर हुये व्यय के आंकड़ों की प्रवृत्ति विश्लेषण से पता लगा कि जनशक्ति और अन्य कार्यालय खर्चों में हुई वृद्धि अन्य दो अनुसंधान–विकास इनपुटों–उपस्कर तथा खपने योग्य मदों पर व्यय में वृद्धि की तुलना में घोषित अधिक था जो अनुवर्ती पैराग्राफ में निम्नवत् दिखाया गया है :

जनशक्ति, उपस्कर, खपत योग्य तथा कार्यालय स्थापना सहित अन्य राजस्व व्यय पर तुलनात्मक व्यय

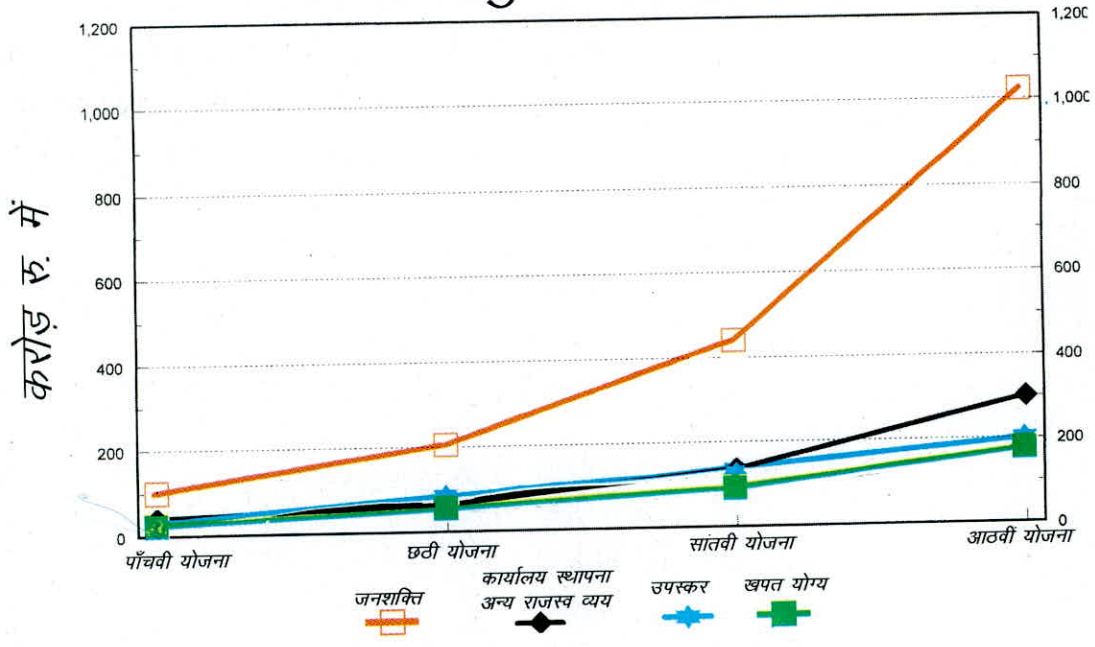

प्रवृत्ति विश्लेषण से उभरे अन्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

(i) उपस्कर और खपने योग्य मदों की तुलना में जनशक्ति पर व्यय वेतन बिल में स्थिर वृद्धि के कारण तेज गति से बढ़ा। पॉचवी योजना के दौरान, कुल व्यय 41.07 प्रतिशत से ऑठवी योजना के दौरान जनशक्ति पर व्यय बढ़कर 50.70 प्रतिशत हो गया जिससे अनुसंधान-विकास कार्यकलापों के अन्य इनपुटों के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई।

जनशक्ति, कार्यालय स्थापना और अन्य राजस्व व्यय, उपस्कर और खपने योग्य भंडार की तुलना में बहुत अधिक था

(ii) प्रशासनिक व्यय को घटाने और सभी स्तर पर कम से कम 10 प्रतिशत पदों को समाप्त करने के लिये जनवरी और फरवरी 1992 के सरकारी निदेशों के बावजूद, आठवीं योजना के दौरान जनशक्ति और कार्यालय स्थापना पर हुआ व्यय सातवीं योजना की तुलना में क्रमश: 135 और 162 प्रतिशत बढ़ गया।

(iii) आठवीं योजना अवधि के दौरान, कुल व्यय का 65.83 प्रतिशत जनशक्ति, कार्यालय स्थापना और अन्य राजस्व व्यय पर किया गया था जिसकी उपस्कर और खपने योग्य मदों पर 17.80 प्रतिशत तुलना की गयी थी। शेष 16.37 प्रतिशत पूँजीगत शीर्षों पर खर्च किया गया था और अन्य एजेन्सियों को अनुसंधान के लिये अनुदान विमोचित किये गये थे।

(iv) आठवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में जहाँ वेतन, कार्यालय स्थापना और अन्य राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई, वहीं उपस्कर और खपने योग्य मदों पर व्यय में कमी आई।

2.1.7 जनशक्ति नियोजन

(क) जनशक्ति आवश्यकता के निर्धारण के लिए तन्त्र का अभाव

जनशक्ति आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन कराये जाने के स्थान पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने मुख्यालय और प्रयोगशालाओं में विभिन्न श्रेणियों की जनशक्ति की संस्वीकृत पद संख्या नियत करने के लिए तदर्थ आधार का रास्ता स्वीकार किया जो निम्नानुसार उत्पन्न हुआ था:

आन्तरिक कार्य अध्ययन इकाई और कर्मचारी निरीक्षण इकाई गठन सहित अपनी जनशक्ति की आवश्यकता निर्धारित करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कोई तन्त्र विकसित करने में विफल रहा

(i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कुशलता के साथ स्थापना के स्टाफ में कम खर्च प्राप्त करने के लिए प्रतिमान निर्धारित करने, कार्य के मानक विकसित करने और स्थापना की कार्मिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई से मूल सदस्यों को लेकर आन्तरिक कार्य अध्ययन इकाई और आन्तरिक कर्मचारी निरीक्षण इकाई गठित करने के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया।

सरकारी आदेश की अवेहलना करने का बिना कोई कारण बताए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जुलाई–अगस्त 1997 में बताया कि यहां कोई आन्तरिक कार्य अध्ययन इकाई/कर्मचारी निरीक्षण इकाई नहीं थी अथवा उस संगठन में प्रचालनात्मक थी।

(ii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने प्रयोगशालाओं में परियोजना नियोजन मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष स्थापित करने के अतिरिक्त, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक जनशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए स्वमानक प्रतिमान विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही नही किया था। जहाँ संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र द्वारा कोई परियोजना मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष का गठन नही किया गया था, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने अपने परियोजना मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष में 1984 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियत तीन वैज्ञानिक और दो सहायक कार्मिको के स्थान पर 1992-97 के दौरान, क्रमश: 17 और 12 लोगों को नियोजित किया।

(iii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने सितम्बर 1989 में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक हाउस कीपिंग स्टाफ नियोजित किया जैसा कि 6 प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित आकड़ों से प्रदर्शित होता है:–

प्रयोगशाला	1 अप्रैल 1997	हाउस कीपिंग जनशक्ति		
का नाम	को कुल पद संख्या	अधिकतम अनुमत्य	वास्तविक	अधिक
सी बी आर आई	662	23	41	18
सी डी आर आई	939	33	52	19
आई आई पी	732	26	53	27
आई टी आर सी	374	13	26	13
एन पी एल	1291	45	147	102
एस ई आर सी	160	7	9	2

(iv) परिशिष्ट–VI में जैसा दिखाया गया है 6 प्रयोगशालाओं में प्रत्येक काडर में बड़ी संख्या में रिक्त स्थानों के बावजूद, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने जून–जुलाई 1997 में बताया कि उन्होंने सारा कार्य अपने वर्तमान स्टाफ के साथ स्वंय ही संभाला था और कोई भी परियोजना छोड़ी/स्थगित नहीं की गई थी। इससे पता लगता है कि नियत की गई प्रयोगशालाओं की संस्वीकृत पद संख्या कार्य की मात्रा के संदर्भ में वास्तविक आवश्यक जनशक्ति से बहुत अधिक थी।

(ख) अधिक गैर–वैज्ञानिक जनशक्ति

6 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक से अवैज्ञानिक कर्मचारियों का औसत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यो और ढॉचे की समीक्षा के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा सिफारिश किये गये 1:1.5 के औसत से बहुत अधिक था। 41 प्रयोगशालओं में से 10 के पास 750 कार्मिकों की सिफारिश की गई अधिकतम सीमा से अधिक जनशक्ति थी

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यों और उनकी संरचना की समीक्षा के लिए उसके अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने दिसम्बर 1986 में अन्य बातों के साथ सिफारिश किया कि वैज्ञानिक और गैर–वैज्ञानिक कार्मिकों के बीच 1:3 के विद्यमान अनुपात के स्थान पर घटा कर 1:1.5 करने के अतिरिक्त, नई प्रयोगशाला के लिए 350 कार्मिक और पुरानी के लिए 750 की सीमा रखी जाये। यद्यपि, प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद और शासी बोर्ड ने सिफारिश को मान लिया था परन्तु दूसरा कठोर संख्या अथवा औसत निर्धारित करने के पक्ष में नही था। परिशिष्ट–VII में दिये गये आकड़े से विभिन्न प्रकार की जनशक्ति से सम्बन्धित सिफारिश किये गये औसत को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में प्रभावी उपायों के अभाव का पता चलता है। 6 प्रयोगशालाओं में नियोजित वैज्ञानिक और गैर–वैज्ञानिक जनशक्ति का वास्तविक औसत 1:2.13 से 1:3.88 के बीच चलता रहा। 41 प्रयोगशालाओं में से 10 में, जनशक्ति सिफारिश की गई 750 की सीमा से बढ़ गई। इसी प्रकार, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं के 100 क्षेत्रीय केन्द्रो को उनके नगण्य कार्य और वांछित प्रयोजन की प्राप्ति में विफलता की दृष्टि से बन्द करने की समिति की अन्य सिफारिश पर इस कारण कि सम्बन्धित राज्य सरकार उनको चलाते रहना चाहती है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी बोर्ड द्वारा कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ग) संस्वीकृत संख्या से अधिक स्टाफ का नियोजन

14 प्रयोगशालाओं में जुलाई 1995 में अपनी संस्वीकृत संख्या से 122 वैज्ञानिक और 500 तकनीकी कर्मचारी अधिक नियुक्त किया

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्–मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि 14 प्रयोगशालाओं ने परिशिष्ट–VIII में यथा प्रदर्शित जुलाई 1995 को उनकी संस्वीकृत संख्या से अधिक 122 वैज्ञानिक और 500 तक तकनीशियनों को नियोजित किया। प्रचालित अधिक पदों के ब्यौरे, यदि कोई है, अन्य प्रयोगशालाओं के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(घ) रिक्त पदों का गैर–समापन

एक साल से ऊपर से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करने के सरकारी आदेश का पालन नही किया गया था

मई 1993 में वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि एक वर्ष से ऊपर से आस्थगित अथवा रिक्त पड़े पदों को आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर समापन आदेश जारी करके समाप्त कर दिया जाये और यदि किसी पद को तत्पश्चात् पुन:सृजित करना आवश्यक हो तो नए पद सृजित करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया था। इन आदेशों की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और संरचनात्मक इंजीनियरी अनुंसधान केन्द्र में 1993–96 के दौरान, 454 से 537 के बीच रहने वाले ऐसे रिक्त स्थानों के ब्यौरे परिशिष्ट–IX में दिये गये थे। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय ने आवश्यक सूचना नही दिया।

(ड.) 10 प्रतिशत पदों को कम करने के सरकारी आदेशों का अनुपालन न किया जाना

10 प्रतिशत पदों की कटौती के लिये सरकारी निदेशों को प्रशासनिक पदों के सम्बन्ध में नही लागू किया गया था

दिसम्बर 1991 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में एक निर्णय किये जाने के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने जनवरी–फरवरी 1992 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग समेत सभी विभागों को अनुदेश दिया था कि अपने अधीन सभी पदों की कम से कम 10 प्रतिशत कटौती किये जाने के लिये समीक्षा करें। यद्यपि, महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने फरवरी 1992 में कैबिनेट सचिव को वचन दिया था कि पदों में कटौती करने के लिये सभी सम्भावनाओं का पता लगाया जायेगा और उसके शीघ्र पश्चात् परिणामों से सूचित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कटौती किये जाने के

लिये पदों की पहचान जुलाई 1995 में की गई थी वह भी वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1993 और जनवरी 1995 में और कैबिनेट सचिव द्वारा जून 1995 में याद कराये जाने के बाद कार्यवाही की गई थी। तदनुसार, सितम्बर 1995 में 2079 वैज्ञानिक और तकनीकी पद कम कर दिये गये थे। यद्यपि, संस्वीकृत प्रशासनिक पदों में सितम्बर 1995 में 735 रिक्त स्थान थे, इनको अनछुआ छोड़ दिया गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जून 1997 में प्रशासनिक पदों में इस प्रकार की कटौती के लिये वित्त मंत्रालय से छूट प्राप्त करने का निवेदन किया, क्योंकि कुल 6528 संस्वीकृत प्रशासनिक पद जून 1997 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों का केवल 33.85 प्रतिशत बने जो प्रयोगशालाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये बिलकुल अप्राप्त थे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का यह तर्क मान्य नही था क्योंकि सितम्बर 1989 में वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई द्वारा हाउस कीपिंग कार्यों के लिये निर्धारित प्रतिमान 3.44 प्रतिशत से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में प्रशासनिक कार्मिक बहुत अधिक थे। इसलिये, प्रशासनिक पदों में 10 प्रतिशत की विधिक कटौती का पालन न करना उचित नहीं था।

(च) गैर–अनुसंधान–विकास कार्यों के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का प्रयोग

6 प्रयोगशालाओं में 49 वैज्ञानिकों और 155 तकनीशियनों को गैर–अनुसंधान–विकास कार्यों पर नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में 83 वैज्ञानिकों और 222 तकनीशियनों को बिना किसी अनुसंधान–विकास कार्य के नियोजित किया गया था

संबद्ध काडरों में बहुत अधिक संख्या में रिक्तियों के बावजूद, 6 प्रयोगशालाओं में 49 वैज्ञानिकों और 155 तकनीशियनों को गैर–अनुसंधान–विकास कार्य दिया गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय जहाँ कोई अनुसंधान–विकास कार्य नही किया जाता, ने मार्च 1997 में 83 वैज्ञानिकों और 222 तकनीशियनों को नियोजित किया था जिसके लिये न तो फाइल पर कोई औचित्य दर्ज किया गया था और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

(छ) निष्क्रिय जनशक्ति

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के 18 वैज्ञानिक और तकनीकी तथा 11 समर्थक कर्मचारियों को 6 से 12 महीनों के अन्तराल के बाद पुनर्नियोजित किया गया था

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में, 18 वैज्ञानिक और तकनीकी तथा 11 सहायक कार्मिकों को 6 परियोजनाओं की समाप्ति पर नियोजन के लिये उपलब्ध होने पर भी 6 से 12 महीनों के अन्तराल के बाद नयी परियोजनायें दी गई थी। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने मई 1997 में बताया कि परियोजनाओं की तैयारी और अनुमोदन तथा नयी परियोजनाओं के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास में बड़ा समय लग गया। प्रत्यक्षत:, केन्द्रीय भवन

अनुसंधान संस्थान जनशक्ति की निष्क्रियता से बचने के लिये परियोजनाओं की तैयारी और अनुमोदन को समय से नियोजित करने में विफल रहा।

2.1.8 नियुक्ति और परिनियोजन

(क) नियमित प्रकार के कार्य के लिये ठेकेदारों के माध्यम से कार्मिकों का अनियमित नियोजन

किसी भी प्रकार के नियमित कार्य के लिये ठेका आधार पर श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हुये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा बारबार जारी किये गये आदेशों के विपरीत, उसकी प्रयोगशालाओं में ठेके पर कर्मचारियों को नियोजित किया गया, जिससे न केवल नियुक्ति प्रक्रिया की अवहेलना हुई अपितु, नये पदों के सृजन और नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध की भी अवेहलना हुई। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मार्च 1990 में जारी आदेश कि ऐसे मामलों में महानिदेशक का अनुमोदन आवश्यक था की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय द्वारा किसी से जवाब मांगे बिना प्रयोगशालाओं द्वारा अवज्ञा की गई।

(i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आदेशों और पदों के सृजन और उनके भरे जाने पर लगी रोक की परवाह न करते हुये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 1983 में 9 व्यक्तियों को 1984 में 11 व्यक्तियों और 1985 में 21 व्यक्तियों को ठेके पर टंककों, हेल्परों, ड्राइवरों, तकनीशियनों आदि के रूप में नियमित कार्य के लिये नियोजित किया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मई 1997 में बताया कि सही समय, जब तक इन लोगों ने काम किया रिकार्ड पर उपलब्ध नही था।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने कार्यालय/तकनीकी कार्य के लिये बिना निविदा माँगे ठेकेदार के माध्यम से 116 कर्मचारियों को नियुक्त किया और अनियमित रुप से ऐसे कर्मचारियों को मानदेय तथा दीवाली उपहार मंजूर किया

जनवरी 1992 में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने नियमित कार्य के लिये बिना निविदा माँगें और किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये ठेकेदारों के माध्यम से जनशक्ति नियोजन शुरू किया। पारिश्रमिक नियत करने का तरीका पारदर्शी नही था। ऐसे कामगारों की संख्या 1992–93 में 17 से बढ़कर 1996–97 में 116 हो गई। भारतीय पेट्रोलियम सस्थान के अभिलेखों को देखकर पता लगा कि ठेकेदार के माध्यम से जनशक्ति को किराये पर लेने का तरीका केवल दिखावा था। नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई थी और ठेकेदार के माध्यम से उन्हे नियोजित करने के लिये संस्वीकृति उनके नाम से

प्राप्त की गई थी। रोचक बात यह थी कि यद्यपि, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित बताया गया था, अगस्त 1995 में ठेकेदार के बदल जाने के बावजूद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में लगभग 50 व्यक्ति 4 से 6 वर्षो तक और अन्य 40 व्यक्ति 2 से 4 वर्षों तक लगातार काम करते रहे। इस तरीके से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों को किराये पर नियोजित करने की सुविधा मिल गई जो उसकी अपनी गणना के हिसाब से ऐसे कामगारों का लगभग 30 प्रतिशत बना। प्रासंगिक रुप से, कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने के डर ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के लिये प्रतिकारी के रूप में काम किया जिसके कारण इस प्रकार से नियोजित व्यक्तियों की छटनी नही की जा सकी। इस प्रकार से नियोजित सभी कर्मचारियों को टंकण, कम्पयुटर प्रचालक, जेरॉक्स प्रचालक, हेल्पर, ड्राइवर, रसोइया, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन आदि के रूप में नियमित प्रकार के कार्य पर लगाया गया था। इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए न केवल औचित्य का अभाव था, अपितु ऐसे कार्यों के लिये आवश्यक न्युनतम योग्यता की भी अनदेखी की गई। यद्यपि, लिपिकों के चार अधिक पदों का प्रचालन किया जा रहा था, फिर भी टंकक, कम्पयुटर प्रचालक आदि के रूप में काम करने के लिये ठेकेदार के माध्यम से 26 अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित किया गया था। ठेकेदार के माध्यम से कामगारों के नियोजन के लिये महानिदेशक की आवश्यक संस्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जनवरी 1992 से जुलाई 1995 की अवधि के लिये ठेके से सम्बन्धित फाइलें प्रस्तुत करने में विफल रहा और इस कार्य पर इस अवधि के दौरान किया गया कुल व्यय बताने में भी विफल रहा। अगस्त 1995 से मार्च 1997 तक, कुल 25.29 लाख रु का भुगतान जिसमें सर्विस प्रभारों के लिये 1.89 लाख रु और मानदेय तथा दीवाली उपहारों के लिये 0.92 लाख रु सम्मिलित था, ठेकेदार को किया गया था।

यह स्वीकार करते हुये कि भारत सरकार/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नियमित प्रकार के कार्यो के लिये प्राइवेट जनशक्ति आपूर्ति एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा रखा था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने जून 1997 में बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य बाह्य नकद प्रवाह बढ़ाना था और पिछले पाँच वर्षो के दौरान, उसने प्रौद्योगिकियों और रॉयलटियों के अन्तरण से पर्याप्त रकम अर्जित किया था। इसने आगे बताया कि दैनिक श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण ठेकेदारों के माध्यम से जनशक्ति नियोजन किया गया। तथापि, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने यह स्पष्ट नही किया कि किस प्रकार ठेकागत श्रमिकों के नियोजन से वाह्य

नकद प्रवाह बढ़ेगा। इस प्रकार, इस विषय पर न केवल भारत सरकार/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आदेशों की अवेहलना की गई, अपितु अतिरिक्त जनशक्ति के लिये व्यौरेबार औचित्य देने की सामान्य प्रक्रिया तथा प्रतियोगी दरों के लिये निविदा आमंत्रित करने को भी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अनदेखा किया।

(ii) झाड़ू लगाने, सफाई करने, धूल झाड़ने और चौकीदारी का कार्य खुली निविदा के आधार पर चयनित प्राइवेट एजेंसियों को सौपने के लिए अपने कार्यालयों द्वारा अधिकृत भवनों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपनी प्रयोगशालाओं को जुलाई 1987 में प्राधिकृत किया।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने प्रयोगशालाओं/कार्यालय की सफाई के लिये ठेकेदार के माध्यम से 168 कामगारों को नियोजित किया और वर्ग 'घ' स्टाफ का कार्य करने के लिये 77 कामगारों को 1992-97 के दौरान, कुल 80.21 लाख रु. की लागत पर नियोजित किया

बिना किसी प्रतिमान का अनुसरण किये, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने अपनी प्रयोगशाला और मवेशीघर में सफाई के लिये बिना प्रतियोगी दरें आमंत्रित किये एक ठेकदार के माध्यम से 1992-97 के दौरान, वार्षिक आधार पर 168 कामगारों को नियोजित किया। केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने संस्थान के विभिन्न प्रभागों और अनुभागों में प्रगट रूप से धुलाई, सफाई और शीशें के बर्तनों और मेंजों के रख-रखाव तथा अन्य मेहनत के कार्यो के लिये 77 कामगारों को नियुक्त किया गया और उनको 'घ' वर्ग के कर्मचारियों का कार्य करने के लिये लगाया गया। 1992-97 के दौरान, ठेकेदार को किये गये कुल 80.21 लाख रु का भुगतान जिसमें से 29.65 लाख रु विभिन्न प्रभागों और अनुभागों में दैनिक कार्य के लिये लगाये गये 77 अतिरिक्त कामगारों से सम्बन्धित था।

प्रतियोगी दरों के आधार पर ठेकेदार की नियुक्ति करने के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया और केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उसी ठेकेदार को वर्ष दर वर्ष नियोजित करता रहा।

(iii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के जुलाई 1987 के अनुदेशों के अनुसार प्रयोगशालाओं को प्राधिकृंत किया कि वे केवल अपने सुरक्षा कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से करें। ठेके पर लिये गये सुरक्षा कर्मियों की स्थिति और उन पर किया गया व्यय लेखापरीक्षित 6 प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् था :

(लाख रु. में)

		ठेको पर नियोजित सुरक्षा स्टाफ की संख्या और किया गया व्यय									
प्रयोगशाला का नाम	1 अप्रैल 1992 को	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	तैनात नियमित स्टाफ	व	रु	व	रु	व	रु	व	रु	व	रु
सी बी आर आई	16	उपलब्ध नही	1.14	उपलब्ध नही	5.18	उपलब्ध नही	4.03	उपलब्ध नही	5.90	उपलब्ध नही	7.43
सी डी आर आई	5	37	5.63	37	4.67	37	7.32	40	6.51	40	9.86
आई आई पी	24	54	उपलब्ध नही	54	उपलब्ध नही	58	12.38	58	11.98	63	13.85
आई टी आर सी	8	28	5.89	28	6.31	21	5.59	21	6.10	21	8.05
एन पी एल	32	12	2.97	15	4.53	15	3.44	15	3.38	20	4.25
एस ई आर सी	6	21	3.77	21	4.75	21	5.57	22	6.37	30	8.13

प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जाँच से निम्नानुसार पता लगा:

1992-97 के दौरान कुल 174.98 लाख रु. लागत पर 6 प्रयोगशालाओं में ठेकेदारों के माध्यम से 174 से अधिक सुरक्षा कर्मचारियो को नियुक्त किया और अपने 91 सुरक्षा गार्डो में से अधिकांश को ग्रुप 'घ' के कार्यो पर नियोजित किया अथवा तकनीकी धारा में प्रवेश करवाया

– 16 सुरक्षा कर्मचारियों की पूरी सम्पूरक होने के बावजूद, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने बिना औचित्य के सुरक्षा कार्य ठेके पर दे दिया और 1992–97 के दौरान, 23.68 लाख रु का परिहार्य व्यय किया। नियमित कर्मचारियों का उपयोग करने के तरीके और ठेके पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के बारे में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने कोई सूचना नही दिया।

– किसी प्रतिमान के अभाव में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने बिना अपने भवन और परिसर में किसी प्रकार की वृद्धि के, 54 से 63 सुरक्षा कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अपने 24 नियमित सुरक्षा कर्मियों के नियोजन के व्यौरे नहीं प्रस्तुत किया।

– राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने 1992–93 के दौरान, 12 व्यक्तियों को नियोजित किया और स्टाफ कालोनी की सुरक्षा के लिये 1996–97 के दौरान उनकी संख्या बढ़ाकर 20 तक कर दिया। स्टाफ कालोनी की सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का न होने के बावजूद, 1992–97 के दौरान स्टाफ कालोनी की सुरक्षा पर किया गया 18.57 लाख रु का व्यय अनियमित था । इसके अतिरिक्त, 32 नियमित जनशक्ति के बावजूद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने मार्च 1997 में 5.46 लाख रु वार्षिक की लागत पर प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से 21 अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया। उनका कहना था कि बार–बार छुट्टी लेने/बीमारी के कारण नियमित सुरक्षा

कर्मचारी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से सम्बन्धित सुरक्षा कार्यो को कुशलतापूर्वक करने में असमर्थ थे।

– उपरोक्त के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय ने भी अपने भवन की सुरक्षा का कार्य एक प्राइवेट एजेन्सी को ठेके पर दे दिया जिसके अनुसार, दिसम्बर 1996 से आगे 19 सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया गया और उसके नियमित 21 सुरक्षा कर्मी फालतू हो गये। आठ सुरक्षा गार्डो को विभिन्न अनुभागों में गुप 'घ' के रूप में नियोजित कर दिया गया था।

केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान सस्थान ने केवल दो से पाँच नियमित स्टाफ की कमी के स्थान पर जून 1993 से जून 1997 के दौरान 32.12 लाख रू. की लागत परे 32 से 45 सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किया

केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर ने केवल तीन से पाँच सुरक्षा कर्मियों की कमी के विपरीत जून 1993 से जून 1997 के दौरान 32.12 लाख रु की लागत पर 32 से 45 सुरक्षा कर्मियों को ठेका आधार पर अनियमित रूप से नियोजित किया।

– यद्यपि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जून 1993 में केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन को स्पष्ट किया कि सुरक्षा गार्डो की संस्वीकृत संख्या को हिसाब में लेने के बाद, जनशक्ति की कमी की सीमा तक सुरक्षा ठेके अनुमत्य थे। न तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने और न ही प्रयोगशालाओं ने ठेकागत स्टाफ को कमी की मात्रा तक सीमित रखने पर ध्यान दिया अपितु सारा सुरक्षा कार्य ठेके पर दे दिया और नियमित स्टाफ को ग्रुप 'घ' के कार्यो पर नियोजित किया अथवा उनको तकनीकी धारा में प्रवेश करा दिया।

(ख) प्रायोजित परियोजनाओं के लिये नियमित आधार पर स्टाफ की अनियमित नियुक्ति

अस्थायी आधार पर नियुक्तियाँ किये जाने के स्थान पर केन्द्रीय औषधि विज्ञान ने दो प्रायोजित परियोजनाओं के लिये नियमित आधार पर 37 व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिनमें से कुछ जुलाई 1997 को नियमित रिक्तियों के विपरीत विलयन की प्रतीक्षा में थे जबकि योजना के प्रायोजक से 84.71 लाख रु. की वसूली बकाया थी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक था कि यथासम्भव प्रायोजित परियोजनाओं का प्रबन्ध अपनी विद्यमान जनशक्ति से करें और परियोजना के लिये आवश्यक जनशक्ति की नियुक्ति केवल अस्थायी आधार पर प्रायोजक की ओर से परियोजना की अवधि के लिये करना था। तथापि, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में दो प्रायोजित परियोजनाओं के लिये नियमित आधार पर चार वैज्ञानिक, 27 तकनीशियन और 6 प्रशासनिक कार्मिको की नियुक्ति की जिसके व्यौरे परिशिष्ट–X में दिये गये हैं। उनको त्रुटिपूर्ण रुप से नियमित स्टाफ

के रूप में नियुक्त करने के बाद, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने इन पदों को नियमित किये जाने के लिये मई 1987 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को लिखा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर मान लिया कि प्रायोजक वित्तीय सहायता स्थाई आधार पर देता रहे। जुलाई और अक्तूबर 1988 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने नियमित कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ परियोजना कर्मचारियों को भी दे दिया। तथापि, इनमें से एक परियोजना के माध्यम से प्रजनित नगण्य राजस्व पर विचार करते हुये, प्रायोजक ने 1995 के बाद सहायता देने में अपनी असमर्थता व्यक्त किया। 1996–97 के अन्त में, उस प्रायोजक से 84.71 लाख रु की राशि वसूली के लिये बकाया थी।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने जुलाई 1997 में बताया कि इस प्रकार से विलयित परियोजना कर्मचारियों का, रिक्त स्थान होने पर समायोजन कर लिया जायेगा।

(ग) आकस्मिक कामगारों के अप्राधिकृत नियोजन के परिणामत: स्थायी विलयन का दायित्व

उपाध्यक्ष और महानिदेशक के आदेशों की अवज्ञा करते हुये नियमित प्रकार के कार्य के लिये अप्रैल 1990 के पूर्व 26 प्रयोगशालाओं में 1107 आकस्मिक कामगारों को नियुक्त किया गया था। इनमें से, 1032 जुलाई 1996 तक नियमित रिक्तियों के विपरीत विलयन की प्रतीक्षा में थे

सामयिक/अवसरिक कार्यों को विशेष अवधि के लिए छोड़कर, दैनिक कामगारों के नियोजन को रोकने वाले महानिदेशक तथा विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्री तथा पदेन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष के आदेशों की लगातार अनदेखी करते हुये 26 प्रयोगशालाओं में नियमित प्रकार के कार्यो के लिये मार्च 1990 तक 1107 आकस्मिक दैनिक श्रमिकों/ठेकागत कामगारों को नियोजित किया। इनमें से, 250 कामगार केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और आठ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय द्वारा नियोजित किये गये थे।

आकस्मिक कामगारों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के जून 1988 के आदेश जारी किये जाने के पश्चात्, रिक्तस्थानों के विपरीत विलयन के लिये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा पहले ही विलय किये गये 30 कार्मिको के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 1077 आकस्मिक/दैनिक श्रमिक/ठेकागत कामगारों की सूची बनायी। इनमें से, 45 कामगारों को जुलाई 1996 तक नियमित पदों पर रिक्त स्थानों के विपरीत

विलय कर लिया गया था और शेष 1032 कामगार विलय के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे।

इस प्रकार, आकस्मिक कामगारों को नियोजित करने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुदेशो के अनुपालन की अपेक्षा न केवल प्रयोगशालाओं द्वारा अपितु वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय द्वारा भंग करने वाले अनुदेशों के रूप में अधिक देखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, 1992–97 के दौरान केवल 4 प्रयोगशालाओं में 142.62 लाख रु का व्यय करने के अतिरिक्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और उसकी प्रयोगशालाओं ने भविष्य में शेष आकस्मिक कामगारों को नियमित करने के भार को भी अपने ऊपर ले लिया था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के माध्यम से स्टाफ को नियोजित करने अथवा नियमित प्रकार के तकनीकी और प्रशासनिक कार्य के लिये आकस्मिक कामगारों को नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त नियोजित करने का परिणाम उनकी संस्वीकृत संख्या से अधिक जनशक्ति के परिनियोजन में हुआ जो परिशिष्ट–XI में दिखाये गये अनुसार है।

(घ) अधिक स्टाफ के बावजूद समयोपरि भत्ते का भुगतान

अधिक कार्मिकों के नियोजन के बावजूद 1992-93 में समयोपरि भत्ते पर खर्च 81.57 लाख रु. से बढ़कर 1996-97 में 151.56 लाख रु. हो गया

अधिक स्टाफ नियोजित किये जाने और समयोपरि भत्ते पर खर्च की सीमा को 1990–91 के स्तर पर सीमित रखे जाने के लिए वित्त मंत्रालय के लगातार अनुदेशों के बावजूद, सभी प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में प्रशासनिक और तकनीकी सहायक स्टाफ को 1992–93 में समयोपरि भत्ते का भुगतान 81.57 लाख रु से बढ़कर 1996–97 में 151.56 लाख रु हो गया। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में व्यय 1992–93 में 1.00 लाख रु, 4.75 लाख रु, 5.74 लाख रु और 5.85 लाख रु से बढ़कर 1996–97 में क्रमश: 2.88 लाख रु, 8.14 लाख रु, 10.66 लाख रु और 11.01 लाख रु हो गया।

(ड.) वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर अयोग्य स्टाफ की भर्ती और पदोन्नति

प्रवेश स्तर पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता धारण न करने वाले व्यक्तियों को वैज्ञानिक/तकनीकी पदों पर नियुक्त किया गया था उनमें से अधिकांश को गैर-अनुसंधान-विकास कार्यों पर नियोजित किया गया था

अभिलेखों की जाँच से पता लगा कि बहुत से मामलों में वैज्ञानिक/तकनीकी ग्रेडों/पदों पर तैनात बहुत से व्यक्तियों के पास प्रवेश स्तर के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी नही थी जो निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	पदारुढ / वेतनमान	व्यक्तियों की संख्या	प्रवेश स्तर योग्यता	वास्तविक योग्यता
1.	सी वी आर आई	वैज्ञानिक ई –I रु. 3700-5000	2	प्रथम श्रेणी एम एस सी / प्रथम श्रेणी बी ई/ एम टेक/एम ई एम बी बी एस/ एम फारमा. पी एच डी (विज्ञान)	वी एस सी, बी लि बी. साइंस, एम ए (अर्थशास्त्र)
2.	सी डी आर आई	वैज्ञानिक ई –I रु. 3700-5000	1	- वही -	बी एस सी पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा
3.	सी डी आर आई	वैज्ञानिक सी रु. 3000-4500	1	- वही -	इई स्कूल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा
4.	सी डी आर आई	- वही -	1	- वही -	इई स्कूल एव आई टी आई(फिटर)
5.	सी डी आर आई	वैज्ञानिक बी -I रु. 2200-4000	1	- वही -	बी एस सी, एम ए एल एल बी
6.	सी डी आर आई	- वही -	1	- वही -	एम ए (अग्रेजी), एम कॉम, एल एल बी
7.	सी डी आर आई	वैज्ञानिक बी -I रु. 2200-4000	1	- वही -	इन्टर एव रेफ्रीजरेशन इंजीनियरी में 2 वर्षीय (डिप्लोमा)
8.	आई आई पी	वैज्ञानिक 'सी' रु. 3000-4500	1	- वही -	इन्टर
9.	आई टी आर सी	वैज्ञानिक ई – II रु. 4500-5700	1	- वही -	एल एल बी, बी पुस्तकालय विज्ञान
10.	आई टी आर सी	वैज्ञानिक ई – I रु. 3700-5700	1	- वही -	एम एस सी (सांख्यिकी)
11.	आई टी आर सी	- वही -	1	- वही -	बी टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स)
12.	एन पी एल	वैज्ञानिक ई –I रु. 3700-5000	1	- वही -	एम ए (अर्थशास्त्र)
13.	एन पी एल	- वही -	2	- वही -	बी एस सी, एम ए
14.	एन पी एल	- वही -	3	- वही -	बी एस सी
15.	एन पी एल	- वही -	1	- वही -	इंजीनियरी में डिप्लोमा
16.	एन पी एल	वैज्ञानिक ई -I रु. 3700-5000	1	- वही -	एम ए (राजनीति विज्ञान)
17.	एन पी एल	वैज्ञानिक ई -I रु. 3700-5000	1	- वही -	एम ए (गणित)

18.	एन पी एल	वैज्ञानिक बी रु. 2200-4000	1	- वही -	एम ए (अर्थशास्त्र), बी पुस्तकालय विज्ञान
19.	सी एस आई आर	वैज्ञानिक 'सी' रु. 3000-4500	2	- वही -	ड्राफ्टमैनशिप (मैक्लीकल) में राष्ट्रीय ट्रेड सर्टीफिकेट
20.	सी एस आई आर	वैज्ञानिक ई I रु. 3700-5000	1	- वही -	एम ए
21.	आई आई पी	टैकनीकल आफीसर रु..2000-3500	1	प्रथम श्रेणी बी एस सी/इंजीनियरी में डिप्लोमा	बी ए फोटोग्राफी में डिप्लोमा
22.	आई आई पी	- वही -	4	- वही -	मैट्रिक/इन्टर
23.	आई आई पी	टैकनीकल आफीसर रु. 3000-4500	4	- वही -	इन्टर
24.	आई आई पी	टैकनीकल आफीसर रु. 2000-3500	9	- वही -	आई टी आई
25.	आई आई पी	टैकनीकल आफीसर रु. 2000-3500	1	- वही -	पाँचवी
26.	आई आई पी	- वही -	1	- वही -	नवीं
27.	एन पी एल	टैकनीकल आफीसर(सी) रु. 3000-4500	1	- वही -	बी ए
28.	सी एस आई आर	टैकनीकल आफीसर (जेरॉक्स आपरेटर) रु. 2200-4000	2	- वही -	मैट्रीकुलेट
29.	एन पी एल	टैकनीशियन ग्रेड II (1) रु. 950-1400	3	एस एस सी/दसंवीं आई टी आई सर्टीफिकेट के साथ	छठी कक्षा/हाई स्कूल
30.	एन पी एल	टैकनीशियन ग्रेड II (2) रु. 1350-2200	18	- वही -	शून्य/प्रथम/आठवीं/मैट्रिक
31.	एन पी एल	टैकनीशियन ग्रेड II (3) रु. 1400-2300	3	- वही -	मिडिल स्कूल/मैट्रिक
32.	एन पी एल	टैकनीशियन ग्रेड I(3) रु. 950-1400	9	एस एस सी/दसवीं	शून्य/पांचवीं/आठवीं

इस प्रकार, अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति का लाभ पहुँचाने के लिये योग्यता को कम कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरुप, इनमें से बहुत से कर्मचारियों को ऐसे काम दिये गये थे जो उनके सम्बन्धित ग्रेडों के अनुरूप नही थे। उदाहरण के लिये, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने सभी 6 वैज्ञानिकों को गैर–अनुसंधान–विकास कार्यकलापों में लगाया जबकि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने बहुत से तकनीकी स्टाफ को लेखन सामग्री का संग्रहण,

डाक–वितरण, सामग्री निकालने में भंडार सहायक की मदद का काम, पार्सलों की पैकिंग, गैस सिलेन्डरों का स्थान परिवर्तन, कागजों के जेरॉक्स का काम, परिपत्रों/फाइलों आदि के वितरण जैसे गैर–तकनीकी कार्यों पर नियोजित किया था। विज्ञान और तकनीकी पदों पर मानविकी पृष्ठभूमि वाले गैर–वैज्ञानिक कार्मिकों की नियुक्ति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान–विकास प्रयासों में किस प्रकार अंशदान करेगी इसपर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को विचार करना हैं।

(च) सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध की उपेक्षा करके पदों का सृजन और भरण

यद्यपि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अगस्त 1997 में बताया कि प्रयोगशालाओं के लिये कोई अतिरिक्त पद नही मंजूर किया था। 6 प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच से पता लगा कि जनवरी 1984 में पदों के सृजन और भरण पर मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध की उपेक्षा करके परिषद् ने प्रतिबन्ध अवधि के दौरान केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र में 167 वैज्ञानिकों, 137 तकनीशियनों और 80 प्रशासनिक स्टाफ के अतिरिक्त पद सृजित हुये थे। इस अवधि के दौरान, 6 प्रयोगशालाओं में भर्ती द्वारा वैज्ञानिकों के 27, तकनीशियनों के 57 और प्रशासनिक स्टाफ के 33पदों को भरा गया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने वैज्ञानिकों के 9, तकनीशियनों के 23 और प्रशासनिक स्टाफ के 16 रिक्तपदों को भरने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का अनुमोदन नही प्राप्त किया। केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तथा औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने बताया कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन का उनके अभिलेखों में पता नही चलता था।

प्रतिबन्ध की अवज्ञा में 167, वैज्ञानिकों, 137 तकनीशियनों और 80 प्रशासनिक पदों का सृजन किया गया

2.1.9 पदोन्नतियाँ

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टाफ को अदेय लाभों की मंजूरी

1966 में विशिष्ट 4 ग्रेडों में कार्यरत वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् मूल्यांकन पदोन्नति के सम्बन्ध में उप नियम 71 (ख) के

लागू होने से पूर्व वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने प्रतिबन्धित योग्यता पदोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि की सरकारी योजना का पालन किया। बाद में, जून 1975 में तकनीकी कर्मचारियों को भी सम्मिलित कर लिया गया। उसके पश्चात्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नवीन भर्ती और मूल्यांकन प्रणाली, योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणाली और संशोधित योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणाली को क्रमश: नवम्बर 1981, सितम्बर 1990 और अगस्त 1994 में अधिसूचित किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित पदोन्नति प्रणालियों और इसके अर्न्तगत हुई पदोन्नतियों की समीक्षा से निम्नानुसार कुछ अनियमितताओं का पता लगा:

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिये सभी पदोन्नति योजनाओं को पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था

(i) नवम्बर 1981, सितम्बर 1990 और अगस्त 1994 में अधिसूचित नवीन भर्ती और मूल्यांकन प्रणाली, योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणाली और संशोधित योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणालियों को क्रमश: फरवरी 1981, अप्रैल 1988 और अप्रैल 1992 के पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था।

(ii) यद्यपि, पूर्व स्थान पर वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पदोन्नति में अधिक महत्व के कर्त्तव्यों और दायित्वों का ग्रहण अर्न्तग्रस्त न होने के कारण, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वित्तीय नियमों के उलंघन में सबका वेतन नियत करने के लिए एक समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का अक्तूबर 1997 का उत्तर कि उनके शासी बोर्ड ने 1996 में इस कार्य को अनुमोदित किया था मान्य नही था क्योंकि वित्तीय नियमों की व्यवस्थाओं को शिथिल करने के लिये शासी बोर्ड अधिकृत नही था।

पदोन्नति पर वेतन नियतन में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ और अग्रिम वेतन वृद्धियाँ साथ ही साथ अनुमत की गई थी

(iii) नवीन भर्ती और मूल्यांकन प्रणाली के अन्तर्गत, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपवादस्वरूप, योग्यता के मामलों में मूल्यांकन समीति की सिफारिशों पर अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमत करने की कार्यवाही का अनुपालन किया। योग्यता आधार की अनदेखी करते हुये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अक्तूबर 1978 और फरवरी 1981 के दौरान पदोन्नति प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों की किन्ही श्रेणियों को एक समान दो वेतन वृद्धियाँ प्रदान किया। वित्त मंत्रालय द्वारा इस बात पर आपत्ति करने कि वेतन नियतन पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ तथा अग्रिम वेतन वृद्धियाँ एक साथ नही दी जा सकती, के बावजूद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने

ऐसे सभी मामलों में भुगतान की गई अधिक रकम की वसूली न करने का निर्णय किया।

(ख) गैर–तकनीकी पदों का तकनीकी पदों के रूप में पुर्नवर्गीकरण

तकनीकी और सहायक कार्मिकों के अतिरिक्त, नर्सिंग सिस्टरों, मालियों कारीगरों, सिलाई सहायकों, अनुवादकों जैसे गैर–अनुसंधान–विकास पदों को भी तकनीकी के रुप में वर्गीकृत किया गया था केवल उनको मूल्यांकन पदोन्नति और उच्च आयु में सेवा निवृत्ति का लाभ देने के लिये किया गया था

मूलत:, वैज्ञानिक कार्मिकों के लिये अर्थ रखने वाली मूल्यांकन पदोन्नति का लाभ 1975 में तकनीकी स्टाफ को दिये जाने के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नवम्बर 1981 में नवीन भर्ती तथा मूल्यांकन प्रणाली को अधिसूचित करते समय समर्थक स्टाफ में वर्ग–1, तथा वर्ग– 2 को भी तकनीकी के रूप में पुर्नवर्गीकृत किया। तत्पश्चात्, दिसम्बर 1982 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कम्पाउन्डरों, नरसिंग सिस्टरों, मालियों, कारीगरों, सिलाई सहायकों, बिक्री तथा विज्ञापन सहायकों, पैकरों, अनुवादकों/अनुवाद अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी (हिन्दी), आदि जैसे बहुत से गैर–अनुसंधान–विकास पदों को भी समयबद्ध मूल्यांकन पदोन्नति और उच्च आयु पर सेवा निवृति का लाभ देने के लिये अक्तूबर 1978 के पूर्व प्रभाव से तकनीकी स्टाफ के रूप में वर्गीकृत किया गया। इंन्जीनियरों, ड्राफ्टमैनों, वास्तुशिल्पियों आदि के पदों को तकनीकी पदों के रूप में वर्गीकृत करते हुये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने उनको प्रशासनिक पदों के रूप में माने जाने के लिये अक्तूबर 1978 में शासी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की उपेक्षा की।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये एक संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने अगस्त 1988 में वित्त राज्य मंत्री के अनुमोदन से अन्य बातों के साथ यह स्पष्ट किया कि अनाग्रह पूरक प्रणाली के अनुरूप मूल्यांकन पदोन्नति प्रणाली में रत वैज्ञानिकों के लिए लागू थी वैज्ञानिक अनुसंधान और इस योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य पदों को नही शामिल किया जा सकता और यह भी कि केवल वैज्ञानिक योग्यता किसी पद/व्यक्ति को उच्च वेतनमान और अनाग्रह पूरक योजना के लाभ के उपयुक्त नही बनाती। विगत में वर्ग I, II, III तथा V में वर्गीकृत सभी तकनीकी स्टाफ को अनाग्रह पूरक योजना सहित वेतनमानों और अनुरूप सेवा शर्तो के लाभ को बढ़ाते समय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वित्त मंत्रालय तथा/अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पूर्व अनुमति नही ली। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी बोर्ड ने नवम्बर 1992 में निर्णय किया कि वर्तमान पदधारियों से इन लाभों को

वापिस लेना प्रशासनिक रूप से सम्भव नही होगा परन्तु प्रलेखन/अनुवाद/पेटेन्ट अधिकारियों जैसे पदों पर नये लगने वाले व्यक्तियों को न तो अनाग्रह पूरक प्रणाली के अर्न्तगत सम्मिलित किया जायेगा और न ही वैज्ञानिकों को देय उच्च वेतनमान दिये जायेगें। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने के बावजूद, सक्रिय अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों को यथा देय अनुरूप सेवाशर्ते और अनाग्रह पूरक प्रणाली का लाभ जिन अन्य स्टाफ को दिया गया था उनके बारे में भी कुछ भी नही किया गया। तदनुसार, सितम्बर 1995 में निर्धारित संस्वीकृत संख्या के अनुसार 12807 इन्जीनियर, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों को मूल्यांकन पदोन्नति प्रणालियों और उच्च आयु सेवा निवृति का लाभ इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनादर करते हुये जारी रहा।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अक्तूबर 1997 में बताया कि यहाँ पर स्टाफ की भर्ती और पदोन्नति को उप नियम 11 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्रणालियों द्वारा नियमित किया जाता है और वित्त मंत्रालय आदि से कोई अलग अनुमोदन की आवश्यकता नही थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का यह मत मान्य नही था क्योंकि जुलाई 1989 में उप नियम 11 को लाने के पहले भी स्टाफ की अपात्र श्रेणियों को अनाग्रह पूरक प्रणाली का लाभ दिया गया था। आगे भी यह देखा गया कि उप नियम 11 में केवल भर्ती और पदोन्नति के लिये प्रणालियों को विकसित करने की व्यवस्था थी और सभी श्रेणियों के लिये ऐसी प्रणाली के अनुमोदन के लिये शासी बोर्ड को पूर्णशक्ति नही प्रदान करता। पूर्व वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नियम 46 के अनुसार भी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों की सेवाशर्तो से सम्बन्धित अन्य बातो के साथ उप–नियमो को बनाने, संशोधित करने अथवा रद्द करने के लिये भारत सरकार की संस्वीकृति आवश्यक थी। वास्तव में नवम्बर 1973 में प्रस्तावित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उप–नियमों के संशोधनों की समीक्षा करते समय वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को विशेष रूप से निदेश दिया था:

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उप–नियमों में कार्मिको के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने में वित मंत्रालय के अनुदेशों का उलंघन

"सभी पदों पर भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण भारत सरकार में अनुरुप पदों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार किया जायेगा''

तथापि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में उपरोक्त प्रावधानों को अपने उप नियमों में सम्मिलित नही किया और ऐसा न करके वित्त मंत्रालय के निदेशों का उलंघन किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के कारण, इसी प्रकार से पदारूढ़ सरकारी कर्मचारियों को लागू व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा लागू न किये जाने का कोई औचित्य नही था।

(ग) पदोन्नति सम्बन्धी अन्य अनियमितताएं

पदोन्नति योजनाओं को लागू करने में देखी गई अन्य अनियमितताएं निम्नानुसार थी:

प्रणाली के प्रयोजन को समाप्त करके पूर्व प्रभाव से अनुमत्य उच्च ग्रेडों में पदोन्नति

(i) यद्यपि, नवीन भर्ती तथा मूल्यांकन प्रणाली को नवम्बर 1981 में अधिसूचित किया गया था, जनवरी 1981 तक सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रतिशतता सीमा के अध्यधीन 1 फरवरी 1981 से एक साथ पदोन्नति दी गई थी। शेष कर्मचारी जो उपरोक्त सीमा के कारण पदोन्नति प्राप्त करने में विफल रहे उनको भी 1 फरवरी 1981 से पूर्व प्रभाव से सितम्बर 1983 में अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया था और मूल्यांकन प्रणाली का वास्तविक प्रयोजन और प्रतिशतता सीमा समाप्त हो गयी थी।

(ii) अर्थशास्त्र और भूगोल जैसे विषयों में एम. ए. डिग्री, एम. कॉम. डिग्री एक वर्ष के मास्टर आफ मैनेजमेन्ट साईस के साथ बिजनेस मैनेजमेन्ट में दो वर्ष के कोर्स के डिप्लोमा को एम. एस. सी. डिग्री के समकक्ष माना गया था अर्थात वैज्ञानिकों के लिये निर्धारित प्रवेश स्तर योग्यता, ताकि ऐसी योग्यता रखने वालों को वैज्ञानिक ग्रेड में पदोन्नति मिल सके।

(iii) संशोधित योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणाली में 31 दिसम्बर 1981 को कार्यरत सभी कर्मचारियों को मूल्यांकन पदोन्नति की व्यवस्था थी और अगले वर्ग के लिए प्रवेश स्तर की योग्यता रखने वालों को, अगले उच्च ग्रेड में निर्धारित मूल्यांकन अवधि से दो वर्ष पहले पदोन्नति की व्यवस्था थी। ऐसे मूल्यांकन के लिये पहले की तारीखों से जिन कर्मचारियों पर विचार किया जाना था वास्तविक वित्तीय लाभ 25 सितम्बर 1990 के साथ उनको ऐसी तारीखों से सैद्धान्तिक रूप में पदोन्नति अनुमत की गई थी। सभी लोगों को समान रूप

से लाभ प्रदान करने के लिये मई 1996 में जारी किये गये आदेश के माध्यम से 31 दिसम्बर 1981 की विच्छेदक तारीख एक तरफा समाप्त हो गई।

(iv) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में कुछ वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ के वैयक्तिक अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि नीतियों के उदारीकरण और तदर्थ निर्णयों के कारण परिशिष्ठ–XII में यथा प्रदर्शित वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को तेजगति से पदोन्नतियाँ मिली। उपरोक्त प्रकार के लाभों के बारे में न तो सरकारी नियमों और आदेशों में व्यवस्था है और न ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वित्त मंत्रालय तथा/अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया। वास्तव में, सभी प्रकार की भर्ती और पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में अपने स्टाफ को भारत सरकार में लागू नियमों और आदेशों के सम्बन्ध में उसके उप नियमों में व्यवस्था करने के लिये वित्त मंत्रालय ने 1973 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को विशेष रूप से सलाह दिया था। वित्त मंत्रालय ने भी अगस्त 1984/मई 1987 में आदेश जारी किया कि भारत सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों की सेवा शर्ते सामान्यतया केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लागू शर्तों के समान ही होंगी।

(घ) पदोन्नति का पूर्व प्रभावी लाभ

1992–97 के दौरान छः प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में सभी 1667 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को पांच वर्ष तक से अधिक पूर्व प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दिया गया

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि 1992–97 के दौरान, 6 प्रयोगशालाओं और परिषद मुख्यालय में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी काडरों में पदोन्नति के सभी 1667 मामलों में, परिशिष्ट–XIII में बताये गये अनुसार 5 वर्ष से अधिक समय तक की अवधि के लिये पूर्व प्रभाव से पदोन्नति का लाभ अनुमत किया गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अगस्त 1997 में बताया कि उनकी मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार पात्रता की नियत तारीख से ही पदोन्नति प्रभावित होती है। तथापि, तथ्य यह है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के स्टाफ के लिये लागू वित्तीय नियमों की इच्छानुसार अवेहलना की जाती है बिना वित्त मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रणालियों पर अनुमोदन प्राप्त किये पूर्व प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दिया गया।

(ड.) पदों के सृजन/उन्नयन द्वारा प्रशासनिक स्टाफ के लिये पदोन्नति के अवसर में वृद्धि

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा बार–बार काडर समीक्षा और पदों का सृजन/उन्नयन आवश्यकता पर आधारित होने से अधिक प्रशासनिक स्टाफ को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी स्टाफ के बराबर लाने के उद्देश्य से निदेशित प्रतीत होती है जिस पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

(i) विद्यमान पदों के वेतनमानों को बढ़ाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालयों/विभागों पर मनाही के आदेशों के विपरीत, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नवम्बर 1981 में वित्त और लेखाधारा में अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के वेतनमानों को बढ़ाया। अत:, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की यह कार्यवाही अनियमित थी।

आवश्यक होन पर भी वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपने प्रशासनिक कार्मिकों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को तुलनीय पदोन्नति के अवसर देने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परषिद् ने अनुक्रमिक काडर समीक्षाओं के माध्यम से 278 पदोंका सृजन और 1740 पदों का उन्नयन किया

(ii) नवीन भर्ती तथा मूल्यांकन प्रणाली के अन्तर्गत वर्ग 'घ' और निम्न श्रेणी के तकनीकी स्टाफ सहित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी स्टाफ के तुलनीय पदोंन्नति के अवसर प्रशासनिक स्टाफ को प्रदान करने की दृष्टि से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अगस्त 1987 में काडर समीक्षा करवायी और 254 नये (अतिरिक्त) पदों का सृजन किया और 743 पदों का उन्नयन किया जिन पर मोटे तौर पर, 47.63 लाख रु की लागत का अनुमान था। सितम्बर 1990 में अनुमोदित अन्य काडर समीक्षा के माध्यम से, जिसके अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी स्तर तक के पद आते थे 24 नये (अतिरिक्त) पदों का सृजन किया गया और विभिन्न स्तरों के 609 पदों का उन्नयन किया गया। अनुभाग अधिकारी स्तर तक में स्थिरता दूर करने के लिये अक्तूबर 1994 में सेवा वर्षों की संख्या पर आधारित तीसरी काडर समीक्षा के परिणामस्वरूप, 388 पदों का सृजन/पदोन्नयन किया गया। काडर समीक्षाओं के दौरान, कुल 2018 पदों का सृजन/उन्नयन किया गया। उसके बावजूद, नवम्बर 1996 में अन्य समीक्षा शुरू की गई।

(iii) भारत सरकार के ओदशों के अनुसार, पदोन्नयन को उच्च पदों के सृजन के समान समझा जाता है जिसके लिये आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव वित्त मंत्री को प्रस्तुत किये जायें, जो वित्तीय अर्न्तग्रस्तताओं के आधार पर उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिये भेज सकता है। तथापि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अगस्त 1987 से अक्तूबर 1994 के दौरान कराये गये

किसी भी काडर समीक्षा के सम्बन्ध में पदों के सृजन और उन्नयन के लिये वित्त मंत्री का अनुमोदन नही प्राप्त किया गया। यद्यपि, सदस्य (वित्त) ने मई 1990 में जोर दिया था कि काडर समीक्षा प्रमुख रूप से पदों के सृजन/उन्नयन के लिये कार्यात्मक औचित्य के आधार पर किया जाना चाहिये और प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। महत्वपूर्ण रूप से, भारत सरकार ने जनवरी 1984 में पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगाया था, जो योजना और गैरयोजना पदों के लिये मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के रूप में लागू था। तदनुसार, और अधिक पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये पदों का सृजन/उन्नयन न केवल अनियमित था अपितु व्यय में कमी करने के लिये भारत सरकार की नीति की उपेक्षा में भी था।

सदस्य (वित्त) की सलाह की उपेक्षा करके काडर समीक्षा से उत्पन्न पदोन्नतियों को पूर्व प्रभाव से किया गया

सदस्य (वित्त) की टिप्पणी कि पदोन्नतियाँ अधिसूचना की तारीख से प्रभावित होनी चाहिये के बावजूद, अक्तूबर 1990 की काडर समीक्षा से उत्पन्न सभी पदोन्नति अप्रैल 1990 से प्रभावित की गई थी। इसी प्रकार, अक्तूबर 1994 के अनुवर्ती काडर समीक्षा से उत्पन्न पदोन्नतियों का लाभ सिद्वान्त रूप से अप्रैल 1994 से अनुमत किया गया था प्रत्यक्षत: अनुवर्ती पदोन्नतियाँ जो कुछ वर्षों के बाद, 6 महीने से उपलब्ध थी उनको अग्रिम रूप से अनुमत करने के लिये ऐसा किया गया।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अक्तूबर 1995 में मान लिया कि प्रशासनिक काडरों में स्थिरता समाप्त करने के लिये 1987 से करायी गई काडर समीक्षा के परिणामस्वरूप, पिरामिड को उल्टा करने जैसा हुआ क्योंकि बिना समग्र पदों में कोई वृद्धि किये पदों का उन्नयन कर दिया गया था जिसका परिणाम पदानुक्रम समस्याओं और उच्च ग्रेडों में रिक्त स्थानों के भरे जाने में बढ़ती कठिनाइयों के अतिरिक्त संभरण समाप्त हो जाने में हुआ जैसा परिशिष्ट–XIV में दिया गया है काडर समीक्षाओं के अतिरिक्त इक्का दुक्का पदों के सृजन/उन्नयन सहित काडर समीक्षा के पहले और बाद में प्रत्येक श्रेणी के कुल पदों की संख्या के व्योरों से यह स्पष्ट हो जायेगा। जल्दी–जल्दी हुई काडर समीक्षा से तीव्र गति से पदोन्नतियों के परिणामस्वरूप, अप्रैल 1996 को 10 मैट्रिक पास/इन्टरमीडिएट व्यक्तियों के उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक के पद धारण करने और अन्य 6 मैट्रिक पास/इन्टरमीडिएट अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के पद धारण करने में हुआ।

(छ:) अनियमित रूप से उच्च वेतनमान प्रदान किये जाने के परिणास्वरूप, 468.04 लाख रु से अधिक का परिहार्य व्यय

वित्त मंत्रालय एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्पष्ट निदेशों के बावजूद 468.04 लाख रु की लागत पर सहायको, वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों, सहायकों (वित्त तथा लेखा) और भंडार तथा क्रय सहायको (ग्रेड–III) के वेतनमान 1400-2600 रु से 1640-2900 रु में संशोधित किए गए

जुलाई 1990 में, भारत सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और स्टेनोग्राफर – सी ग्रेड के वेतनमान 1400–2600 रु से 1640–2900 रु में एक जनवरी 1986 से संशोधित किया। यद्यपि, जनवरी 1991 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वायत्त निकाओं में समकक्ष पदों के लिये यह नही लागू होगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने यहाँ के सहायकों और स्टेनोग्राफरों के लिये 1640–2900 के ऊँचे वेतनमान को अपनाने के लिये एक प्रस्ताव सम्मिलित करते हुये कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय को टिप्पणी के लिये एक मसौदा कैबिनेट नोट जून 1994 में भेजा। यद्यपि, यह प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, फिर भी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने उच्च वेतनमान को जून 1995 में मान लिया। एक जनवरी 1986 से 31 मार्च 1997 की अवधि के लिये इस निर्णय से होने वाला वित्तीय प्रभार 468.04 लाख रु बना, ऐसा करने में सदस्य (वित्त) की असहमति की अनदेखी कर दी गई। नवम्बर 1995 में पुन: निर्णय लेकर 1640–2900 का उच्च वेतनमान एक जनवरी 1986 से सहायक (वित्त और लेखा) को और भंडार तथा क्रय सहायकों (ग्रेड–III) को एक मई 1987 से प्रदान किया गया। सदस्य (वित्त) की असहमति और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के निदेशों की अनदेखी करके वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के 1959 स्टाफ को उच्च वेतनमान देना अनियमित था।

(ज) तकनीकी धारा में गैर–तकनीकी स्टाफ का प्रवेश

प्रवेश स्तर की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं की अनदेखी करते हुये शीघ्र पदोन्नति और उच्च आयु सेवा निवृत्ति का लाभ देने के लिये प्रशासनिक कार्मिकों को तकनीकी धारा में प्रवेश दिया गया था। 6 प्रयोगशालाओं में प्रवेश प्राप्त 74 कर्मचारियों में से 53 निर्धारित योग्यता धारक नही थे

जनवरी 1982 और जून 1990 के बीच, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी स्टाफ को लागू बेहतर पदोन्नति के अवसर और उच्च आयु सेवा निवृति का लाभ देने के लिये प्रौद्योगिकी धारा में अराजपत्रित प्रशासनिक स्टाफ के प्रवेश के लिये विभिन्न योजनायें शुरू की। तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित प्रवेश स्तरीय शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता और अनुभव पर जोर देने के स्थान पर, योजना में वर्ग 'घ' स्टाफ/ड्राइवरों के लिये लघु अवधि के घरेलू प्रशिक्षण और अन्य कर्मचारियों के लिये जिनकी कोई तकनीकी योग्यता नही थी उनके लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यालय स्वचालन आदि क्षेत्रों में 6 मास की अन्तरिक/वाह्य प्रशिक्षण की

व्यवस्था थी। तकनीकी ग्रेड में रिक्त स्थान उपलब्ध होने की आवश्यकता भी जून 1990 में समाप्त कर दी गई थी और सम्बन्धित प्रवेशी को अपना निजी पद अपनी सेवा निवृत्ति/त्यागपत्र आदि तक के लिये ले आने की अनुमति दी गई थी और उसके द्वारा काडर–वार संस्वीकृति संख्या के महत्व को अनदेखा किया गया। आवश्यकता के आधार पर रिक्त स्थान वाले उस क्षेत्र में प्रवेश जिसमे रिक्तियॉ वास्तव में भरे जाने की आवश्यकता थी का विचार केवल अप्रैल 1994 में आया जब यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी ग्रेड में उपलब्ध रिक्त स्थान पर ही प्रवेश होना चाहिये और उस क्षेत्र में जिसमें रिक्त स्थान को भरे जाने की आवश्यकता थी।

6 प्रयोगशालाओं में तकनीकी धारा में प्रवेश कराये गये 74 प्रशासनिक स्टाफ में से, 53 व्यक्तियों के पास सीधी भर्ती के लिये निर्धारित तकनीकी योग्यता और अनुभव नही थे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक चपरासी और चार ड्राइवरों को तकनीकी धारा में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा इन योजनाओं को अनुमोदित करने के बहुत पहले की तारीखों से प्रवेश कराया गया था। यद्यपि, अगस्त 1995 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किसी प्रयोगशाला को दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रवेश उस तारीख से प्रभावित होता है जिस तारीख से तकनीकी पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। जून 1990 से मार्च 1997 के दौरान, प्रवेश के 26 मामलों में प्रवेश का लाभ पूर्व प्रभाव से अनुमत किया गया था।

पाँच सहायकों को उनकी सेवा निवृति के ठीक पहले और उनमें से तीन को बिना निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किये प्रवेश मिला था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की नीतियों में विसंगतियों के कारण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विरूद्ध न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक सहायक को उसकी वास्तविक सेवा निवृत्ति के बाद प्रवेश दिया गया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक सहायक को निर्धारित आयु सीमा पार करने के बाद तकनीकी काडर में वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक के रूप में प्रवेश दिया गया था यद्यपि, पहले से पुस्तकालय में पाँच सहायक थे और पुस्तकालय में अतिरिक्त सहायक की किसी आवश्यकता से साफ साफ मना किया था। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में एक वरिष्ठ स्टेनोग्राफर को जिसने निर्धारित कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिये आवेदन भी नही किया था उसे भी कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था और ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर उसे वरिष्ठ मशीनी सहायक ग्रुप–II में प्रवेश दिया गया था। उसने नवम्बर

1996 में तकनीकी पद का कार्यभार ग्रहण किया परन्तु उसे लाभ जनवरी 1996 से अनुमत किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि उसके बाद भी तकनीकी पद का लाभ भोगते हुये वह वरिष्ठ स्टेनोग्राफर की पूर्व हैसियत से कार्य करती रही।

2.1.10 अनुसंधान कार्यकलाप तथा वैज्ञानिक जनशक्ति का कम उपयोग

पाँचवी से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान शुरू की गई/समाप्त की गई परियोजनाओं की प्रगति और उन पर नियोजित जनशक्ति के साथ परस्पर सम्बन्ध निर्धारित करने में लेखापरीक्षा का प्रयास सफल नही हो सका क्योंकि 6 प्रयोगशालाओं में से किसी ने भी शुरू की गई घरेलू और प्रायोजित परियोजनाओं के योजनावार ब्यौरे तथा उनकी लागत नहीं दिया। तथापि, 1992–97 के दौरान 6 प्रयोगशालाओं में चलाये गये अनुसंधान कार्यकलापों के परिणाम निम्नानुसार थे:

प्रयोगशाला का नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
	एस आई पी	टी डी	एस पी	एस आई पी	टी डी	एस पी	एस आई पी	टी डी	एस पी	एस आई पी	टी डी	एस पी	एस आई पी	टी डी	एस पी
सी बी आर आई	185	नहीं दिया	28	180	नहीं दिया	34	173	नही दिया	35	169	नहीं दिया	40	166	नहीं दिया	20
सी डी आर आई	217	3	159	201	2	135	200	3	141	191	4	146	190	2	85
आई आई पी	178	नहीं दिया	34	177	नहीं दिया	49	129	नहीं दिया	40	154	नहीं दिया	24	151	नहीं दिया	50
आई टी आर सी	111	1	97	109	-	65	109	-	86	106	-	64	105	-	43
एन पी एल	291	6	187	294	2	173	285	1	213	282	2	171	282	-	181
एस ई आर सी	32	2	2	29	1	6	27	1	2	27	1	3	37	९	2
कुल	1014	12	507	990	5	462	923	5	517	929	7	448	931	2	381

एस आई पी – साइन्टिस्ट इन पोजीशन टी डी – टेक्नौलॉजीय डिब्लप्ड एस पी – साइन्टिफिक पेपर्स पब्लिरड इन जर्नल्स एन एस – नॉट सप्लाइड

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने विकसित प्रौद्योगिको के ब्योरे नहीं दिये।

प्रभाव तथ्य (इम्पैक्ट फैक्टर) उस आवृत्ति का उपाय है जिसके साथ एक वर्ष विशेष में एक औसत लेख का किसी पत्रिका में उद्धहरण दिया गया है। प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य के प्रभाव का महत्वहीन होना इस तथ्य से सिद्ध होता है कि केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के 666 वैज्ञानिक पत्रों में से 308, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के, 197 वैज्ञानिक पत्रों में से 46, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के, 355 में से 248 वैज्ञानिक पत्र, और संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र को सभी 15 के वैज्ञानिक पत्रों को अल्प महत्व की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसकी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इमपैक्ट फैक्टर निर्धारित करने के प्रयोजन से गणना भी नही की जाती।

1992–97 के दौरान, उन वैज्ञानिकों, जिन्होने किसी वैज्ञानिक पेपर का अंशदान नहीं किया की संख्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय औषधि

1992-97 के दौरान 6 प्रयोगशालाओं के 271 वैज्ञानिकों ने किसी प्रकार के शोधपत्र का अंशदान नहीं किया। 1992-97 के दौरान औसतन 108 वैज्ञानिकों वाले औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित किया

अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और संरचनात्मक इंन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र में क्रमश: 59,21,78,17,86 और 10 संगणित की गई। इसके अतिरिक्त, इसकी लागत पर 32 से 45 सुरक्षा कर्मियोकी लागत पर 32 से 45 सुरक्षा कर्मियो अवधि में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के 19 वैज्ञानिकों, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में 12 वैज्ञानिको, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में 6 वैज्ञानिकों, औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र में 8 वैज्ञानिकों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 35 वैज्ञानिकों, संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र में 8 वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्येक ने केवल एक शोध पत्र का अंशदान किया। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में 12 वैज्ञानिकों, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में 22 वैज्ञानिको, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में 10 वैज्ञानिकों, औद्योगिक विषविज्ञान केन्द्र में 7 वैज्ञानिकों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 37 वैज्ञानिकों और संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र में 3 वैज्ञानिकों में से प्रत्येक ने केवल 2 शोध पत्रों का अंशदान किया। 1992–97 के दौरान, 108 वैज्ञानिकों की औसत संख्या के साथ औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित किया।

2.1.11 अन्य महत्वपूर्ण बातें,

रिक्त स्थान कर्मचारियों की आवश्यकता न रखने वाली प्रयोगशाला में 77 अतिरिक्त कार्मिकों का समायोजन किया गया

(i) ड्रग फार्म्स एण्ड फैक्ट्रीज, श्रीनगर – केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान की एक उप–इकाई के अगस्त 1983 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार को पुनर्न्तरित किये जाने के परिणामस्वरूप, फालतू कर दिये गये 210 कर्मचारियों में से 19 को राज्य सरकार को भेज दिया गया। शेष 191 कर्मचारियों जिन्होंने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सेवा के लिये विकल्प दिया था में से, 38 को श्रीनगर में केन्द्रीय औषधीय तथा सुगन्धित पादक संस्थान की अनुसंधान–विकास इकाई के लिये रोक लिया गया था। सितम्बर 1983 में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वर्ग–III और iV कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर में रख लिया और अन्य व्यक्तियों को उनकी पसन्द की जगह की निकटतम प्रयोगशलाओं में रख लिया गया था। तदनुसार, सभी 153 कर्मचारियें को 27 प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में इस परियोजना के लिये नवम्बर 1983 में अधिसंख्या पदों के सृजन द्वारा समायोजित कर लिया गया था। इनमें से, 38 कर्मचारियों को 5 उन प्रयोगशालाओं में समायोजित कर लिया गया जिन्होंने ऐसे कर्मचारियों के उपयुक्त न होने के

कारण फालतू स्टाफ को अपने यहां विलयन की असर्मथता प्रगट किया था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू मे विलय हुये 42 कर्मचारियों में से, 39 को उनको रखने के लिये बिना किसी पद के विलयित किया गया। क्या 21 प्रयोगशालाओं में शेष 76 कर्मचारियों के लिये उपयुक्त रिक्त स्थान थे या नही का निर्धारण न तो अभिलेखों से हो सका और न ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा पुष्टि की जा सकी।

एक बन्द परियोजना के 119 अस्थायी कर्मचारियों में से 69 को बिना विशिष्ट आवश्यकता वाली प्रयोगशालाओं में विलयित किया गया

इसी प्रकार के एक मामले में, मैग्नेशियम के उत्पादन के लिये 1972 में चालू किये गये प्रदर्शन तथा अर्धवाणिज्यिक संयंत्र के मितव्ययता पूर्वक उसके रख रखाव में राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला की विफलता के कारण दिसम्बर 1987 में बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप, 119 परियोजना कर्मचारी तथा 26 आकस्मिक कामगार फालतू हो गये। यद्यपि, वर्ष दर वर्ष आधार पर संस्वीकृत इन पदों पर अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये परियोजना कर्मचारियों को अप्रैल 1990 तक सभी फालतू कर्मचारियों का 22 प्रयोगशालाओं में विलय हो गया था जिनमें 24 वह कर्मचारी भी शामिल थे जिनका विलय करने के लिये 9 प्रयोगशालाओं ने साफ साफ मना कर दिया था। एक प्रयोगशाला, जिसने 9 कर्मचारियों को अपने यहाँ रखने को मान लिया था उसे 32 व्यक्तियों का विलय करने के लिये आदेश दिया गया था, इससे यह साफ हो जाता है कि 23 व्यक्तियों के लिये कोई कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, 22 व्यक्तियों का राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा स्वयं ही विलय कर लिया गया था। कुल 69 कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता के प्रयोगशालाओं में विलयित किया गया था। एक उत्पादन इकाई स्थापित करने में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की कार्यवाही गलत थी क्योंकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपनियमों में अपनी प्रयोगशालाओं को वाणिज्यिक संयंत्रों को चलाने की व्यवस्था नहीं है। त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के परिणामस्वरूप, 119 व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोगशालाओं में विलयित किया गया, इनमें से, 69 व्यक्तियों के पास कोई विशिष्ट कार्य नहीं था। इससे बिना किसी औचित्य के स्थायी रूप से राजकोष पर वित्तीय बोझ डालने के अतिरिक्त अपने उपनियमों को लागू करने में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की असमर्थता का पता लगता है।

इस प्रकार, इन दो इकाइयों के बन्द हो जाने के कारण फालतू हो गये कुल 310 कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में समायोजित किया गया था, जो रिक्त स्थानों की उपलब्धता अथवा स्टाफ की उपयुक्तता पर बिना विचार किये हुये किया गया था।

(ii) लखनऊ पोलिटेक्निक परिसर खाली करने की विद्यार्थियों की माँग के कारण, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ के लखनऊ स्थित सेवा तथा अनुरक्षण केन्द्र के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप, औद्योगिक विषविज्ञान केन्द्र ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन से दिसम्बर 1987 में 3 वैज्ञानिकों, 7 तकनीशियनों और 2 प्रशासनिक कार्मिकों के समूह को ले लेने का निर्णय किया। न तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने ऐसे अतिरिक्त स्टाफ के लिये औचित्य की माँग की और न ही औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने इसके कारण बताने की ही परवाह की।

कर्मचारियों का विस्थापन रोकने के लिये, संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र ने 15 वैज्ञानिकों, 49 तकनीशियनों ओर 28 प्रशासनिक कार्मिकों को केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को स्थानान्तरित किया

(iii) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान परिसर, रूड़की से संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र को गाजियाबाद में स्थान निर्धारित करते समय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने प्रारम्भ में मई 1984 में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बिना उनकी सहमति के गाजियाबाद स्थानान्तरित न करने का निर्णय किया। तथापि, कर्मचारी आन्दोलन के कारण, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने फैसला किया कि संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र के सभी कर्मचारियों को दोनों में से किसी एक प्रयोगशाला के बारे में अपनी विकल्प बताने का मौका दिया जाये। प्राप्त हुये विकल्पों के आधार पर, बिना किसी विशेष आवश्यकता के 15 वैज्ञानिकों, 49 तकनीशियनों तथा 28 प्रशासनिक कार्मिकों को दिसम्बर 1988 में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया और 20 वैज्ञानिकों, 20 तकनीशियनों और 13 प्रशासनिक कार्मिकों को संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद के लिये छोड़ दिया गया था। जहाँ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को इस प्रकार से स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में रखने अतिरिक्त पदों के लिए संस्वीकृति देनी थी, वहीं जनशक्ति की कमी संरचनात्मक इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद में परिणामी प्रचालनात्मक समस्यायें पियर वर्ग समीक्षा बैठक में भी उठायी गई थी जिसमें 32 वैज्ञानिकों, 20 तकनीशियनों और 15 प्रशासनिक कार्मिकों की तुरन्त आवश्यकता को नियत किया गया था।

(iv) योग्यता तथा सामान्य मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने के बाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिये पदनामों का विचार छोड़ दिया। कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों को वर्ग–I से V में रखा गया था। विभिन्न ग्रेडों में बिना कार्य का व्योरा दिये हुये एक वर्ग के अन्दर केवल ग्रेडों की संख्या को विशिष्ट किया गया था। पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर पदों के साथ सम्बद्ध कार्य विवरण के अभाव में, इस योजना

में प्रत्येक पद से सम्बद्व कार्यो और दायित्वों के प्रकार में संभ्रमित होने की सम्भावना इस योजना में अन्तर्निहित थी। मूल्यांकन पदोन्नति पर, स्टाफ के सदस्य अपने निजी पदों को उच्च ग्रेडों में लेकर जाते हैं। किसी कार्य विशेष के लिये आवश्यकता पर आधारित अपेक्षा और सम्बद्ध कार्य करने के लिये आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति/पद की उपलब्धता के बीच कोई सम्बन्ध नही था। इसके परिणामस्वरुप, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और उसकी प्रयोगशालायें किसी विशेष प्रकार का कार्य करने के लिये आवश्यक उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या की पहचान कर सकने में असमर्थ थे और न ही प्रत्येक श्रेणी के तकनीकी और सहायक स्टाफ के कार्यो के व्योरे स्पष्ट रूप से दे सके। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने पदनाम और कार्य के व्योरों का तरीका छोड़ देने के कारणों को स्पष्ट नही किया।

(v) एक समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान समिति ने दिसम्बर 1994 में अहमदाबाद, भोपाल, कलकत्ता और तिरूअनन्तपुरम स्थित चार प्रसार केन्द्रों को बन्द करने का अनुमोदन किया। तथापि, चार में से केवल एक केन्द्र फरवरी 1997 में बन्द हो सका। 1995–96 और 1996–97 के दौरान, इन केन्द्रों पर नियोजित 15 व्यक्तियों के वेतन पर खर्च 29.32 लाख रु बना जिसे केन्द्रों को बन्द करने के शीघ्र कार्यवाही और स्टाफ के पुनर्नियोजन द्वारा सफल किया जा सकता था।

2.1.12 प्रबन्धन सूचना प्रणाली का अभाव

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जनशाक्ति प्रचालनों के सुचारू रुप से कार्य चालन के लिये प्रभावित प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित करने में विफल रहा

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एक बहुत बड़ा संगठन है जो कुल 23350 कार्मिकों के नियमित स्टाफ घटक वाली 41 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का प्रबन्ध करती है परन्तु यह अपनी जनशक्ति पर कुशल नियंत्रण के लिये किसी प्रबन्ध सूचना प्रणाली को विकसित करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप, श्रेणीवार संस्वीकृत और तैनात स्टाफ, अतिरिक्त संस्वीकृत/किसी अवधि विशेष के दौरान भरे गये पदों, पदोन्नतियों, अन्तरणों, तकनीकी काडरों में गैर–तकनीकी कार्मिको का प्रवेश, अधिसंख्य पद (सुपरन्युमरी पद) संस्वीकृत/प्रचालित, फालतू हो गये स्टाफ का समायोजन, नियमित प्रकार के कार्य/प्रायोजित परियोजनाओं आदि के लिये आकस्मिक कामगारों के नियोजन के सम्बन्ध में जानकारी रखने में असमर्थ था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय द्वारा अपने प्रयोगशालाओं और मुख्यालय की इकाईयों से विभिन्न प्रकार के जनशक्ति पैरामीटरों को नियंत्रित करने के लिये कोई आवधिक विवरणी नही निर्धारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा

द्वारा हर बार ऐसी जानकारी माँगने पर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया कि आवश्यक सूचना उनके पास उपलब्ध नही थी और प्रयोगशालाओं से माँगी जायेगी। इस प्रकार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय ने अपनी संघटक प्रयोगशालाओं के विभिन्न ग्रेडों में संस्वीकृत पदों के ब्यौरे रखने के दायित्व से अपने को मुक्त कर लिया और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रबन्ध सूचना प्रणाली के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें विभिन्न प्रयोगशालाओं की संस्वीकृंत पद संख्या में चालबाजी का पता नही लगाया जा सकता और कुछ प्रयोगशालाओं ने अपनी संस्वीकृत संख्या से अधिक पद भी प्रचालित कर रखा है।

निष्कर्ष, अपने अस्तित्व में आने के पॉच दशकों बाद भी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपनी जनशक्ति की आवश्यकता के निर्धारण के लिये मानक प्रतिमान विकसित करने में विफल रही। प्रयोगशालाऍं अपनी संस्वीकृत पद संख्या से न केवल अधिक पद परिचालित कर रखा था अपितु ठेकेदारों के माध्यम से अतिरिक्त जनशक्ति भी लगाये हुये थे। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान में ठेकेदार के माध्यम से अनियमित रूप से नियोजित व्यक्तियों के लगभग 30 प्रतिशत उनके अपने कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी थे। गैर.वैज्ञानिक कर्मचारियों को समयबद्ध निर्धारण पदोन्नतियों और उच्च आयु में सेवा निवृति के अदेय लाभ दिये गये थे जो केवल वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिये थे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1987-1994 के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों की तीन बार कैडर समीक्षा करवायी, और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुये 278 नये (अतिरिक्त) पदों का सृजन किया और 1740 पदों का अगले उच्च ग्रेडों में ग्रेड उन्नयन किया। पदोन्नतियां पूर्व प्रभाव से की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उसकी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक जनशक्ति की तुलना में गैर.वैज्ञानिक कार्मिकों की भारी संख्या में अनुपातहीनता भी आ गई। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने प्रशासनिक कर्मचारियों की चार श्रेणियों को अनियमित रूप से 1640-2900 रू. का उच्च वेतनमान मंजूर किया। 1992-93 में समयोपरि भत्ते का व्यय 81.57 लाख रू. से बढ़कर 1996-97 में 151.56 लाख रू. हो गया। जहॉ गैर अनुसंधान-विकास कार्यों के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति का नियोजन सामान्य बात थी, वहीं कुछ मामलों में वैज्ञानिक कार्यों के लिये अयोग्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया था। जहॉ अनुसंधान-विकास कार्यकलापों में वैज्ञानिक जनशक्ति का परिणाम नगण्य रहा, वहीं जनशक्ति पर व्यय पॉचवी योजना के दौरान अपने कुल व्यय के 41 प्रतिशत से बढ़कर ऑठवी योजना में

51 प्रतिशत हो गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में जनशक्ति प्रचालनों के कुशल नियंत्रण के लिये एक प्रभावी प्रबन्ध सूचना प्रणाली का अभाव था।

इस मामले पर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अक्तूबर 1997 लिखा गया था, जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

2.2 क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

2.2.1 विषय–प्रवेश

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर की स्थापना वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी इनपुटों को इन क्षेत्रों में प्रदान करके उस प्रदेश में खनिज, वन, समुद्रीय और कृषि संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिये 1964 में हुई थी।

2.2.2 लेखापरीक्षा–क्षेत्र

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की लेखापरीक्षा अप्रैल–जून 1997 में की गई थी। यह समीक्षा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के 1992-93 से 1996–97 की अवधि से सम्बन्धित कार्यकलापों की लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना–जाँच पर आधारित है।

2.2.3 संगठनात्मक ढ़ाँचा

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रधान एक निदेशक होता है जिसकी अनुसंधान परिषद तथा प्रबन्ध समिति सहायता करते हैं।

अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान कार्यक्रमों के निरुपण पर सलाह देने और सिफारिश करने, अनुसंधान कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा कराने, परियोजनाओं की प्रगति निर्धारण करने तथा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं अन्य अनुसंधान संगठनों, उद्योग तथा सम्भावित पक्षों के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने पर सलाह देने का काम किया जाता है। एक आन्तरिक समिति जिसे अनुसंधान मूल्यांकन तथा समीक्षा समिति कहा जाता है, भी है जो नयी परियोजनाओं के परिचय और बाहरी वित्त समर्पित परियोजना के वर्गीकरण से सम्बन्धित अनुसंधान–विकास विषयों पर निदेशक को सलाह देती है। प्रबन्ध

समिति क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के दिन प्रतिदिन के मामलों पर प्रबन्ध करने के लिये जिम्मेदार है।

2.2.4 मुख्य–मुख्य बातें

- क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा परियोजना फोल्डर नही रखें गये जिससे कि प्रत्येक परियेाजना के मूल्यांकन में सुविधा होती यद्यपि, इसके नियोजन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष की भी स्थापना इसी प्रयोजन के लिये जुलाई 1990 में की गई थी। अनुसंधान परिषद की बैठकें भी प्रभावी नहीं थी क्योंकि 1992-97 के दौरान की गई उसकी नौं बैठकों में से आठ बैठको में परियोजनाओं की समीक्षा नहीं की गई थी। जून 1993 से जून 1994 की अवधि के दौरान, तीन घरेलू परियोजनाओं के पहले बन्द हो जाने का परिणाम 1.62 करोड़ रु के अनुत्पादक व्यय में हुआ। उपयुक्त नियोजन की कमी का परिणाम 3 पूरी हो गई परियोजनाओं की उपलब्धियों के प्रयोगशाला के अन्दर ही सीमित रहने में ही हुआ क्योंकि उनके लिये कोई लेने वाले नहीं थे। इस प्रकार, इन तीन परियोजनाओं पर 74 लाख रु के व्यय से किसी प्रकार का व्यवहारिक लाभ नहीं हुआ।

  (पैरा 2.2.6)

- 11.78 लाख रु की लागत की दो सहायता अनुदान परियोजनाओं के लिये निर्धारित उद्धेश्य नहीं प्राप्त किये जा सके जिसके कारण व्यय अनुत्पादक हो गया। 1992–97 के दौरान पूरी हो गई 1.60 करोड़ रु लागत की सभी 17 सहायता अनुदान परियोजनाओं के संबन्ध में भी अन्तिम प्रयोक्ताओं को शोध निष्कर्षो के लाभदायक और उपयोगी होने की सीमा भी उपलब्ध नहीं थी।

  (पैरा 2.2.7)

- 131 वैज्ञानिकों तथा 144 तकनीशियनों के प्रयोगशाला में कार्य करने के बावजूद भी, मार्च 1992 के बाद एक भी प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी का विकास नहीं किया गया था। 1991–92 तक विकसित की गई 35 प्रौद्योगिकियों/तकनीकी

जानकारियों में से केवल 19 को उद्योग के लिये विमोचित किया गया था।

(पैरा 2.2.8)

- 1992–97 के दौरान पूरी हुई 82 परियोजनाओं में से केवल 41 परियोजनाओं के अनुसंधान परिणामों को उजागर करते हुये वैज्ञानिक प्रकाशन निकाले गये थे।

(पैरा 2.2.9)

- 1988 के बाद किये गये अनुसंधानों के परिणामों मे से कोई भी पेटेन्ट नहीं प्राप्त किया गया था।

(पैरा 2.2.10)

- फरवरी 1991 में खरीदे जाने के पश्चात, ऊँची प्रचालन लागत के कारण 14.28 लाख रु मूल्य की एक सब–मर्ज्ड आर्क स्मेल्टिंग फरनेस बिना प्रयोग किये छः वर्षो से ऊपर से पड़ा हुआ है। 1990–97 की अवधि में अभिप्राप्त 2.43 करोड़ रु मूल्य के भंडारों को स्टॉक लेजरों में लेखांकित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.2.11)

- अधिकारियों/प्राइवेट पक्षों/सरकारी विभागों से 3.90 करोड़ रु के कुल अग्रिम एक साल से ऊपर से बकाया थे। 2.73 करोड़ रुपये मूल्य के जर्मनी से निः शुल्क प्राप्त हुये उपस्करों/उपकरणों को स्टॉक लेजर में लेखांकित नही किया गया था।

(पैरा 2.2.13)

- फालतू निधि का निवेश न किये जाने के कारण 51.94 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 2.2.15)

2.2.5 आय तथा व्यय

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को वित्तीय समर्थन प्रमुख रूप में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्राप्त निधि से होता है। 1992–93 से

1996–97 के लिये प्रायोजित परियोजनाओं के अतिरिक्त, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के आय तथा व्यय निम्नानुसार थे:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	सी एस आई आर से प्राप्त निधि	विविध प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	व्यय		कुल व्यय	बजट
				पूँजी	राजस्व		
1992-93	390.00	7.99	397.99	66.92	304.67	371.59	26.40
1993-94	556.00	9.90	565.90	86.55	349.64	436.19	129.71
1994-95	571.00	10.12	581.12	88.14	395.85	483.99	97.13
1995-96	551.00	14.88	565.88	87.85	457.63	545.48	20.40
1996-97	816.00	19.21	835.21	153.45	540.91	694.36	140.85

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्मुक्त अधिक निधि

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1992–97 के दौरान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से प्राप्त हुई निधि से कुल व्यय कम था, जिससे पता लगता है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को आवश्यकता से अधिक निधि दी जाती है। प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया कि इन वर्षो के अन्त में फालतू धन केन्द्रीय प्रचालित शीर्षो पर व्यय करने के लिये और अगले वर्षों के प्रारम्भिक महीनों में व्यय के लिये आवश्यक था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि 1993–94, 1994–95 तथा 1996–97 के वर्षों के राजस्व व्यय की अपेक्षा फालतू फंड पर्याप्त रूप से अधिक था।

2.2.6 अनुसंधान कार्यकलाप

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अनुसंधान विकास कार्यकलाप घरेलू , सहायता अनुदान, प्रायोजित तथा परामर्शी परियोजनाओं के माध्यम से किये जाते है।

परियोजना नियोजन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

आवश्यक व्योरों के साथ परियोजना फोल्डर नही बनाये गये

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा परियोजना का बजट बनाने और लागत निर्धारण करने के साथ ही आन्तरिक समिति और अनुसंधान परिषद के सभी व्योरों के साथ परियोजना फोल्डर बनाने के लिये जुलाई 1990 में एक

परियोजना मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष बनाया गया था। तथापि, परियोजना मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन कक्ष द्वारा परियोजना फोल्डर नही बनाये गये। प्रत्येक धरेलू परियोजना पर वास्तविक व्यय के परिपेक्ष्य में लेखा परीक्षा द्वारा अनुमानित बजट निर्धारित नही किया जा सका।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया कि पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण परियोजना का बजट बनाने और लागत निर्धारित करने का कार्य लागू नहीं किया जा सका। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन के अनुसार प्रयोगशाला के अन्दर कर्मचारियों के पुर्नियोजन की व्यवस्था है।

परियोजनाओं की अपर्याप्त मॉनीटरिंग

1992 से 1997 के दौरान हुई अनुसंधान परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की लेखापरीक्षा जॉच से पता लगा कि अलग अलग परियोजना की समीक्षा का कार्य नौ बैठकों में से आठ में अनुसंधान परिषद द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना नायक/वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के सुझावों/सिफारिशों से वंचित रह गये थे और सभी परियोजनाएँ बिना उनकी प्रगति की समीक्षा हुये चालू रही। अनुसंधान परिषद के फैसलों/सिफारिशों पर अनुगामी कार्यवाही पर अनुवर्ती बैठकों के कार्यवृत में कोई चर्चा नहीं की गई थी। उसके परिणामस्वरूप, यह निश्चित करने योग्य नही था कि उस अवधि के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यकलापों की क्या और कितनी मॉनीटरिंग अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। दिसम्बर 1992 में अनुसंधान परिषद द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान परिषद को सलाह दी गई थी कि क्षेत्रीय अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को समय प्रबन्धन के बारे में बहुत कठोर रहना चाहिये और उनके सचिव को प्रत्येक परियोजना के लिये समय प्रबन्धन के पहलू को प्रकाशित करते हुये अगली अनुसंधान परिषद की बैठक के लिये कार्यसूची तैयार करने के लिये कहा गया था। अनुसंधान परिषद की बैठक की अनुवर्ती कार्यसूची की समीक्षा से यह पता लगा कि निदेशो का पालन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया कि अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के संबन्ध में यह अनुसंधान परिषद द्वारा की गयी एक सामान्य टिप्पणी थी। यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि अनुसंधान परिषद के निदेशों का अनुपालन न किये जाने से पियर समीक्षा अप्रभावित रह जाती हैं।

घरेलू परियोजनाएं

फाइल किये गये पेटेन्टों और प्रकाशित पत्रों की संख्या नगण्य थी

घरेलू परियोजनाओं को प्रयोगशाला के मूल कार्यकलापों के रूप में शुरू किया जाता है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से प्राप्त निधि से उनका वित्तपोषण किया जाता है। 1992–93 के प्रारम्भ में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में 30 परियोजनाये चल रही थी। 1992–93 के दौरान, 70 अनुसंधान परियोजनाएँ ली गई। इस अवधि में 31 मार्च 1997 को 18 चालू परियोजनाओं को छोड़कर, 82 परियोजनायें पूरी/बन्द अथवा स्थगित हो गई थी। इन 82 परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, केवल 13 पेटेन्ट फाइल किये गये। वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाने के योग्य केवल 41 शोध पत्र पाये गये। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया कि अधिकांश परियोजनायें अल्पावधि की थी और यह तथ्य स्वीकार किया गया कि पेटेन्टों और प्रकाशनों की संख्या पर्याप्त नही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा 25 घरेलू परियोजनाओं के दस्तावेजों की जाँच की गई थी। नियोजन की कमी के कारण जहाँ परियोजनाओं को बन्द करना पड़ा था उनके सम्बन्ध में कुछ उदहारण निम्नवक्त् हैं :

(क) घरेलू परियोजनाओं का समय पूर्व बन्द हो जाना

तीन परियोजनाओं को समय से पूर्व बन्द करना पड़ा था जिसके कारण 1.62 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक हो गया।

(i) "16 डी पी ए से 19–नॉर स्टेरॉइड ड्रगों'' का तैयार किया जाना

लगभग 60.70 लाख रु. व्यय करने के बाद परियोजना समय पूर्व बन्द कर दी गई

"16 डी पी ए से 19–नॉर स्टेरॉइड ड्रगों'' को बनाने पर अप्रैल 1987 में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा एक परियोजना को शुरू किया गया था, जिसको मार्च 1990 में पूरा होना था। इस प्रस्तावित कार्यकलाप में 19–नॉर स्टेरॉइड मोआयटी के बनाने के विभिन्न तरीकों की जाँच तथा साहित्य संग्रहण को भी शामिल किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा आठ नन्ड्रोलोन, नोरेथिस्ट्रोन, माइफेप्रिस्टोन आदि, जैसे कुछ ड्रगों को बनाने के लिये प्रयोगशाला स्तर पर तकनीकी जानकारी प्रक्रिया उसी परियोजना में विकसित करने का अप्रैल 1990 में प्रस्ताव किया गया। इस अनुवर्ती परियोजना को 77.60 लाख रु. की अनुमानित लागत पर मार्च 1996 में पूरा

होना था। दिसम्बर 1992 में, इस परियोजना के एक भाग के वित्तपोषण के लिये क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के साथ विचार–विमर्श शुरू किया गया। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मार्च 1993 में वित्तपोषण के लिये एक परियोजना प्रस्ताव भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान को भेजा गया। परन्तु भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि, परियोजना 19–नॉर मोआयटी की तैयारी के स्तर तक पंहुच चुकी थी, परन्तु क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जनवरी 1994 में फैसला किया गया कि इस परियोजना को स्थागित रखा जाये क्योंकि कोई प्रायोजकता नहीं प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार, परियोजना को समय से पूर्व बन्द करने के क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के फैसले से इस परियोजना पर किया गया लगभग 60.70 लाख रुपये का व्यय प्रभावहीन हो गया।

(ii) उत्प्रेरकों का विकास

आवश्यक गैस के अभाव में 63.50 लाख रु. लागत की परियोजना समय पूर्व बन्द कर दी गई

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा "उत्प्रेरकों के विकास'' पर एक परियोजना जनवरी 1986 में शुरू की गई थी जिसको जनवरी 1988 में पूरा होना था। बाद में, इस परियोजना का क्षेत्र बढ़ा कर मेथेन के ऑक्सीडेटिव–डाइमराइजेशन के लिए उत्प्रेरको का विकास प्रोपीलीन ऑक्सीडेशन, उत्सर्जन नियन्त्रण तथा और व्ययित उत्प्रेरत्रकों का पुनर्प्रजनक पुनप्राप्ति को शामिल किया। 133 लाख रुपये अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से उम्मीद थी कि 1997 तक इससे आयात का प्रतिस्थापन्न और निर्यात वृद्धि होगी। 1993 में इस परियोजना के कार्य को एक झटका लगा और मेथेन गैस की अधिप्राप्ति न होने के कारण जून 1994 में समय से पूर्व बन्द हो गई थी। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया कि धन की कमी के कारण मेथेन गैस अभिप्राप्त नहीं हुई थी। यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि 1994–95 के अन्त में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पास 276.85 लाख रु की निधि उपलब्ध थी। इस प्रकार, मेथेन गैस अभिप्राप्त करने में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की विफलता के कारण परियोजना पर जून 1994 तक किया गया 63.50 लाख रु. का व्यय अनुत्पादक हो गया।

(iii) त्रिधातुक और चतुर्धातुक मिश्रणों का संश्लेषण और वर्णन

37.50 लाख रु. लागत की परियोजना निधि के अभाव में छोड़ दी गई

बिना ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा के मापन की सुविधाओं और पेरोवस्काइट संरचित मिश्रणों के लिये वर्णक विशेषताएं निर्धारित करने को सुनिश्चित किये, "त्रिधातुक और चतुर्धातुक मिश्रणों का संश्लेषण और वर्णन" पर एक परियोजना को जुलाई 1990 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य ल्युमिनेसेंस पेन्ट के लिये तकनीकी जानकारी विकसित करना था। जैसा कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मई 1997 में बताया गया था कि पर्याप्त धन के अभाव में ऊपर वर्णित आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकी और 37.50 लाख रु का व्यय करने के बाद अगस्त 1993 में परियोजना को छोड़ देना पड़ा था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 31 मार्च 1993 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के वार्षिक लेखे से पता लगता है कि अन्त शेष 96.64 लाख रु था।

1.62 करोड़ रु का व्यय कर देने के बाद भी, 3 घरेलू परियोजनाये वाँछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

(ख) प्रभाव निर्धारण की कमी

(i) फॉस्फेटिक डोलोमाइटिक चट्टान का उपयोग

21 लाख रु. लागत की परियोजना को बढ़ाने के लिये कोई प्रायोजक नही मिला

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा "फॉस्प्रोटिक डोलोमाइटिक चट्टान के उपयोग" पर 21 लाख रु अनुमानित लागत की एक परियोजना को अप्रैल 1991 में शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान की डोलोमाइटिक फॉस्फेटिक चट्टान के उपयोग के लिये एक प्रक्रिया विकसित करना था। प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन कराने के पश्चात्, अनुसंधान मूल्यांकन और समीक्षा समिति द्वारा मई 1993 में फैसला किया गया कि प्रयोगशाला स्तर से इस तकनीकी जानकारी को विकसित करने के लिये किसी प्रायोजक के मिलने तक परियोजना को प्रास्थगित रखा जाये। नवम्बर 1997 तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को कोई प्रायोजक नही मिला था। 21 लाख रु की लागत पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया को किसी लेने वाले के अभाव में, यह परियोजना अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही।

(ii) उड़ीसा की संदूषित मृदा, ठोसों और वहिष्प्रवाहों का भौतिक–रसायनिक उपचार

31 लाख रु. लागत की पूरी हुई परियोजना के प्रभाव का नही पता

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा 31 लाख रु की अनुमानित लागत से "उड़ीसा की संदूषित मृदा, ठोस और वहिष्प्रवाहों के भौतिक–रसायनिक उपचार'' पर एक घरेलू परियोजना अप्रैल 1991 में शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य उड़ीसा की विभिन्न खानों का सर्वेक्षण करना, जल नमूनों को इकटठा करना और भौतिक–रसायनिक तथा जैविक उपचार की पहचान करना जिससे खानों में खुदाई के काम से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिले। यह परियोजना मार्च 1993 में समाप्त हुई थी और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा सिफारिशों के साथ उन सम्बन्धित खान मालिकों को भेजी गई जिनकी खानों का अध्ययन किया गया था परन्तु उनसे किसी प्रकार का प्रतिसंमरण नहीं प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को यह नहीं पता था कि परियोजना और उस पर की गई सिफारिशे कहाँ तक खान मालिकों को सहायक सिद्ध हुई थी।

इस प्रकार, 31 लाख रू. व्यय करके क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा कराया गया पर्यावरणीय अध्ययन का परिणाम प्रयोगशाला को पता नही लग पाया।

(iii) स्लरी जेट पम्प का विकास

21.50 लाख रु. के व्यय से विकसित प्रकिया की वृद्धि के लिये प्रायोजक प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त अनुसरण कार्यवाही

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा "स्लरी जेट पम्प के विकास'' के लिये एक परियोजना जुलाई 1991 में शुरू की गई थी और 21.50 लाख रु के लगभग व्यय करने के बाद प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन का कार्य दिसम्बर 1993 में पूरा किया गया था। इस प्रक्रिया के विकास के लिये मई 1997 तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रायोजक प्राप्त करने के लिये केवल एक संगठन से सम्पर्क किया जा सका। उसने प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी। नवम्बर 1997 तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को कोई प्रायोजक नही मिला था इस परियोजना के लिये प्रायोजको को बाँध रखने के कार्यक्रम के अभाव का परिणाम परियोजना के प्रयोगशाला के अन्दर ही सीमित होकर रह जाने में हुआ।

2.2.7 सहायता अनुदान परियोजनायें

सहायता अनुदान परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकारी विभागों/ऐजन्सियों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 1992 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पास आठ

सहायता अनुदान परियोजनायें थी। 1992–97 के दौरान, 44 नई परियोजनायें शुरू की गई और इस अवधि के दौरान, 1.60 करोड़ रु लागत की 17 परियोजनायें पूरी की गई। अन्तिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन परियोजनाओं के जाँच परिणामों के प्रयोग और उपयोग की मात्रा पूरी की गई 17 में से किसी भी परियोजना के सम्बन्ध में उपलब्ध नही थी। पूरी की गई 10 परियोजनाओं की नमूना जाँच से दो परियोजनाओं की उपलब्धियों में निम्नानुसार कमियाँ देखने में आयी।

एक परियोजना के आंशिक कार्य को 4.29 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया

(क) 14.03 लाख रु की अनुमानित लागत पर अलम्युनियम उद्योग और उसके समापन के कारण प्रदूषण के निर्धारण पर एक परियोजना शुरू करने के लिये क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से वित्त की माँग की गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तीन साल की अवधि के लिए कुल 4.58 लाख रु लागत की एक परियोजना मार्च 1992 में मंजूर की गई। 14.03 लाख रु की अनुमानित लागत के स्थान पर केवल 4.58 लाख रु के अल्प राशि की उपलब्धता के कारण, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा परियोजना अप्रैल 1992 में शुरू की गई और 4.29 लाख रु की लागत से केवल एक भाग पर कार्य करने के बाद, परियोजना मार्च 1996 में बन्द कर दी गई। यद्यपि, पर्यावरण और वन मंत्रालय को अप्रैल 1996 में रिर्पोट भेजी गई थी परन्तु मंत्रालय ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की रिर्पोट में कोई रूचि नही दिखाई। 4.29 लाख रु का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

7.49 लाख रु. की लागत से केवल प्रयोगशाला स्तर तक प्रक्रिया विकसित किये जाने के बाद परियोजना बन्द हो गई

(ख) " रिकवरी ऑफ मैग्नेशियम फ्रॉम मैरीन बिटर्न ऐज डबल साल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ मैगनेशिया (रिफ्रैक्टरी ग्रेड)'' नामक एक परियोजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मई 1993 में 7.95 लाख रु मंजूर किया। इस परियोजना को 18 महीने के अन्दर पूरा किया जाना था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा अगस्त 1993 तक परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि निधि का विमोचन जुलाई 1993 में हुआ था। उस समय तक, नमक की ऋतु समाप्त हो गई थी। परियोजना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति में भी विलम्ब हुआ था। मई 1995 में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने जुलाई 1996 तक परियोजना को बढ़ाने और परियोजना के मूल प्रस्ताव में शामिल न किये गये मैग्नेशिया का एक किलोग्राम तथा पाँच किलोग्राम के बैच तैयार करने के लिए 5.27 लाख रु के अतिरिक्त धन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग का अनुमोदन मांगा क्योंकि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को यह डर था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मना न कर दे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मई

1997 तक अतिरिक्त धन नही दिया था। प्रयोगशाला स्तर पर (ग्राम स्केल) डबल साल्ट और मैग्नशिया तैयार करने के बाद, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने 7.49 लाख रु खर्च करने के बाद जुलाई 1996 में इस परियोजना को बन्द कर दिया।

इस प्रकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भेजे गये अपने मूल प्रस्ताव में परियोजना की पूरी रूपरेखा तैयार करने में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की विफलता के कारण रिफ्रैक्टरी ग्रेड पर मैग्नशिया प्राप्त करने की प्रक्रिया 7.49 लाख रु व्यय करने के बाद भी विकसित नहीं की जा सकी।

2.2.8 प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी का उपयोग

मार्च 1992 के बाद कोई प्रौद्योगिकी तकनीकी जानकारी नही विकसित हुई

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने 1992–97 की अवधि के दौरान, शुरू की गई परियोजनाओं से कोई प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी विकसित नहीं की यद्यपि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में 131 वैज्ञानिक और 144 तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे थे।

1992–93 के पूर्व, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने उद्योगों को विमोचित करने के लिए 35 प्रौद्योगिकियाँ/तकनीकी जानकारी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास समिति को भेजा था। इनमें से, 1996–97 तक राष्ट्रीय अनुसंधान विकास समिति ने 19 प्रौद्योगिकियाँ/तकनीकी जानकारी 35 उद्योगों को विमोचित किया। शेष 16 प्रौद्योगिकियाँ/ तकनीकी जानकारी जो उद्योगों को विमोचित न किये जाने के कारणों का क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को ज्ञान नहीं था। इसको 1964–92 के दौरान अन्तरित की गई 19 प्रौद्योगिकियों/तकनीकी जानकारियों के उत्पादन व्यौरों का भी ज्ञान नहीं था क्योंकि उद्योगों से रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी।

शुरू अर्थात 1964–97 से ही 33 वर्षों में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अन्तरण पर कुल केवल 0.83 लाख रु का प्रीमियम प्राप्त हुआ था।

2.2.9 प्रकाशन

1992–97 के दौरान प्रकाशित पत्रों और कार्यरत वैज्ञानिकों के व्यौरे निम्नानुसार थे:

		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
प्रकाशित शोध पत्र	राष्ट्रीय पत्रिकाएं	43	28	29	50	38
	विदेशी पत्रिकाएं	25	30	41	51	88
	कुल	68	58	70	101	126
कार्यरत वैज्ञानिक		133	153	150	146	144

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, वैज्ञानिक प्रकाशनों का औसत उत्पादन प्रति वैज्ञानिक 0.58 पत्र प्रति वर्ष बना।

1992–97 के दौरान पूरी हुई 82 घरेलू परियोजनाओं में से केवल 41 परियोजनाओं से संबन्धित वैज्ञानिक प्रकाशन निकाले गये थे। वैज्ञानिक पत्रों का कम उत्पादन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा शुरू किये गये कार्य की गुणवत्ता का परिचायक है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि अधिकांश परियोजनायें अल्पावधि थी और स्वीकार किया कि प्रजनित डेटा वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित होने के लिये पर्याप्त नहीं था।

1992–97 के दौरान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने सेमिनार/विचार गोष्ठी/कार्य विवरण में 862 पत्र प्रस्तुत किया था। अनुसंधान परिषद ने मार्च 1994 में यह कहा कि सेमिनार/विचार गोष्ठी/कार्य विवरण और जनरलों के बीच संतुलन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में अनुसंधान समिति ने महसूस किया कि शोध पत्रों की पियर समीक्षा आवश्यक थी।

शोध पत्रों की पियर समीक्षा नही की गई

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के दस्तावेजों की समीक्षा से पता लगा कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में शोध पत्रों की पियर समीक्षा नही करायी गई थी। मई 1997 में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने बताया कि उनके वैज्ञानिकों के शोध पत्रों की पियर समीक्षा सम्बन्धित जनरलों/कार्य विवरणों के सम्पादक बोर्ड द्वारा की गई थी।

2.2.10 पेटेन्ट

ऐसे सभी शोध कार्य जिनका परिणाम नयी उत्पादन प्रक्रिया के विकास में होता है उनका पेटेन्ट कराया जा सकता है, यदि पेटेन्ट मंजूर किये जाने के लिये आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं। पेटेन्ट किये जाने योग्य खोज का प्रमुख आधार

उसका नवीन होना है। 1992–97 के दौरान फाइल किये गये, सील किये गये और वाणिज्यीकृत हुये पेटेन्टों के व्यौरे निम्नवत् थे:–

विवरण	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97
फाइल किये गये पेटेन्टों की संख्या	6	8	5	4	3
सील किये गये पेटेन्टों की संख्या	1	1	5	-	-
संसाधित/वाणिज्यीकृत पेटेन्टों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्राप्त हुये पेटेन्टों की संख्या कम/शून्य थी

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि सील किये गये सभी सात पेटेन्टों का सम्बन्ध 1988 से पूर्व क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यकलापों से था। 1988 के बाद से मई 1997 तक की अवधि में पेटेन्ट प्राप्त करने वाले कोई भी अनुसंधान जाँच परिणाम नही प्रात हुये थे। इस प्रकार, उसके शोध कार्य के वाणिज्यीकरण से, नगण्य (दशमलव) कार्य का पता लगता है।

2.2.11 क्रय तथा भंडार

(क) जलमग्न चाप प्रगलन भट्टी

परियोजना समाप्ति के बाद 14.28 लाख रु. उपस्कर खरीदे गये

फरवरी 1991 में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने "आग्लोमरेशन आफ ओरफिंस'' भारत–जर्मन परियोजना के लिये 14.28 लाख रु की लागत से एक जलमग्न चाप प्रगलन भट्टी अभिप्राप्त की। यद्यपि, भट्टी का प्रतिष्ठापन अक्तूबर 1991 में हुआ था परन्तु मई 1993 में परियोजना की समाप्ति पर इसको शुरू किया गया था। 31 मार्च 1993 संघ सरकार को समाप्त वर्ष की भारत के नियंन्त्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वैज्ञानिक विभाग) के पैरा 12.3 (1) में बताये जाने पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अक्तूबर 1995 में कृत कार्यवाही नोट में बताया कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला इस सुविधा का उपयोग करने के लिये बाहर से वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिये कोशिश कर रही थी।

मई 1997 तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला न तो बाहर से वित्तपोषित कार्यक्रम प्रजनित कर सकी थी और न ही इसकी ऊँची लागत की दृष्टि से अपनी घरेलू परियोजनों में ही इसके प्रयोग पर सोच सकी थी। वह

परियोजना जिसके लिये इस उपस्कर का आयात किया गया था बिना इसका प्रयोग किये पूरी हो गई थी और यह भट्टी फरवरी 1991 में अभिप्राप्त होने के बाद छ: वर्षो से अधिक से निष्क्रिय पड़ी हुई है। इस प्रकार, यह उपस्कर वास्तव में आवश्यक नही था और इसकी अभिप्राप्ति से 14.28 लाख रु का व्यय निष्फल हो गया।

(ख) विलम्ब शुल्क और सीमा प्रभार

7.88 लाख रु. का विलम्ब शुल्क 5 वर्षो में भुगतान हुआ

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के अनुदेशों के अनुसार विलम्ब शुल्क और सीमा प्रभारों के 250 रु से ऊपर हो जाने की सूचना क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को दी जानी थी। 1992–97 के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने हवाईपत्तन पर 64 परेषणों को छुड़ाने में उनकी प्राप्ति की तारीख से 57 से 384 दिन लिया और 7.88 लाख रु विलम्ब शुल्क का भुगतान किया। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस मामले की सूचना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को नही दी। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि असावधानी के कारण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला का अनुमोदन नही प्राप्त किया गया था।

(ग) उपस्करों/उपकरणों की स्टॉक प्रविष्टि की प्रतीक्षा

243.24 लाख रु. मूल्य के भारी भंडार बिना स्टॉक में दर्ज हुये पड़े रहे

दैनिक प्राप्ति रजिस्टर की नमूना जाँच से पता लगा कि 1990–97 के दौरान, 243.24 लाख रु मूल्य के विभिन्न प्रकार के 1248 भंडारों की देसी और विदेशी दोनों साधनों से खरीद की गई थी। परन्तु 1990 से इनकी स्टॉक में प्रविष्टि नही की गई थी। मई 1997 में लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाये जाने पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बताया गया कि स्टॉक लेजर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के बाद क्रॉस रिफ्रेन्सिंग किये जाने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

(घ) बिना निविदा बाजार दर मांगें हुए खरीद

समान्य वित्तीय नियामावली में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक बार 500 रु तक के सामानों की या सामानों के समूह की खरीद बिना बाजार दर मांगें हुए की जा सकती है। 1992–97 के दौरान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कुल 30.38

लाख रु की लागत से 1000 रु से लेकर 2,04,646 रु तक की 500 प्रकार की विभिन्न मदें बिना निविदा/बाजार दर मांगें हुए की गई।

2.2.12 भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन

1986-87 के बाद भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हुआ

प्रत्येक वर्ष भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना चाहिये। तथापि, यह देखने में आया कि पिछले निरीक्षणों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने के बावजूद, 1986-87 के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये कई बार कोशिश की गई परन्तु कामयाब नहीं हुई। यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि अपूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन निष्फल प्रयास था और 10 वर्षों से प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में भंडारों की कमी/चोरी हो सकती थी।

2.2.13 लेखे

(क) बकाया अग्रिम

31 मार्च 1997 को सरकारी अधिकारियों, प्राइवेट पक्षों, सरकारी विभागों/संगठनों आदि से 538.35 लाख रु समायोजन/वसूली के लिए निम्नानुसार बकाया थे:

(लाख रुपये में)

वर्ष	सरकारी विभाग	प्राइवेट पक्ष	सरकारी अधिकारियों को यात्रा भत्ता/ छुट्टी यात्रा रियायत	आकस्मिक	योग
1971-92	55.705	72.954	2.101	2.935	133.695
1992-93	0.400	13.342	1.043	0.295	15.080
1993-94	3.502	48.635	0.421	0.373	52.931
1994-95	2.754	80.608	0.882	0.235	84.479
1995-96	2.437	95.863	1.567	3.541	103.408
1996-97	6.506	123.636	9.035	11.578	148.755
कुल	71.304	435.038	13.049	18.957	538.348

389.59 लाख रु. के बकाया अग्रिम एक साल से अधिक पुराने थे

इसमें से, 389.59 लाख रु एक साल से ऊपर से बकाया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि बकाया अग्रिम राशि को काफी कम करने के लिए अप्रैल 1997 में हुई कार्यदल की बैठक में दृढ़ संकल्प किया गया।

(ख) परिसम्पतियाँ

परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाये गये थे

(i) 31 मार्च 1996 को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के पास 2235.28 लाख रु मूल्य की परिसम्पतियाँ थी परन्तु परिसम्पति रजिस्टर अधूरे थे और अन्तिम आंकड़े नहीं जोड़े गये थे। तुलन–पत्र में शामिल किये गये आकड़ों का परिसम्पति रजिस्टरों के प्रगामी योग के साथ मिलान भी नही किया गया था। इन आंकड़ों में अभिप्राप्तियाँ जोड़कर और निपटान किये गये तथा बट्टे खाते डाले गये भड़ारों की कीमत घटा कर निकाला गया था। वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने नवम्बर 1986 में निर्णय किया था कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संक्षिप्त परिसम्पति रजिस्टर बनाया जायेगा ताकि लेखे में दिखाये गये आंकड़ो का संक्षिप्त परिसम्पति रजिस्टर के साथ मिलान किया जा सके। तथापि, संक्षिप्त रजिस्टर नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, लेखे में दिखाई गई परिसम्पत्तियों के शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ii) बाहरी साधनों से वित्तपोषित परियोजनाओं से अभिप्राप्त भंडारों और उपस्करों का गैर–लेखांकन

22.29 लाख रु. मूल्य की पूँजीगत परिसम्पत्तियों को लेखा में नही दिखाया गया

प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए धन में से व्यय करके पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाई जाती है। ऐसे उपस्कर, जब तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को उपहार स्वरूप न मिल जायें वह प्रायोजक एजेन्सी की सम्पति ही रहते हैं। मार्च 1993 और मार्च 1996 के बीच पूरी हुई ऐसी नौ परियोजनाओं में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने 22.29 लाख रु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ खरीदी थी। अक्तूबर 1988 में वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस आशय के जारी किये गये अनुदेशों के बावजूद, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने उन उपस्करों को उपहार स्वरूप प्राप्त करने की दिशा में कोई कार्यवाही मई 1997 तक नही शुरू की इसके परिणामस्वरूप इन मदों को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में भंडार लेजेरों और लेखों में नहीं दिखाया गया। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिक्ताएं पूरी होने के बाद भंडारों/उपस्करों को मुख्य लेखे में सम्मिलित किये जाने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

(iii) परिसम्पत्तियों की कम वयानी

272.74 लाख रु. मून्य की परिसम्पत्तियों को लेखांकन न किया जाना

1985–88 के दौरान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को जर्मनी संघ गणतन्त्र से 272.74 लाख रु मूल्य के उपस्कर और उपकरण नि:शुल्क प्राप्त हुए थे।

सम्बन्धित प्रभागों से इन भंड़ारों के सम्बन्ध में कोई जारी पर्ची और जाँच रिर्पोट न प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में इन मदों को स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया। इस प्रकार, 272.74 लाख रु मूल्य के भंडार 1988 से स्टॉक रजिस्टर के बाहर रहे। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए सम्बन्धित प्रभागों को याद दिलाया जा रहा है कि वह आवश्यक कागजात भेजे। यह उत्तर सन्तोषजनक नही था क्योंकि इसमे महँगे उपकरणों और उपस्करों को उनके परिसम्पति रजिस्टर से बाहर रखने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तथापि, गैर–लेखांकन का परिणाम क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की परिसम्पतियों की कम बयानी में हुआ।

2.2.14 बैंक मिलान

31 मार्च 1997 को समाप्त अवधि के बैंक मिलान से निम्नवत् विषमताओं का पता लगा:

(i) दिसम्बर 1978 से मार्च 1997 की अवधि से सम्बन्धित 172 मामलों में 241.83 लाख रु की कुल प्राप्तियां बैंक विवरण में इन्दराज की गई थी परन्तु रोकड़ बही में यह कही नहीं आई। इनमें से कुल 134 मदें 18.46 लाख रु की एक वर्ष से पुरानी थी।

(ii) मई 1979 से मार्च 1997 की अवधि से सम्बन्धित 68 मामलों में 51.46 लाख रु रोकड़ वही में दर्ज हुआ था परन्तु बैंक लेखे में उनकी कहीं भी चर्चा नही थी। इनमें से, 1.24 लाख रु की 49 मदें एक साल से अधिक पुरानी थी। रोकड़ बही में प्राप्ति के रूप में दिखाई गई राशि का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिये जाने के कारण गबन हो जाने का खतरा है।

(iii) मई 1980 से मार्च 1997 की अवधि के लिए 114.62 लाख रु की 158 मदें बैंक द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लेखे को डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में अनुरूप प्रविष्टियॉ नही थी। इनमें से, 72.30 लाख रु की 104 मदें एक साल से पुरानी थी। ऐसे मामलों में धोखा/गबन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(iv) दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1996 की अवधि से सम्बन्धित 6.97 लाख रु के 87 चेक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने जारी किये थे जो भुगतान के

लिए प्रस्तुत न किये जाने के कारण कालातीत हो गये। ऐसे सभी कालातीत चेक मार्च 1997 तक रद्द करके लेखे में नहीं लिए गये।

2.2.15 अन्य महत्वपूर्ण बातें

(क) विद्युत पर हानि

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का अपना परिसर हैं जिसमें प्रयोगशाला और स्टाफ के मकान है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को प्रयोगशाला तथा स्टाफ के मकानों के लिए 1964 से उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से एक मुश्त विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती रही है। स्टाफ के मकानों को सीधे बिजली की आपूर्ति के लिए अलग से कोई प्रबन्ध नही किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एक मुश्त बिजली आपूर्ति के लिए उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को उच्च दर से भुगतान किया जाता रहा।

स्टाफ क्वाटरों में रहने वालो से 8.78 लाख रु. बिजली प्रभारों की कम वसूली

अप्रैल 1991 से जनवरी 1997 तक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने अपने स्टाफ के मकानों के 303 अधिभोगियों को 18,87,794 युनिट बिजली की आपूर्ति किया। इसके लिए उड़ीसा राज्य बिद्युत बोर्ड को उच्च दर से किये गये 24.06 लाख रु के भुगतान के विपरीत घरेलू दर से 15.28 लाख रु की वसूली की गई। इस प्रकार, 8.78 लाख रु का परिहार्य भुगतान उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को किया गया क्योंकि स्टाफ के मकानों के कनेक्शनों को प्रयोगशाला से अलग नहीं किया गया।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में स्टाफ के मकानों से बिजली की आपूर्ति को अलग करने के लिए उड़ीसा राज्य बिद्युत बोर्ड को केवल जुलाई 1995 में लिखा। जनवरी 1997 में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को स्टाफ के मकानों के लिए बिजली की आपूर्ति अलग करने को उड़ीसा राज्य बिद्युत बोर्ड ने अनुमति दे दी। परन्तु फील्ड स्तर पर निष्पादन कार्य नहीं शुरू किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने मई 1997 में बताया कि उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य निष्पादन के अनुमान को अभी तक अनुमोदित नही किया गया था और इस मामले को समय समय पर उनके साथ उठाया जाता रहा है।

प्रयोगशाला से स्टाफ के मकानों के लिए विद्युत आपूर्ति अलग करने का फैसला देर से किये जाने के कारण, अप्रैल 1991 से जनवरी 1997 के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने विद्युत पर 8.78 लाख रु का परिहार्य भुगतान किया।

(ख) ब्याज की हानि

1993–94 से 1996–97 के दौरान निवेश और अन्तशेष निम्नानुसार थे:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	अन्त शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	निवेश	इतिशेष
1993-94	96.641	885.182	718.064	00.284	263.475
1994-95	263.475	891.278	877.651	00.250	276.852
1995-96	276.852	1004. 513	1007. 913	शून्य	273.452
1996-97	273.452	1280.797	1210.059	शून्य	344.190

अतिरिक्त निधि का निवेश न किये जाने का परिणाम 51.94 लाख रु. के व्याज की हानि में हुआ

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने 1993–97 के दौरान ऊपर दिखाये गये भारी फालतू धन को जमा नही कराया। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने केवल 1997–98 में अल्पावधि जमा में 200 लाख रु का निवेश किया। इस प्रकार 1993–94 से 1996–97 की अवधि में कम से कम 200 लाख रु की अव्ययित राशि का अल्पावधि जमा में निवेश करने की विफलता के कारण 1994–95 से 1996–97 के दौरान आठ प्रतिशत की दर से 51.94 लाख रु ब्याज की हानि हुई।

यह मामला सितम्बर 1997 में वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भेजा गया था जनवरी 1998 तक उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था।

2.3 औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ

2.3.1 विषय–प्रवेश

विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की विषालुता के प्रायोगिक अध्ययनों, कीटनाशकों में अवशिष्ट स्तरों की जैविक मॉनीटरिंग, कार्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सौर और रसायनिक प्रदूषकों के स्तरों की मॉनीटरिंग, संभावित व्यवसायिक जोखिम वाले उद्योगों में स्वास्थ्य सर्वेक्षणों और औद्योगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनों का अनुसरण करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ की स्थापना नवम्बर 1965 में की गई थी।

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के उद्देश्य:–

(i) औद्योगिक और कृषि कर्मचारियों द्वारा सामना किये जा रहे व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों की प्रणालीवद्ध महामारीय सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचान करना,

(ii) औद्योगिक और पर्यावरणीय रसायनों का सुरक्षा मूल्यांकन करना,

(iii) औद्योगिक रसायनों/पर्यावरणीय प्रदूषकों की कार्यप्रणाली पर प्रायोगिक अध्ययनों का संचालन करना

(iv) पर्यावरणीय प्रदूषकों औरा उनके द्वारा फैलायी गई बीमारियों के लिये उपयुक्त निदानकारी अध्ययनों को विकसित करना तथा उपचारी/निरोधक उपायों पर सुझाव देना,

(v) पर्यावरणीय प्रदूषण पर मॉनी़टरिंग अध्ययनों का संचालन करना; तथा

(vi) खतरनाक रसायनों पर सूचना एकत्रित करना और उसका प्रचार करना।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र का प्रधान एक निदेशक होता है जिसकी सहायता के लिये अनुसंधान परिषद् और प्रबन्ध समिति हैं। अनुसंधान समिति का कार्य अनुसंधान–विकास परियोजनाओं का चयन, मॉनीटरिंग और आवधिक समीक्षा तथा अन्तिम मूल्यांकन है। प्रबन्ध समिति इस केन्द्र के मामलों में प्रशासन और प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यो में निदेशक की सहायता करती है। वर्तमान में लखनऊ में घेरू में स्थित एक क्षेत्रीय केन्द्र है। लखनऊ में

1980 के प्रारम्भ में स्थापित व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र नामक क्षेत्रीय केन्द्र दिसम्बर 1993 में बन्द हो गया था। 6 बड़ी शाखाओं के बारे में 32 अनुभागों/प्रयोगशालाओं में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान–विकास कार्यकलाप किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुखरूप से प्रशासनिक और तकनीकी स्कन्धों में वर्गीकृत 12 प्रभाग हैं जो औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान–विकास कार्यकलापों में मूलभूत सुविधाओं का समर्थन प्रदान करते है।

2.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस समीक्षा में 1992–97 के दौरान, भंडारों की खरीद और निर्माण कार्यों के प्रबन्धन सहित औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में वित्तीय और अनुसंधान–विकास प्रबन्धन से सम्बन्धित मामले सम्मिलित हैं।

2.3.4 मुख्य मुख्य बातें

– **औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में लिपिकीय तथा समर्थन कार्यों के लिये दैनिक श्रमिकों को अनियमित रूप से लगाया जाता रहा है।**

(पैरा 2.3.5)

– **1992–97 के दौरान कोई नई घरेलू परियोजना नही शुरू की गई थी, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र शुरू की गई परियोजनाओं का कोई विवरण नहीं बनाता था। अनुसंधान परिषद के कार्य में कमी पायी गई थी, सौंपे गये कार्य को पूरा नही किया। इसने यह सुनिश्चित नही किया कि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा इसके अनुदेशों का पालन किया गया।**

(पैरा 2.3.7)

– **विभिन्न शीर्षों के अर्न्तगत 150 परियोजनाये जिनकी फाइलें माँगी गई थी उनमें से केवल 35 फाइलें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी।**

दो सहायता अनुदान परियोजनाओं के समापन में विलम्ब के कारण, परियोजनाओं के समापन में विलम्ब के कारण, 5.28 लाख

रु का व्यय करने के बावजूद, वाँछित उद्धेश्यों की प्राप्ति नही हो सकी।

दो प्रायोजित परियोजनाओं की जाँच से देखा गया कि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में और सम्बन्धित प्रायोजकों को अनुसंधान परिणाम सौंपने में विफल रहा।

(पैरा 2.3.8)

- आठवीं योजना के दौरान, विनिर्दिष्ट चार प्राद्योगिकियों में से इस केन्द्र द्वारा किसी को विकसित नहीं किया गया। तथापि, केवल एक प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया वह भी कल्पित चार के अतिरिक्त थी। इस केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा शोध प्रबन्धों में अंशदान की संख्या भी 1992–93 में 97 से घटकर 1996–97 में 43 हो गई। 31 प्रतिशत शोधपत्र उन पत्रिकाओं में थे जिनका कोई तथ्य प्रभाव नहीं था।

(पैरा 2.3.9)

- 1986–90 के दौरान, इस केन्द्र द्वारा प्रकाशित 11.66 लाख रु मूल्य के विभिन्न प्रकाशनों की 3198 प्रतियाँ मार्च 1997 में बिना बिके पड़ी हुई थी।

(पैरा 2.3.13)

- कुल 128.92 लाख रु. के समायोजित न हुए अग्रिमों में से, 76.34 लाख रु तथा 21.09 लाख रु कमश: प्राइवेट पक्षों और औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों से बकाया थे।

(पैरा 2.3.16)

- समझौते की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों के खिलाफ समय से कार्यवाही करने में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की विफलता के कारण सिलवर जुबली प्रयोगशाला भवन के शेष छूटे पड़े कार्य को दूसरे ठेकेदार को एवार्ड करने के लिये अतिरिक्त लागत के रूप में 16.25 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। इस परियोजना के पूरे होने में फरवरी 1992 पूरे होने की अनुसूची

जुलाई 1997 तक भी पूरा न होने के कारण केन्द्र को आवसीय समस्या का भी सामना किया।

(पैरा 2.3.17)

2.3.5 जनशक्ति

31 मार्च 1997 को औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के चिठ्ठे पर विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार थी:

कार्मिक श्रेणी	संस्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त स्थान		अधिक	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
वैज्ञानिक	117	102	15	12.8	-	-
तकनीकी	180	168	12	6.7	-	-
प्रशासनिक	77	99*	-	-	22	28.6

* इसमें "आकस्मिकताएँ" शीर्ष से भुगतान प्राप्त 36 दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित हैं।

बिना किसी संस्वीकृत पद के आकस्मिक निधि से भुगतान किये जा रहे नियमित कार्य के लिये 36 अस्थायी/दैनिक श्रमिक नियुक्त किये गये थे। तैनात किये गये व्यक्तियों की संख्या प्रशासनिक पदों की संस्वीकृत संख्या से अधिक थी

1979–90 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के अधीन लिपिकीय और समर्थन कार्यों के लिये औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र दैनिक श्रमिकों को लगाता रहा है। ऐसे 36 दैनिक श्रमिकों में से, 20 को बिना पदों का सृजन किये हुये अस्थायी पद प्रदान किये गये और शेष 16 सम्बन्धित वेतनमानों के न्युनतम पर दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन पदों के लिये बिना स्वीकृति प्राप्ति किये सभी 36 अस्थायी/दैनिक श्रमिकों को आकस्मिक निधि से भुगतान किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1997 को प्रशासनिक जनशक्ति संस्वीकृति शक्ति से 28.6 प्रतिशत बढ़ गई।

2.3.6 वित्तीय प्रबन्धन

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदत्त निधि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के कार्यकलापों के वित्त का प्रमुख साधन है। ठेकागत परियोजनाओं से हुई प्राप्तियाँ और विविध प्राप्तियाँ औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के संसाधनों को पूरा करतें हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के आय और व्यय की वर्ष–वार स्थिति निम्नानुसार थीं:

(लाख रुपये में)

वर्ष	संसाधन					अनुप्रयोग			
	वैज्ञानिक एवं परिषद् से अनुसंधान		ठेकागत परियोजनाओं से	विविध प्राप्तियाँ	कुल			ठेकागत परियोजनाये	कुल
	राजस्व	पूँजी				राजस्व	पूंजी		
1992-93	323.84	44.21	33.88	7.73	409.66	323.83	44.20	48.79	416.82
1993-94	349.02	63.83	89.12	3.70	505.67	348.23	64.62	57.64	470.49
1994-95	387.05	117.14	88.34	2.94	595.47	386.38	117.81	57.62	561.81
1995-96	449.25	169.62	71.96	5.75	696.58	443.29	179.79	65.42	688.50
1996-97	507.72	183.28	137.29	5.64	833.93	507.96	190.44	92.07	790.47

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को अपने अनुसंधान–विकास खर्च का कम से कम एक तिहाई बाह्य नकदी प्रवाह प्रजनित करना आवश्यक है। 1992–1997 के दौरान, अनुसंधान–विकास खर्च प्रजनित वास्तविक बाह्य नकदी प्रवाह और सम्बन्धित प्रतिशतता के वर्षवार आंकड़े निम्नानुसार थे:

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुसंधान–विकास खर्च	बाह्य नकदी प्रवाह	अनुसंधान–विकास खर्च की प्रतिशतता के रूप में बाह्य नकदी प्रवाह
1992-93	256.99	33.88	13.18
1993-94	296.28	89.12	30.08
1994-95	314.21	88.34	28.11
1995-96	384.64	71.96	18.71
1996-97	408.95	137.29	33.57
कुल	1661.07	420.59	25.32

आठवीं योजना में 815 लाख रु. के लक्ष्य के विपरीत औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र 420.59 लाख रु. बाह्य नकदी प्रवाह प्रजनित कर सका

आंठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में परियोजित 815 लाख रुपये के वाह्य नकदी प्रवाह के स्थान पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र ने 420.59 लाख रु. की राशि प्रजनित किया जिसके परिणामस्वरूप, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति 48.4 प्रतिशत नहीं हुई।

अनुसंधान–विकास प्रबन्धन

2.3.7 घरेलू परियोजनायें

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखकर घरेलू परियोजनायें अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाती है।

घरेलू परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुये:

(i) 1992–97 के दौरान, इस केन्द्र ने कोई नयी परियोजना नही लिया था।

(ii) परियोजनाओं के उद्देश्यों, अनुमोदित लागत, अवधि और उनमें से प्रत्येक पर किये गये वास्तविक खर्च को दर्शाने वाली जानकारी देने वाले दस्तावेज इस केन्द्र ने नही बनाये। परियोजना नियोजन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष, परियोजना का बजट बनाने, लागत निर्धारण और अलग परियोजना फोल्डर बनाने जैसी जिम्मेदारियों के निर्वाह में विफल रहा जिसके कारण 1992–97 के दौरान कर्मचारियों पर किया गया 18.85 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया।

नियोजन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष परियोजना के प्रलेखन में विफल रहा, जिसके कारण 1992–97 के दौरान नियोजन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष के कर्मचारियों के वेतन पर 18.85 लाख का व्यय निष्फल हो गया

इस परिषद द्वारा जनवरी 1998 में बताया गया कि 1 अप्रैल 1998 से परियोजना के फोल्डर बनाने के लिये परियोजना मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष द्वारा शुरूआत की जायेगी।

(iii) यद्यपि 1992–94 के दौरान 28 घरेलू परियोजनायें पूरी हुई थी फिर भी इन परियोजनाओं से जुड़े 31 वैज्ञानिक मार्च 1997 तक उन्ही परियोजनाओं से जुड़े रहे। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, समाप्त हो गई घरेलू परियोजनाओं की अन्तिम रिर्पोट बनाने में भी विफल रहा। चूक का स्पष्टीकरण देते हुये औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने बताया कि 1992–94 के दौरान पूरी हो गई 28 परियोजनाओं से सम्बन्धित कुछ प्रयोग अभी भी चल रहे थे। एक तरफ यह बताया गया कि 28 परियोजनायें पूरी हो गई और दूसरी तरफ परियोजना के बताये गये समापन के बाद भी वास्तव में 31 वैज्ञानिक काम कर रहे थे।

28 समाप्त परियोजनाओं से सम्बन्धित 31 वैज्ञानिक इन्ही परियोजनाओं पर लगे रहे

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि अनुसंधान विकास परियोजनाओं के अधिकाँश वैज्ञानिक एक से अधिक घरेलू परियोजना में लगे थे और इसलिये 28 परियोजनाओं के समापन के बाद उनके लगातार नियोजन का प्रश्न नही उठना चाहिये। परिषद् का यह उत्तर औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के बयान के अनुसार नही था। तथ्य यह है कि यह वैज्ञानिक उन परियोजनाओं पर लगे रहे जो बहुत पहले समाप्त हो गई थी।

नई परियोजनायें शुरू न किये जाने अथवा अपनी सिफारिशों पर अमल करने में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की विफलता पर और समापन रिपोर्ट न बनाये जाने पर अनुसंधान परिषद ने टिप्पणी नही किया

(iv) अनुसंधान परिषद् को अनुसंधान कार्यक्रमों के निरुपण पर परामर्श देने तथा अनुसंधान कार्यकलापों की प्रगति निर्धारित करने के लिये आवधिक समीक्षा कराने का कार्य सौपा गया था। अनुसंधान परिषद ने नयी परियोजनाओं को शुरू न किये जाने अथवा चालू घरेलू परियोजनाओं को बन्द करके नयी परियोजनायें शुरू करने के सम्बन्ध में अनुसंधान परिषद् की अपनी सिफारिशों को लागू करने में इस केन्द्र की विफलता पर कोई टिप्पणी नहीं किया। यह रोचक है कि पूरी हुई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट बनाने और परियोजना के समापन के पश्चात् सम्बन्धित वैज्ञानिकों को पुर्नर्नियोजित करने जैसे मामलों के संबन्ध में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की विफलता पर भी अनुसंधान परिषद् ने कोई टिप्पणी नहीं की।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने बताया कि छः नये क्षेत्रों में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की विद्यमान अनुसंधान परियोजनाओं को समेकित करने के लिये अनुसंधान समिति की सिफारिश थी। परिषद का यह उत्तर इतना अधिक मान्य नही था क्योंकि अनुसंधान समिति ने सभी विद्यमान परियोजनाओं को समाप्त करने और नये क्षेत्रों में अनुसंधान–विकास शुरू करने की स्पष्ट सिफारिश किया था।

2.3.8 ठेकागत परियोजनायें

(i) सहायता अनुदान और सहयोगी परियोजनायें

लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई 32 फाइलों में से औद्योगिक विषविज्ञान केन्द्र ने केवल 11 सहायता अनुदान परियोजना फाइले प्रस्तुत किया

जाँच के लिये लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई 87.47 लाख रु. व्यय वाली 32 परियोजना फाइलों में से, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने दो सहयोगी परियोजनाओं सहित केवल 11 फाइले प्रस्तुत की। तीन मामलों में, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र संबन्धित अनुदानदाता को आवश्यक परिणाम देने के लिए परियोजनाओं को समय से पूरा करने में विफल रहा जो निम्नानुसार था:

सप्ताह में एक बार के स्थान पर औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने निर्धारित समय पर महीने में एक बार उपचारित जल के नमूने एकत्रित किया जिसके कारण अध्ययन का उद्देश्य जाता रहा

(क) जून 1995 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के गंगा परियोजना निदेशालय ने इस केन्द्र को एक साल के लिये एक परियोजना दिया जिसके अन्तर्गत इस केन्द्र को साप्ताहिक परीक्षणों द्वारा उपचार और जलीय प्रणाली के उपचारित जल तथा सुरक्षित निपटान की प्रभावोत्पादकता नियत करने के लिये उपचारित फालतू जल को संक्रमणहीन करने के लिये इष्टतम क्लोरीनीकरण की मात्रा पर अपनी सिफारिश देनी थी। साप्ताहिक परीक्षणों के स्थान पर,

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने मासिक परीक्षण करवाये जिसके परिणामस्वरूप, 75 प्रतिशत की गिरावट आई। इस प्रक्रिया में, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने गंगा परियोजना द्वारा कराये गये अध्ययन के परियोजन को ही समाप्त कर दिया। यद्यपि गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा प्रदत्त 2.10 लाख रु. सहित 3.38 लाख रु. की यह परियोजना दिसम्बर 1996 में पूरी हो गई बतायी गई थी, और जनवरी 1998 तक न तो समापन रिपोर्ट तैयार हुई थी और नहीं शेष 1.28 लाख रु. गंगा परियोजना निदेशालय से प्राप्त हुआ था।

वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि उपचारित फालतू पानी के नमूनों को हर महीने इकट्ठा किया जाना था और नवम्बर 1997 में गंगा परियोजना निदेशालय को अन्तिम रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी। यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि जून 1995 में गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा जैसा बताया गया था कि परियोजना के अर्न्तगत कार्य के क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह नमूनों केा इकठ्ठा करने की परिकल्पना की गई थी।

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना से वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान समिति ने " हैवी मैटल मेडियेटेड मॉडुलेशन इन इन्सूलिन बायोसेंथेसिस'' नामक एक परियोजना जून 1994 में मंजूर किया और अगस्त 1994 तथा सितम्बर 1995 में 1.90 लाख रुपया विमोचित किया। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने नवम्बर 1996 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को कहा कि परियोजना का समय एक वर्ष बढ़ा दिया जाये। भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद् ने इसे मंजूर नहीं किया क्योंकि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वित्तीय वार्षिक प्रगति रिर्पोट देने में विफल रहा। मई 1997 में द्वित्तीय वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने यह बताते हुये कि परियोजना पर वास्तविक कार्य केवल 6 महीने ही किया जा सका क्योंकि अनुसंधान सहायक ने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया था और कोई अन्य नियुक्ति नही हुई, 18 महीने का समय बढ़ाने की माँग की। परियोजना का समय बढ़ाने के लिये किये गये अनुरोध को भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद् ने नही माना था। परिणामस्वरूप, परियोजना विफल हो गई। परिषद् ने तथ्यों को जनवरी 1998 में मान लिया।

(ii) प्रायोजित परियोजनायें

लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई 55 फाइलों में से औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने केवल 14 प्रायोजित परियोजनन फाइलें प्रस्तुत किया

माँगी गई 55 समाप्त प्रायोजित परियोजनाओं की फाइलों में से, लेखापरीक्षा को केवल 14 उपलब्ध की गई थी। लगातार याद दिलाने के बावजूद, शेष फाइलों के सम्बन्ध में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र का कोई उत्तर नही मिला। निम्नलिखित 3 मामलों में, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र परियोजनाओं के अनुपालन/समय से समापन और सम्बन्धित प्रायोजकों को अनुसंधान परिणाम सौंपने में विफल रहा।

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र समय से परियोजना को पूरा नही कर सका जिससे कि बिहार सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन कर पाती

(क) माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिये, बिहार सरकार ने सितम्बर 1992 में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र से यह जानना चाहा कि क्या कम घनत्व वाले पोलीथीन फिल्मों का देशी शराब की पैकिंग के लिये किया जा रहा प्रयोग शराब के साथ मिलने पर रसायनिक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो पीने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने इस कार्य को प्रायोजित अध्ययन के रूप में लेने के लिये अक्तूबर 1992 में अपनी इच्छा जाहिर किया और यथासमय रिर्पोट प्रस्तुत करने का अश्वासन दिया। बिहार सरकार ने औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को मार्च 1994 में 3 लाख रुपया प्रदान किया। लेखापरीक्षा को उपलब्ध किये गये परियोजना अभिलेखों से पता लगा कि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नही कराया गया और परिणामस्वरूप, जून 1997 तक प्रायोजक को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में माना कि परियोजना के पूरे होने में विलम्ब हुआ था और बताया कि समापन रिपोर्ट बिहार सरकार को अब भेजी जा चुकी थी। विलम्ब के कारण, बिहार सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उचित मुश्तैदी से पालन नही कर सकी।

(ख) समीपस्थ आँसू और घुँआ युनिट से उत्सर्जित संपीडित प्राकृतिक गैस के प्रभाव में आने के कारण टेकनपुर स्थित कुत्तों के विद्यालय में उनके कुत्तों विशेष तौर पर पिल्लों में मृत्युदर ऊँची होने पर शक करते हुये, सीमा सुरक्षा बल ने उनके शक की पुष्टि करने के लिये अध्ययन कराने के लिये अक्तूबर 1992 में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की सेवाओं का आहवान किया। अक्तूबर 1993 में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल टेकन पुर कुत्तों के विद्यालय में कुत्तों की उच्च मौत दर के कारणो का पता लगाने के लिये किये जा रहे अध्ययन को औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने पूरा नहीं किया

को सूचित किया कि कुल 0.80 लाख रुपये के प्रभारों पर अगस्त, दिसम्बर 1993 और जनवरी 1994 में अलग-अलग तीन ऋतुओं के दौरान अध्ययन किये जायेंगे। मई 1994 में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को 0.72 लाख रूपये सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त हुये। जनवरी और अगस्त 1995 में दो ऋतुओं में अध्ययन के पश्चात्, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिसम्बर 1995 की तीसरी ऋतु में अध्ययन कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 1998 तक यह परियोजना पूरी नहीं की जा सकी और सीमा सुरक्षा बल अपने कुत्तों की ऊँची मृत्युदर के वास्तविक कारणों और परिणामी उपचारी उपाय करने के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सका।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि पिछली ऋतु के नमूनों का दिसम्बर 1997 में संग्रहण किया गया था और उनको औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में विश्लेषित किया जा रहा था। तथ्य यह ही था कि लेखापरीक्षा द्वारा औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र की निष्क्रियता की ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद परियोजना को पुन: शुरू किया गया था और जनवरी 1998 तक परियोजना अपूर्ण थी।

(iii) परामर्शी परियोजनायें

1992-97 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा शुरू की गई परामर्शी परियोजना की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	परामर्शी परियोजनाओं की संख्या			
	पीछे से लायी गई	शुरू की गई	पूरी हो गई	आगे ले जायी गई
1992-93	1	1	-	2
1993-94	2	1	1	2
1994-95	2	4	2	4
1995-96	4	14	6	12
1996-97	12	19	17	14
कुल	1	39	26	14

जाँच के लिये माँगी गई 26 परामर्शी परियोजना फाइलों में से, औद्योगिक विषविज्ञान केन्द्र में लेखापरीक्षा को केवल 10 फाइलें प्रस्तुत किया

1992-95 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र का परामर्शी कार्यकलाप नगण्य रहा और केवल 1995-96 में 14 परामर्शी परियोजनायें मिलने पर ही इसमें वृद्धि हुई। माँगी गई 26 समाप्त परामर्शी परियोजनाओं

से सम्बन्धित फाइलों में से लेखापरीक्षा को जाँच के लिये केवल 10 फाइलें उपलब्ध करायी गई थी और शेष के बारे में कोई उत्तर नही प्राप्त हुआ था।

2.3.9 प्रौद्योगिकी तथा शोध पत्रों के प्रकाशन का विकास

(i) प्रौद्योगिकी का विकास और अन्तरण

आठवीं योजना के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के लिये निम्नलिखित चार प्रौद्योगिकीयों को विकसित करना अपेक्षित था:

- एफलाटॉक्सिन के विपरीत प्रतिरक्षी निदानकारी किट का विकास
- फयुजेरिओअम जीव–विष के लिये निदानकारी किट का विकास
- एफलाटॉक्सिन के विपरीत प्रतिरक्षियों का भारी पैमाने पर उत्पादन और शुद्धीकरण
- पान मसाले के लिये पिपरमेन्ट जाँच प्रणाली का विकास

1992-97 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित कर सका, वो भी अपेक्षित विकसित की जाने वाली 4 प्रौद्योगिकियों के अतिरिक्त थी

1992–97 के दौरान, विकसित करने की माँग की गई उपरोक्त सभी चार प्रौद्योगिकियाँ विकसित नही की जा सकी। तथापि 1996–97 के दौरान, केवल एक प्रौद्योगिकी विकसित करने मे सफल रहा। और वह भी उपरोक्त के अतिरिक्त थी। यद्यपि केन्द्र ने विकसित एक प्रौद्योगिकी के लिये पेटेन्ट प्रार्थना पत्र फाइल किया था परन्तु कोई भी विपणन प्रयास नही किये गये थे।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि इसको वाणिज्यिक संदोहन के स्तर तक लाने के लिये अधिक अध्ययनों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा कोई कार्य न किये जाने को यह कह कर उचित ठहराने का प्रयास किया कि सभी चार परियोजनायें एक वैज्ञानिक और एक वरिष्ठ अनुसंधान फेलों द्वारा विकसित की जानी थीं जिन्होनें बाद में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र छोड़ दिया। यह उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि एक संस्थान के रूप में परिणाम प्राप्त करने में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र विफल था।

1992–93 के दौरान, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने 'अमृत कुम्भ' से सम्बन्धित 1989 में विकसित की गई प्रौद्योगिकी दो फर्मों को अन्तरित किया जिसके लिये लाइसेन्स प्राप्तकर्त्ताओं से 1.20 लाख रु लाइसेन्स शुल्क प्राप्त

किया। तथापि, जून 1997 तक इस केन्द्र को अमृत कुम्भ के उत्पादन की कोई 'रॉयल्टी नही प्राप्त हुई। इस केन्द्र के पास ऐसा कोई तन्त्र नही था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि जब और जितना शुल्क देय होता वह लाईसेन्सियों द्वारा भेज दिया जाता।

(ii) शोध पत्र

इस केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा 1992–97 के दौरान प्रकाशित कराये गये शोध पत्रों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	वैज्ञानिकों की संख्या	प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या			पत्रिकाओं की संख्या		कुल शोध पत्रों पर प्रभाव रहित तथ्य शोध पत्रों का औसत	पत्रिकाओं का प्रभाव तथ्य		प्रति वर्ष प्रति वैज्ञानिक प्रभाव तथ्य वाले प्रकाशन का औसत
		भारतीय पत्रिकाये	विदेशी पत्रिकाये	योग	प्रभाव तथ्य वाली	प्रभाव तथ्य रहित		न्यूनतम	अधिकतम	
1992-93	111	36	61	97	73	24	24.74	0.05	7.67	0.66
1993-94	110	28	37	65	32	33	50.77	0.05	7.67	0.29
1994-95	107	28	58	86	62	24	27.91	0.05	3.40	0.58
1995-96	107	14	50	64	45	19	29.69	0.01	3.40	0.51
1996-97	102	09	34	43	34	9	20.93	0.07	3.10	0.33

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा अंशदान किये हुये अनुसंधान पत्रों की संख्या 1992-93 में 97 से घटकर 1996-97 में 43 रह गई। 109 शोध पत्र प्रभावतथ्य रहित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये थे

इस अवधि के दौरान, वैज्ञानिकों की संख्या 102 से 111 के बीच स्थिर रहने के बावजूद, इस केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित कराये गये शोध पत्रों की संख्या में 1992–93 में 97 से 1996–97 में 43 की गिरावट देखी गई। यह भी देखने में आया कि 1992–97 के दौरान, 355 प्रकाशित पत्रों में से 109 पत्र ऐसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये थे जिनका कोई प्रभाव तथ्य* नही था।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने तथ्यों को जनवरी 1998 में मान लिया।

---

* प्रभाव तथ्य : आवृत्ति का एक माप जिसके द्वारा एक 'औसत लेख' किसी पत्रिका में किसी विशेष वर्ष के दौरान उद्धृत किया गया हो।

क्रय और भंडार प्रबन्धन

2.3.10 क्रय

औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अपने संस्थानों के लिये अनुमोदित तर्कसंगत क्रय विधि के अनुसार, 0.50 लाख रु. से अधिक की खरीद के लिये खुली निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये। क्रय मामलों की नमूना जाँच से पता लगा कि 0.50 लाख रु से अधिक के प्रत्येक मामले में 30 क्रय मामलों में जिनका कुल मूल्य 180.27 लाख रु था में इस केन्द्र द्वारा खुली निविदा आमंत्रित करने के स्थान पर 11 मामलों में एकल निविदा आमंत्रित की गई और 19 मामलों में सीमित निविदाये आमंत्रित की गई।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि सारे क्रय स्थायी क्रय समिति द्वारा की गई सिफारिशों से किये गये थे। तथापि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने निर्धारित क्रय प्रक्रिया को अपनाने में समिति की विफलता पर कोई टिप्पणी नहीं किया।

2.3.11 क्रय फाइलों का अनुपयुक्त रखरखाव

क्रय फाइले उपयुक्त रूप में नही बनायी गई थी

1992–97 की अवधि से सम्बन्धित आयातित उपस्कर/उपभोक्ता मदें आदि की अभिप्राप्ति से सम्बन्धित 54 मामलों की नमूना जाँच से यह देखा गया कि किसी भी मामले में विभिन्न घटनाओं की तारीखे, विभिन्न स्तर पर मामलों का संसाधन और संस्वीकृतियों को रिकार्ड में नही रखा गया था और कुछ मामलों में क्रय आदेश, कारगो आगमन नोटिसें, परिवहन प्राप्तियाँ, निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रतिष्ठापन प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज भी सम्बन्धित फाइलों में उपलब्ध नही थे।

जून 1997 में इस केन्द्र ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और बताया कि भविष्य में क्रय फाइलों को उपयुक्त ढंग से बना कर रखा जायेगा।

2.3.12 क्रय मामले

(i) परियोजना की समाप्ति के बाद उपस्कर की अभिप्राप्ति

एक वित्त पोषित परियोजना की समाप्ति के बाद 7.35 लाख रु मूल्य का एक उपस्कर खरीदा गया था

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन वर्षों के लिये मार्च 1993 में मंजूर की गई "क्लोरीनीकृत कीटनाशकों के जैविक रूप से अपक्षीणन के लिये सूक्ष्म अवयन के आनुवंशिक इन्जीनियरी" नामक एक सहायता अनुदान परियोजना में प्रयोग के लिये 'गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ' की आवश्यकता थी। यद्यपि, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को मार्च 1993 में अनुदान मिला था फिर भी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ की खरीद के लिये 6.81 लाख रु. के सममूल्य 19,76,823 येन की लागत का एक क्रय आदेश सिंगापुर स्थित फर्म को फरवरी 1995 में दिया गया था। यह परेषण दिल्ली हवाई कारगो पर अक्तूबर 1995 में पहुँचा था, सीमा शुल्क विभाग से छुड़वाने के बाद मई 1996 में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में पहुँचा था। मार्च 1996 में इस केन्द्र ने परियोजना को पहले ही पूरा कर लिया था। मार्च 1997 तक इस उपस्कर को प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 7.35 लाख रु मूल्य के इस उपस्कर की अभिप्राप्ति का कोई औचित्य नही था, भविष्य में भी इसका प्रयोग संदेहपूर्ण था क्योंकि सम्बन्धित परियोजना पहले ही समाप्त हो गई थी।

(ii) विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान

छुडाने वाले एजेन्ट को नियोजित करने के बावजूद, औद्योगिक विषविज्ञान केन्द्र द्वारा कोई परीक्षण बिना विलम्ब शुल्क का भुगतान किये एयर कारगो से छुडाया नहीं गया था

आयातित उपस्कर, फालतू पुर्जो और रसायनों आदि के क्रय मामलों और छुड़ाने वाले एजेन्टों के बिलों की जाँच से यह देखने में आया कि औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने हवाई कारगो परिसर में 33 आयातित परेषणों को छुड़ाने में 68 से 202 दिन लिये। इसके परिणामस्वरूप, 1992–97 के दौरान विलम्ब शुल्क के रूप में 2.54 लाख रु का भुगतान हुआ यद्यपि, इस परियोजना के लिये एजेन्ट नियोजित किया गया था। यह देखा गया था कि 1992–97 के दौरान बिना विलम्ब शुल्क का भुगतान किये एक भी आयातित परेषण कारगो से नही छुड़ाया गया था।

2.3.13 निष्क्रिय प्रकाशन

31 मार्च 1997 को औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा 1986–90 के दौरान, प्रकाशित कराये गये 11.66 लाख रु मूल्य के विभिन्न प्रकाशनों की

3198 प्रतियाँ बिकने के लिये पड़ी हुई थी। इससे पता लगता है कि या तो वास्तविक आवश्यकता से काफी ज्यादा का मुद्रण आदेश दिया गया था अथवा औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में विपणन प्रयासों का अभाव था।

2.3.14 जारी न किए गए और अप्रयोज्य भंडार

स्टॉक रजिस्टरों की जाँच से यह देखने में आया कि 148 मदें खरीदे जाने के दिन से 2 से 26 वर्षों तक कभी नही जारी हुयी। ऐसी 76 मदों की अंकित लागत 1.78 लाख रु निकाली गई और शेष 72 मदों की कीमत इस केन्द्र के पास नही थी।

उपस्कर सहित 222 भंडार मदें अप्रयोज्य अथवा प्रयोग न किये जाने लायक स्थिति में पड़ी थी जिनमें से 113 मदें 1995–97 के दौरान इक्ठ्ठा हुई थी। यद्यपि, ऐसी मदों में सर्वाधिक पुरानी मद 1984 से पड़ी हुई थी, उनको रद्द करने और उनका निपटान करने के लिये इस केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। केवल 131 मदों की अंकित कीमत 8.79 लाख रु इस केन्द्र के पास उपलब्ध थी और शेष 109 मदों की कीमत उपलब्ध नहीं थी।

2.3.15 भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन

सामान्य वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत भंडार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन और अवधिक निरीक्षण अनिवार्य है। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र में भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन अन्तिम बार 1992–93 में किया गया था जो अधूरा था। इस प्रकार, काफी समय से सभी प्रकार की भंडार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक रूप से नहीं किया जा रहा था।

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के पुस्तकालय में 31 मार्च 1997 को 195.18 लाख रु मूल्य की जरनलों सहित 15266 पुस्तकें थी। पुस्तकालय की पुस्तकों का 1993–94 के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन नही हुआ था, यद्यपि इसे प्रत्येक वर्ष किया जाना था।

2.3.16 लेखे

(i) बैंक मिलान

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के बैंक लेखों का मिलान 31 जनवरी 1996 तक हुआ दिखाया गया था। उसके बाद कोई मिलान नही किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि बैंक के कुछ लेन–देन 25 वर्ष से अपने बैंकरों के पास समायोजन के लिये बकाया थे। बैंक मिलान विवरण की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

(क) नवम्बर 1971 से जनवरी 1996 तक के 764 मामलों में कुल 58.31 लाख रु की राशि को बिना औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किये उनके बैंकरों द्वारा लेखे को डेबिट दिया गया था। इनमें से 53.43 लाख रु के 691 मामलों का सम्बन्ध नवम्बर 1971 से मार्च 1993 की अवधि से था। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने इस मामले को अपने बैंकरों के साथ नही उठाया कि वह अपनी रोकड़ वही में या तो प्रविष्टियाँ करवाने के लिये अथवा बैंकरों से उसको समायोजित कराने के लिये अपने बैंक लेखे में उन डेबिटों के व्यौरे प्राप्त करे। इन मदों के मिलान में हुये विलम्ब से कपट/गबन के खतरे बढ़ सकते थे।

(ख) नवम्बर 1976 से जनवरी 1996 की अवधि से सम्बन्धित 67 मामलों में 6.03 लाख रु की कुल प्राप्तियाँ जिनको रोकड़ वही में लेखांकित किया गया था बैंक स्टेटमेंन्ट में उनको नही दिखाया गया था। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा अपने बैंक में जमा करायी गयी रकम का क्रेडिट प्राप्त करने का कोई प्रयास नही किया गया। लेखे के मिलान किये जाने तक प्राप्तियों के गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) 417 मामलों में जहाँ बैंक विवरण में 68.74 लाख रु इस केन्द्र के लिये बैंक द्वारा सीधे प्राप्त किये गये दिखाये गये थे वहाँ ऐसी प्राप्तियों को इस केन्द्र की रोकड़ वही में नही दिखाया गया था। इनमें से 35.08 लाख रु की 386 मदों का सम्बन्ध जनवरी 1973 से मार्च 1993 की अवधि से था। पुरानी मदों को रोकड़ वही में लेखांकित किये जाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि उपरोक्त (ख) और (ग) में दिखाई गई मदों के स्थान पर कुल 1.62 लाख रु की 23 मदें और कुल 18.98 लाख रु की 31 मदें अक्तूबर 1997 तक मिलान करके निकाली जा चुकी थी।

(ii) बकाया अग्रिम

30 जून 1997 तक, कर्मचारियों से यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत तथा कर्मचारियों को खरीद कार्यो के लिये नकद पेशगी और साम्रगी/उपकरण की खरीद और आपूर्ति के लिये प्राइवेट पक्षों, सरकारी संगठनों आदि को 31 मार्च 1997 तक दिये गये 128.92 लाख रु अग्रिम को निम्नानुसार दिखाया गया था :

(लाख रुपये में)

वर्ष	सरकारी विभाग		प्राइवेट पक्ष		खरीद के लिये स्टाफ को नकद पेशगी		यात्रा भत्ता/स्टाफ को छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी		कुल बकाया अग्रिम रकम
	मद	रकम	मद	रकम	मद	रकम	मद	रकम	
1969-70 से 1991-92	135	9.95	302	30.72	699	8.68	346	4.26	53.61
1992-93	51	2.64	25	2.71	43	0.50	24	0.56	6.41
1993-94	53	4.14	14	2.73	37	1.23	22	0.27	8.37
1994-95	40	1.38	20	1.05	21	0.35	15	0.35	3.13
1995-96	24	8.89	31	8.42	27	0.99	21	0.60	18.90
1996-97	16	4.49	33	30.71	22	2.94	23	0.36	38.50
कुल	319	31.49	425	76.34	849	14.69	451	6.40	128.92

असमायोजित अग्रिम 1970-71 प्राइवेट पक्षों (76.34 लाख रु)., सरकारी संगठनों (31.49 लाख रु) और औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों से (21.09 लाख रु,) बकाया थे

इनमें से, 76.34 लाख रु प्राइवेट पक्षों से 1970–71 के आगे से बकाया था, 30.72 लाख रु 5 वर्षो से अधिक पुराना था। सम्बन्धित पक्षों से कोई अनुगामी कार्यवाही इस केन्द्र द्वारा नही की गई कि या तो ठेकागत आपूर्तियाँ प्राप्त की जाती अथवा बकाया रकम की वसूली की जाती। इसी प्रकार, कर्मचारियों को नकद खरीद आदि के लिये दिये गये 14.69 लाख रु की अग्रिम रकम 1969–70 और उसके बाद से समायोजन के लिये बकाया थी। इस रकम में से कुल 8.68 लाख रु 5 वर्षों से अधिक से समायोजन के लिये बकाया था। यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी की अपने कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया की कमी पायी गई थी क्योंकि 4.26 लाख रु 5 वर्षों से अधिक से बकाया

था। 31.49 लाख रु की राशि सरकारी संगठनों से 1974–75 से बकाया थी इस संबन्ध में औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के प्रबन्धन में बहुत कमी देखी गई।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने बिना कोई ब्यौरा प्रस्तुत किये जनवरी 1998 में बताया कि 26.84 लाख रु समायोजित हो चुका था।

2.3.17 भवन–निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

सिलबर जुबिली प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य 18 महीनों में पूरा करने के लिये जून 1990 में एवार्ड किया गया था

इस केन्द्र द्वारा सिलबर जुबिली ब्लाक प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य 18 महीनों में फरवरी 1992 तक 48.33 लाख रु की लागत से पूरा करने के लिये जून 1990 में मैसर्स कोहली कन्सट्रक्सन, लखनऊ को सौंपा गया था। ठेके में कोई प्रावधान न होने के कारण, इस केन्द्र ने ठेकेदार द्वारा लागत वृद्धि के अनुरोध को ठुकरा दिया। 17 सप्ताहों के विलम्ब के बावजूद, केन्द्र ने भवन को पूरा करने के लिये नियत समय जून 1992 तक बढ़ा दिया। काम को पूरा करने में अस्मर्थ रहने के कारण ठेकेदार ने 1 जलाई 1992 से अथवा इस तारीख से जिसको इस केन्द्र द्वारा लागत वृद्धि के प्रश्न पर फैसला किया गया, से 10 महीनों का दूसरी बार समय बढ़ाने की माँग की। कार्य की धीमी प्रगति और शर्तों के साथ ठेकेदार के अनुरोध की दृष्टि से ठेके के निर्धारण (डिटरमिनेशन) पर कार्यवाही करने के स्थान पर, इस केन्द्र ने दिसम्बर 1992 तक कार्य को समाप्त करने के लिये अगस्त 1992 में दूसरी बार समय बढ़ाया। इससे ठेकेदार को नवम्बर 1992 में ही काम को रोक देने और माध्यस्थ (आरबीट्रेशन) नियुक्त करने की माँग करने का मौका मिल गया। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मई 1993 में नियुक्त किये गये माध्यस्थ ने 1.86 लाख रु के साथ 5 मई 1993 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का ठेकेदार के पक्ष में अधिनिर्णय दिया। जब माध्यस्थता चल रही थी, अगस्त 1994 में इस केन्द्र ने ठेकेदार को सूचित किया कि ठेका निर्धारित हो गया है और छोड़ दिया गया 56 प्रतिशत कार्य ठेकेदार की जिम्मेदारी और लागत पर कराया जायेगा। इस केन्द्र द्वारा जून 1995 में शेषकार्य का ठेका मई 1996 में पूरा करने के लिये लागत वृद्धि के साथ 43.24 लाख रु की लागत का कार्य मैसर्स एम ए कान्सट्रक्शन, लखनऊ को सौंपा गया। इसके परिणामस्वरूप, शेष कार्य के लिये इस केन्द्र को 16.25 लाख रु. का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। जून 1997 तक यह कार्य नही पूरा हुआ था।

औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने दिसम्बर 1992 तक के लिये दूसरी समय वृद्धि को अनुमत कर दिया था ठेकेदार ने नवम्बर 1992 में काम रोक दिया आरबीट्रेशन की मॉग की

आरबीट्रेशॅन ने, ब्याज के साथ 1.86 लाख रु का पंच फैसला ठेकेदार के पक्ष में किया। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र के शेष कार्य को लागत वृद्धि के साथ 43.24 लाख रु की लागत पर पूरा करने के लिये जून 1995 में एक अन्य भवन निर्माता को लगाया गया

इस प्रकार, शेष 56 प्रतिशत कार्य पर 16.25 लाख रु खर्च करने के अतिरिक्त, भवन निर्माण कार्य में आसाधारण विलम्ब के कारण औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र को आवास की समस्या का भी सामना किया।

2.4 दोषपूर्ण समझौते के कारण हानि

भारतीय जहाजरानी निगम के साथ अपने समझौते में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा अपने अनुसंधान पोत के प्रचालन और प्रबन्धन के लिए उपयुक्त धारा शामिल न किए जाने की चूक के कारण, निगम ने पोत में एक अग्नि दुर्घटना के बाद बीमा दावे से प्राप्त 163.67 लाख रु हड़प लिया।

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के अनुसंधान पोत 'गवेषणी' को प्रबन्धन और प्रचालन के लिये भारतीय जहाज रानी निगम को सौंप दिया गया था

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक इकाई राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर भुगतान करके अपने अनुसंधान पोत "गवेषणी" के प्रबन्धन, सुरक्षा और आर्थिक प्रचालन के लिए जुलाई 1991 में भारतीय जहाजरानी निगम के साथ एक समझौता किया गया। यह समझौता 1978 से अस्तित्व में था।

यह पोत अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गया था। एक विशेषज्ञ समिति ने पोत को होटल कांस्ट्रक्टिव लॉस के रूप में पोषित करने की सिफारिश की

जब यह पोत ड्राई डॉक के अन्तर्गत और अप्रयोज्य हो गया था, तो प्रिन्सेस डॉक मुम्बई में 26 अगस्त 1994 को अग्नि दुर्घटना हो गई । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस पोत की मरम्मत की संभावना पर विचार करने के लिए दिसम्बर 1994 में जहाज रानी उद्योग के विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा फरवरी 1995 में सिफारिश की गई कि पोत को "कांस्ट्रक्टिव टोटल लॉस" घोषित किया जाये और भारतीय जहाजरानी निगम की मदद से बीमे का दावा प्रस्तुत किया जाये।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सिफारिशों पर कार्यवाही किये बिना 10 महीनों तक अस्थिर रही

380 लाख रू. के बीमा दावे का निपटान नवम्बर 1996 में हुआ

यद्यपि, यह रिर्पोट फरवरी 1995 में प्राप्त हुई थी परन्तु इस पोत को " कांस्ट्रक्टिव टोटल लॉस" घोषित किये जाने का फैसला वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 10 महीने के बाद दिसम्बर 1995 में किया गया और उसके बाद भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। बीमा कम्पनी द्वारा इस पोत को दिसम्बर 1995 में अपनी निगरानी में ले लिया गया और नवम्बर 1996 में 380 लाख रु. का दावा तय किया गया।

दोषपूर्ण समझौते के कारण भारतीय जहाजरानी निगम अपने दावे के विपरीत 380 लाख रू. के सम्पूर्ण बीमा दावे को समायोजित कर लिया

लेखापरीक्षा में मई 1997 में यह देखने में आया था कि भारतीय जहाजरानी निगम के साथ हुए समझौते में भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा किसी संकट अथवा के पोत के प्रयोग लायक ना रह जाने की अवस्था में निर्धारित अनुरक्षण प्रभारों की जिम्मेदारी स्वत: समाप्त करने और पोत की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने में विफलता के लिए किसी प्रकार की शस्तिक धारा शामिल नहीं की गई थी। तथापि, दोषपूर्ण समझौते के कारण, भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के लिए बीमा दावा प्रस्तुत किया गया और भुगतान भी प्राप्त किया गया। इसके परिणाम स्वरुप, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पर 388.51 लाख रु के उनके दावे के बदले में प्राप्त हुए 380 लाख रु के बीमा दावे की पूरी राशि को भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा समायोजित कर लिया गया जो सितम्बर 1995 तक प्रचालन और निर्धारित खर्चों के साथ अक्तूबर 1996 तक इन सभी खर्चो पर ब्याज के रुप में था और कुल 388.51 लाख रु के दावे में से 8.51 लाख रु की शेष राशि की माँग प्रस्तुत की गई। 172.18 लाख रु की राशि का सम्बन्ध अग्निकांण्ड की तारीख के बाद की अवधि से था।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के प्रस्ताव के आधार पर उद्योग मंत्रालय ने भारतीय जहाजरानी निगम की कार्यवाही के विपरीत एक मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) नियुक्त किया

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के अप्रैल 1997 के प्रस्ताव के आधार पर, भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा एक पक्षीय समायोजन से उत्पन्न झगड़े के निपटारे के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त/सितम्बर 1997 में एक मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1997 तक मध्यस्थ के फैसले की प्रतीक्षा थी।

इस प्रकार, दोषपूर्ण समझौते के परिणामस्वरुप, अग्निकांड के बाद की अवधि के लिए 172.18 लाख रु की बकाया राशि के एवज में बीमा से प्राप्त 163.67 लाख रु भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा शेष 8.51 लाख रू. की मांग करने के अतिरिक्त हड़प लिया गया।

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान द्वारा अक्तूबर 1997 में बताया गया कि यद्यपि वह पोत के मालिक थे परन्तु भारतीय जहाजरानी निगम और बीमा कम्पनी के बीच हुए समझौते के आधार पर "अस्योर्ड" की हैसियत से बीमा पॉलिसी भारतीय जहाजरानी निगम के नाम थी।

इस मामले पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अगस्त 1997 में को लिखा गया था परन्तु जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

2.5 अव्ययित अनुदान की गैर–सुपुर्दगी

44.74 लाख रु के अव्ययित अनुदान को केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा सौंपने में विफलता का परिणाम इस निधि के अवरोधन में हुआ।

केन्द्रीय लवण तथा समुदी रसायनिक संस्थान द्वारा तकनीकी ग्रेड के पोटैशियम क्लोराइड के निर्माण के लिए एक संयंत्र का प्रतिष्ठापन किया जाना था

तीन टन पोटैशियम क्लोराइड प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले एक पाइलॅट तथा डिमान्सट्रेशन संयंत्र की स्थापना को महासागर विकास विभाग द्वारा मार्च 1991 में अनुमोदित किया गया। यह संयंत्र केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान, भावनगर द्वारा विकसित किये गये नो हाउ तकनीकी जानकारी पर अधारित था और उसकी लागत 187.09 लाख रु होनी थी। इस प्रयोजन के लिए पहली किस्त के रुप में महासागर विकास विभाग द्वारा 45 लाख रु केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान को मार्च 1991 में विमोचित किया गया। यह संयंत्र हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड खरखोदा, गुजरात के सहयोग से स्थापित किया जाना था। महासागर विकास विभाग, केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा नवम्बर 1991 में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये परन्तु संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं शुरु की गई। सितम्बर 1992 में अनुसंधान परिषद की हुई बैठक में तकनीकी ग्रेड के पोटैशियम क्लोराइड के उत्पादन की समीक्षा की गई और प्रस्तावित तकनीक को आर्थिक रुप से उपयुक्त नहीं पाया गया। इस प्रकार, केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा इस प्रकार फैसला किया गया कि परियोजना के महत्व को एक उप उत्पाद के रुप में पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिफ्रैक्ट्री ग्रेड के मैगनेशियम के उत्पादन की ओर बदल दिया जाये। इस परियोजना की भी साफ तस्वीर मई 1997 तक नहीं उभरी थी क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट उद्योगों के परस्पर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त थे।

यह परियोजना जीवनक्षम नहीं थी, इसलिये बिना महासागर विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये हुये उप–उत्पाद के रूप में पोटैशियम क्लोराइड के साथ रिफ्रैक्टरी ग्रेड मेंगनेशियम पर प्रभाव बदल कर चला गया

म्हासागर विकास विभग को समर्पित करने के स्थन पर 44.74 लाख रू. के अव्ययित शेष को मार्च 1991 से चालू खाते में रखा गया था

केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा यात्रा, आकस्मिकताओं आदि पर केवल 0.26 लाख रु खर्च किया गया और 44.74 लाख रु की अव्ययित राशि को महासागर विकास विभाग को समर्पित करने के स्थान पर बैंक के चालू खाते में रखा गया था। नवम्बर 1997 तक परियोजना के क्षेत्र को बदलने के लिए महासागर विकास विभाग का औपचारिक अनुमोदन नही प्राप्त किया गया था। तथापि, पोटैशियम क्लोराइड के उत्पादन के लिए

तकनीक विकसित करने और उसके द्वारा उसके आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत का मुख्य उद्देश्य पराजित हो गया था। महासागर विकास विभाग में मॉनीटरिगं की भी कमी थी क्योंकि उनके द्वारा केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान को दिये गये अनुदान के उचित उपयोग पर जोर नहीं दिया गया।

विदेशी मुद्रा की बचत का उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ था

दिसम्बर 1997 के अपने उत्तर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अव्ययित राशि को महासागर विकास विभाग को समर्पित करने में केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायनिक अनुसंधान संस्थान की विफलता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

2.6 परिहार्य व्यय

एक प्रायोजित परियोजना के लिये आवश्यक एक उपस्कर, परियोजना बन्द हो जाने के बाद खरीदा गया था। यह खरीदे जाने के बाद से ही निष्क्रिय पड़ा रहा जिसका परिणाम 17.04 लाख रु के परिहार्य व्यय में हुआ।

राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला ने एक प्रायोजित परियोजना जो क्रय आदेश दिये जाने के पहले ही समाप्त हो गई थी के लिये एक गैस एनालाइज़र का क्रय किया

राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा "प्रोडक्शन ऑफ लो पी एण्ड एस लिक्विड आइरन थ्रू वरटिकल रिटार्ट डायरेक्ट रिडक्शन रुट" प्रायोजित परियोजना के लिये सहायक पुर्जों सहित एक गैस एनालाइजर खरीदने का निर्णय अप्रैल 1991 में किया गया। यद्यपि, एक पारम्परिक तकनीक द्वारा गैस के नमूनों के विषलेषण द्वारा इस परियोजना को पहले ही जून 1991 में पूरा कर लिया गया था, परन्तु प्रयोगशाला द्वारा उपस्कर की अभिप्राप्ति के लिये क्रय आदेश जुलाई 1991 में प्रस्तुत किया गया। 17.04 लाख रु की कीमत का यह उपस्कर और उसके सहायक पुर्जे प्रयोगशाला द्वारा फरवरी 1992 और जुलाई 1993 के बीच प्राप्त हुये थे।

जनवरी 1997 में इस उपस्कर के शुरू हो जाने के बाद भी, यह निष्क्रिय पड़ा रहा क्योंकि राष्ट्रीय धातु कर्मीय प्रयोगशाला ने कोई ऐसी परियोजना हाथ में नहीं ली जिसमें उसका प्रयोग किया जाता

राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला,जमशेदपुर द्वारा दिसम्बर 1996 तक ऐसी कोई परियोजना हाथ में नही ली गई जिसमें इस गैस एनालाइजर का प्रयोग हो सकता था। इसकी आवश्यकता के अभाव में दिसम्बर 1996 तक यह उपस्कर बिना चलाये पड़ा रहा था। यह उपस्कर जनवरी 1997 में शुरू किया गया था उसके बाद भी सितम्बर 1997 तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। इसी दौरान

उपस्कर की वारन्टी दिसम्बर 1994 में समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, इस उपस्कर पर किया गया 17.04 लाख रु का व्यय अनुत्पादक हो गया।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सितम्बर 1997 में बताया गया कि वरटिकल रिटार्ट डायरेक्ट रिडक्शन रूट प्रणाली को चलाना बहुत महंगा था इसका प्रयोग प्रायोजकता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये प्रयोगशाला द्वारा कोशिश की जा रही थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उत्तर में दृढ़ विश्वास का अभाव था, खासतौर पर इस उपस्कर के किसी भी प्रकार के प्रयोग को लगभग आधे दशक तक खोज पाने में उनकी विफलता के कारण था।

अध्याय 3 परमाणु उर्जा विभाग

3.1 आणविक ईंधन परिसर, हैदराबाद

3.1.1 विषय – प्रवेश

परमाणु उर्जा विभाग के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई आणविक ईंधन परिसर की स्थापना, हैदराबाद में 1970 में हुई थी । इसका उद्देश्य परमाणु उर्जा विभाग के अणुशक्ति कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टरों तथा उबलते हुए जल रिएक्टरों, जरकलॉय धटकों, कैलेंड्रिया और शीतलक ट्यूबों के लिए ईंधन बडलों का देश में निर्माण और आपूर्ति करना था ।

3.1.2 लेखापरीक्षा – क्षेत्र

पिछले 5 वर्षों 1992–93 से 1996–97 के दौरान आणविक ईंधन परिसर के प्रमुख संयंत्रो के कार्य की लेखापरीक्षा में । मई 1996 से जून 1997 के दौरान समीक्षा की गई थी जिसमें उत्पादन प्रतिमान पर विशेष जोर दिया गया था । लेखांकन से सम्बन्धित क्षेत्रों की भी नमूना जांच की गई थी लेखापरीक्षा के परिणामों को अनुगामी पैराग्राफों में सम्मिलित किया गया था ।

3.1.3 संगठनात्मक ढांचा

आणविक ईंधन परिसर का प्रधान, मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी और सात इकाइयों के प्रधान होते हैं । आणविक ईंधन परिसर की नीति निर्माण प्रबन्ध बोर्ड द्धारा की जाती है जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग से 11, भारतीय आणविक शक्ति निगम लिमिटेड से एक और अन्य उद्योग से एक सदस्य होते है । मुख्य कार्यकारी इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है ।

3.1.4 मुख्य – मुख्य बातें

– चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयत्रं में छर्रा (पिलेट) उत्पादन की गुणवत्ता घटिया थी, भारी संख्या में छरों को स्वीकार नही किया गया था । मार्च 1997 के अन्त में अस्वीकार किये गये छर्रो (पिलेटस) का संचयी भंडार 629.68 टन था ।

भारी संख्या में छर्रो के अस्वीकार हो जाने से चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र में ईंधन बंडलो का उत्पादन प्रभावित हुआ, जो 1992 से 1997 के दौरान 40 से 61 प्रतिशत के बीच अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से नीचे रहा । लक्ष्य प्रतिष्ठापित क्षमता से नीचे रखे गयें थे, इनको आणविक ईंधन परिसर बोर्ड द्वारा और कम कर दिया गया था । अनुवर्ती वर्षो में कम लक्ष्य रखे गयें । वास्तविक उत्पादन, लक्ष्यों से भी नीचे था । इस प्रकार, क्षमता बढाने के लिए 1989 में किया गया 76.74 करोड़ रु का व्यय निष्फल हो गया ।

(पैरा 3.1.5)

– चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयत्रं का कार्य असंतोषजनक होने के कारण, अन्तर्सम्बद्ध जरकलॅांय संरचना संयंत्र का उपयोग कम ही रहा, उनके पास 9.12 लाख जरकलॉय टयुबों का संचय था जो विद्यमान मांग स्तर पर साढ़े तीन वर्षो के लिए पर्याप्त था । इसप्रकार, मार्च 1994 में समाप्त हुए संयंत्र के विस्तार पर 16.38 करोड़ रु का निवेश निष्फल हो गया ।

(पैरा 3.1.6)

– ईंधन बंडलो के उत्पादन के लिये 3 नयें संयत्रो की स्थापना पर 190 करोड़ रु. खर्च किया गया था । दोषपूर्ण परियोजना के नियोजन के परिणामस्वरुप, नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र पूरा हो गया, जिसमे नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयंत्र, जिसमें छर्रो का उत्पादन होना था, को बिना पूरा किये ईंधन बंडलों को असेम्बल किया जाना था । इसके कारण नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र पर किया गया 40.79 करोड़ रु. का व्यय निष्क्रिय हो गया

– ईंधन टयुबों के उत्पादन के लियें नवीन जरकलॉय संरचना संयंत्र की स्थापना की गई थी परन्तु अगली और पिछली कडियाँ गायब थी, जबकि इस संयंत्र के लिए जरकॉनियम इंगाटों के उत्पादन के लिए जरकॉनियम स्पंज परियोजना दिसम्बर 1997 तक शुरु नही हुई थी, ईंधन टयुबो की कोई मांग नही थी क्योकि वर्तमान जरकलॉय संरचना संयंत्र का भी कम उपयोग किया जा रहा था । इस प्रकार, पूरे कर लिये गये इस संयंत्र पर 69.51 करोड़ रु. का व्यय निष्फल हो गया था ।

(पैरा 3.1.7)

– संयुक्त क्षेत्र के भागीदारों की पहचान न किये जाने और इस परियोजना के लिये प्रौद्योगिकी स्थापित न किये जाने के बावजूद, इस परियोजना पर मार्च 1997 तक 8.29 करोड़ रु. का पूँजीगत (निष्क्रिय जन शक्ति पर व्यय सहित) व्यय किया गया था । जरकॉनियम स्पंज परियोजना और टिटेनियम स्पंज परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था ।

(पैरा 3.1.9)

– प्रोफार्मा लेखा तैयार किये जाने का काम 1993–94 से बकाया चल रहा था ।

(पैरा 3.1.10)

– कर्मचारियो को उत्पादन से जुड़े बोनस के भुगतान की योजना में कमी और उत्पादन लक्ष्यो के पूर्व प्रभाव से संशोधनो के परिणामस्वरुप, कर्मचारियों को 1995–96 के लिये 47.25 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया गया ।

(पैरा 3.1.11)

3.1.5 चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयत्रं का असंतोषजनक कार्य

चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयत्रं का कार्य निम्नानुसार है:

(i) यह युरेनियम डाइऑक्साइड पावडर को युरेनियम ऑक्साइड छर्रों (पिलेटस) में बदल देता है । युरेनियम डाइऑक्साइड पावडर युरेनियम ऑक्साइड संयंत्र में युरेनियम ओर से निकाला जाता है ।

(ii) इन छर्रो को जरकॉनियम ईंधन टयुबों में भारित किया जाता है, जिनका प्रयोग ईंधन बंडलो के उत्पादन पर किया जाता है । छर्रों से भरी हुई 19 ऐसी टयुबो को टोपी लगाकर बन्द किया जाता है फिर एक वातानुकूलित भारी जल रिएक्टर ईंधन बंडल के उत्पादन के लिए स्प्रिंग गार्टरो के साथ फीते से बांध दिया जाता है ।

प्रारम्भ में यह संयंत्र 100 टन ईधन बड़लों की क्षमता से 1970 मे स्थापित किया गया था जिसे बाद में 1986 में बढ़ाकर 225 टन कर दिया गया था । 1989 में, 76.74 करोड़ रु के निवेश से क्षमता को बढ़ाकर 300 टन कर दिया गया था ।

(क) उत्पादन की गुणवत्ता

चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र में छर्रों (पिलेट्स) का उत्पादन आवश्यक गुणवत्ता पूरी नही किया जिसके परिणामस्वरुप छर्रो को भारी संख्या में अस्वीकार कर दिया गया जो निम्नवत् था :

वर्ष	प्रतिशत	
	देयराशि का	अस्वीकृतों का
1992-93	51.60	48.40
1993-94	51.70	48.30
1994-95	43.50	56.50
1995-96	44.50	55.50
1996-97	56.80	43.20

पिलेटों में भारी अस्वीकृतियॉ थी क्योंकि उत्पादन की गुणवत्ता कम थी

प्रारम्भ में, जब संयंत्र शुरु हुआ, यह अनुमान किया गया था कि 100 टन छर्रो (पिलेटस) के उत्पादन में 125 टन युरेनियम डाइऑक्साइड की खपत होगी । दूसरे शब्दो में, वसूली की दर 80 प्रतिशत पर अनुमानित की गई थी । तथापि, आणुविक ईधन परिसर 1989–90 – विस्तार योजना के पहले प्राप्त हुये 58.4 प्रतिशत की वसूली दर को भी नही रख पाया । लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि अस्वीकृत छर्रे भंड़ार में पड़े थे क्योकि आणविक ईधन परिसर को उनके

विलयन के बाद पूर्व प्रयोग के लिए युरेनियम ऑक्साइड पावडर बनाने की प्रक्रिया में पूर्णता नही प्राप्त हुई थी । मार्च 1997 के अन्त में अस्वीकृत छर्रो का संचयी भंडार 629.68 टन था

छर्रो के भारी संख्या में अस्वीकार होने के परिणामस्वरुप, कम वसुली ने ईधन बंडलों के समग्र उत्पादन को प्रमाणित किया । अप्रेल 1996 में हुई अपनी बैठक में आणविक ईधन परिसर बोर्ड ने छर्रो की लगातार कम वसूली और भारी अस्वीकृति पर भारी चिन्ता व्यक्त किया । आणविक ईधन परिसर ने सितम्बर 1996 में बताया कि पुन: प्राप्ति में लगातार गिरावट की प्रवृति दरार पड़ने, छर्रो के फूलने, युरेनियम ऑक्साइड पावडर की सिन्टरीयता आदि जैसी विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण थी ।

(ख) उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से पर्याप्त नीचे था

1992–93 से 1996–97 के दौरान, ईधन बंडलों का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नवत था :

(टनो में)

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता	बजट अनुमान के अनुसार लक्ष्य	एन एफ सी बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	प्रतिष्ठापित क्षमता का उत्पादन प्रतिशत	अनुमानित मांग	प्रेषण	अन्त शेष
1992-93	300	270	257	183.23	61.07	उपलब्ध नही	174.92	18.36
1993-94	300	245	250	171.15	57.05	उपलब्ध नही	105.60	83.91
1994-95	300	250	200	128.14	42.71	200.00	107.90	104.15
1995-96	300	240	200	121.31	40.43	297.46	136.40	89.06
1996-97	300	200	180	161.21	53.73	383.04	204.28	45.99

1992-97 के दौरान, ईंधन बंडलों का वास्तविक उत्पादन स्थापित क्षमता का 40.43 % से 61.07 % के बीच उतार चढ़ाव होता रहा

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1992–97 के दौरान, वास्तविक उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से न केवल बहुत नीचे 40–43 से 61.07 प्रतिशत के बीच घटता बढ़ता रहा अपितु, 1996–97 में सीमान्तक सुधार के साथ जब यह प्रतिष्ठापित क्षमता का 53.73 प्रतिशत था, 1995–96 तक इसमें गिरावट की प्रवृति दर्ज हुई । आणविक ईंधन परिसर बोर्ड प्रत्येक वर्ष बजटीय लक्ष्यों को कम करता गया, अनुवर्ती वर्षो में कम लक्ष्य निर्धारित हुये उत्पादन लक्ष्य भी

कभी नही प्राप्त किया जा सका तथापि, आणविक ईंधन परिसर उत्पादन से जुड़े बोनस का भुगतान करता रहा ।

आणविक ईधन परिसर नें अस्वीकृत सूक्ष्म संरचना का फुलाब, दरारें और सिन्टरीय छर्रो में कम घनत्व आदि जैसी कुछ समस्याओं की कम उत्पादन के कारणों के रुप में पहचान की थी । उत्पादन बढ़ाने के लिये, जनवरी 1989 में गठित एक समिति का पावडर नष्ट होने के लिये प्रतिरोधी कार्यवाही, डाई की डिजाइन में सुधार, छर्रो की बेहतर व्यवस्था, स्नेहकों की वृद्धि आदि जैसे कुछ सुझाव दिये गये थे । सुझावों पर कार्यवाही करने के बावजूद, उत्पादन में सुधार नही हुआ ।

तथ्य यह रहा कि छर्रो की गुणवत्ता सन्तोषजनक नही होने के कारण भारी संख्या में छर्रे अस्वीकृत हो गये तथा इसके परिणामस्वरुप, चीनी मिटटी ईधन संरचना संयंत्र का कम उपयोग हुआ । 1996–97 के दौरान, ईधन बंडलों का उत्पादन 161.21 टन हुआ जो 1989 में चीनी मिटटी ईधन संरचना संयंत्र का विस्तार होने से पहले 225 टन की क्षमता से भी कम था, चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र के विस्तार पर 76.74 करोड़ रु का निवेश अधिकांश अनुत्पादक रहा।

3.1.6 जरकलॉय सरचना संयत्रं का कम उपयोग

यह संयंत्र जरकॉनियम स्पंज संयंत्र में उत्पादित जरकॉनियम इनगार्टो से जरकलॉय ईंधन टयुबो का उत्पादन करता है । इन टयुबो को चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र को भेजा जाता है, जहां इन टयुबो में छर्रे भरे जाते है । इसप्रकार, जरकलॉय ईधन संयत्रं की क्षमता का उपयोग चीनी मिटटी ईधन संरचना संयंत्र की उत्पादन आवश्यकता पर निर्भर करता है । चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र में छर्रो के निर्माण में कम उत्पादन और भारी अस्वीकृति के दृष्टिकोण से जरकलॉय ईंधन संयत्रं का भी निम्नानुसार कम उपयोग हुआ :

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता	उत्पादन लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	क्षमता उपयोग का प्रतिशत	ईंधन टयुबों का उत्पादन		वर्ष के अन्त में ईंधन टयूबों का भंडार
					लक्ष्य प्राप्ति		
	(टन)				(संख्या)		
1992-93	50	69.75	*79.76	*159.5	4,50,000	5,68,760	2,30,985
1993-94	50	53.00	*58.21	*116.4	6,00,000	6,00,213	7,05,353
1994-95	80	52.00	55.17	69.0	6,00,000	6,19,469	11,13,088
1995-96	80	37.52	24.48	30.6	3,00,000	2,90,274	11,10,000
1996-97	80	43.50	29.00	36.3	1,00,000	87,696	9,12,017

* प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन का कारण कच्चे माल के चरण के स्थान पर उत्पादन लाइन में अर्द्ध तैयार उत्पाद को प्रवेश था ।

चीनी मिट्टी ईंधन संरचना संयंत्र के असन्तोषजनक कार्य से जरकलॉय संरचना संयत्र का कार्य सीमित हो गया क्योंकि वह आपस में आन्तरिक रूप से संबद्ध थे। 9 लाख से अधिक दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टर ईंधन टयूबों का संग्रहण हो चुका था जो ३ वर्ष और 6 महीनों के लिये पर्याप्त होती

प्रारम्भ में, इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 35 टन जरकलॉय टयूब प्रतिबर्ष थी जिसे 1988–89 में बढ़ाकर 50 टन प्रतिवर्ष कर दिया गया था । फरवरी 1988 में किये गये एक निर्णय के आधार पर, 16.38 करोड़ रु की लागत से मार्च 1994 में समाप्त एक प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से बढाकर 80 टन प्रतिवर्ष कर दिया गया था । 16.38 करोड़ रु के निवेश पर क्षमता के बढाने से कुछ भी नही प्राप्त हुआ क्योंकि 1995–97 के दौरान उत्पादन 50 टन की पूर्व क्षमता से भी कम था । कम उत्पादन के साथ भी मार्च 1997 के अन्त में 9.12 लाख टयूबों का भंडार भरा पड़ा था क्योकि चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र उनका उपयोग करने में असमर्थ था । पिछले 5 वर्षो के दौरान, इन ईंधन टयूबो की औसत खपत 2.61 लाख प्रतिवर्ष थी । यह संचयी भंडार अन्य साढ़े तीन वर्षो की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त था । 1995–96 के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय आणविक ईंधन परिसर बोर्ड ने कहा था कि भंडार इकठठा हो जाने के दृष्टिकोण से ईंधन टयूबो के उत्पादन के लिए 6 लाख के ऊंचे लक्ष्य का कोई औचित्य नही था और इसे घटाकर 3 लाख किया जा सकता है । वर्ष 1996–97 के लिये लक्ष्य को और घटाकर 1 लाख कर दिया गया था । यह दृश्य चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयत्रं के उत्पादन में सुधार होने अथवा आणविक ईंधन परिसर द्वारा इन ईंधन टयूबों की बिक्री के लिए नये स्थान खोजने में समर्थ होने तक चलता रहेगा ।

3.1.7 हैदराबाद में 700 करोड़ रु की लागत से 3 नयी परियोजनाओं की स्थापना

विद्यमान संयत्रों के कम उपयोग के बावजूद, जिस पर मार्च 1997 तक 190.02 करोड़ रू. खर्च किया गया था उसी उत्पाद लाइन के लिये नये संयंत्र लगाये जा रहे हैं

2000 ई. तक 10000 मेगावाट प्राप्त करने का परमाणु ऊर्जा विभाग के शक्ति कार्यक्रम की दृष्टि से, आणविक ईधन परिसर ने हैदराबाद में 3 नये संयत्रो अर्थात (i) 265.20 करोड़ रु की लागत से छर्रो का उत्पादन करने के लिए 670 टन क्षमता की नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन परियोजना, (ii) 236.31 करोड़ रु की लागत पर ईधन टयूबों/घटकों के उत्पादन के लिए 80 टन की क्षमता की नवीन जरकलॉय संरचना परियोजना तथा (iii) 194.88 करोड़ रु की लागत पर ईधन बंडलों के उत्पादन के लिए 600 टन क्षमता की नवीन युरेनियम ईधन असेम्बली परियोजना की स्थापना का 1992 में प्रस्ताव किया ।

विद्यमान चीनी मिटटी ईंधन संरचना परियोजना में 300 टन वार्षिक क्षमता के अतिरिक्त, 600 टन वार्षिक ईंधन बंडलों की अतिरिक्त क्षमता प्रतिष्ठापित करने के मूल प्रस्ताव को घटाकर आठवीं योजना में 300 टन वार्षिक की अतिरिक्त क्षमता की गयी थी क्योकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2000 ई. तक 10000 मेगावाट के आणविक शक्ति कार्यक्रम को घटाकर 2820 मेगावाट कर दिया गया था । मार्च 1997 तक इन तीन परियोजनाओ पर 190.02 करोड़ रु की रकम खर्च कर दी गई थी । तथापि, लेखापरीक्षा में जांच से अनुवर्ती पैराग्राफो में जैसी चर्चा की गयी है समन्वय तथा उपयुक्त परियोजना नियोजन के अभाव में परिव्यय के निष्क्रिय हो जाने का पता लगा ।

(क) नवीन युरेनियम ऑक्साइड़ ईधन संयंत्र

इस संयंत्र से छर्रो का उत्पादन होता है । इस संयंत्र पर काम प्रगति में था और दिसम्बर 1997 तक 79.72 करोड़ रु का व्यय किया जा चुका था । इस संयंत्र को दिसम्बर 1995 तक पूरा होना था । विद्यमान ढ़ाँचे में भी चीनी मिटटी ईधन संरचना परियोजना में छर्रो का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम था और भारी संख्या में छर्रो की अस्वीकृति थी । छर्रो की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के अभाव में अन्तर्सबद्ध संयत्रं, नवीन जरकॉनियम संरचना संयंत्र तथा नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र पूरे हो जाने के बावजूद, उत्पादन नही शुरु कर सके ।

(ख) नवीन जरकंलॉय संरचना संयंत्र पर निष्क्रिय परिव्यय

इस संयंत्र से ईंधन टयुबों के उत्पादन में वृद्वि होनी थी । इस संयत्रं में उत्पादित ईंधन टयुबों का उपयोग नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयंत्र द्वारा छर्रो के उत्पादन का काम शुरु हो जाने के बाद ही किया जाना था । इस संयंत्र में काम लगभग पूरा हो गया था और अक्तूबर 1997 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के प्रमाणपत्र की फिर भी प्रतीक्षा कर रहा था, नवीन युरेनियम ऑक्साइड़ ईंधन परियोजना अभी पूरी होनी थी ।

जैसा कि पूर्व पैरा 3.1.6 में चर्चा की गई है, जरकलॉय ईंधन परियोजना का उपयोग कम हो रहा था और उसके पास ईंधन टयूबों का बडा संचयी भंडार था । लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि अगर विद्यमान जरकलॉय ईंधन संयंत्र अपनी अधिकतम 80 टन क्षमता पर काम करता तो जरकलॉय ईंधन टयूबों का उत्पादन चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र और नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र दोनो असेम्बली संयत्रों में 600 टन ईंधन बंडलों का पर्याप्त उत्पादन होता ।

अत:, ईंधन बंडलो की मांग निर्धारित होने तक नवीन जरकलॉय संरचना संयंत्र की स्थापना को रोक दिया जाना चाहिए था और इस संयंत्र के लिये कच्चा माल जरकॅानियम स्पंज की उत्पादन क्षमता बढाई गई थी । तमिलनाडु में पलयकायाल में स्थापित होने वाले 600 टन जरकॅानियम स्पंज के लिये परियोजना नवम्बर 1997 तक शुरु नही हो सकी । नवीन जरकलॉय ईंधन संयंत्र के लिये कच्चामाल उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नही थी । इसप्रकार, इस संयंत्र की अगली और पिछली दोनो कड़ियाँ गायब थी । इसके परिणामस्वरुप, इस संयंत्र पर 69.51 करोड़ रु का निष्क्रिय निवेश हुआ ।

(ग) नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र पर निष्क्रिय परिव्यय

इस संयंत्र से ईंधन बंडलो का उत्पादन होना था । इसके लिए इनपुट दो संयत्रों नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयंत्र से छर्रे और नवीन जरकलॉय ईंधन संयंत्र से ईंधन टयुबें आनी थी । नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र में 40.79 करोड़ रु की लागत से कार्य पूरा हो गया था और उत्पादन शुरु करने के लिए जनवरी 1997 में परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड द्वारा प्रमाणित

किया जा चुका था । तथापि, नवीन युरेनियम ईंधन परियोजना दिसम्बर 1997 तक प्रगति में ही थी । इसके परिणामस्वरुप, नवीन युरेनियम ईंधन असेम्बली संयंत्र में 40.79 करोड़ रु का निवेश नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन परियोजना के पूरा होने तक बिना किसी प्राप्ति के निष्क्रिय ही रहेगा ।

3.1.8 ईंधन बंडलों की मांग

भारतीय आणविक शक्ति निगम लिमिटेड ने नवीन परमाणु शक्ति संयत्रों को शुरु करने के लिये ईंधन बंडलों की अपनी समग्र माँग को बता दिया था । पैरा 3.1.5 (ख) की तालिका यह बतायेगी कि 1994–97 के दौरान अनुमानित मांग ईंधन बंडलों के वास्तविक उत्पादन से बहुत अधिक थी, जिसनें विद्यमान चीनी मिटटी ईंधन संरचना संयंत्र में चालू अवरोध और नवीन युरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयंत्र शुरु किये जाने में विलम्व के कारण गति नही बना पाया जब तक सुधारात्मक कार्यवाही पहले से न की जाती उससे भारतीय आणविक शक्ति निगम लिमिटेड द्वारा पॉवर स्टेशन शुरु करने के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ता ।

3.1.9 जरकॉनियम स्पंज तथा टिटेनियम स्पंज परियोजना

मार्च 1989 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने पलयकायाल में 7 करोड़ रु की लागत से 600 टन कुल जरकॉनियम क्रिस्टलों के निर्माण की क्षमता से दूसरे जरकॉनियम स्पंज परियोजना की स्थापना को अनुमोदित किया । इस परियोजना का परिणाम अर्थात रिएक्टर ग्रेड जरकॉनियम स्पंज नवीन जरकॉनियम संरचना संयंत्र के लिए शुरुवाली साम्रगी होनी थी । जनवरी 1992 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने पलयकायाल में 1000 टन वार्षिक क्षमता की टिटेनियम स्पंज परियोजना शुरु करने के लिये भी अनुमोदन किया था, इसे 90.65 करोड़ रु लागत की पहले से अनुमोदित जरकॉनियम स्पंज संयंत्र में सभी सुविधाओ के सहव्यवास्थापना द्वारा शुरु करना था । टिटेनियम टयूबों की आवश्यकता ताप विनिमायम और संग्राही विनियोग के रुप में प्रयोग करने के लिये थी ।

मार्च 1997 तक परियोजना पर 8.29 करोड़ रू. का भारी खर्च किया गय और जनशक्ति प्रदान की गई यद्यपि, एक संयुक्त उद्यम भागीदार का अभी पता लगाया जाना था और परियोजना की प्रौद्योगिकी को स्थापित किया जाना था

नवम्बर 1992 में एक निर्णय लिया गया कि इन परियोजनाओं को टाटा आयल मिल क. लिमिटेड कें साथ संयुक्त उद्यम के रुप में लागू किया जायें । तथापि, यह संयुक्त उद्यम पूरा नही हुआ । अप्रेल 1996 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत को स्थगित कर दिया गया था। परमाणु ईंधन

परिसर ने मार्च 1997 तक इस परियोजना पर 8.29 करोड़ रु का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि भूमि और उसके विकास, टाउनशिप, सिविल निर्माण कार्य, संयत्रं और मशीने, उपयोगिता और सेवा आदि पर ऐसा भारी खर्च करने के पहले परियोजना के निष्पादन के लिये कोई व्यवहारिक रुपरेखा नही बनायी गयी थी । संयुक्त उद्यम हिस्सेदारों के साथ गतिरोध, परियोजना लगाने और शुरु करने की तकनीकी क्षमता आदि के परिणामस्वरुप, यह व्यय अनुत्पादक ही रहा । संस्वीकृत 19 कर्मचारियों में से, परियोजना के लिये 16 कर्मचारी नियुक्त किये गये थें जबकि परियोजना अधर में लटकी हुई थी ।

इस प्रकार, परियोजना की पूँजी और निष्क्रिय जनशक्ति पर किये गये भारी खर्च से कोई ठोस परिणाम नही निकला और 8.29 करोड़ रु का व्यय अनुत्पादक हो गया ।

3.1.10 लेखा बनाने में बकाया

1993-94 के बाद के प्रोफार्मा लेखे का काम बकाया था

आणविक ईधन परिसर के कार्यकलाप एक उद्योग की प्रकृति के होने के कारण कार्य के परिणामों का निर्धारण करने और इकाई के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति जानने के लिये प्रोफार्मा लेखा बनाने की आवश्यकता थी । तथापि, 1993–94 के आगे से प्रोफार्मा लेखा बनाने का कार्य बकाया चल रहा था ।

अद्यतन लेखा के अभाव में, प्रबन्धन निर्णय लिये जाने के लिए आवश्यक कार्य परिणाम और वितीय स्थिति उपलब्ध नही थी । इसके परिणामस्वरुप, प्रबन्धन के लिये सहायता के रुप में लेखा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है । तिमाही और छमाही लेखा बनाने के सिस्टम और उनको आणविक ईधन परिसर बोर्ड को प्रस्तुत करने ताकि आणविक ईधन परिसर के वित्तीय कार्यो की प्रवृति को जान सके की यथास्थिति नही थी । इसप्रकार, इसका परिणाम अपर्याप्त प्रबन्धन सूचना प्रणाली में हुआ ।

3.1.11 उत्पादन लक्ष्यों का अनियमित संशोधन

राष्ट्रीय ईंधन परिसर कर्मचारियों को उत्पादन से जुड़े बोनस के भुगतान के लिये एक योजना परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसुचित की गई

आणविक ईंधन परिसर के कर्मचारियों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन बोनस के भुगतान के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक योजना अप्रेल 1993 में अधिसूचित किया । 1 अप्रेल 1992 से प्रभावित इस योजना में, अन्य बातों के साथ आणविक ईधन परिसर के बिक्री योग्य उत्पादों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की भी व्यवस्था थी । यद्यपि, सामान्य तौर पर बोनस का भुगतान वर्ष में केवल एक बार किया जाता है, इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक मास बोनस के संगणन की व्यवस्था थी । इस प्रयोजन के लिए वार्षिक लक्ष्यों को मासिक लक्ष्यों में बांट दिया गया था और मासिक बोनस की गणना के लियें एक स्लेब सिस्टम शुरु किया गया था । बोनस प्राप्त करने के लिये पात्र होने के लिये, कर्मचारियो को केवल यह सुनिश्चित करना था कि एक माह में उत्पादन मासिक लक्ष्य से 60 प्रतिशत से अधिक था । 60 प्रतिशत से अधिक मासिक उत्पादन के कारण स्लेब सिस्टम के अनुसार कर्मचारियों को बोनस की ऊँची रकम देय थी । इस योजना में किन्ही विशेष कारणों के आधार पर लक्ष्यों के संशोधन की भी परिकल्पना थी ।

इस योजना में एक कमी थी कि कर्मचारियों के लिये मासिक लक्ष्य 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने तक वार्षिक लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने की कोई बाध्यता नही थी। पिछले 5 वर्षो के दौरान, आणविक ईधन परिसर के कर्मचारी वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में कभी भी सफल नही हुयें । यद्यपि, इस अवधि में उनकों 23 प्रतिशत का बोनस लगातार मिला है । लेखापरीक्षा में भी यह देखा गया था कि वितीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जब वास्तविक उत्पादन मालुम हो गया था और इस प्रकार, स्लेब सिस्टम के आधार पर कर्मचारियों को ऊँचे बोनस के योग्य बनाने के लिए आणविक ईधन परिसर बोर्ड ने 1995–96 के मूल लक्ष्यों का 200 टन से घटाकर 175 टन कर दिया था ।

योजना में प्रदत्त कारणें के अलावा लक्ष्यों को पूर्व प्रभाव से संशोधित करने के परिणाम–स्वरूप 47.25 लाख रु. के बोनस का अनियमित भुगतान हुआ

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, लक्ष्यों का संशोधन अनियमित और उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी प्रोत्साहन योजना की भावना के विपरीत भी था । इससे आणविक ईधन परिसर के कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के पात्र बन गये यद्यपि, उत्पादन बजटीय लक्ष्यों से बहुत कम था । उसके परिणामस्वरुप, 1995–96 के दौरान कर्मचारियों को 47.25 लाख रु का अनियमित भुगतान हुआ ।

इस मामले को अक्तूबर 1997 में विभाग को भेजा गया था, जनवरी 1998 तक उनका उत्तर नही प्राप्त हुआ था ।

3.2 देयताओं की गैर–वसूली के कारण हानि

भारी जल संयंत्र, बड़ोदा ने भारी जल के उत्पादन में आमोनिया सिन्थेसिस गैस की संसाधित हानि के लिये गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को 1975 के पूर्व प्रभाव से बढ़ी हुई वित्तीय क्षतिपूर्ति करने का 1984 में किया गया निर्णय, 1973 में किये गये पहले निर्णय को न केवल बदलता है अपितु, इस पर परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुमोदन नही था। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 1997 तक विभाग को 11.90 करोड़ रु की हानि हुई।

परमाणु ऊर्जा विभाग और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के बीच 1973 में हुई समझोते में विभाग द्वारा कम्पनी को प्रतिदिन एक टन आमोनिया की लागत के भुगतान की व्यवस्था थी

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपने भारी जल संयंत्र, बड़ोदा के लिये 50 टन प्रतिदिन की क्षमता के एक आमोनिया संयंत्र की स्थापना का फैसला जुलाई 1973 में किया गया। यह संयंत्र गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी से लगाकर स्थापित किया गया ताकि उनके पहले से विद्यमान दो आमोनिया संयंत्रों के साथ इस संयंत्र को जोड़ा जा सके। इन संयंत्रों का मिलाया जाना आवश्यक था जिससे कि भारी जल के उत्पादन के लिये गैस आपूर्ति की सुविधा प्राप्त हो सके। गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ हुये समझौते के अनुसार, भारी जल निकाल लेने के लिये जल संसाधित होने के बाद गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को आमोनिया गैस वापिस की जानी थी। अनुमान यह था कि भारी जल निकालने की प्रक्रिया में लगभग एक टन आमोनिया गैस नष्ट हो जायेगी। तदनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को प्रतिदिन एक टन आमोनिया की कीमत की भरपाई करके इस हानि के लिये उनकी क्षतिपूर्ति करने को 1973 में मंजूर कर लिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 1988 को समाप्त रिपोर्ट संख्या–7, 1989 संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) के पैरा 3.11 में यह बताया गया था कि समझौते की शर्तों के विपरीत, 1973 में पहले से मंजूर किये गये एक टन के अतिरिक्त 5 टन आमोनिया प्रतिदिन की क्षतिपूर्ति देने के लिये भारी जल संयंत्र प्राधिकारियों ने दिसम्बर 1984 में मंजूर किया था। भारी जल संयंत्र के बढ़ी हुई वित्तीय क्षतिपूर्ति करने का फैसला 1975 के पूर्व प्रभाव से लागू था। भारी जल संयंत्र ने अपने बचाव में यह कहा कि 1973 के मूल समझौते में, उनके फ्रॉसीसी आरेखक के संकेत के आधार पर, एक टन अमोनिया प्रतिदिन

हानि की व्यवस्था थी। यद्यपि, व्यवहार में उसी स्तर तक हानि को सीमित रखना कठिन था। अपनी कृत कार्यवाही रिर्पोट में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने दिसम्बर 1984 में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के साथ भारी जल संयंत्र द्वारा की गई बैठक के कार्यवृत को अनुमोदित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि दिसम्बर 1984 में भारी जल संयंत्र द्वारा किया गया फैसला, 1973 में किये गये समझौते से अलग था और उस तारीख तक परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित भी नही हुआ था, के अनुपालन में, 1975-76 से 1996-97 तक की अवधि के लिये भारी जल संयंत्र को देय प्रभार से 11.90 करोड़ रु को गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने समायोजित किया। जब समायोजन की ग्राह्यता से सम्बन्धित मामले को परमाणु ऊर्जा विभाग को भेजा गया तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परामर्श से विभाग ने (दिसम्बर 1993/अप्रैल, 1996) स्पष्ट किया कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी का समर्थन मूल्य भारी जल संयंत्र में आमोनिया गैस की हानि को हिसाब में रखकर आमोनिया की वास्तविक खपत के आधार पर निर्धारित की गई थी। अत: गुजरात राज्य उवर्रक कम्पनी को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का कोई मामला नहीं था क्योंकि उससे दोहरा भुगतान हो जायेगा।

रसायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने दिसम्बर 1993 /अप्रैल 1996 में स्पष्ट किया कि उत्पादन हानि का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये पहले ही हिसाब में ले लिया गया है और बढ़े हुये मुआवजे के लिये गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी का कोई मामला नही बना था

समझौते में हुई व्यवस्था के अतिरिक्त, बिना आरेखको से सलाह लिये और बिना परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये पाँच टन आमोनिया प्रतिदिन की अतिरिक्त हानि की क्षतिपूर्ति को भारी जल संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा मान लेने की कार्यवाही गलत थी जिसका परिणाम मार्च 1997 तक 11.90 करोड़ रु की हानि में हुआ।

विभाग द्वारा अक्तूबर 1997 में बताया गया कि यद्यपि, गुजरात राज्य उवर्रक कम्पनी द्वारा 1975-76 से 1995-96 की अवधि के लिये भारी जल संयंत्र को देय प्रभारों में से 11.07 करोड़ रु का एक पक्षीय समायोजन कर लिया गया था और उसके बाद के वर्षों में छ: टन आमोनिया प्रतिदिन की लागत को घटाते रहे है। भारी जल संयंत्र द्वारा इस कार्य को कभी भी नही माना गया है और इस कारण कटौती को समाप्त करने का मामला गुजरात राज्य उवर्रक कम्पनी के साथ उठाया गया था। विभाग का यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा की गई यह कटौतियाँ भारी जल संयंत्र द्वारा

परमाणु ऊर्जा विभाग का उत्तर मान्य नही था

दिसम्बर 1984 में हुई व्यवस्था के अनुपालन में की गई थी जिसे 1975 से प्रभावी किया गया था ओर लेखापरीक्षा द्वारा 1988–89 में इस अनियमिता की और ध्यान दिलाये जाने के बावजूद विभाग द्वारा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी से इस रकम की वसूली करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.3 एक ऑफसेट मुद्रण मशीन के क्रय पर निष्क्रिय निवेश

अक्तूबर 1991 में खरीदे जाने के दिन से ऑफसेट मुद्रण मशीन को प्रतिष्ठापित किये जाने में विफलता का परिणाम 11.67 लाख रु. के 6 वर्षों से अधिक के निष्क्रिय निवेश में हुआ।

क्रय एवं भंडार निदेशक ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्रतिष्ठापित करने के लिये एक विशेष्स मॉडल की मुद्रण मशीन की आपूर्ति का आदेश प्रस्तुत किया

निदेशक क्रय एंव भंडार द्वारा 26324.85 अमरीकी डालर की लागत से फालतू पुर्जो सहित एक मल्टीलिथ ऑफसेट मुद्रण मशीन–मॉडल 1650 बी सी डी की आपूर्ति का आदेश दिसम्बर 1990 में मैसर्ज ए एम इन्टरनेशनल यू एस ए को प्रस्तुत किया गया। इस मशीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पुस्तकालय और सूचना सेवा प्रभाग मे प्रतिष्ठापित किया जाना था जिससे कि 20 वर्ष पुरानी ऑफसेट मुद्रण मशीन को हटाया जा सके।

फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया मॉडल आदेश किये गये मॉडल से पृथक् था

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा कुल 11.67 लाख रु की लागत का यह परेषण अक्तूबर 1991 में प्राप्त किया गया था। अक्तूबर 1991 में परेषण को खोलने पर भारतीय एजेन्ट ने पता लगाया कि उनके प्रधान आपूर्तिकर्त्ता ने मॉडल 1650 बी सी डी के स्थान पर मॉडल 1962 एक्स ई भेज दिया था।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने भूल से आपूर्ति किये गये मॉडल को अपने पास रख लेने को मान लिया

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा इस मामले को विदेशी आपूर्तिकर्त्ता के साथ उठाया गया जिन्होंने (अक्तूबर 1991) यह विकल्प दिया कि या तो पूरी मशीन वापस करके उसके बदले में मॉडल 1650 वी सी डी ले या भूल से भेजी गई मॉडल 1962 एक्स ई मशीन रख ली जाये, जिसके लिये कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं देना होगा। मॉडल 1962 एक्स ई मॉडल 1650 वी सी डी से मंहगा था। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा बाद का विकल्प मार्च 1992 में मान कर इस मशीन को रख लिया गया। तथापि, इस मशीन को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका क्योंकि भारतीय एजेन्ट की प्रतिक्रिया दो वर्षो तक अनुकूल नहीं थी। निदेशक क्रय एवं भंडार को सितम्बर 1994 में पता लगा कि विदेशी फर्म ने अपना भारतीय एजेन्ट बदल दिया था। नये एजेन्ट की राय में इस मशीन के

बिजली के सरकिट में दोष था और मशीन के साथ प्राप्त हुई पुस्तिका भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्वीकार की गई मशीन के लिये नहीं थी। अगस्त 1997 तक मशीन के दोषों को ठीक करने में वह एजेन्ट विफल रहा।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, फर्म अथवा उसके एजेन्ट द्वारा अक्तूबर 1991 में उसके खरीदे जाने से उसको प्रतिष्ठापित कराने में विफल रहा

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिसम्बर 1996 में यह फैसला किया गया कि इस मशीन को विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित किया जाये परन्तु बाद में सितम्बर 1997 में यह तय हुआ कि 0.13 लाख रु की लागत से मशीन को प्रतिष्ठापन और चलाने का काम किसी दूसरी फर्म को सौंप दिया जाये। तथापि, दिसम्बर 1997 तक यह मशीन प्रतिष्ठापित नहीं हुई थी।

11.67 लाख रु. लागत की यह मशीन 6 वर्षों से ऊपर से बिना प्रयोग किये पड़ी है

इस प्रकार, ऑफसेट मुद्रण मशीन के प्रतिष्ठापन को सुनिश्चित किये जाने में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की विफलता का परिणाम अक्तूबर 1991 में 11. 67 लाख रु की लागत से खरीदी गई मशीन छः वर्षों से अधिक से बिना प्रयोग में लाये पड़ीं है।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिसम्बर 1997 में बताया गया कि मशीन के प्रतिष्ठापन का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। तथापि, तथ्य यह है कि मुद्रण मशीन 6 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है।

3.4 ड्रिलिंग राडों की परिहार्य खरीद

पर्याप्त भंडार होने के बावजूद, जुलाई 1993 में परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा 500 ड्रिलिंग राडों की खरीद का कोई औचित्य नहीं था। इस खरीद से 12.66 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ क्योंकि मार्च 1997 तक ड्रिलिंग राडों का पूरा भंडार अप्रयोजित पड़ा था।

परमाणु खनिज प्रभाग के पास जुलाई 1993 तक 635 ड्रिलिंग राडों का भंडार था। जुलाई 1991 से जून 1993 की अवधि के दौरान केवल 65 राडों की खपत हुई थी। तथापि, 12.66 लाख रु की लागत की 500 ड्रिलिंग राडों का क्रय आदेश जुलाई 1993 में प्रस्तुत किया गया जिसके विपरीत दिसम्बर 1993 तक आपूर्ति पूरी की गई थी। लेखापरीक्षा में जाँच से पता लगा कि जुलाई 1993 और मार्च 1997 के बीच केवल 240 ड्रिलिंग राडों का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार, 12.66 लाख रु की लागत की 500 ड्रिलिंग राडों के जुलाई 1993 में जारी किये गये क्रय आदेश का औचित्य नहीं था।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि ड्रिलिंग राड़ों की सही सही आवश्यकता को पहले बताना सम्भव नहीं था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा अगस्त 1992 में पहले ही फैसला किया गया था कि समन्वेषण क्षेत्र को उत्तर राजस्थान में सीकर और उत्तर प्रदेश में सोन घाटी के नये खोजे गये क्षेत्र में बदल दिया जाये। तथापि, इन इलाकों में कठोर चट्टानों की बनावट के कारण पारम्परिक मूल ड्रिलिंग की आवश्यकता थी जिनमें इन ड्रिलिंग राडों की कोई आवश्यकता नहीं थी।

3.5 निष्फल व्यय

अपने नक्शे के पैरामीटरों को अन्तिम रूप दिये जाने के पहले ही वेरिऐबल स्पीड ड्राइव सिस्टम के लिये क्रय आदेश प्रस्तुत किये जाने का परिणाम 30.14 लाख रु. के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि बाद में आदेश को रद्द करना पड़ा था। इसके कारण 34.16 लाख रु. का दावा प्रोद्भूत दायित्व के रुप में देय हो गया।

इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने दिसम्बर 1991 में एक रिएक्टर के परीक्षण के लिये आवश्यक ड्राइव की अभिप्राप्ति के लिये एक माँग पत्र प्रस्तुत किया

इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा 4 लूपसोडियम पम्पों वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के परीक्षण के लिये आवश्यक एक वेरिऐबल स्पीड ड्राइव सिस्टम की खरीद के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन निदेशक क्रय एवं भंडार को दिसम्बर 1991 में एक माँग–पत्र प्रस्तुत किया गया। निदेशक क्रय एवं भंडार द्वारा ड्राइव की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और चलाने के लिये निविदा मांगते हुये एक सूचना अप्रैल 1992 में जारी की गई।

परमाणु ऊर्जा आयोग ने रिएक्टर की समग्र लागत घटाने के लिये जुलाई 1992 में एक समिति का गठन किया

परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा प्रस्तावित रिऐक्टर की समग्र लागत को कम करने के लिये जुलाई 1992 में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया, क्योंकि यह अपने ताप प्रतिपक्ष से मंहगा था। समिति द्वारा जनवरी 1993 में अपनी रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर रिऐक्टर के नक्शे के अध्ययन के लिये जून 1993 में केन्द्र द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया।

क्रय एवं भंडार निदेशालय ने रिएक्टर के लिये डिजाइन पैरामीटरों को अन्तिम रुप देने के पहले क्रय आदेश प्रस्तुत किया

कार्यबल द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के पूर्व निदेशक क्रय एवं भंडार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया और 3.26 करोड़ रु की लागत की चार लूपसोडियम पम्पों के लिये बनाये गये ड्राइव के लिये जनवरी 1994 में

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बैंगलोर को एक क्रय आदेश प्रस्तुत किया गया। इस आदेश के विपरीत, केन्द्र द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 29 मार्च 1994 को 30.14 लाख रु का अग्रिम भुगतान किया गया। इसी अवधि में कार्यबल ने 22 मार्च 1994 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी और रिऐक्टर के नक्शे में कुछ परिवर्तनों को सुझाव दिया था। निदेशक क्रय एवं भंडार द्वारा जून 1994 में भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड से अनुरोध किया गया कि ड्राइव के नक्शे पर निर्णय लिये जाने तक कार्य रोक रखा जाये क्योंकि यह कार्य प्रस्तावित रिऐक्टर के नक्शे पर ही आधारित था। केन्द्र द्वारा जुलाई–अगस्त 1994 में कार्यबल की रिपोर्ट की समीक्षा की गई और क्रय आदेश अक्तूबर 1994 में रद्द कर दिया गया।

आदेश रद्द किये जाने के कारण 64.30 लाख रु. का हर्जाने का दावा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 7 जनवरी 1995 को एक दावा प्रस्तुत किया गया जो कि परियोजना इन्जीनियरी, उपस्कर, निविदा देने पर किये गये कार्य के लिये 64.30 लाख रु की हानि की क्षतिपूर्ति और उप–ठेकेदारों को किये गये भुगतान के रुप में था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 30.14 लाख रु के अग्रिम का समायोजन करने के बाद 34.16 लाख रु के शेष भुगतान की माँग की गई। शेष 34.16 लाख रु का भुगतान नवम्बर 1997 तक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को नहीं किया गया था।

मई 1996-97 में लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित चूकों का पता लगा:–

(i) परमाणु ऊर्जा विभाग और केन्द्र को पता था कि रिऐक्टर के लिये वित्तीय संस्वीकृति वर्ष 2001–2002 के पहले प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। इस प्रस्ताव को योजना आयोग का अनुमोदन भी नहीं प्राप्त हुआ था। ड्राइव के लिये प्रस्तुत की गई माँग में की गई जल्दबाजी अनावश्यक थी क्योंकि प्रस्तावित रिऐक्टर के निर्माण के लिये 12 से 15 वर्षों की आवश्यकता थी जबकि केवल 21 महीनों की अवधि के अन्दर ड्राइव की संरचना की जा सकती थी। अगर उन्होंने उपयुक्त परियोजना नियोजना का प्रयोग किया होता तो 64.30 लाख रु. के व्यय को टाला जा सकता था।

(ii) केन्द्र और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच समन्वय की कमी थी। रिऐक्टर के नक्शा पैरामीटरों पर अन्तिम फैसला किये जाने तक ड्राइव की खरीद प्रक्रिया पर मन्द गति से चलने के लिये निदेशक क्रय एवं भंडार को नहीं कहा गया। इसके अतिरिक्त, 22 मार्च 1994 को कार्यबल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद, निदेशक क्रय एवं भंडार द्वारा 29 मार्च 1994

को भुगतान किये गये 30.14 लाख रु के अग्रिम को रोका नहीं गया। रिऐक्टर के नक्शे में परिवर्तन के कारण क्रय आदेश को रद्द करने की कार्यवाही बहुत देर से अक्टूबर 1994 में हुई थी।

आदेश निरस्त किये जाने के कारण 34.16 लाख रु. की प्रोदभूत दायित्व के अतिरिक्त, 30.14 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया

इस प्रकार, रिऐक्टर के नक्शा पैरा मीटरों को अन्तिम रुप देने और ड्राइव की तुरन्त कोई आवश्यकता नहीं थी इस पर विचार से पहले क्रय आदेश प्रस्तुत किये जाने से न केवल 30.14 लाख रु का अग्रिम भुगतान निष्फल हो गया अपितु, प्रोद्भूत देयता के रुप में भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड से 34.16 लाख रु का दावा भी प्राप्त किया। केन्द्र द्वारा यह तथ्य मई 1997 में उद्भूत हुये।

इस मामले के बारे में विभाग को अगस्त 1997 में लिखा गया था परन्तु जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

अध्याय 4 जैव–प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 निर्धारित पावर फैक्टर बना रखने की विफलता के कारण परिहार्य व्यय

निर्धारित पावर फैक्टर बना रखने के लिए उपयुक्त उपस्करों के लगाने में विफलता के परिणामत: 14.67 लाख रु का परिहार्य शास्तिक भुगतान हुआ

राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान, दिल्ली ने विद्युत प्रदाय संस्थान के साथ एक समझौता किया जिसमें 0.85 पावर फैक्टर बना रखने में विफलता की में स्थिति शास्तिक भुगतान की व्यवस्था थी

राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थानं, नई दिल्ली ने पूर्व दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान, अब दिल्ली विद्युत बोर्ड के साथ अप्रैल 1986 में 888 के डब्लू के बिजली लोड के लिए समझौता किया। समझौते के शर्तो के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान द्वारा 0.85 के न्यूनतम पावर फैक्टर को सुनिश्चित किया जाना था, आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा यथा अनुमोदित डिजाइन के कैपासिटर पैनल जैसे उपयुक्त उपस्कर अपनी लागत पर लगाना था। समझौते में राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम पावर फैक्टर बना रखने में उनकी विफलता की स्थिति में बिजली के बिलों के ऊपरी समायोजन की भी व्यवस्था थी।

1.62 लाख रू. की लागत के कैपासिटर पैनल प्रतिष्ठापित करने में विलम्ब के कारण पावर फैक्टर बना रखने में राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान की विफलता के परिणाम स्वरूप, 14.67 लाख रू. की शास्ति का भुगतान हुआ

अप्रैल 1992 से अगस्त 1996 के बीच बिजली की खपत के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को किये गये भुगतानों की समीक्षा से देखने में आया कि इस प्रयोजन के लिए कैपासिटर पैनल न लगाने के कारण निर्धारित न्यूनतम पावर फैक्टर बना रखने में विफलता के परिणाम स्वरूप, कुल 14.67 लाख रु का शस्तिक भुगतान करना पड़ा था। यद्यपि, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अप्रैल 1992 से शास्ति लगाना शुरू कर दिया था लेकिन राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान द्वारा इस समस्या के हल के लिए लगभग एक वर्ष के बाद मार्च 1993 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इस समस्या के तुरन्त हल करने के स्थान पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान द्वारा अपनी पूरी बिजली प्रणाली में सुधार के कार्यक्रम के भाग के रूप में इसको शामिल किया गया जो 61.68 लाख रु की कुल लागत पर नवम्बर 1996 में पूरा हुआ था। इसमें से, केवल 1.62 लाख रु कैपासिटर पैनल लगाने पर खर्च हुआ था। अन्तरिम अवधि मे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान द्वारा, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (अब दिल्ली विद्युत बोर्ड) द्वारा मासिक बिलों के माध्यम से मांगी गई शास्ति का भुगतान किया जाता रहा।

विभाग द्वारा सितम्बर 1997 में बताया गया कि जब से यह समस्या देखने में आई इस संस्थान द्वारा इस समस्या के हल के लिए प्रयास किये गये और घरेलू उपाय अपना कर लगभग दो वर्षों तक यह सफल भी रहा और उसके बाद आवश्यक उपाय समय से किये गये। यद्यपि, यह तथ्य है कि कैपासिटर पैनल के प्रतिस्थापन जिसके लिए केवल 1.62 लाख रू. की आवश्यकता थी को समग्र ग्रेड उन्नयन योजना के साथ नहीं जोड़ा गया था, तथापि, शास्ति के रूप में अदा किये गये 14.67 लाख रु का भुगतान टाला जा सकता था।

अध्याय 5 इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

5.1 संघटक के रूप में आयात विकल्प वाली अनुसंधान विकास परियोजनाएं

5.1.1 विषय–प्रवेश

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का गठन सचिवालयीय कार्यों को करने और इलेक्ट्रॉनिकी आयोग द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिये निष्पादन एजेन्सी के रूप में फरवरी 1971 में हुआ था। मई 1989 में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के बन्द हो जाने के पश्चात्, नीति निर्माण का दायित्व भी इलेक्ट्रॉनिकी विभाग पर आ गया। आयात प्रतिष्ठापन, जो पूर्व में वरीयता क्षेत्र था, आठवीं योजना अवधि 1992-97 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विभिन्न अनुसंधान–विकास परियोजनाओं के एक घटक के रूप में जाना जा रहा है।

5.1.2 लेखापरीक्षा–क्षेत्र

इस समीक्षा में 1992–97 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इन अनुसंधान–विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नूमना जाँच के परिणाम भी समाहित हैं जिसमें विशेष रूप से एक घटक के रूप में आयात स्थानापन्न को सम्मिलित किया गया था क्योंकि इनमें आर्थिक लाभ की उपेक्षा की गई थी। इस परियोजन के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की निम्नलिखित पाँच सलाहकार समितियाँ जिनको प्रौद्योगिकी विकास, स्ट्रेटिजिक इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्मइलेक्ट्रॉनिकी, फोटोनिक विकास और इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास आदि से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जाँच की गई थी:–

(i) प्रौद्योगिकी विकास समिति
(ii) राष्ट्रीय रडार समिति
(iii) राष्ट्रीय सूक्ष्म–इलेक्ट्रॉनिकी समिति
(iv) इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास समिति
(v) राष्ट्रीय फोटोनिक्स समिति

इन समितियों में से प्रत्येक ने अपने अधीन आने वाले कार्यकलापों को नियोजित किया और अनुसंधान–विकास कार्यकलापों के लिये अलग बजट दिया था।

5.1.3 मुख्य–मुख्य बातें

- 113.80 लाख रु वाली तीन परियोजनाओं में व्यय निष्फल हो गया था क्योंकि विभाग द्वारा अनुसंधान परिणामों का प्रयोग नहीं किया जा सका।

(पैरा 5.1.4 (क))

- 17.36 लाख रु के अनुदान और 72.00 लाख रु के ऋण वाली दो परियोजनाओं में अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति न होने के कारण व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, ब्याज सहित ऋण की सारी रकम को भारतीय समुद्री और संचार इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से अभी भी वसूल किया जाना था।

(पैरा 5.1.4 (ख))

- 873.34 लाख रु की लागत से पूरी हुई 31 अनुसंधान–विकास आयात स्थानापन परियोजनाओं में से (समय पूर्व बन्द हुई दो को छोडकर) केवल दस को उद्योग को अन्तरित किया गया था, और चार मामलों में प्रौद्योगिकी अन्तरण प्रगति पर था। 374.75 लाख रु लागत पर पूरे किये गये 17 मामलों में, प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं शुरू की गई थी। उद्योग को अन्तरित की गई 10 आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं में से केवल 5 का वाणिज्यीकरण किया जा सका। आयात प्रतिस्थापन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा की वास्तविक बचत के ब्यौरे इक्ठ्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(पैरा 5.1.5)

5.1.4 आयात प्रतिष्ठापन परियोजनायें

1992-97 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा आयात प्रतिस्थापन परियोजनाओं का एक सर्वेक्षण कराया गया था ताकि इस परियोजना विशेष के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सके। प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण और अन्तरण द्वारा आयात प्रतिस्थापन/विदेशी मुद्रा की बचत विकसित करने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की सफलता के विस्तार निर्धारित करने के लिए संबन्धित अभिलेखों की जाचँ की गई थी। 1992-97 के दौरान, राष्ट्रीय सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी समिति, इलेक्ट्रॉनिकी साम्रगी विकास समिति और राष्ट्रीय फोटोनिक्स समिति द्वारा कोई भी आयात प्रतिस्थापन परियोजना नहीं शुरू की गई थी। दो सलाहकार समितियों (प्रौद्योगिकी विकास समिति तथा राष्ट्रीय रडार समिति) के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा परिक्षण से निम्नानुसार पता लगा:

प्रौद्योगिकी विकास समिति वर्ग द्वारा वित्तपोषित 9 परियोजनायें 6 से 45 महीने अधिक चलने के बाद पूरी हुई। 3 परियोजनाओं की लागत 11.88 लाख रु. अधिक हुई

(क) पूर्व योजना अवधि के दौरान मंजूर की गई आठ परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी विकास समिति ने 23 आयात प्रतिस्थापन परियोजनाओं के लिए 475. 47 लाख रुपये का अनुदान विमोचित किया। इनमें से 190.99 लाख रु लागत की पिछली योजना से चालू सात परियोजनाओं सहित 12 परियोजनाए पूरी की गई थी और तीन लाख रुपये लागत की एक परियोजना जल्दी बन्द कर दी गई थी। यह देखा गया था कि नौ परियोजनाए समय से छ: से पैतालिस महीनें बाद पूरी की गई थी और तीन परियोजनाएं अनुमानित लागत से 11.88 लाख रुपया अधिक से (21.94 %) पूरी की गई थी। शेष 10 चालू परियोजनाओं में से, मार्च 1997 तक छ: परियोजनाए तीन से 60 महीने तक समय से पीछे थी। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि परियोजना से जुड़े तकनीकी कार्मिकों की गतिशीलता, आयात में विलम्ब तथा अन्य अदृष्ट तथ्यों के कारण समयलक्ष प्राप्त करने में बाधा पड़ती है।

नमूना जाँच किये जाने पर, निम्नलिखित तीन मामलों में कुल 113.80 लाख रु का निष्फल व्यय देखने में आया जिसमें एक घटक के रूप में आयात प्रतिष्ठापन था:

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने बिना सामान्य मूल्यांकन तंत्र परियोजना के बारे में पूरे ब्यौरो और उत्पाद के लिये सम्भावित बाजार की खोज का अनुसरण किये परियोजनाओं का अनुमोदन किया

(i) विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भरता कम करने के लिये हार्डवेयर विकसित करने के लिये, आयात प्रतिष्ठापन प्राप्त करने के लिये और रख-रखाव के भारी दायित्व से फिल्म स्टुडियों को मुक्त होने में मदद करने के लिये, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1988 में केन्द्र को तीन साल की अवधि

में 77 लाख रु का वित्तीय समर्थन अनुमोदित किया। यह समर्थन इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के माध्यम से प्रदान किया गया था जिसे इलेक्ट्रॉनिकी से सम्बन्धित उपस्कर में तकनीकी सहायता और आवश्यक विकास–अनुसंधान भी प्रदान करना था। यह प्रस्ताव, बिना सामान्य मूल्यांकन प्रणाली का अनुसरण किये, बिना परियोजना के सम्बन्ध में पूरे विवरण प्राप्त किये और उत्पाद के लिये संम्भावित बाजार के प्रश्न न देखे हुये मंजूरी दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मार्च 1989 और सितम्बर 1992 के बीच 70.50 लाख रु चित्रण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र को दिया गया था। यह परियोजना सफल नहीं हुई और एक समीक्षा समिति ने इस आधार पर कि यह प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ गई थी, अक्तूबर 1994 में पूरी परियोजना को बन्द कर देने की सिफारिश की।

परियोजना का उपयुक्त मूल्यांकन करने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की विफलता के कारण 70.50 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई थी

इस प्रकार, बिना उचित मूल्यांकन उत्पादों के लिये बिना सम्भावित बाजार का पता लगाये हुये तथा सम्बन्धित सॉफ्ट वेयर के साथ उपस्कर और अन्य इंजीनियरीकृत प्रोटोटाइपों को इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास केन्द्र को अन्तरण के लिये समीक्षा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामवरूप, इस परियोजना पर 70.50 लाख रु का व्यय निष्फल हो गया। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि चित्रण प्रौद्योगिकी केन्द्र ने सफल उत्पादन प्राप्त करने के लिये परियोजना के समय को मार्च 1998 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने डिजिटल मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित करने के लिये 18 महीने की अवधि के लिये एक परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र, पुणे को नवम्बर 1993 में मंजूर किया। 90 लाख रु की कुल परियोजना कीमत में से, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को 30 लाख रु तक आर्थिक सहायता देनी थी जिसे अप्रैल 1994 से मार्च 1996 के बीच विमोचित किया गया था और यह अपेक्षा की गई थी कि यह परियोजना एक बार पूरी हो जाने पर लाखों रु मूल्य की विदेशी मुद्रा बचायेगी। जब परियोजना प्रगति पर थी तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र के परियोजना कर्मचारियों को बदल कर उनके साथ मिल जाने पर इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद को सितम्बर 1995 में भेज दिया। यह देखते हुये कि उनके साथ मिल जाने के बाद परियोजना उपयुक्त प्रगति नही कर रही थी, तो संचालन समिति ने सितम्बर 1996 में हुई उसकी चौथी बैठक में परियोजना के समय को बढ़ाकर अक्तबर

1996 तक करने और 3.40 लाख रु अतिरिक्त देने की सिफारिश की। मई 1997 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा परियोजना की समीक्षा के लिये जिसने अधिकारियों का एक दल भेजा गया, तेजी से बदलते हुये परिवेश में इस परियोजना के प्रासंगिकता पर संदेह किया और परियोजना को बन्द करने का सुझाव दिया। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने परियोजना के भाग्य पर अभी तक कोई फैसला नही किया था।

विलय के समय स्पष्ट रूप से ब्यौरे बनाने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की विफलता के कारण 33.40 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया

इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान–विकास केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र के साथ मिल जाने के समय परियोजना के पूरे किये जाने के लिये स्पष्ट रूप रेखा तय करने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की मजबूरी के कारण दो वर्ष का समय अधिक लग जाने के बावजूद डिजिटल मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रोटोटाइप के विकास में विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना पर किया गया, 33.40 लाख रु का व्यय निष्फल रहा और विदेशी मुद्रा किसी प्रकार की बचत करने में सफल नही हुआ। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था और बचे हुये 30 प्रतिशत कार्य के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का विचार था कि उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र, थिरूअनन्तपुरम अथवा पुनवायर, मोहाली के माध्यम से बाजार में लाया जाये।

(iii) ट्रांसफारमरों जैसे संयुक्त घटक के लिये थिक फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बहुलपर्त चिप इनडक्टर घटकों को विकसित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मार्च 1993 में दो वर्षों के लिये (जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 1996 तक कर दिया गया था) 9.90 लाख रु की लागत से एक परियोजना मार्च 1993 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को मंजूर किया था। मार्च 1993 से फरवरी 1995 के बीच 9.90 लाख रु निर्मुक्त किया गया था। जुलाई 1996 में अन्तरिम प्रौद्योगिकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय परियोजना अनुसंधानकर्त्ता ने यह कहते हुये कि कुछ और जाँच पड़ताल की जानी है इसलिये दूसरे चरण की मंजूरी माँगी। मूल प्रस्ताव में दूसरे चरण की जाँच पड़ताल का कोई संकेत नही था। परियोजना के अनुसंधानकर्त्ता के निवेदन पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अन्तरिम प्रौद्योगिकी रिपोर्ट के मूल्यांकन अथवा अनुसंधान परिणामों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई कोशिश दिसम्बर 1997 तक नही की गई थी।

वाणिज्यिक संदोहन के लिये अनुसंधान परिणाम के अनुपयोग के कारण 9.90 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि उत्पाद के वाणिज्यीकरण के लिये दूसरे चरण के आर्थिक सर्मथन के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विचार किया जा रहा था। इस प्रकार, जिस परियोजना पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 9.90 लाख रु खर्च कर दिया था उसके परिणाम से कोई लाभ नही उठाया जिसके कारण व्यय से कोई ठोस लाभ नही प्राप्त हुआ।

(ख) राष्ट्रीय रडार समिति ने 1992–97 के दौरान, 23 आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं के लिये अनुसंधान विकास संस्थानों को 203.97 लाख रु का अनुदान दिया जिसमें पूर्वयोजना अवधि के दौरान, 16 परियोजनाओं के लिये अनुमोदित 120.26 लाख रु भी सम्मिलित था। 1992–97 के दौरान, 17 परियोजनायें जिनमें से 15 को पूर्वयोजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था और आठवीं योजना अवधि से सम्बन्धित दो पूरी हुई थी। 42.36 लाख रु के लागत की एक परियोजना समय से पूर्व बन्द हो गई थी 58.77 लाख रु लागत की शेष पाँच परियोजनाये दिसम्बर 1997 तक चालू थी। पूरी हो गई परियोजनाओं में से, 15 परियोजनाये निर्धारित समय सीमा के 3 से 54 महीने ऊपर चली गई थी।

राष्ट्रीय रडार समिति द्वारा समर्थित 15 परियोजनायें 3 से 54 महीने अधिक चलने के पश्चात् पूरी हुई

राष्ट्रीय रडार समिति द्वारा समर्थित दो परियोजनाओं में 17.36 लाख रु का व्यय निष्फल हो गया और 72 लाख रु का ऋण बिना वसूल हुये पड़ा रहा जो निम्नानुसार है:

कोई ठोस प्रगति नहीं देखे जाने के बावजूद, परियोजना समय समय पर पॉच वर्षों के लिये बढ़ाई गई और जल्दी बन्द हो जाने से 17.36 लाख रू. का व्यय निष्फल हो गया। 25 लाख रू. का कर्ज भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्टॉनिकी लिमिटेड से अभी वसूल किया जाना है

(i) मछली पकड़ने की नावों के लिये कम शक्ति वाले रडार डिजाइन करने और विकसित करने के लिये, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 42.36 लाख रु लागत की एक परियोजना को जनवरी 1990 में अनुमोदित किया और उसी महीने में अनुदान के रूप में 17.36 लाख रु निर्मुक्त किया और भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड विशाखापटनम को कर्ज के रूप में 25 लाख रु निर्मुक्त किया। इस परियोजना को 30 महीनों के अन्दर पूरा किया जाना था। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जून 1995 में परियोजना को समय से पूर्व बन्द करने का अन्तिम निर्णय लेने से पहले समय समय पर परियोजना का समय बढ़ाता रहा क्योंकि परियोजना की कोई प्रगति नहीं थी और परियोजना को पूरा करने के लिये उसकी सिफारिशों पर अनुक्रिया करने में भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड विफल रहा। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से समर्थन की पूरी रकम वसूल कर लेने का निर्णय लिया। तथापि, राष्ट्रीय रडार समिति के सलाहकार ने यह कहते

हुये वसूली को प्रास्थगित कर दिया कि भविष्य में भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड को किसी अन्य परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने पर विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि परियोजना समीक्षा और संचालन ग्रुप की विभिन्न सिफारिशों के बावजूद, इस परियोजना से कोई ठोस प्रगति न होने के कारण, यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को जल्दी बन्द कर दिया जाये। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय समुद्री और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड को निर्मुक्त किया गया 17.36 लाख रु का अनुदान निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, 6 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा बचाने के मौके भी समाप्त हो गये। ब्याज सहित 25 लाख रु का ऋण जो जुलाई 1994 तक वसूल किया जाना था दिसम्बर 1997 तक भारतीय समुद्रीय और सूचना इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से वसूल नहीं किया गया था।

प्राप्त हुआ अनुसंधान परिणाम परियोजना प्रस्ताव के अनुसार नहीं था और परियोजना के परिणाम से सिस्टम के आयात पर निर्भरता में कमी नही हुई और भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से 47 लाख रु. का कर्ज अभी वसूल किया जाना था

(ii) पाँच वर्षों की अवधि में 200 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा बचाने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मार्च 1991 से मई 1992 के बीच तीन की वर्षों अवधि में कम्प्यूटर प्रजनित दृश्य सिस्टम विकसिक करने के लिये भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड को 47 लाख रु का ऋण निर्मुक्त किया। यह परियोजना मार्च 1994 में समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय रडार समिति की अगस्त 1996 की स्थिति रिपोर्ट से पता लगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड ने दृश्य डेटाबेस जेनरेशन सॉफ्ट वेयर विकसित किया था जिसके साथ एडिटिंग कार्यों और पुस्तकालय सृजन की सुविधा थी। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की फाइलों में ऐसा कुछ नही था जिससे पता लगे कि इस परियोजना के अधीन यथानियोजित कमप्युटर प्रजनित दृश्य सिस्टम विकसित करने में भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड सफल था।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने अपने दिसम्बर 1997 में बताया कि इस परियोजना में अपने प्रस्तावों में सम्मलित किये गये सभी उद्वेश्यों को प्राप्त कर लिया था। तथापि, तथ्य यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड केवल दृश्य डेटाबेस प्रजनन सॉफ्टवेयर विकसित करने में सफल हुआ न कि कम्पयूटर प्रजनित दृश्य सिस्टम में और जैसा कि परियोजना प्रस्ताव में दिखाया गया था कि इस सिस्टम के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में परियोजना के परिणाम से कोई मदद नही मिलती। इसके अतिरिक्त, मार्च 1996 तक ब्याज के साथ वसूल किये जाने वाला 47 लाख रु का कर्ज दिसम्बर 1997 तक भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड से वसूल नही किया गया था।

5.1.5 प्रौद्योगिकी विकास, अन्तरण और वाणिज्यीकरण

आठवीं योजना दस्तावेज में दिखाये जाने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की विभिन्न समितियों ने 1992–97 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या और वित्त की मात्रा से पता लगता है कि आयात प्रतिष्ठान परियोजनाओं को कम वरीयता दी गई। आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं के ध्यानाकर्षित करने वाली नियोजना की कमी का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विकसित और वाणिज्यिक रूप से उपयोग की गई प्रौद्योगिकियों के कम संख्या से प्रदर्शित होता है जो निम्नानुसार है:

(लागत लाखों में)

समिति का नाम	आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाये									
	पूरी की गई		अन्तरित		अन्तरित प्रौद्योगिकी मे से वाणिज्यीकृत		विकासशील प्रौद्योगिकी		प्रतीक्षित अनुगामी कार्यवाही	
1	2		3		4		5		6	
	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	उत्पादन लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
टी डी सी	12	190.99	4	86.30	2	330.00	3	34.65	5	70.04
एन आर सी	17	646.21	6	340.54	3	278.00	1	37.10	10	268.57
एन एम सी	02	36.14	-	--	-	--	-	--	2	36.14
ई एम डी सी	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--
एन पी सी	--	--	-	--	-	--	-	--	-	--
कुल	31	873.34	10	426.84	5	608.00	4	71.75	17	374.75

प्रौद्योगिकी विकास समिति द्वारा सहायता प्राप्त 12 पूरी हुई परियोजनाओं में से केवल 2 में प्रौद्योगिकी का अन्तरण और वाणिज्यीकरण हुआ और 5 मामलों में तकनीकी जानकारी के अन्तरण के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी

(क) 190.99 लाख रु के व्यय वाली 12 आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास समिति ने धन दिया था वह 1992–97 के दौरान पूरी हुई थी। उनमें से 86.30 लाख रु लागत की चार परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी अन्तरित करने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सफल हुआ। 34.65 लाख रु लागत के तीन मामलों में प्रौद्योगिकी अन्तरण का कार्य प्रगति में था। 49.53 लाख रु की लागत के तीन अन्य मामलों में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी यद्यपि, इनको जून 1995 से दिसम्बर 1996 के मध्य विकसित किया गया था। 20.51 लाख रु के खर्च वाले शेष दो मामलों में परियोजना अनुसंधानकर्त्ता ने मई और जुलाई 1996 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सम्पर्क किया था कि परियोजना के आगे विकास के लिये दूसरे चरण के लिए वित्तपोषण के लिये किया जाये, परन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का उत्तर दिसम्बर 1997 तक

नही प्राप्त हुआ था। चार अन्तरित प्रौद्योगिकीयों में से, केवल दो का वाणिज्यीकरण हुआ था। चार प्रौद्योगिकियों के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा बचत का चार से पाँच वर्षों के दौरान 22.64 करोड़ रु था जिसके विपरीत ऊपर चर्चित दो प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण का परिणाम अगस्त 1996 तक 3.30 करोड़ रु मूल्य के उत्पादन में हुआ। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि तीन मामलों में प्रौद्योगिकी अन्तरण वाणिज्यीकरण के लिये विचाराधीन थे और दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित समितियों और कार्यदलों की सिफारिशें द्वित्तीय चरण के कार्यों के लिये अनुमोदित नहीं हुई थी।

राष्ट्रीय रडार समिति द्वारा वित्त पोषित पूरी हुई 17 परियोजनाओं में से 3 मामलों में वाणिज्यीकरण हुआ और 10 मामलों में प्रौद्योगिकी जानकारी अन्तरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई

(ख) राष्ट्रीय रडार समिति द्वारा वित्तसमर्पित 17 आयात प्रतिष्ठापन परियोजनायें जो 646.21 लाख रु की लागत से पूरी हुई थी में से 340.54 लाख रु लागत के छ: मामलों में ही प्रौद्योगिकी अन्तरण हुआ था। 268.57 लाख रु लागत के 10 मामलों में प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिये राष्ट्रीय रडार समिति ने कोई कार्यवाही नहीं शुरू किया था जबकि 37.10 लाख रु लागत के एक मामले में जुलाई 1997 में कार्यवाही की जा रही थी। छ: अन्तरित प्रौद्योगिकियों में से केवल तीन से उत्पादन किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा बताये अनुसार अगस्त 1996 तक 2.78 करोड़ रु मूल्य का उत्पादन हुआ था।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि शेष परियोजनायें जिनका वाणिज्यीकरण नही हो पाया था तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास वर्ग से सम्बन्धित थी। तथापि, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा सम्बन्धित उद्योग में देसी उत्पादन स्तरों की मॉनीटरिंग नहीं किये जाने के कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि इन परियोजनाओं से देसी उत्पादन में प्रौद्योगिकी/तकनीकी सुधार में मदद मिल रही थीं।

आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं में से विदेशी मुद्रा की वास्तविक बचत के ब्यौरे का सग्रहग करने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कोई सर्वेक्षण नही किया था

(ग) यद्यपि, परियोजना प्रस्तावों में विदेशी मुद्रा की बचत को आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं से होने वाले लाभों में से एक लाभ के रूप में देखा गया था। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जुलाई 1997 तक विदेशी मुद्रा की वास्तविक बचत के ब्यौरों को इकटठा करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया था जो ऐसी परियोजनाओं के परिणाम के कारण हुई थी।

अन्तरित की गई 10 प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुये प्रीमियम तथा रॉयल्टी के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे

(घ) 1992–97 के दौरान, उद्योग को अन्तरित 10 प्रौद्योगिकीयों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्राप्त किये गये प्रीमियम और रॉयल्टी के ब्यौरे दो के अतिरिक्त किसी के बारे में उपलब्ध नही थे। उन मामलों में भी प्रौद्योगिकी

अन्तरण शुल्क के रूप में स्वीकार किये गये 10 लाख रु में से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को केवल एक मामले में 2.25 लाख रु प्राप्त हुआ था और अन्य मामलों में निष्पादन एजेन्सी को 6 लाख रु का प्रौद्योगिकी अन्तरण शुल्क अपने पास रख लेने की अनुमति दी गई थी। शेष 1.75 लाख रु की रकम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अभी वसूल की जानी थी।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिसम्बर 1997 में बताया कि अनुसंधान–विकास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिये प्रीमियम और रॉयल्टी की कोई व्यवस्था नही थी। 1.75 लाख रु की वसूली करने के लिए आवश्यक अनुगामी कार्यवाही की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि सहायता अनुदान शासी शर्तों में यह व्यवस्था है कि तकनीकी जानकारी, रॉयल्टी आदि की बिक्री से हुई कोई प्राप्ति सरकार को उदभूत होगी।

सारांश में, 873.34 लाख रु की लागत से पूरी की गई 31 परियोजनायें (समय पूर्व बन्द की गई दो को छोड़कर), 17 मामलों (374.75 लाख रु.) में प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं शुरू की गई थी और केवल पाँच परियोजनाओं की प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण किया जा सका। इस प्रकार, रुपये का मूल्य नहीं प्राप्त हुआ था और इन आयात प्रतिष्ठापन परियोजनाओं के परिणाम का प्रभाव जो सामान्य अवधि में उत्पादन मूल्य और विदेशी मुद्रा की बचत पर गुणात्मक प्रभाव डाल सकता था, साधारण था।

6.1 परिहार्य व्यय

शीघ्र आवश्यकता के आधार पर, एक परेषण के एक भाग को हवाई जहाज द्वारा मंगाने पर 10.32 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया गया। तथापि, आदेश प्रस्तुत करने में विलम्ब और तदन्तर साख–पत्र खोलने में विलम्ब से प्रयोजन समाप्त हो गया।

ज्युसिंक्रनस सैटेलाइट लांच वैहिकल के लिये फिन्स की संरचना के लिये 40 एल्युमिनियम एलॉय प्लेटों की आपूर्ति के लिये विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थिरूअनन्तपुरम् द्वारा नवम्बर, 1993 में एक मांग–पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिसम्बर 1993 में 14 फर्मों से सीमित निविदा पूछताछ किये जाने के विपरीत, जनवरी 1994 में 4 फर्मों ने अपनी दरें प्रस्तुत की। यद्यपि, इन निविदाओं की जाँच फरवरी 1994 में की गई थी, खरीदने की सिफारिश क्रय अधिकारी को दो महीने बाद अप्रैल 1994 में सूचित की गई थी। इस आपूर्ति का एक भाग अति आवश्यक बताये जाने के कारण, केन्द्र द्वारा 10 प्लेंटें हवाई जहाज से लाने का फैसला मई 1994 में किया गया। शेष मात्रा को समुद्र से भेजने का आदेश किया गया था। केन्द्र द्वारा डी एम 205632 (37.47 लाख रू.) पोत पर्यन्त नि:शुल्क के सममूल्य कीमत का क्रय आदेश अन्य दो महीने लेकर जुलाई 1994 में प्रस्तुत किया गया। आपूर्ति 31 अक्तूबर 1994 के पहले पूरी की जानी थी।

यह आपूर्ति मिल जांच प्रमाण–पत्र के अर्न्तगत होनी थी, पूर्व निर्धारित अन्य पक्ष द्वारा रसायनिक मशीनी, धातुकर्मीय पराश्रव्य, दृश्य और विस्तारीय निरीक्षणों के ब्योरों को प्रमाणित किया जाना था।

तथापि, नवम्बर 1994 तक इन प्लेटों की जाँच का प्रश्न आपूर्तिकर्ता के साथ हल नही हो सका था, साख–पत्र जनवरी 1995 में ही खुला था। हवाई जहाज से आने वाला 10 प्लेटों का प्रथम परेषण अप्रैल 1995 में ही बंगलौर हवाई अड्डे पर पहुँचा था। 10.65 लाख रु का हवाई भाड़ा दिया गया था और जून 1995 में परेषण को छुड़ाया गया था। समुद्र से भेजा गया 30 प्लेटों का दूसरा परेषण उसके शीघ्र बाद मई 1995 में आया था और उसे जुलाई 1995 में छुडाया गया था। 1 अगस्त, 1995 को हवाई जहाज और समुद्र से आई इुई

सभी प्लेटों का निरीक्षण साथ–साथ हुआ था और उनको उसी महीने में जारी कर दिया गया था।

प्रत्यक्षत:, प्रथम 10 प्लेटों को हवाई जहाज द्वारा मँगाये जाने की कोई आवश्यकता नही थी। यद्यपि, मई 1994 में आवश्यकता महसूस की गई थी, जुलाई 1994 में आदेश प्रस्तुत किये गये थे तथा जनवरी 1995 में ही साख–पत्र खोला जा सका था। केन्द्र द्वारा इस अति आवश्यकता पर जनवरी 1995 में पुनर्विचार किया जा सकता था और आदेश को संशोधित किया जा सकता था और आदेश को अति आवश्यकता के परिणाम स्वरूप, 10 प्लेटों के हवाई भाड़े और समुद्री भाड़े से अन्तर कर समानुपातिक आधार पर 10.32 लाख रु अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभाग द्वारा, नवम्बर 1997 में बताया गया कि 25 प्रतिशत प्लेटों की मात्रा को हवाई मार्ग द्वारा लाने पर किया गया व्यय परिहार्य नही माना जा सकता था क्योंकि हवाई मार्ग से प्राप्त हुई साम्रगी से इन प्लेटों के मशीनी सिड्यूलों को नियोजित करने और फिन संरचना के विकास में परियोजना को पर्याप्त मदद मिली थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि हवाई और जलमार्ग से प्राप्त हुई सभी प्लेटों का 1 अगस्त 1995 को साथ ही साथ निरीक्षण किया गया और उसी महीने में जारी किया गया था।

6.2 मुद्रा अंकन में परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान

लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र, वलियामला द्वारा एक विदेशी फर्म को 200709 अमरीकी डालर के स्थान पर 200709 पौंड का साख–पत्र खोलने के परिणामस्वरूप, फर्म को 34.91 लाख रु का अधिक भुगतान हुआ।

लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र ने 200709 अमरीकी डालर की लागत की फोर्जिंगों की आपूर्ति का एक आदेश विदेशी फर्म को प्रस्तुत किया परन्तु साख–पत्र 200709 पौंड का खोला

अन्तरिक्ष विभाग द्वारा टिटेनियम एलॉय फोरजिंगों का युनाइटेड किंगडम से आयात करने के लिये जनवरी 1995 में 206499.67 अमरीकी डालर (65.27 लाख रु के सममूल्य) की संस्वीकृति जारी की गई। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र, वलियामला द्वारा 200709 अमरीकी डालर मूल्य का एक क्रय आदेश मैसर्स हाईटैक एलॉय लिमिटेड यु. के. को फरवरी 1995 में प्रस्तुत किया गया। जनवरी 1995 में एक माँग–पत्र जारी किया गया और 200709 अमरीकी डालर मूल्य पर फर्म द्वारा मार्च 1995 में स्वीकार किया गया। लिक्विड प्रोपल्शन

सिस्टम केन्द्र के क्रय अनुभाग द्वारा 200709 अमरीकी डालर के स्थान पर 200709 पौंड स्टरलिंग का साख–पत्र खोलने के लिये लेखा अनुभाग को जून 1995 में एक माँग भेजी गई थी। लेखा अनुभाग द्वारा भेजे गये साख–पत्र के आवेदन के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, वलियामला द्वारा 102.08 लाख रु. के सममूल्य 200709 ब्रिटिश पौंड का साख–पत्र जून 1995 में खोला गया।

फर्म ने भारतीय स्टेट बैंक से पौंड स्टरलिंग में भुगतान प्राप्त किया जिसके लिये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र ने 65.27 लाख रू. की बजट व्यवस्था के विपरीत 103.03 लाख रू. विमोचित किया

विदेशी आपूर्तिकर्ता ने जुलाई 1995 में भारतीय स्टेट बैंक, लदंन को पौंड स्टरलिंग में अपना बिल प्रस्तुत किया और बैंक ने भुगतान भी किया। भारतीय स्टेट बैंक, लदंन से बीजक और जहाजरानी दस्तावेजो के प्राप्त होने पर, भारतीय स्टेट बैंक वलियामला द्वारा अगस्त 1995 में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र को दावा प्रस्तुत किया गया। 65.27 लाख रु के बजट के स्थान पर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र द्वारा बैंक प्रभार, ब्याज और भारतीय स्टेट बैंक, वलियामला को कमीशन सहित 103.03 लाख रु का भुगतान किया गया। इन तथ्यों को उच्च अधिकारियेां की जानकारी में नही लाया गया। विदेशी आपूर्तिकर्ता ने प्राप्त किये गये अधिक भुगतान को वापिस करने से सितम्बर 1995 में इन्कार कर दिया। इस प्रकार, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र द्वारा प्रशासनिक भूल के कारण विदेशी फर्म को 34.91 लाख रु का अधिक भुगतान हुआ।

क्रय अनुभाग द्वारा अंकन में परिवर्तन का लेखा अनुभाग द्वारा पता नहीं लगाया जा सका

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि साख–पत्र खोलने के लिये लेखा अनुभाग को क्रय अनुभाग द्वारा अपने पत्र में मुद्रा अंकन (डालर के स्थान पर पौंड) में परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान हुआ। साख–पत्र खोलने के समय लेखा अनुभाग द्वारा अंकन में परिवर्तन नही देखा गया। क्रय/लेखा अनुभागों में चेक लिस्ट प्रणाली के अभाव के कारण ऐसा हुआ। लेन–देन के प्रत्येक चरण में दोनों अनुभाग भूल को देख पाने में विफल रहे।

अर्न्तग्रस्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय इंन्क्वायरी पूरी नहीं हुई

प्रशासनिक भूलों की पहचान किये जाने, और यह पता लगाने कि क्या उपयुक्त कार्यवाही के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई मामला बनता था, सितम्बर 1995 में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा एक प्राथमिक जांच का आदेश दिया गया था। प्राथमिक जाँच के आधार पर संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। अक्तूबर 1997 तक कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी।

विभाग द्वारा दिसम्बर 1997 में यह माना गया कि कुछ अधिकारियों और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केन्द्र के अधिकारियों द्वारा चूक हुई थी, जिनके खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही हो रही है। यह और बताया गया कि

इस फर्म के खिलाफ लंदन के पुलिस अधिकारियों के पास अपराधिक मामला दर्ज करने के लिये शिकायत फाइल की जाने वाली थी। तथापि, तथ्य यह है कि तुरन्त कार्यवाही करने के स्थान पर, विभाग ने जनवरी 1998 तक लगभग ढ़ाई वर्षों से मामले पर पहले ही विलम्ब कर दिया है।

7.1 सीमा शुल्क का अधिक भुगतान

उच्चतर दर से सीमा शुल्क के भुगतान का परिणाम 16.95 लाख रु के अधिक भुगतान में हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 कमपैक्ट फेसीमाइल रिकार्डरों की आपूर्ति का आदेश अमरीका स्थित फर्म को दिया उनका प्रयोग सैकेन्ड्री डेटा युटीलाइजेशन सेन्टरों में बादलों के सैटेलाइट चित्रों को रिकार्ड करने के लिये किया जाना था

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 73.87 लाख रु के सममूल्य 2,34,126.40 अमरीकी डालर की लागत पर फालतू और सहायक पुर्जो समेत 25 "एल्डेन मॉडल 9315 टी आर टी 128 कम्पैक्ट फेसीमाइल रेकार्डरों'' की आपूर्ति के लिये मैसर्स इंक. इन्टरनेशनल, यु एस ए को फरवरी 1994 में एक आदेश प्रस्तुत किया गया। इन फेसीमाइल रिकार्डरों जिनमें थरमल पेपर का प्रयोग किया गया है की आवश्यकता इनसेट–। सैटेलाइट के माध्यम से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त किये गये और सारे देश में स्थित 23 सैकेन्ड्री डेटा युटीलाइजेशन सैन्टरों को पुर्नसंचारित बादलों के चित्रों को अधिकृत करने के लिये आवश्यकता थी। एक रिकार्डर अप्रैल में और शेष 24, अगस्त 1994 में प्राप्त हुये थे।

निर्धारित दरों से उच्च दरों पर सीमा शुल्क निर्धारित किये जाने के कारण 16.95 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ

इन रिकार्डरों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (अनुसूची) की प्रथम अनुसूची के भाग XVIII में उपशीर्षक 9015.80 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना था तथा 60 प्रतिशत की दर से बेसिक और 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाई जानी थी। अप्रैल 1994 में प्राप्त हुए एक रिकार्डर को भारतीय मौसम विभाग द्वारा नियुक्त किये गये कस्टम हाउस एजेन्ट द्वारा भूल से उपशीर्षक 8471.10 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इस उपशीर्षक 8471.10 के अन्तर्गत हाईब्रिड आटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनें आती है और 65 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क और 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाई जानी थी। इसका परिणाम 0.38 लाख रु के सीमा शुल्क के अधिक भुगतान में हुआ। अगस्त 1994 में प्राप्त हुए शेष 24 रिकार्डरों को उपशीर्षक 9015.80 के अन्तर्गत सही वर्गीकृत किया गया था परन्तु 60 प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क और 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क की लागू दर के स्थान पर 65 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से क्रमश: बेसिक सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, गलत दरें लागाई जाने के कारण 16.57 लाख रु के सीमा शुल्क का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार, 25 रिकार्डरों के आयात पर

सीमा शुल्क पर 16.95 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

विभाग द्वारा अगस्त 1997 में बताया गया कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बिल ऑफ एन्ट्री के सत्यापन के अनुसार सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था और सीमा शुल्क के अधिक भुगतान की वापसी का मामला सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ उठाया जायेगा। तथापि, भारतीय मौसम विभाग की प्रस्तावित कार्यवाही सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ भुगतान की वापसी का दावा प्रस्तुत करने की प्रस्तावित कार्यवाही को बहुत विलम्ब हो चुका है क्योंकि ऐसी वापसियों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा बीत चुकी हैं।

7.2 परिहार्य व्यय

बिजली की खपत के लिए अधिकतम ठेकागत मांग को घटाने के लिए समय से कार्यवाही करने और निर्धारित सीमा तक पावर फैक्टर बनाये रखने की विफलता का परिणाम 12.97 लाख रु के परिहार्य भुगतान और शास्ति में हुआ।

विभाग के अनुरोध पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने जून 1993 में 175 के डब्लु से बढ़ाकर पावर लोड 400 के डब्लु कर दिया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे के अतिरिक्त महानिदेशक मौसम विज्ञान (अनुसंधान) ने कम्प्युटर सिस्टम और वातानुकूलन संयन्त्र के विस्तार के कारण अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पॉवर लोड 175 से 400 के डब्लू तक बढ़ाने के लिए अप्रैल 1992 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से सम्पर्क किया। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने पावर लोड को 400 के डब्लु तक बढा दिया। साथ ही, जून 1993 में अधिकतम ठेकागत मांग को भी 425 के डब्लु कर दिया।

बिजली आपूर्ति की शर्तों में ठेकागत मांग का न्युन्तम भुगतान 75 प्रतिशत की व्यवस्था थी

महराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति की शर्तो में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था थी कि अधिकतम ठेका गत मांग का कम से कम 75 प्रतिशत उपभोक्ता को प्रभारित किया जायेगा।

विद्युत खपत ठेकागत मॉग से बहुत कम थी

लेखापरीक्षा में यह टिप्पणी की गई थी कि जून 1993 से मार्च 1997 दौरान अधिकतम नियत मासिक मांग 425 के डब्लु की ठेकागत मांग से बहुत कम थी और 166 के डब्लु से 280 के डब्लु के बीच (जुलाई 1993 में 24 के डब्लु को छोड़ कर) घटती बढ़ती रही। फिर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को 319

के डब्लु पर (ठेका गत मांग का 75 प्रतिशत) मांग प्रभार का भुगतान करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, जून 1993 से मार्च 1997 के दौरान, वास्तव में खपत न की गई बिजली पर 5.42 लाख रु का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

5.42 लाख रू. का अधिक भुगतान विद्युत खपत के बिना ही किया गया था

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति की शर्तो में यह भी व्यवस्था थी कि कैपासिटरों को लगाकर 0.90 के न्यूनतम मासिक पॉवर फैक्टर को बना रखा जाये। निर्धारित मानक से वास्तविक पावर फैक्टर, कम रहने पर, प्रत्येक 0.01 की पावर फैक्टर में आई कमी पर मासिक ऊर्जा बिल के एक प्रतिशत की दर से शास्ति दी जानी थी।

समझौते में शास्तिक प्रावधान के बावजूद, सितम्बर 1996 में लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आवश्यक पावर फैक्टर बनाये रखने के लिये कैपासिटर लगाये जाने के सबन्ध में कोई प्रभावी कदम नही उठाये गये थे। 1.52 लाख रु की कीमत के कैपासिटर जनवरी 1997 में लगाये गये थे। कैपासिटरों के लगाये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप, मई 1991 से जनवरी 1997 के दौरान विभाग द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को 7.55 लाख रु का शास्तिक भुगतान करना पड़ा था।

लेखापरीक्षा के आग्रह पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जनवरी 1997 में कैपासिटर प्रतिष्ठापित कराये थे। कैपासिटरों के प्रतिष्ठापन में भारतीय मौसम विभाग द्वारा विलम्ब के परिणामस्वरूप 7.55 लाख रू. की शास्ति लगाई गई

इस प्रकार, बिजली की ठेकागत माँग को घटाने और पावर फैक्टर बढ़ाने के लिये कैपासिटरों को लगाये जाने के लिये समय से कार्यवाही करने में उन की विफलता के परिणामस्वरूप, 7.55 लाख रु की शास्ति सहित 12.97 लाख रु का परिहार्य भुगतान हुआ।

अतिरिक्त खर्च और शास्ति परिहार्य थे

अतिरिक्त महानिदेशक मौसमविज्ञान (अनुसंधान), पुणे द्वारा जून 1997 में बताया गया कि अतिरिक्त पावर लोड संगनित करते समय भविष्य में वृद्धि योजनाओं को ध्यान में रखा गया था। विभाग के पास बहुतसी ऐसी योजनाओं के विचाराधीन होने के कारण, बिजली की पूरी मात्रा की खपत नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि फरवरी 1997 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि पावर लोड को 400 के डब्लू से घटाकर 250 के डब्लू कर दिया जाये। उनका उत्तर विरोधाभाषी था क्योंकि वह पॉवर लोड बहुत पहले घटा सकते थे। तथापि, निर्धारित पॉवर फैक्टर में कमी की जानकारी होने पर तुरन्त कैपासिटर लगाने में विफल रहे। विभाग इस तथ्य कि संचित शास्ति की रकम से कैपासिटर लगाने की लागत बहुत कम होगी, को महसूस करने में भी विफल रहा।

विभाग का यह कहना कि विद्युत आवश्यकता कम थी क्योंकि सभी प्रसार योजनायें नहीं चल रही थी मान्य नहीं था

यह मामला अगस्त 1997 में विभाग को भेजा गया था, जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

अध्याय 8 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

8.1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में वस्तु–सूची प्रबन्धन

8.1.1 विषय–प्रवेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संगठन है।

अनुसंधान ढाँचे में 49 संस्थान है, प्रत्येक संस्थान एक निदेशक के अधीन होता है, उसके कार्य सम्पादन में सहायता के लिये एक प्रबन्ध बोर्ड/प्रबन्ध समिति है। वस्तुसूची से सम्बन्धित मामलों का सम्बन्ध प्रत्यके संस्थान के भंडार और क्रय विंग से है और सामाग्री और उपस्कर की खरीद से सम्बन्धित मंजूरी की शक्ति संस्थानों के प्रधान में निहित है।

8.1.2 लेखापरीक्षा–क्षेत्र

इस समीक्षा में 1991–1997 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वस्तुसूची के प्रबन्धन से सम्बन्धित मामलों का परीक्षण समाहित है। इस प्रयोजन के लिये 49 में से निम्नलिखित 11 संस्थायें जो कृषि और पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित हैं उनका लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच के लिये चयन किया गया था।

1. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश।
2. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल।
3. भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान, झाँसी।
4. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
6. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
7. केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान, लखनऊ।
8. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली।
9. गेंहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल।
10. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार।
11. केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अवेकानगर, राजस्थान।

8.1.3 मुख्य–मुख्य बातें

– खुली निविदा आमंत्रित किये बिना कुल 1.30 करोड़ रु के क्रय किये गये थे, यद्यपि, प्रत्यके मामलें में लागत 50,000 रु. से ऊपर हो गई।

लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर भंडार और उपस्कर का आयात और एजेन्ट को कमीशन का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने के कारण 40.46 करोड़ रु सममूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ।

परियोजना बन्द हो जाने के बाद 55.40 लाख रु मूल्य के उपस्कर की खरीद के परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रयोजन के लिये उसका उपयोग नहीं हुआ।

(पैरा 8.1.4)

– अतिरिक्त पुर्जो की कम आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारियों आदि के उपलब्ध न होने के कारण संस्थानों द्वारा समय पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण 1.11 करोड़ रु मूल्य के उपस्कर छः महीने से 12 वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहे।

6.99 करोड़ रु मूल्य के उपस्कर के प्रतिष्ठापन में 6 से 36 महीनों का विलम्ब हुआ।

(पैरा 8.1.5)

8.1.4 भंडारों का अधिग्रहण

(क) क्रय नियम पुस्तिका का न बनाया जाना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की क्रय नियम पुस्तिका नहीं बनायी गई थी

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपयुक्त क्रय प्रक्रिया विकसित करने के लिये एक समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 1989 में, टाइपराइटरों, डुप्लीकेटिंग मशीनों, वातानुकूलनों, फरनीचरों, सामान्य प्रकार की मदें, लेखन सामाग्री तथा अन्य भंडारों की खरीद के लिये एक प्रक्रिया का सुझाव दिया। प्रत्येक संस्थान द्वारा अनुपालन के लिये जून 1989 में इन सिफारिशों को परिचालित करते

समय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया था कि संस्थान को भंडारों के क्रय और निपटान के मामले में बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये एक भंडार और क्रय नियम पुस्तिका तैयार की जायेगी। तथापि, यह क्रय पुस्तिका अभी जुलाई 1997 तक तैयार करके जारी नही की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये नवम्बर 1997 में बताया कि एक भंडार और क्रय नियम पुस्तिका तैयार की जोयगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि भंडारों की अभिप्राप्ति के लिये उसकी सभी इकाइयों को अब मार्गदर्शन जारी कर दिये गये है।

(ख) बिना खुली निविदा आमंत्रित किये क्रय

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, 50,000 रु से अधिक का क्रय करने के लिये फाइल पर लिखित में रिकार्ड करने के साथ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर खुली निविदा आमंत्रित करके उसके माध्यम से क्रय करना आवश्यक था। अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय उप–उष्ण प्रदेशीय बागवानी संस्थान, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरो, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने कुल 1.30 करोड़ रु का क्रय किया था जिसके लिये खुली निविदा आमंत्रित नही की गई। यद्यपि, प्रत्येक मामले में कीमत 50,000 रु. के ऊपर थी।

क्रय नियमों के उलंघन में बिना खुली निविदा आमंत्रित किये 1.30 करोड रू के क्रय किए गये

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया। अन्य संस्थानों ने नवम्बर 1997 में बताया कि ऐसी खरीद उन्ही से की जा. रही है आपूर्ति के जो संसाधन संस्थानों को ज्ञात थे अथवा वह उपस्कर एक ही फर्म बनाती हो या कभी किसी उपस्कर की अत्यन्त आवश्यकता अर्न्तगग्रस्त हो। यह उत्तर मान्य नही था क्योंकि प्रत्येक मामले की फाइल में खुली निविदा के आमंत्रण को टालने का औचित्य नही दिया गया था।

(ग) विदेशी मुद्रा का परिहार्य निकास

लागत बीमा भाड़ा आधार पर भंडारों के आयात के परिणामस्वरूप बीमा और भाड़ा प्रभारो पर 28.70 लाख रु. की विदेशी मुद्रा का परिहार्य निकास हुआ

सामान्य वित्तीय नियमावली में पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर भंडारों और उपस्कर के आयात का प्रावधान है। अभिलेखों की नमूना जाँच से देखने में

आया कि 1991–97 के दौरान लागत, बीमा और भाड़ा (सी आई एफ) आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान द्वारा की गई खरीदो के परिणामस्वरूप, बीमा और भाड़ा प्रभारों पर 28.70 लाख रु सममूल्य की विदेशी मुद्रा का परिहार्य निकास हुआ।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय उप–उष्ण प्रदेशीय बागवानी संस्थान ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर नही दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नवम्बर 1997 में बताया कि सख्ती से पालन करने के लिये लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर भंडारों की अभिप्राप्ति के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सभी इकाइयों को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्युरों, गेहूँ अनुसंधान निदेशालय तथा केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने 10 प्रतिशत की दर से भारतीय एजेन्ट को देय कमीशन की रकम काटे बिना 1.18 करोड़ रु की कीमत का उपस्कर आयात करने के लिये साख–पत्र खोले थे। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय एजेन्टों को 11.76 लाख रु सममूल्य का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था।

भारतीय एजेन्ट को 11.76 लाख रु. का कमीशन का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरों और गेहूँ अनुसंधान निदेशालय ने तथ्यों को नवम्बर 1997 में स्वीकार कर लिया जबकि केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने उत्तर नहीं दिया।

(घ) परियोजनाओं के बन्द होने के पश्चात उपस्कर की खरीद पर अनुचित व्यय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जून 1992 में भाग–II राष्ट्रीय बीज परियोजना–III बेसिक और प्रजनक बीज के अवाध उत्पादन में सुधार, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिये अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना'' नामक परियोजना अप्रैल 1992 से पाँच वर्षों के लिये 2.37 करोड़ रु. के वित्तीय निकास के साथ गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल को मंजूर की थी जिसका

वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना था। जिसमें से, 1992–94 के दौरान उपस्कर की खरीद के लिये 75.56 लाख रु की राशि गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल और उसके लाहौल, शिमला और विलिंगटन स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रदान की गई थी। 1992–94 के दौरान, निधि का उपयोग न कर पाने के कारण परियोजना को 30 जून 1996 से बन्द कर देने के निर्णय की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सितम्बर 1995 में निदेश जारी किया कि 31 मार्च 1996 के पहले निश्चित रूप से निधि का उपयोग कर लिया जाये। यद्यपि, परियोजना जून 1996 में समाप्त हो गई, परन्तु 55.40 लाख रु मूल्य के उपस्कर का क्रय आदेश जून और अगस्त 1996 के बीच प्रस्तुत किये गये थे जिसमें सुपर्दगी की अपेक्षित तारीख जून से अक्तूबर 1996 के बीच थी। परियोजना की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उपस्कर खरीदे जाने और विशिष्ट रूप से जिसके लिये यह खरीदा गया था उस राष्ट्रीय बीज परियोजना–III के लिये उपयोग न किये जाने के कारण 55.40 लाख रु. के व्यय अनुचित था।

55.40 लाख रु. लागत के उपस्कर परियोजनाओं की समाप्ति पर खरीदे गये थे इस प्रकार उनका उपयोग विशेष कार्य के लिये नही किया गया

इस निदेशालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण समय पर उपस्कर नहीं अभिप्राप्त किया जा सका। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपस्कर के प्रतिष्ठापन के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी परियोजना के मंजूर किये जाने के पूर्व देखनी चाहिये थी और परियोजना की समाप्ति के पश्चात् उपस्कर की अभिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं था। तथापि, क्या भविष्य में इस उपस्कर का उपयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए, इस प्रश्न पर गेहूँ अनुसंधान निदेशालय चुप था।

(ङ) विलम्ब शुल्क न लगाना

निर्धारित समय के अन्दर भंडारों की आपूर्ति में विफलता के लिये बिलम्ब शुल्क लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक धारा निविदाओं/क्रय आदेशों में नही शमिल की गई थी जो सामान्य वित्तीय नियमावली का उलंघन था। इस धारा को शामिल न किये जाने के कारण संस्थानों के वित्तीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यद्यपि, कुछ मामलों में भंडारों की आपूर्ति में अपेक्षित सुपुर्दगी अवधि में पाँच सप्ताह से अधिक का विलम्ब हुआ था परन्तु नामत: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और गेहूँ अनुसंधान निदेशालय 5 संस्थानों में दो प्रतिशत प्रति सप्ताह

भंडारो की आपूर्ति में विलम्ब के बावजूद 6.25 लाख रु. का विलम्ब शुल्क नही लगाया गया था

अधिकतम का 10 प्रतिशत के अध्यधीन, 6.25 लाख रु. का विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि क्रय आदेशों में शास्तिक धारा सम्मिलित नहीं की गई थी।

केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और गेहूँ अनुसंधान निदेशालय ने नवम्बर 1997 में इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.1.5 उपयोग

(क) निष्क्रिय उपस्कर

यह देखा गया था कि 1.32 करोड़ रु मूल्य के उपस्कर का प्रतिष्ठापन नहीं हुआ था अथवा मूलभूत सुविधाओं की कमी, उपस्कर को प्रतिष्ठापित करने में भारतीय एजेन्ट की विफलता, मदों की कम आपूर्ति और ऐसे मामलों में संस्थानों द्वारा अनुगामी कार्यवाही न करने जैसे कारणों से प्रतिष्ठापन के बाद उपस्कर छः महीने से 12 वर्षों तक प्रयोग में नही लाया गया। इनमें से कुछ मामलें नीचे दिये जा रहे है:

(i) मूलभूत सुविधायें तैयार नहीं थी

बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिये अग्रिम कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप 28.14 लाख रु. की लागत का उपस्कर 23 महीनों तक निष्क्रिय पड़ा रहा

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत 28.14 लाख रु की कुल लागत पर अगस्त 1995 में मै. कन्ट्रोल्ड एण्ड एनवायरनमेन्ट लिमिटेड, कनाडा से 3 बेसिक 4 प्लान्ट ग्रोथ चैम्बरों को अभिप्राप्त किया गया। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने प्रतिष्ठापन के लिये अग्रिम कार्यवाही करने के लिये सूचित नही किया। इसके परिणामस्वरूप, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्लान्ट ग्रोथ चैम्बर 23 महीनों तक प्रतिष्ठापन के लिये पड़े रहे। यह परियोजना 30 जून 1996 के पहले ही समाप्त हो गई थी। इस संस्थान ने नवम्बर 1997 में यह माना कि प्रतिष्ठापन न होने से अनुसंधान कार्यकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(ii) संस्थानों की अकार्यवाही

गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल ने 5.95 लाख रु की लागत से मै. जी. बी. सी. साइन्टिफिक इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, आस्ट्रेलिया से एक एटॉमिक एवर्जाप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जून 1994 में खरीदा। यह उपस्कर अक्तूबर 1994 में प्रतिष्ठापित हुआ परन्तु उसने जनवरी 1995 में काम करना बन्द कर दिया। स्थानीय एजेन्ट के सर्विस इन्जीनीयर इसको चालू नही कर सके क्योंकि इसके सुचारू रूप से काम करने के लिये आवश्यक कुछ फालतू पुर्जों को निदेशालय ने नही खरीदा था। यह उपस्कर 29 महीनों से निष्क्रिय रहा क्योंकि जून 1997 तक फालतू पुर्जों को नहीं खरीदा गया था। गेहूँ अनुसंधान निदेशालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि फालतू पुर्जे खरीदे जा चुके थे और भारतीय एजेन्ट से निवेदन किया गया था कि स्पेक्ट्रोमीटर चालू हालत में लाने के लिये अपने सर्विस इन्जीनियर भेजे।

समय से कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 82.81 लाख रु. मूल्य का उपस्कर 18 महीने से 12 वर्ष तक काम नही किया

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त 76.86 लाख रु मूल्य का उपस्कर प्रशिक्षित कार्मिको की कमी वैज्ञानिकों के अध्ययन अवकाश पर होने और परिशिष्ट–XV में यथावार्णित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरो, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में भार का बिलगन न किये जाने के कारण अप्रैल 1985 से जनवरी 1996 तक निष्क्रिय पड़े हुए थे। इस तालिका में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर से सम्बन्धित 49.90 लाख रु मूल्य के निष्क्रिय उपस्कर भी सम्मलित थे जिन पर भारत के नियंन्त्रक–महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) नई दिल्ली की 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी। इस संस्थान ने उनको चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कोई उत्तर नही दिया, जबकि भारतीय पशु अनुंसधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने नवम्बर 1997 में तथ्यों को मान लिया।

(ख) उपस्कर–प्रतिष्ठापन में विलम्ब

राष्ट्रीय पादक आनुवंशिक संसाधन ब्युरो पूवपिक्षाओं को उपलब्ध करने में विफलता के परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रु. मूल्य के माडयुलों के प्रतिष्ठापन में 16 मास का विलम्ब हुआ

(i) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, नई दिल्ली में निष्पादित हो रही भारत–अमरीकी पी जी आर परियोजना के अन्तर्गत, मै. ब्लू स्टार लिमिटेड ने 5.25 करोड़ रु के सममूल्य 1497298 अमरीकी डालर कीमत के

ग्यारह मीडियम टर्म स्टोरेज मॉड्यूल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 11 संस्थानों को अप्रैल से जून 1996 के दौरान भेजे गये थे ताकि पॉच से दस वर्षो तक रोगाणु प्लाज्म होल्डिंगों की जीवन क्षमता बनाये रखने के लिए सुरक्षित भंडारन प्रदान किये जा सके। राष्ट्रीय पादक आनुवंशिक संसाधन ब्युरो ने संस्थानों से नवम्बर 1995 में निवेदन किया था कि वह मीडियम टर्म स्टोरेज मॉड्यूलों की पूर्व आवश्यकता बताए। संस्थानों ने पूर्व आवश्यकताएं नहीं पूरी की। इसके परिणामस्वरूप, मॉड्यूलों को नवम्बर 1997 में प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, उद्देश्यों के विपरीत, जर्म प्लाज्म को 16 महीनों तक सुरिक्षत रखने की क्षमता नहीं बढ़ा सके। राष्ट्रीय पाद आनुवंशिक संसाधन ब्युरो ने तथ्यों को नवम्बर 1997 में मान लिया।

1.74 करोड़ रु. मूल्य का उपस्कर 6 से 36 महीने बाद प्रतिष्ठापित हुआ

(ii) 22 मामलों में, 1971–97 के दौरान केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरों, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान द्वारा 1.74 करोड़ रु मूल्य के खरीदे गये उपस्कर 6 से 36 महीनों के पर्याप्त विलम्ब के बाद प्रतिष्ठापित किये गये थे जो परिशिष्ट–XVI में यथावर्णित दोषपूर्ण पुर्जों के बदले में नये पुर्जे प्राप्त करने में विलम्ब अथवा मूलभूत सुविधाओं के पूरे होने में बिलम्व होने के कारण था। 16 मामलों में 1.17 करोड़ रु. मूल्य के उपस्करों के प्रतिष्ठापन के पूर्व ही 12 महीनें की वारंटी समाप्त हो गई थी।

केन्द्रीय उप उष्णप्रदेशीय संस्थान, गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरो और भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान ने नवम्बर 1997 में 8 मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

(ग) परिसम्पति रजिस्टर न बनाना

परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में लेखें में दिखाये गये परिसम्पत्ति के आंकड़ो को प्रमाणित नही किया जा सका

सरकारी अनुदानों से अधिग्रहित सभी परिसम्पत्तियों को एक परिसम्पति रजिस्टर सामान्य वित्तीय नियमावली–19 प्रपत्र में लेखांकित किया जाना चाहिये। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान और गेहूँ अनुसंधान निदेशालय को छोड़कर नमूना जाँच किये गये किसी संस्थान ने परिसम्पति रजिस्टर नही बनाया था। इन रजिस्टरों के अभाव में, संस्थानों के वार्षिक लेखे में दिखाई गई परिसम्पतियों की स्थिति की पुष्टि नही की जा सकी। भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद इन सस्थानों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली की व्यवस्थाओं का पालन सुनिशिचत करने में विफल रही।

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्युरो, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय उप उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान और केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ने बताया कि काम प्रगति में था जबकि अन्य संस्थानों ने कोई उत्तर नहीं दिया। भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद ने नवम्बर 1997 में बताया कि परिसम्पति रजिस्टर बनाने के लिये सभी संस्थानों को पुन: अनुदेश जारी कर दिये गये थे।

(घ) भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन

नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में भंडार में कमी और गबन की सम्भावना हो सकती है

भंडारों की कमी और दुर्विनियोग आदि की जाँच करने के लिये भंडारों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन आवश्यक है। यह देखा गया था कि 1 से 9 वर्षों तक की अवधि का 9 संस्थानों में भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन बकाया था। भंडारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में भंडार लेखे की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पादक आनुवंशिक संसाधन ब्युरो तथा राष्ट्रीय कृषि आनुवंशिक संसाधन ब्युरो ने बताया कि भंडारों के प्रत्यक्ष सत्यापन कराने की कोशिश की जा रही थी जबकि अन्य संस्थानों ने कोई उत्तर नही दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नवम्बर 1997 में बताया कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिये इन सस्थानों को कह दिया गया है।

8.1.6 निपटान की प्रतीक्षा में अप्रयोज्य भंडार

पिछले 2 से 11 वर्षों से 1.15 करोड़ रु. मूल्य के अप्रयोज्य भंडार निपटान के लिये पड़े हैं

गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादक आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय उप उष्णप्रदेशीय बागावानी संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्युरो और भारतीय घासस्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान में 1.15 करोड़ रु अंकित मूल्य की स्टॉक वस्तुए 2 से 11 वर्ष से अप्रयोज्य हालत में पड़ी हुई है। उनके निपटान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उन अप्रयोज्य मदों के निपटान में विलम्ब के कारण उनकी

हालत और खराब हो जाने के परिणामस्वरूप, भंडार में व्यर्थ में स्थान घिरने के साथ उनके निपटान से होने वाली प्राप्ति में भी कमी आयेगी।

गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय पादक आनुवंशिक संसाधन ब्युरो, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय उप उष्ण प्रद्रेशीय बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुंवशिक संसाधन ब्युरो और भारतीय घास स्थल और भूसा अनुसंधान संस्थान ने नवम्बर 1997 में बताया कि या तो अप्रयोज्य भंडारों का निपटान हो चुका था अथवा उनके निपटान के लिये कार्यवाही की जा चुकी थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये मामलों के संदर्भ में नही था।

8.1.7 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आन्तरिक निरीक्षण इकाइयों द्वारा निरीक्षण न किया जाना

संस्थानों का आन्तरिक निरीक्षण बहुत समय से बकाया चल रहा था

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उसके संस्थानों का आन्तरिक निरीक्षण करने के लिये एक आन्तरिक निरीक्षण इकाई है। गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल और केन्द्रीय उप–उष्णप्रदेशीय बागवानी संस्थान, लखनऊ का आन्तरिक निरीक्षण उनके शुरू होने के बाद कभी नही किया गया था और अन्य संस्थानों में 6 से 19 वर्षों की अवधि से आन्तरिक निरीक्षण बकाया था।

यदि ऐसे आन्तरिक निरीक्षण आवधिक रूप से कराये गये होते और वस्तुसूची प्रबन्धन से सम्बन्धित बहुत सी अनियमिताओं के पहले ही जानकारी में आने पर सुधार के आवश्यक उपाय कर लिये गए होते।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नवम्बर 1997 में बताया कि आन्तरिक निरीक्षण के सम्बन्ध में बकाया को अद्दतन करने के विशेष प्रयास किये जा रहे थे।

8.2 दोषपूर्ण उपस्कर के आयात पर निष्फल व्यय

दोषपूर्ण उपस्कर के आयात का परिणाम तीन वर्षों तक उसके गैर–प्रतिष्ठापन और 13.98 लाख रु के निष्फल व्यय में हुआ।

केन्द्रीय फ्रेशवाटर अकुआकल्चर संस्थान ने एक उपस्कर की आपूर्ति का आदेश मार्च 1994 में प्रस्तुत किया

केन्द्रीय फ्रेशवाटर अकुआकल्चर संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा 15.94 लाख रु के सममूल्य 385,966 स्वेडिश क्रोनार की लागत पर "इन–फ्रैटिक फूड एण्ड फीड एनालाइजर'' की आपूर्ति के लिये मार्च 1994 में एक विदेशी फर्म को एक आदेश प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय फ्रेशवाटर अकुआकल्चर संस्थान में स्थापित की जाने वाली फीड मिल में इनपुट इनग्रेडिएण्टस तथा एन्ड प्रोडक्टस फीड की गुणवक्ता की मॉनीटरिंग के लिये इस उपस्कर का प्रयोग किया जाना था। यह उपस्कर, फीड मिल स्थापित किये जाने के बाद बडे पैमाने पर व्यवसायिक फीड प्रोडक्सन के नमूनों के विश्लेषण के लिये खासतौर पर माँगा गया था।

जुलाई 1994 में प्राप्त हुआ उपस्कर दोषपूर्ण पाया गया था। सितम्बर 1997 तक उपस्कर को प्रतिष्ठापित नहीं किया गया।

संस्थान को यह उपस्कर कलकत्ता हवाई पत्तन पर जुलाई 1994 में प्राप्त हुआ था और सितम्बर 1994 में 90 प्रतिशत 13.98 लाख रु के सममूल्य 338,865.18 स्वेडिश क्रोनार का भुगतान कि या गया था। नवम्बर, 1994 में सर्विस इन्जीनियर के पहली बार आने के दौरान उपस्कर को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका क्योंकि उसका डिटेक्टर माडयूल दोष पूर्ण पाया गया था। विदेशी फर्म द्वारा जनवरी, 1995 में भेजें गये दोषपूर्ण पुर्जे के बदले में संस्थान द्वारा नया पुर्जा जुलाई 1995 में छुड़ाया गया था। 13 जुलाई 1995 की अपनी तकनीकी रिपोर्ट में सर्विस इन्जीनियर ने इस उपस्कर को प्रचालनात्मक बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के कालरों की अधिप्राप्ति की इच्छा प्रगट की थी। यद्यपि, यह बताया गया था कि इन पुर्जो की आपूर्ति सर्विस इन्जीनियर द्वारा निर्मूल्य की गई थी, इस उपस्कर को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। परिणामत:, नवम्बर 1996 में उपस्कर के दूसरे हिस्से में एक समस्या देखी गई थी। उसके पश्चात, भारतीय एजेन्ट द्वारा फरवरी 1997 में संस्थान को सूचित किया गया कि उपस्कर भाड़ा भुगतान आधार पर जाँच के लिये फैक्टरी को वापिस भेजा जायेगा। यद्यपि, भाड़ा भुगतान आधार पर स्वीडन स्थित निर्माता की फैक्टरी में उपस्कर को भेजने का सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया था, सितम्बर 1997 तक यह उपस्कर नहीं भेजा गया था, परिणामत:, सितम्बर 1997 तक यह उपस्कर बिना प्रतिष्ठापित पड़ा रहा। इस उपस्कर की वारन्टी भी जनवरी 1996 में समाप्त हेा गई।

फीड मिल की स्थापना फरवरी 1997 में हुई थी, लेकिन किसी नमूने का विश्लेषण न किये जाने से इसका उद्देश्य समाप्त हो गया

इसी अवधि मे वह फीड मिल जिसके लिये संस्थान द्वारा 1994 में यह उपस्कर खरीदा गया था, फरवरी 1997 में स्थापित की जा चुकी थी। सितम्बर 1997 तक फीड मिल से प्राप्त किसी भी नमूने का विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, फीड मिल स्थापित करके व्यवसायिक फीड उत्पादन के नमूनों के विश्लेषण का उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सका।

संस्थान द्वारा जून 1997 में बताया गया कि उपस्कर के अभाव में क्वालिटी इनग्रेडिएन्टस की अधिप्राप्ति और फीड उत्पादन के समय उचित ध्यान रखकर गुणवत्ता नियंत्रण को बनाये रखा गया था। तथापि, तथ्य यह था कि इस उपस्कर के आयात पर 13.98 लाख रु का व्यय पिछले तीन वर्षो से निष्फल ही रहा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सितम्बर 1997 में बताया गया कि संस्थान के सारे प्रयासों के बावजूद, इस उपस्कर को प्रतिष्ठापित नही किया जा सका क्योंकि इसके विनिर्माण में दोष थे।

8.3 निधि–अवरोध

आई वी आर आई, बैंगलोर द्वारा संक्रमणित पशुओं के लिये पृथक ब्लाक के निर्माण में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप, 40.44 लाख रु आठ साल तक अवरूद्ध रहा तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 161.76 लाख रू. की लागत से भारतीय पशु अनुसंधान संस्थाना बैंगलोर में पृथक ब्लाक के निर्माण को अनुमोदित किया और अप्रैल 1985 में 40.44 लाख रू. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को विमोचित किया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संक्रमणित पशुओं के पृथक ब्लाक, पोस्टमार्टम थिएटर तथा इन्सिनरेटर के निर्माण के लिये अप्रैल 1985 में प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह कार्य 161.76 लाख रू. की अनुमानित लागत से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाना था जिसमें से 40.44 लाख रु आई वी आर आई द्वारा अप्रैल 1985 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्मुक्त किया गया था।

विशेषज्ञता के अभाव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य शुरू नहीं कर सका

शेड के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास उच्च परिष्कृत प्रयोगशाला के निर्माण से सम्बन्धित कोई विशेषज्ञ नहीं था। आई वी आर आई द्वारा दिसम्बर 1989 में इस मामले को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ उठाया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद द्वारा आई वी आर आई को सुझाव दिया गया कि इस कार्य को किसी अन्य सक्षम एजेन्सी को सौंप दिया जाये। तदनुसार, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसी एजेंसियों से सम्पर्क किया गया, इन सबने विभिन्न कारणों से इस कार्य को लेने में अपनी मजबूरी प्रगट की। परिणामत:, केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ फिर से सम्पर्क किया गया कि वह इस कार्य को हाथ में ले। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शेड की जटिलता और आकार को कम करने के लिये छ वर्षो के बाद योजना में परिवर्तन करने के बाद जुलाई 1991 में संशोधित योजना प्रस्तुत की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नवम्बर 1993 में 225.32 लाख रु के संशोधित प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई जिसको 30 महीनों के अन्दर पूर्ण किया जाना था। आई वी आर आई द्वारा पूर्व में अप्रैल 1985 में दिए गए 40.44 लाख रु के अतिरिक्त, 184 लाख रु जनवरी 1994 और मार्च 1995 के बीच निर्मुक्त किये गये। दिसम्बर 1997 तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ था।

अप्रैल 1985 में निर्मुक्त 40.44 लाख रू. आठ वर्षों से अधिक अवरूद्ध रहा

इस प्रकार, बिना आरेखन को अन्तिम रूप दिये और निष्पादन एजेन्सी की विशेषज्ञता का बिना निर्धारण किये वर्क एवार्ड तथा निधि को निर्मुक्त किये जाने का परिणाम, आठ साल (1985-93) से अधिक अवधि के लिये 40.44 लाख रु के अवरोधन में हुआ। पोस्टमार्टम हाल और इन्सिनरेटर के साथ संक्रमणित पशुओं के लिये शेडों के निर्माण का विचार मई 1977 में हुआ था ताकि आई वी आर आई द्वारा उत्पादित टीके की पोटेन्सी जाँच की जा सके। इस सुविधा के अभाव मे, यह जाँच अभी तक नहीं की जा सकी है।

अक्तूबर 1997 में तथ्यों को मानते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निधि अवरोधन, कार्य की लागत वृद्धि और समय की अधिकता को भविष्य के लिये निवेश के रूप में उचित बताया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उत्तर टालमटोल वाला था क्योंकि अप्रैल 1985 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास 40.44 लाख रु. जमा करने के लिये कोई कारण नहीं बताये गये। यह राशि बिना परियोजना के निष्पादन की संभाव्यता की जाँच किए हुये 8 वर्षों से अधिक समय तक अनुपयोगित रही।

8.4 समायोजित न किए गए अग्रिम

अधिकारियों, प्राइवेट पक्षों तथा सरकारी विभागों को यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, भंडारों की आपूर्ति निर्माण कार्य आदि के लिये दिये गये 12.73 करोड़ रु के अग्रिम भुगतान मार्च 1997 तक समायोजित नहीं हुये थे जिनमें से 11.13 करोड़ रु. के अग्रिम दो वर्षों से ऊपर से वसूली/समायोजन के लिये लम्बित थे। इसमें यात्रा भत्ता छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम के रूप में 21 लाख रू. की गैर–समायोजित राशि भी सम्मिलित थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 89 प्रयोगशालाओं/सस्थानों में से 10 की नमूना जाँच से पता लगा कि उनके अपने कर्मचारियों, सरकारी विभागों और प्राइवेट पक्षों को दिये गये 12.73 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान 31 मार्च 1997 तक निम्नलिखित व्योरे के अनुसार समायोजित नही हुये थे:–

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	सरकारी विभाग	सरकारी विभाग आकस्मिक भत्ता/ पेशगी	सरकारी यात्रा छुट्टी रियायत भत्ता	प्राईवेट पक्ष	योग
1.	सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	-	31.16	15.10	-	46.26
2.	सी आर आई जे ए एफ, वैरकपुर	84.81	2.72	0.45	-	87.98
3.	सी आर आर आई, कटक	304.83	5.77	2.84	-	313.44
4.	सी ए आर आई, पोर्ट ब्लेयर	14.78	2.19	0.02	-	16.99
5.	एन आर सी डब्लु एस, जबलपुर	66.57	2.87	-	-	69.44
6.	आई एल आर आई, राँची	124.25	2.12	0.31	-	126.68
7.	एन आई आर जे ए एफ टी, कलकत्ता	160.87	0.89	-	0.99	162.75
8.	एन ई एच आर, शिलाँग	-	22.09	2.24	-	24.33
9.	डब्लु टी सी ई आर, भुवनेश्वर	146.27	4.18	-	-	150.45
10.	सी आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	274.60	-	0.03	-	274.63
		1,176.98	73.99	20.99	0.99	1,272.95

मार्च 1997 को बकाया 12.73 करोड़ रु की राशि में से, 76.46 लाख रु 10 वर्षों के ऊपर से, 374.19 लाख रु 5 से लेकर 10 वर्षों के बीच और 593.38 लाख रु दो से पाँच वर्षों के बीच और 159.48 लाख रु दो साल तक से बिना समायोजित हुये पड़ी थी। एन आर सी डबलू एस, जबलपुर द्वारा 69.44 लाख रु की बकाया पेशगियों के वर्ष–वार ब्यौरे नहीं दिये गये। इसके अतिरिक्त, आठ संस्थानों द्वारा निर्माण कार्यो तथा भण्डारों की आपूर्ति के लिये सरकारी विभागों को 11.77 करोड़ रु के अग्रिम दिये गये थे जो समायोजन के लिये पड़े हुये थे यद्यपि, अधिकाँश निर्माण कार्य पूरे हो गये थे और भण्डार प्राप्त हो गये थे।

सात संस्थानों/प्रयोगशालाओं द्वारा सरकारी अधिकारियों को 20.99 लाख रु के जो यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम दिये गये थे उनके द्वारा न तो उन अग्रिमों को समायोजित किया गया और न ही शास्तिक ब्याज वसूल किया गया जो सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंधन है। शास्तिक ब्याज की वसूली न किये जाने के कारणों को लेखापरीक्षा को नही बताया गया था।

इस मामले की सूचना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अक्तूबर 1997 में भेजी गयी थी, जनवरी 1998 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

अध्याय 9 पर्यावरण और वन मंत्रालय

9.1 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून

9.1.1 विषय–प्रवेश

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस परिषद की स्थापना जून 1991 में हुई थी। इसके अधीन देश के विभिन्न भागों में 10 अनुसंधान संस्थान हैं। इस परिषद का उद्देश्य वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के संगठन, निदेश और प्रबन्धन में वानिकी अनुसंधान नीति निरूपित करने पर भारत सरकार को सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य वन विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में अनुसंधान परिणामों का प्रसार भी इस परिषद का उद्देश्य है।

9.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस समीक्षा में 1992-97 की अवधि के दौरान, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की कार्य प्रणाली सम्मिलित है। इस परिषद के अन्दर कार्यरत १० संस्थानों में से, 5 नामत: वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उष्ण प्रदेशीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, बंजर वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, वन आनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटुर और काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर का नमूना जॉच के लिये चयन किया गया था।

9.1.3 संगठनात्मक ढांचा

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का प्रधान एक निदेशक होता है। मोटे तौर पर, नीतिगत मामलों और इसके कार्यकलापों के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय करने का कार्य बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा किया जाता है जिसमें 21 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड का प्रधान भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्री, होता है।

9.1.4 मुख्य–मुख्य बातें

- 21.25 करोड़ रू. की कुल निधि का बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 1992-97 के दौरान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के सामान्य बजट को विपथन किया गया था।
(पैरा 9.1.5)

- अनुसंधान परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था।
(पैरा 9.1.6)

- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अर्न्तगत 1993-96 वर्षों के दौरान अभिप्राप्त 8.41 करोड़ रू. लागत के उपस्कर प्रतिष्ठापित नहीं किये जा सके जिसके कारण व्यय निष्फल हो गया।

  पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार के स्थान पर लागत, बीमा, तथा भाड़ा आधार पर 126 उपस्करों के आयात के परिणामस्वरूप, 55.51 लाख रू. के सममूल्य विदेशाी मुद्रा का निकास हुआ।

  साख–पत्र की रकम का निवेश न होने के परिणामस्वरूप, 21.20 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई।
(पैरा 9.1.7)

- बिना उपयोग प्रमाण–पत्र पर जोर दिये 5.46 करोड़ रू. के अनुदान कृषि विश्व विद्यालयों को विमोचित किये गये थे।
(पैरा 9.1.8)

- बिना वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किये एक मुश्त अनुसंधान सामग्री के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, 29.69 लाख रू. मूल्य के प्रकाशन बिना बिके पड़ रहे।
(पैरा 9.1.9)

9.1.5 जनशक्ति तथा बजट

(क) जनशक्ति

31 मार्च 1997 को, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में संस्वीकृत कार्मिक शक्ति 509 वैज्ञानिक 1029 तकनीकी कार्मिक और 599 प्रशासनिक कार्मिक के स्थान पर क्रमश: 362 वैज्ञानिक, 665 तकनीकी कार्मिक और 427 थे। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्मिकों का अनुपात 1:2:1 था। वैज्ञानिक कार्मिक और गैर–वैज्ञानिक स्टाफ अनुपात निर्धारण के लिये कोई मानक नहीं तय हुआ था। बड़ी संख्या में विशेष तौर पर, वैज्ञानिक काडर में रिक्त स्थान होने के कारण और इससे इस परिषद की कार्य प्रणाली किस प्रकार प्रभावित हुई थी, लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया था।

(ख) बजट तथा वित्तीय कार्य

(i) इस परिषद का प्रमुख रूप से वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया गया था। 1992-97 के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों और उनमें से किये गये व्यय निम्नानुसार थे:

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान	व्यय	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान	व्यय	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान	व्यय	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान	व्यय	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान	व्यय
सामान्य घटक										
योजनागत	20.00	20.98	20.50	24.20	20.00	23.73	14.05	25.25	20.75	20.62
गैर–योजना वन शिक्षा	7.02	7.00	6.62	7.04	6.62	7.05	6.75	7.21	6.88	7.36
योजनागत	0.90	0.90	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	0.46	0.46
गैर–योजना	--	--	0.42	--	0.44	--	0.46	--	0.48	--
बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनायें										
योजनागत	--	--	7.50	0.37	20.00	16.46	27.05	18.11	25.45	21.42
गैर–योजना	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.92	28.88	36.08	32.65	48.11	48.29	49.36	51.62	54.02	49.86

(ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पुस्तकों, नर्सरी पौधों की बिक्री परीक्षण शुल्क और परामर्शी सेवाओं आदि से राजस्व प्रजनित करता है। 1992-97 के दौरान, कुल 4.83 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं बा से 21.25 करोड़ रू. की निधि का विपथन

(iii) इस परिषद को विशिष्ट परियोजनाओं के लिये विदेशी एजेन्सियों से भी निधि प्राप्त होती है। 1992-97 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसको कुल 84.58 करोड़ रू. प्राप्त हुये थे जिसमें से 60.45 करोड़ रू. का उपयोग किया जा सका। 1992-93, 1994-95 और 1995-96 वर्षों में उनके सामान्य बजट के विपरीत अधिक व्यय को पूरा करने के लिये 21.25 करोड़ रू. का विपथन सामान्य बजट को हुआ था। 21.25 करोड़ रू. में से, 16.94 करोड़ रू. का वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार परियोजना से 1993-97 के दौरान विपथन किया गया था जिसके लिये वन और पर्यावरण मंत्रालय का अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ था। इस परिषद ने बताया कि इस परियोजना के लिये बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना से नियत निधि का 1993-97 के दौरान विपथन करना पड़ा ताकि वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन की कमी से परिषद के सामान्य व्यय को पूरा किया जा सके।

9.1.6 अनुसंधान कार्यकलाप

घरेलू अनुसंधान परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी विकास से सम्बन्धित अभिलेख नहीं बनाये गये थे

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद विभिन्न घरेलू परियोजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान कराती है। लेखापरीक्षा में यह टिप्पणी की गई थी कि विभिन्न संस्थानों में शुरू की गई, छोड़ दी गई अथवा पूरी कर ली गई बहुत सी अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या से सम्बन्धित सूचना इस परिषद के पास उपलब्ध नहीं थी। अधिकांश अनुसंधान कार्यकलापों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी अन्तरण होने के कारण, इस परिषद के लिये विभिन्न राज्य वन विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को अनुसंधान परिणामों का प्रसार आवश्यक था। इस परिषद ने उन वर्षों का कोई अभिलेख नहीं बनाया था जिनमें प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और लाभ– भोगियों को अन्तरण किया गया। इस परिषद द्वारा बताया गया था कि सितम्बर 1994 में विश्व बैंक परियोजना शुरू करने के बाद विद्यमान प्रौद्योगिकी प्रसार के लिये जांच की गई 32 प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई थी। इन 32 प्रौद्योगिकियों में से, उपलब्ध कर्मचारियों और प्रदर्शन क्षमता के आधार पर क्षेत्र में प्रसार के लिये केवल 17 प्रौद्योगिकों को लिया गया था जिनका प्रसार अभी किया जाना था।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये दिसम्बर 1997 में बताया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद मुख्यालय में डेटाबेस परियोजना की तैयारी प्रक्रियाधीन थी और मार्च 1998 तक पूरी कर ली जायेगी।

9.1.7 सामग्री प्रबन्धन

(क) निष्फल अभिप्राप्ति

अनुपयुक्त योजना के कारण 7.94 करोड़ रू. मूल्य के उपस्कर प्रतिष्ठापित नहीं हुए सके

वानिकी अनुसंधान शिक्षा और प्रसार परियोजना के अन्तर्गत, 1995-96 के दौरान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा 7.94 करोड़ रू. मूल्य के उपस्कर विदेश से खरीदे गये थे। इन उपस्करों को प्रतिष्ठापित/चालू नहीं किया जा सका क्योंकि मार्ग में कुछ उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गये थे और कुछको संबन्धित परिषद संस्थानों द्वारा परिषद को वापिस भेज दिया गया था क्योंकि उनके पास प्रतिष्ठापन के लिए स्थान और आवश्यक विद्युत आपूर्ति की कमी थी। यह अनियोजित तथा उपस्कर को अनावश्यक अभिप्राप्ति का परिणाम था। 7.94 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि प्रतिष्ठापित न हुए उपस्कर प्रतिस्थापन प्रक्रिया में थे।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दोषपूर्ण खरीद

38.58 लाख रू. मूल्य के उपस्कर का उपयोग न किये जाने के कारण निधि अवरूद्ध हो गई

1995-96 के दौरान उष्णप्रदेशीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 21.31 लाख रूपये (67,535 अमरीकी डालर) मूल्य का एक एक्सरे सीड स्केनर खरीदा गया था। यद्यपि, यह उपस्कर मई 1995 के दौरान प्रतिस्थापित और चालू किया गया था परन्तु उष्णप्रदेशीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ने इस उपस्कर को स्वीकार नहीं किया क्योंकि शेल्फ जिसपर ऐक्सरे जनरेशन यूनिट को आवासित किया जाना था वह टूटी हुई हालत में पाया गया था वह उपस्कर मरम्मत/बदलने के लिए फरवरी 1996 में फर्म को वापस भेजा गया था परन्तु अभी तक वापस नहीं प्राप्त हुआ था।

इसी प्रकार, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के लिए 17.27 लाख रू. (54,728 अमरीकी डालर) लागत की एक यूनिवर्सल टिम्बर टेस्टिंग मशीन इस परियोजना के अन्तर्गत 1995-96 के दौरान खरीदी गई थी, परन्तु वह ठीक से कार्य न कर सकने के कारण चालू नहीं की जा सकी। आपूर्ति करने

वालों और उनके भारतीय एजेन्ट के साथ इस मामले को उठाया गया था कि मशीन को मरम्मत करके ठीक किया जाये। अन्त में यह तय हुआ कि मशीन को बदलने के लिए वापिस जलमार्ग से भेजा जाये जो अभी दिसम्बर 1997 तक नहीं हुआ था।

इस प्रकार, यह उपस्कर उसकी अभिप्राप्ति से प्रयोग में नहीं लाया जा सका और 38.58 लाख रू. का व्यय निष्फल हो गया।

(ग) अप्रयुक्त उपस्कर

8.17 लाख रू० के उपस्कर खरीदे जाने से ही उपयोग में नहीं लाये गये

वन आनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के अभिलेखों की नमूना जॉच से पता लगा कि जनवरी 1994 में 8.17 लाख रू. की लागत का उपस्कर अभिप्राप्ति के बाद से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले 22 ए.एम..पी.एस के साथ थ्री फेस लाईन की विशेष विद्युत आपूर्ति न होने के कारण प्रतिष्ठाापित नहीं किया जा सका। इस उपस्कर की वारन्टी/गारन्टी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस उपस्कर के प्रतिष्ठापित न होने से परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि इस उपस्कर का प्रतिस्थापन आवश्यक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के बाद किया जायेगा। इस लिए इस उपस्कर पर किया गया 8.17 लाख रूपये का व्यय तीन वर्षों से निष्फल रहा।

(घ) मूल्यवान उपस्करों की लॉग बुकों का न बनाना

मूल्यवान उपस्करों की लॉग बुकों का न बनाया जाना

मूल्यवान उपस्करों की लॉग बुकों का बनाया जाना आवश्यक है जिससे कि उपयुक्त कार्यप्रणाली/उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, अभिलेखों की नमूना जॉच से पता लगा कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में, 1.86 करोड़ रू. मूल्य के 12 बड़े और मूल्यवान उपकरणों की लॉग बुक नहीं बनाए गये थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के सभी संस्थानों में सभी उपस्करों के लॉग बुक बनाये जाने को आश्वस्त किया।

(ङ) विदेशी मुद्रा का निकास

55.51 लाख रू. के सममूल्य विदेशी मुद्रा का परिहार्य भुगतान

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, विदेशी मुद्रा के अनावश्यक निकास के परिहार के लिये भंडारों के आयात के लिये सभी क्रय पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर किये जाने चाहिये थे न कि लागत, बीमा और भाड़ा आधार पर/विश्व बैंक परियोजना और अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत 1994-95 और 1995-96 के दौरान, विदेशी क्रय के सम्बन्ध में खोले गये साख–पत्रों की फाइलों को देखने से पता लगा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद तथा इसके 3 संस्थानों ने पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार के स्थान पर लागत, बीमा और भाड़ा आधार पर वैज्ञानिक उपस्करों की आपूर्ति के लिये 55.51 लाख रू. (42.87 लाख रू. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (मुख्यालय) द्वारा, 6.70 लाख रू. वन आनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटुर द्वारा, 3.45 लाख रू. बंजर वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा और 2.49 लाख रू. उष्णप्रदेशीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा) मूल्य के 126 क्रय आदेश विदेशी आपूर्तिकारों को प्रस्तुत किया जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जा सकता था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद इस तरह से सज्जित नहीं था कि पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर क्रय आदेश प्रस्तुत करने के बाद विभिन्न देशों से उपस्करों के परिवहन की व्यवस्था कर सकती। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा की यह रकम, पोत पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर आदेश प्रस्तुत करने के बाद विभिन्न देशों से मदों के परिवहन पर खर्च हो गई होती। मंत्रालय का यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परिवहन का कार्य किसी भारतीय फर्म को सौंप दिया गया होता और भुगतान भारतीय मुद्रा में कर दिया जाता तो 55.51 लाख रू. की विदेशी मुद्रा का परिहार्य निकास रूक गया होता।

(च) साख–पत्र की रकम का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि

साख–पत्र की रकम का निवेश न किये जाने के कारण 21.20 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने साख पत्र खोलने के बाद विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 1994 और 1997 के बीच लगभग 89 विदेशी उपस्कर अभिप्राप्त किया था। यह देखा गया था कि बिना लघु अवधि जमा योजना में निवेश किये हुये एक करोड़ रू. तक के साख–पत्र नियमित रूप से

खोलते रहे। साख–पत्र खोलने और सौदा करने के बीच 46 दिन से एक साल की अवधि रही थी। यदि भारत सरकार के निदेशों के अनुसार मार्जिनमॅनी को लघु अवधि जमा योजना में रखा गया होता तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से 21.20 लाख रू. का ब्याज अर्जित करती (भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (मुख्यालय) द्वारा 20.31 लाख रू. बंजर वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा 0.89 लाख रू.)।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर 1997 में बताया कि साख–पत्र के लिये बैंक में जमा की गई रकम लघु अवधि जमा योजना में रखी जायेगी।

(छ) वाहनों की खरीद पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मंहगी गाड़ियों की खरीद पर 28.33 लाख रू. का अतिरिक्त खर्च किया गया था

स्टाफ कार नियमों के अनुसार, सरकारी संगठनों को अनुमति है कि वह स्टाफ कार के रूप में प्रयोग करने के लिये एमबैस्डर, फिएट और वैन (ऊँची और सपाट छत के साथ) सहित मारूति कारें और जिप्सी खरीद सकते हैं। अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता लगा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने अपने सामान्य बजट/विश्व बैंक परियोजना द्वारा निधि में से कन्टेसा विश्व आदि जैसी 49.39 लाख रू. मूल्य की 12 महंगी कारें खरीद लिया था। इसके परिणामस्वरूप, तत्कालीन अनुमोदित कारों की विद्यमान कीमत के आधार पर संगणित 28.33 लाख रू. का अनियमित व्यय हुआ।

(ज) विलम्ब शुल्कों की गैर–वसूली

7.08 लाख रू. के विलम्ब शुल्क की वसुली नहीं हुई थी

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद 'प्लान्ट ग्रोथ चैम्बर' खरीदने का 70-77 लाख रू. लागत का आदेश दिसम्बर 1993 में मै. सान्यो गलान कैम्प, युनाइटिड किंगडम को दिया गया था। सितम्बर 1994 में सुपुर्दगी की अनुसूचित तारीख के स्थान पर नवम्बर 1995 में उपस्कर प्राप्त हो गया। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार आपूर्ति में 6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिये उपस्कर की लागत का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लगाया जाना था। तथापि, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ठेकागत शास्तिक प्रावधान लगाने में विफल रही और 7.08 लाख रू. वसूल नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार परिषद ने आहरण और संवितरण अधिकारी को निदेश दिया था कि विलम्ब शुल्क की वसूली की जाये।

9.1.8 लेखा

(क) लेखा बनाने के लिए अनुपयुक्त व्यवस्था

लेखा विंग होने के बावजूद लेखा बनाने और लेखापरीक्षा का कार्य उसी सनदी लेखाकार ने किया

एक अलग लेखा स्कंध होने के बावजूद, 1996-97 का वार्षिक लेखा मै.ए के कश्यप एन्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा बनाया गया था जिनको इस परिषद ने अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लगाया था। 1996-97 के दौरान 32 हजार रू. इस फर्म ने प्रभारित किये थे, जिसमे 22 हजार रू. लेखा कार्यों के लिए सम्मिलित था। लेखा तैयार करने का कार्य और उस लेखे की लेखापरीक्षा कार्य उसी फर्म को सौंपे जाने से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने भारी अनियमितता किया।

(ख) बकाया उपयोग प्रमाण–पत्र

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान विमोचित करती है। यद्यपि, यह अनुदान प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से निर्मुक्त किये जाते हैं। परन्तु इस परिषद ने अनुवर्ती अनुदान विमोचित करने के पहले उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर जोर नहीं डाला।

5.46 करोड़ रू. मूल्य के उपयोग प्रमाण–पत्र कृषि विश्व–विद्यालयों से बकाया थे जिसमें से 3.44 करोड़ रू. मूल्य के उपयोग प्रमाण–पत्र 3 वर्ष से ऊपर से बकाया थे

अभिलेखों की नमूना जॉच से पता लगा कि मार्च 1997 को 5.46 करोड़ रूपये कुल अनुदान के लिए 14 उपयोग प्रमाण–पत्र बकाया थे। इनमें से सात मामलों में कुल 3.44 करोड़ रूपये के उपयोग प्रमाण–पत्र तीन वर्षों से अधिक से बकाया थे। इस परिषद ने भी यह पता लगाने के लिए कोई चिन्ता नहीं व्यक्त किया कि क्या विश्व विद्यालयों ने मांगे गये प्रयोजनों पर धन को खर्च किया था। सामान्य वित्तीय नियमावली की आवश्यकता के अनुसार, अनुदान की मन्जूरी देते समय व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था संस्वीकृति में नहीं शामिल की गई थी। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में, व्यय की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा सबसे आगे किसी विश्व विद्यालय को पहले दिए गये अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने तक कोई और अनुदान नहीं दिया जायेगा।

9.1.9 अन्य महत्वपूर्ण बातें

(क) पर्याप्त राजस्व प्राप्तियों का प्रजनन

बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, 1992-93 से पेंशनदायित्व पूरा करने के लिये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को 'पेंशन फंड' बनाना पडा था। इसके लिये, यह तय हुआ था कि पुस्तकों, निविदा फार्म और नर्सरी के पौधों की बिक्री, परीक्षण शुल्क और परिषद द्वारा दिये गये कार्यों के लिये शुल्क जैसी परिषद की 2 से 3 करोड़ रू. की वार्षिक प्राप्तियों को प्रारम्भ में पेंशन फंड के रूप में जमा किया जायेगा, इसके साथ 5 से 6 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ रू. की आवश्यक निधि बनाने के लिये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के बजट से मैंचिंग ग्रांट भी दी जायेगी।

1992-97 के दौरान, केवल 4.83 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्तियॉ जमा हुई थी और राजस्व प्राप्तियों के कम प्रजनन के कारण मैचिंग ग्रॉट सहित 9.75 करोड़ रू. का राजस्व पेंशन फंड को अन्तरित किया गया था। इस प्रकार, परिषद के लिये यह सम्भव नहीं हो सकता कि इस दशक के अन्त तक 30 करोड़ रू. के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि राजस्व प्राप्तियों के प्रजनन की सम्भावना का पता लगाने के लिये परिषद में एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) तमिलनाडु वन विभाग के जल/विद्युत प्रभारों की गैर–वसूली

12.01 लाख रू. के पानी और बिजली प्रभारों की वसूली तमिलनाडु वन–विभाग से नही की गई थी

वन आनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटुर और तमिलनाडु वन विभाग के बीच अक्तूबर 1989 में हुई सहमति के अनुसार, बिजली, जल, सड़कों का रख रखाव और परिषद के प्रबन्ध के लिये सारा भुगतान पहली बार संस्थान को करना था और उसके बाद तमिलनाडु, वन विभाग को अपने

कार्यालय और वन आनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान परिसर में स्थित आवासीय मकानों के लिये कुल व्यय का 10 प्रतिशत भुगतान करना था।

1990-97 के दौरान, बिजली, पानी और सड़कों आदि के रख रखाव क लिये वन आनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटुर ने 1.20 करोड़ रू की राशि खर्च की थी। लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की जॉच से यह पता लगा कि 12.01 लाख रू. वार्षिक की दर से कुल व्यय के 10 प्रतिशत की दर से तमिलनाडु वन विभाग से इस राशि की वसूली करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि रकम की वसूली का मामला तमिलनाडु, वन विभाग के साथ उठाया जा चुका है।

(ग) पुस्तकालय

पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन शुरू से नहीं किया गया

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पुस्तकालय में 4.12 करोड़ रू. मूल्य की पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। तथापि, शुरू से ही उनके पुस्तकालय का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अत: स्टॉक की सत्यता का लेखापरीक्षा द्वारा नियतन नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 5 संस्थान भी अपने पुस्तकालयों में शुरू से ही पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने में विफल रहे।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये दिसम्बर 1997 में बताया कि प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रियाधीन था।

(घ) स्टॉक के प्रकाशनों का आधिक्य

29.69 लाख रू. की मूल्य के न बिके प्रकाशन भंडार में पड़े रहे

1991-97 के दौरान, 36.07 लाख रू. मूल्य के प्रकाशन छापे गये थे। इनमें से, जुलाई 1997 में 29.69 लाख रू. मूल्य के मुद्रित प्रकाशन स्टॉक में पड़े हुये थे। इसमें 1991 में 6 वर्ष पूर्व मुद्रित 7.31 लाख रू. मूल्य की मुद्रित सामग्री भी शामिल थी।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और दिसम्बर 1997 में बताया कि प्रथम संस्करण होने के कारण परिषद द्वारा इन पुस्तकों की मॉग निर्धारित करना कठिन था इनकी बिक्री के लिये सघन प्रयास किये जा रहे थे।

अध्याय 10 गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय

10.1 सौर ऊर्जा केन्द्र, गुड़गाँव

10.1.1 विषय–प्रवेश

गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के एक तकनीकी स्कंध सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की सहायता से 1982 में हुई थी। यह अपेक्षा की गई थी कि भारत में सौर ऊर्जा से संबधित उपकरण बनाने और उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन के लिए सरकार, उद्योग और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान संस्थानों के बीच यह कड़ी प्रदान करने का काम करेगा। सौर ऊर्जा केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य सौर तापीय और सौर फोटोबोलटाइक प्रौद्योगिकों से सम्बन्धित डिजाइन, परीक्षण, मानकीकरण, उत्पाद विकास सिस्टम इंजीनियरी तथा परामर्शी संसाधन नियतन प्रशिक्षण कार्यकलाप था।

10.1.2 लेखापरीक्षा–क्षेत्र

इस समीक्षा के अन्तर्गत क्या सौर ऊर्जा केन्द्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाया है के मूल्यांकन की दृष्टि से 1992–97 के दौरान सौर ऊर्जा उपकरण बनाने के लिये अनुसंधान–विकास और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर सौर ऊर्जा केन्द्र के कार्यकलापों का परीक्षण किया गया है।

10.1.3 संगठनात्मक ढाँचा

सौर ऊर्जा केन्द्र का प्रधान एक निदेशक होता है जिसके अन्तर्गत 6 प्रभाग/वर्ग हैं, प्रत्येक को एक विशिष्ठ कार्य क्षेत्र सौंपा गया हैं। यह हैं :

(i) सौर तापीय ऊर्जा ट्रैप करने के लिए सौर चूल्हों और फ्लैट प्लेट कलेक्टरों के परीक्षण के लिए सौर तापीय प्रभाग,

(ii) पी बी सेलों, पी बी मॉडयूलों, घरेलू प्रकाश प्रणाली, सड़क प्रकाश प्रणाली, सौर लालटेनों, जल पम्पों आदि के परीक्षण के लिए सौर फौटोवोल्टाइक प्रभाग,

(iii) तापीय मार्ग के माध्यम से सौर विद्युत प्रजनन के लिए विद्युत प्रजनन प्रभाग,

(iv) अनुसंधान आवश्यकताओं की देख रेख और उसके उपयोग के लिए सूचना और प्रचार वर्ग,

(v) मांग और संसाधनों के निर्धारण के लिए उत्पाद विकास और संसाधन वर्ग और

(vi) सौर ऊर्जा प्रयोग के क्षेत्र में समूह 15–विकासशील देशों में समन्वय और सहयोग के लिए अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग वर्ग

10.1.4 मुख्य मुख्य बातें

– **सौर ऊर्जा केन्द्र के लिए निधि की आवश्यकता को यथार्थ रूप से नही बताया गया था। जिसके परिणामवरूप, सौर ऊर्जा केन्द्र को 1992–97 के दौरान अबंटित निधि का एक तिहाई से अधिक समर्पित करना पड़ा था। बचत का प्रतिशत 5 से 59 तक रहा।**

(पैरा 10.1.5)

– **फोटो वोल्टाइक और सौर परीक्षण सुविधाओं के सृजन के पहले सम्भाव्यता अध्ययन नहीं कराया गया था। जिससे न केवल पांच वर्षों के दौरान इन सुविधाओं का उपयोग कम किया गया क्योंकि जाँच के लिये उद्योग से बहुत ही कम नमूने प्राप्त हो रहे थे गुणवत्ता नियन्त्रण और उत्पाद के उद्योग को समर्थन प्रदान करने का सौर ऊर्जा केन्द्र का उद्देश्य पूरा नही हो सका।**

सामग्री परीक्षण के लिए निर्धारित 89 लाख रु मूल्य के उपस्कर 22 से 57 महीने के विलम्ब के बाद प्रतिस्थापित हुये थे और दिसम्बर 1997 तक कोई सामग्री परीक्षण नहीं किया गया है जिसके कारण व्यय निष्फल हो गया।

(पैरा 10.1.6)

– **2.19 करोड़ रु की लागत का 50 के डब्लू क्षमता का सौर तापीय विद्युत संयंत्र जिसे विद्युत प्रजनन की सम्भाव्यता प्रदर्शित करने के**

लिए एक गाँव मे प्रतिस्थापित किया गया था नवम्बर 1990 से फरवरी 1996 तक पाँच वर्षों से अधिक तक प्रचालित नहीं हुआ। यद्यपि, उसे उखाड़ने की सिफारिश अक्तूबर 1994 में की गई थी परन्तु अनुसंधान विकास के संशोधित उद्देश्यों के साथ निर्धारित क्षमता को घटा कर 15–20 के डब्लू पर अन्तिम रूप से फरवरी 1996 में प्रचालनात्मक किया गया था, भी नही प्राप्त किया जा सका। इसकी मरम्मत, रख रखाव और स्टाफ के ऊपर 23.83 लाख रु सहित 2.43 करोड़ रु का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

(पैरा 10.1.7)

– 2.3 मिलियन डी एम की सहायता के साथ भारो–जर्मन परियोजना के अन्तर्गत उद्देश्यों के न प्राप्त होने का परिणाम विदेशी सहयोगियों द्वारा दूसरे चरण की सहायता के प्रास्थगन में हुआ।

(पैरा 10.1.9 (क))

– संयुक्त राज्य अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त परियोजना के अर्न्तगत सौर ऊर्जा केन्द्र ने जनवरी 1992 से जून 1993 के दौरान सीमा शुल्क और विलम्ब शुल्क के भुगतान पर 14.52 लाख रु का परिहार्य व्यय किया। अगस्त 1997 तक 2.80 करोड़ रु लागत की परियोजना पर कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया था।

(पैरा 10.1.9 (ख))

– संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के अर्न्तगत 1988–93 के दौरान, अभिग्रहित 12.24 लाख रु मूल्य के उपस्कर अगस्त 1997 तक भंडार में निष्क्रिय पड़े हुये थे। 24 वैज्ञानिक स्टाफ में से, 18 को सौर ऊर्जा केन्द्र से गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को स्थानातरित कर दिया गया था जिनको इस परियोजना के आयातित उपस्कर को प्रचालित करने के लिये विशेष रूप से विदेश में प्रशिक्षित किया गया था। समय से 2 साल से अधिक ऊपर तक परियोजना के चालू रहने के बावजूद, विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों के मिलेजुले एक मिशन द्वारा सिफारिश की गई कि कार्य योजना को लागू करने में सौर ऊर्जा केन्द्र विफल

रहा।

(पैरा 10.1.9 (ग))

– **19.81 लाख रु मूल्य के उपस्कर/भंडार 5 से 10 वर्षों की अवधि से भंडार में निष्क्रिय पड़े हुये थे।**

18.47 लाख रु की लागत से 1991 में निर्मित अतिथिगृह 5 वर्षों के लिये खाली रहा।

(पैरा 10.1.10)

10.1.5 जनशक्ति और वित्तीय परिव्यय

रिक्त वैज्ञानिक पद गैर–पारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिना भरे पड़े रहे

(क) जनशक्ति–सौर ऊर्जा केन्द्र में 1992 से जनशक्ति की विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी काडरों में लगातार कमी रही है। 31 मार्च 1997 को, 16 वैज्ञानिक, 29 तकनीकी, 7 प्रशासनिक और 42 अन्य पदों की संस्वीकृत शक्ति के स्थान पर क्रमश: 11,21,7 और 32 लोग तैनात थे। वैज्ञानिक पदों के सम्बन्ध में काडर नियन्त्रण प्राधिकारी गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय था। यह देखने में आया था कि सौर ऊर्जा केन्द्र से गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय मंत्रालय को अधिकारियों के स्थानान्तरण से हुई रिक्तियों को भरा नही जा रहा था।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुये ने दिसम्बर 1997 में बताया कि सौर ऊर्जा केन्द्र के वैज्ञानिक काडर में वृद्धि के लिये 3 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को अब तैनात किया जा चुका है।

(ख) वित्तीय परिव्यय

गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय की अनुदान माँगों में सौर ऊर्जा केन्द्र के लिये निधि को भी सम्मिलित किया गया था। इसको विभिन्न विदेशी सहयोगियों से वस्तुरूप में सहायता भी प्राप्त हुई थीं। प्राप्त हुई निधि और 1992–97 के दौरान हुये वास्तविक व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

(लाख रु. में)

वर्ष	बजट	व्यय	समर्पित रकम
1992-93	121	91.12	29.88
1993-94	210	90.51	119.49
1994-95	213	203.02	9.98
1995-96	213	193.29	19.71
1996-97	300	122.82	177.18
कुल	1057	700.76	356.24

निधि की आवश्यकता को तर्कपूर्ण ढंग से नही बताया गया

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि सौर ऊर्जा केन्द्र के लिये वित्त की आवश्यकता को तर्क संगत रूप से नही प्रस्तुत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 1992 से 1997 के दौरान आबंटित निधि का एक तिहाई से अधिक समर्पित कर दिया गया था। प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत बचत के वर्ष–वार ब्यौरे निम्नानुसार थे:

(लाख रु. में)

वर्ष	लेखा शीर्ष								
	वेतन			मशीन व उपस्कर			प्रदर्शन		
	बजट	व्यय	बचत	बजट	व्यय	बचत	बजट	व्यय	बचत
1992-93	35.60	30.19	5.41	10.00	3.73	6.27	2.00	–	2.00
1993-94	42.00	31.43	10.57	–	–	–	34.00	7.20	26.80
1994-95	48.00	33.81	14.19	–	—	—	—	—	—
1995-96	48.00	40.24	7.76	150.00	14.95	135.05	–	–	–
1996-97	53.00	48.03	4.97	75.00	17.15	57.85			

* 1.4.1996 से 'प्रदर्शन' शीर्ष को 'मशीनरी और उपस्कर' के साथ मिला दिया गया है।

'वेतन' शीर्ष के अन्तर्गत बचत इस तथ्य के कारण थी कि सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा वास्तविक स्टाफ के स्थान पर संस्वीकृति शक्ति के लिये बजट प्रस्ताव तैयार किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, रिक्त पदों के लिये प्रदत्त निधि समर्पित हो गई थी। 'मशीनरी और उपस्कर' शीर्ष में अधिक बचत उपलब्ध विदेशी सहायता से वित्तपोषित उपस्कर की अतिरिक्त मदों की आवश्यकता के समय से निर्धारण में विफलता के कारण हुई थी।

जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुये मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि परियोजना निरूपण के लिये अन्य

अनुसंधान–विकास संस्थानों के साथ परस्पर क्रिया के लिये लगे समय ने भी निधि का उपयोग न किये जाने में अंशदान किया।

10.1.6 परीक्षण और मानकीकरण

सम्भाव्यता अध्ययन न कराये जाने के कारण सौर तापीय और फोटोवोलटाइक दोनों परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कम हुआ

सौर ऊर्जा केन्द्र के उद्देश्यों के अनुसार, प्रतिसम्भरण के आधार पर देश में विकसित और अद्यतन मानकों से सम्बन्धित सौर तापीय और फ़ोटो वोलटाइक परीक्षण कार्यकलापों में समन्वयन के लिए इसे एक नोडीय और जांच के लिए भेजे जाने वाले परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करना था। इस उद्देश्य के अनुसरण में, सौर ऊर्जा केन्द्र ने 1992–97 के दौरान सौर तापीय और फोटोवोलटाइक परीक्षण सुविधायें स्थापित किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि प्राप्त होने वाले और परीक्षण किये जाने वाले नूमनों की संख्या निर्धारण के लिये सुविधाओं के सृजन के पूर्व कोई सम्भाव्यता अध्ययन नही कराया गया था। गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने भी आर्थिक सहायता देते समय इसे अनिवार्य नही बनाया कि सभी निर्माता अपने उत्पादों को सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा परीक्षित और प्रमाणित करवा ले। इसके परिणामस्वरूप, परीक्षण के लिये इन सुविधाओं द्वारा प्राप्त हुये नमूनों की संख्या बहुत कम थी। और उत्पाद–सुधार के लिये उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के अपने कथित उद्देश्य को नही प्राप्त कर सका।

इन सुविधाओं के सम्बन्ध में सौर ऊर्जा केन्द्र, द्वारा उसके कार्यों की समीक्षा से निम्न बातों का पता लगा:

(क) सौर तापीय परीक्षण सुविधा

सौर तापीय परीक्षण सुविधा की स्थापना गुडगाँव में 1992–93 के दौरान की गई थी। भारतीय मानक ब्युरो द्वारा निर्धारित मानकों का परीक्षण में अनुपालन किया गया था।

51 में से केवल 13 निर्माता पिछले पाँच वर्षों के दौरान 62 नमूनों के परीक्षण के लिये सौर ऊर्जा केन्द्र में आये

यह देखा गया था कि बाजार में सौर तापीय सिस्टमों के 51 निर्माताओं में से, सौर ऊर्जा केन्द्र के पास सौर चूल्हो के 16 और सौर कलेक्टरों के 46 नमूने 1992–97 के दौरान 13 निर्माताओं से प्राप्त हुये। इसलिये सौर ऊर्जा केन्द्र ने प्रत्येक वर्ष औसतन सौर चूल्हों के तीन नमूनों और सौर कलेक्टरों के नौ नमूनों का परीक्षण किया जिससे परीक्षण सुविधा के उप–इष्टतम उपयोग का पता चलता है।

परीक्षण सुविधा के कम उपयोग तथ्य को स्वीकार करते हुये, सौर ऊर्जा केन्द्र ने अगस्त 1997 में बताया कि सौर फ्लेट प्लेट कलेक्टरों और सौर चूल्हों पर निर्माताओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्रमश: 1993 और 1994 से गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा वापस ले ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, सौर ऊर्जा पर उत्पादों को चलाने के लिये निर्माताओं को ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 के अपने उत्तर में बताया कि इस सुविधा के उपयोग को बढ़ाने के लिये शुरूआत की जा रही थी।

(ख) सौर–फोटोवोलटाइक परीक्षण सुविधा

फोटोवोलटाइक सिस्टमों के 74 निर्माताओं में से केवल 22 परीक्षण के लिये सौर ऊर्जा केन्द्र में आये

दिसम्बर 1994 में सौर ऊर्जा केन्द्र में एक फोटोवोलटाइक परीक्षण सुविधा स्थापित की गई थी। मार्च 1997 में , इस क्षेत्र में पी. वी. सिस्टम के 74 निर्माताओं मे से, परीक्षण के लिये केवल 22 निर्माता सौर ऊर्जा केन्द्र में आये। 1994–97 के दौरान, प्राप्त हुये और परीक्षित नमूनों के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

उत्पाद	वर्ष के दौरान परीक्षित नमूनों की संख्या			
	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
सौर कक्ष	24	50	--	74
पी वी मॉड्यूल्स	100	300	218	618
घरेलू प्रकाश व्यवस्था	08	04	06	18
सड़क प्रकाश व्यवस्था	01	03	07	11
सौर लालटेन	50	210	101	361
पी वी जल पम्प व्यवस्था	--	01	02	03
कुल	183	568	334	1085

जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है, पी वी मॉड्यूलों और सौर लालटेनों के अतिरिक्त, सभी उत्पादों के मामलों में जाँच किये गये नमूनों की संख्या सीमान्तक थी। सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा इस सुविधा के कम उपयोग के तथ्य को अगस्त 1997 में स्वीकार कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में सौर ऊर्जा केन्द्र ने बताया कि गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण केवल सौर्य लालटेनों और पी वी मॉड्यूलों के लिये अनिवार्य था। अन्य सिस्टमों के लिये परीक्षण, निर्माताओं/प्रयोगताओं की इच्छा पर था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि सौर ऊर्जा केन्द्र तकनीकी विशिष्टीकरण और मानकों की तैयारी में सहायता कर रहा था और इस समीक्षा की अवधि के दौरान बहुत से नमूनों और सिस्टमों का परीक्षण किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने यह माना कि सुविधा का उपयोग सरकारी नीति पर आधारित था। सिस्टमों का परीक्षण अनिवार्य न होने के कारण इस सुविधा का उपयोग इससे प्रभावित हुआ।

1.05 करोड़ रु. की लागत से फोटोवोलटाइक नमूनों के परीक्षण के लिये नये केन्द्रों की स्थापना उचित नही थी

ग्वालपहाड़ी (गुड़गाँव) स्थित परीक्षण सुविधा के अतिरिक्त, मंत्रालय ने 1.12 करोड़ रु संस्वीकृत किया था और बैंगलोर, कलकत्ता तथा थिरूअनन्तपुरम में तीन अतिरिक्त फोटोवोलटाइक परीक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये सौर ऊर्जा केन्द्र को मार्च 1997 तक 1.05 करोड़ रु निर्मुक्त किया क्योंकि पी वी घटकों और सिस्टम के अधिकाँश निर्माता दक्षिणी राज्यों में स्थित थे। सौर ऊर्जा केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ने जुलाई 1997 में इन तीन केन्द्रों का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, 1996–97 में स्थापित किये गये परीक्षण केन्द्रों को उनकी पूरी क्षमता से उपयोग में नही लाया गया। इस सुविधा के कम उपयोग का प्रमुख कारण निर्माताओं में चेतना की कमी थी। प्रत्यक्षत:, तीन अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना से पहले गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा निर्माताओं को दी जाने वाली सेवाओं की सम्भावित माँग का निर्धारण नही किया। तथापि, सौर ऊर्जा केन्द्र इन केन्द्रों पर अपने उत्पादों का परीक्षण कराने के लिये निर्माताओं में चेतना जगाने में विफल रहा। इसके कारण इन केन्द्रों को स्थापित करने पर किया गया 1.05 करोड़ रु. का व्यय ज्यादातर निष्फल हो गया।

मंत्रालय का दिसम्बर 1997 का उत्तर कि इन तीन केन्द्रों पर 1997–98 में कार्यकलाप बढ़ गये हैं स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इन केन्द्रों द्वारा वास्तव में किये गये परीक्षणों के आंकड़ों से अपने तर्क का सर्मथन करने में विफल रहा।

(ग) सामाग्री अनुसंधान और परीक्षण

सामाग्री परीक्षण न कराकर सौर ऊर्जा केन्द्र विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा, 89 लाख रु मूल्य के प्रयोजन के लिये निर्धारित उपस्कर निष्क्रिय रहे

सौर ऊर्जा साधनों के टिकाऊपन और उनकी विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिये उनकी दक्षता बढ़ानी और उनकी कीमत घटानी चाहिये। 1989–90 में सौर ऊर्जा केन्द्र ने सामाग्री परीक्षण के लिये 89 लाख रु मूल्य के उपस्कर निर्धारित कर दिये थे। तथापि, तापीय परीक्षण सुविधा की स्थापना में विलम्ब

के कारण इन उपस्करों के प्रतिष्ठापन में 22 से 57 महीनों तक की अवधि का विलम्ब हुआ। यह देखा गया था कि अगस्त 1997 तक कोई भी सामग्री परीक्षण नही किया गया था उनकी विश्वसनीयता और टिकाऊपन को दृष्टि में रखकर सौर उपकरणों का मानकीकरण नही हुआ। इस प्रकार, 89 लाख रु का व्यय फलीभूत नही हुआ।

मंत्रालय ने सुविधा की स्थापना में विलम्ब के तथ्य को स्वीकार किया और उनके वैज्ञानिक कार्मिकों के पर्याप्त न होने का इसका कारण बताया।

10.1.7 सौर तापीय विद्युत प्रजनन

गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने 50 के डब्लू बिजली प्रजनन के लिये लाइन फोकसिंग कलेक्टरों के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के अछेजा गाँव में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना का निर्णय 1984 में लिया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों में छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा से विद्युत प्रजनन के लिये सम्भाव्यता प्रदर्शित करना था। फरवरी 1988 में ग्वाल पहाड़ी में सौर ऊर्जा केन्द्र के निर्माण के साथ उनकी वर्कशाप में संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करने के लिये सौर ऊर्जा केन्द्र परिसर में इस संयंत्र को प्रतिष्ठापित किये जाने का गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने निर्णय लिया। यह संयंत्र 2.19 करोड़ रु. की कुल लागत से अप्रैल 1989 में चालू किया गया था।

इसके प्रचालन के दौरान, रिफलेक्टरों और रिसीवर टयुबों में कई समस्याएं आ गई और अन्त में संयंत्र नवम्बर 1990 में बन्द कर दिया गया। सौर ऊर्जा केन्द्र के सलाहकार और प्रधान ने रिफलेक्टरों और रिसीवर टयुबों को नया रूप देने/पुननिर्माण के लिये अनुमानित 3 से 4 करोड़ रु. के भारी व्यय की दृष्टि से अक्तूबर 1994 में इस संयंत्र को विखंडित करने की सिफारिश की गई। तथापि, सौर तापीय वर्ग इस विचार का था कि गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा जोधपुर, राजस्थान में स्थापित किये जाने वाले 30 मेगावाट विद्युत संयंत्र और भविष्य में लगाये जाने वाले इसी प्रकार के अन्य संयंत्रों के लिये प्रशिक्षण और तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिये प्रदर्शन इकाई के रूप में काम कर सकता है। इस प्रकार, इस संयंत्र को फरवरी 1996 में घटी हुई 10–15 के डब्लू की क्षमता पर प्रचालनात्मक किया गया।

50 के डबलू सौर तापीय विद्युत संयंत्र के प्रतिष्ठापन और रख रखाव पर 2.43 करोड़ रु. खर्च करने के बाद भी, 5 साल से अधिक तक अप्रचालनात्मक रहा

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सौर ऊर्जा केन्द्र ने बन्द रखने के दौरान वेतन और रख रखाव (प्रत्येक पर 10 लाख रु., कार्यशाला के साथ संयंत्र को जोड़ने के लिये भूमिगत केबलों पर 0.55 लाख रु. और संयंत्र को पुन: कार्य करने योग्य बनाने पर 3.28 लाख रु.) पर मार्च 1997तक 23.83 लाख रु. का कुल व्यय किया। तथापि, मई 1989 से मार्च 1997 तक 72 दिन चलाकर इस संयंत्र से केवल 1520 के डब्लू एच (इकाई) का प्रजनन किया गया। प्रस्तावित 30 एम डबलू तापीय विद्युत संयंत्र, जोधपुर भी नही स्थापित किया गया था।

इस प्रकार, 2.19 करोड़ रु. की लागत से स्थापित विद्युत संयंत्र 5 वर्षों से अधिक से अप्रचलनात्मक रहा और 23.83 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी उसके उद्देश्य नही प्राप्त किये गये। सौर ऊर्जा केन्द्र ने बताया कि सौर विद्युत प्रजनन पर अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में 50 के. डब्लू सौर तापीय विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किये जाने का कार्य शुरू किया गया था, और परियोजना के उद्देश्यों में यह परिकल्पना की गई थी कि इस संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का प्रयोग कार्यशाला में किया जायेगा। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस परियोजना का प्रारम्भिक उद्देश्य कम पैमाने पर विकेन्द्रीकृत विद्युत प्रजनन संयंत्र के रूप में था। यह केवल संयंत्र को पुर्नचालित करने के समय था कि इसे अनुसंधान–विकास परियोजना के रूप में कल्पित किया गया था। सौर ऊर्जा केन्द्र का यह तर्क भी कि यह संयंत्र केवल विद्युत प्रजनन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और शोधकर्त्ताओं के लिये प्रदर्शन परियोजना के रूप में प्रयोग किया गया का सम्बन्द्ध आंकड़ों अथवा प्रौद्योगिकी प्रर्दशन दस्तावेजों द्वारा समर्थन नही किया गया था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि कुछ टूटे हुये घटकों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र की वर्तमान हालत हुई है।

इस प्रकार, संयंत्र स्थापित करने का प्रयोजन समाप्त हो गया, जिसके कारण मार्च 1997 तक कुल 2.43 करोड़ रु. का व्यय अनुत्पादक हो गया।

10.1.8 कार्यशाला

एक कार्यशाला सौर ऊर्जा केन्द्र के विभिन्न प्रभागों के विकास और प्रशिक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिये आवश्यक मशीनी मदों की संरचना और रख रखाव के लिए सौर ऊर्जा केन्द्र में 1982 से एक प्रयोगशाला कार्यरत थी। यह प्रयोगशाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के अन्तर्गत 1983–90 के

मध्य अभिग्रहीत 14.55 लाख रु. मूल्य की मशीनों और उपस्करों से सज्जित थी।

पर्याप्त कार्य की कमी के कारण कार्यशाला का उपयोग कम हुआ था

कार्यशाला में, सौर तापीय और फोटोवोलटाइक दोनों से संरचना कार्य प्रमुख रूप से परीक्षण सुविधाओं से प्राप्त होने की कल्पना की गई थी। पर्याप्त नमूनों के अभाव में दोनों सुविधाओं का कम उपयोग होने के कारण, नियमित रूप से कार्यशाला को काम नही दे सके। सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा बनाये गये जॉब कार्डों और जॉब रजिस्टरों की जाँच से पता लगा कि 1992–97 के दौरान, कार्यशाला को केवल 151 जॉब मिले थे जिनमें से 119 जॉब मरम्मतों और अनुरक्षण, छोटे काम आदि और 32 संरचना से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि 1993–96 के दौरान, कर्मचारियों ने वर्ष में केवल एक या दो महीने काम किया था और अवधि के बाकी समय खाली रहे। 1992–96 के मध्य एक फोरमैन सहित 22 अधिकारियों को नियोजित किया गया और लेखापरीक्षा के आग्रह पर 1996–97 से कर्मचारियों की संख्या घटाकर 14 कर दी गई थी। अगस्त 1997 में सौर ऊर्जा केन्द्र ने मान लिया कि पर्याप्त कार्यभार के अभाव में कार्यशाला का उपयोग कम हुआ।

मंत्रालय ने तथ्यों को दिसम्बर 1997 में स्वीकार कर लिया।

10.1.9 विदेशी सहयोग परियोजना

अपने उद्देश्यों के अनुसरण करने के लिये, सौर ऊर्जा केन्द्र ने विदेशी एजेन्सियों के सहयोग से निम्नलिखित परियोजनाओं को लागू किया। ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नानुसार है:

(क) भारो–जर्मन सहयोगी परियोजना

सौर साधनों के अबाध परीक्षण के लिये आन्तरिक और बाह्य परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिये भारो–जर्मन सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 वर्षों की अवधि की एक परियोजना की परिकल्पना सितम्बर 1990 में की गई थी। इसमें जर्मनी की सहायता 2.3 मिलियन डी एम थी और भारत सरकार की ओर से 20 लाख रु. भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिये थी।

यह परियोजना सितम्बर 1990 में शुरू हुई थी और मार्च 1995 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप, सौर तापीय सिस्टम के

लिये एक समान मानक और सौर तापीय सिस्टमों/घटकों के तकनीकी जानकारी अन्तरण जैसे कुछ उद्देश्यों को नही प्राप्त किया गया था।

उद्देश्यों की अप्राप्ति का परिणाम दूसरे चरण के नियोजन में हुआ और वह भी अभी तक साकार नही हुआ

शेष उद्देश्यों विशेषकर, सौर तापीय सिस्टम के मानकीकरण और तकनीकी जानकारी उद्योग को अन्तरित करने को प्राप्त करने के लिये दोनों पक्षों ने दो वर्षों के द्वित्तीय चरण पर सहमत हुये थे। मई 1994 में आयोजित एक कार्यशाला में दूसरे चरण की योजना बनाते समय, जर्मन टीम ने सौर ऊर्जा केन्द्र और उद्योग के मध्य सम्बन्धों की कमी और परियोजना के लिये कार्मिकों की अनुपलब्धता पर चिन्ता प्रगट किया। सौर ऊर्जा केन्द्र को स्वायत्त हैसियत देने का प्रश्न भी उठाया गया था। जर्मन टीम ने बताया कि इन मामलों को तय करने के बाद ही वह द्वित्तीय चरण के लिये सहायता करने में समर्थ होगें तथा सौर ऊर्जा केन्द्र ने उद्योग के साथ अपने अन्तरापृष्ठ (इन्टरफैस) को मजबूत करने के लिये कोई कार्यावाही नही शुरू की। जहाँ तक सौर ऊर्जा केन्द्र को स्वायत्त हैसियत प्रदान करने का प्रश्न था यह मामला फरवरी 1996 से गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के विचाराधीन बताया गया था। नवम्बर 1997 तक कोई निर्णय नही लिया गया था।

सौर ऊर्जा केन्द्र के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित बातों का पता लगा:

दिसम्बर 1997 तक सौर तापीय सिस्टम परीक्षण सुविधा स्थापित नही की जा सकी

(i) सौर ऊर्जा केन्द्र केवल सौर कलेक्टर परीक्षण सुविधा स्थापित करने में सफल हुआ जबकि दिसम्बर 1997 तक सिस्टमों की परीक्षण सुविधा नही स्थापित हुई थी क्योंकि दूसरा चरण शुरू नही हो सका था।

प्रशिक्षण पश्चात् विदेश से अपनी वापसी के तुरन्त बाद सौर ऊर्जा केन्द्र के वैज्ञानिक स्टाफ को गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिये गये थे

(ii) सौर ऊर्जा केन्द्र ने अपने 4 वैज्ञानिक स्टाफ को सौर ऊर्जा केन्द्र में प्रतिष्ठापित होने वाली सुविधाओं के प्रतिष्ठापन, प्रचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा था। इन प्रशिक्षित अधिकारियों को उपस्कर के प्रचालन और रख रखाव के लिये वैज्ञानिकों के सार वर्ग के रूप में काम करना था। यह देखने में आया था कि 4 प्रशिक्षित वैज्ञानिक स्टाफ में से 3 को प्रशिक्षण से वापस आने के तुरन्त बाद गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(iii) मई 1994 में आयोजित कार्यशाला के 3 वर्षो से अधिक का समय हो जाने पर भी सौर ऊर्जा केन्द्र को किसी भी उद्योग/प्रयोक्ता से इसे अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर पर लाने के लिये उत्पादन तकनीकों को अद्यतनीकरण विशेषज्ञ सलाह के लिये कोई प्रतिसंभरण नही प्राप्त हुआ था।

(ख) संयुक्त राज्य अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी परियोजना

सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा संयुक्तराज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के सहयोग से 3 वर्षो के लिये पी वी परीक्षण सुविधा और धातुवस्तु अभिग्रहण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षेत्र मूल्यांकन के सृंजन के लिये फरवरी 1991 में एक परियोजना शुरू की गई थी। उपस्कर और प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राज्य अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी का भाग 549000 अमरीकी डालर सममूल्य 1.42 करोड़ रु. था और सिविल निर्माण, स्टाफ और उपस्करों आदि की व्यवस्था के लिये भारत सरकार को 1.38 करोड़ रु. का अंशदान देना था।

अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित चूकों का पता लगा:

(i) भारत में निर्मित न होने वाले जिन वैज्ञानिक/ तकनीकी उपस्करों का शोध कार्यों के लिये आयात होता है उन पर सीमा शुल्क का भुगतान नही होता यदि आयातित उपस्करों को सीमा शुल्क से छुड़ाने के पहले महानिदेशक तकनीकी विकास से 'भारत में निर्मित नही होत' और सीमा शुल्क छुट के प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। सौर ऊर्जा केन्द्र इस परियोजना के अर्न्तगत प्राप्त हुये उपस्कर को छुड़ाते समय ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहा और जनवरी 1992 से जून 1993 के दौरान, 12.03 लाख रु. सीमा शुल्क भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा केन्द्र परेषणों को छुड़ाने में 2 से 11 महीनों के विलम्ब के कारण विलम्ब शुल्क भुगतान पर 2.49 लाख रु. का व्यय भी किया था। विलम्ब का कारण संयुक्त राज्य अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी प्राधिकारियों द्वारा पहले प्रदत्त सूची से नाम विवरण और उपस्कर की लागत में परिवर्तन को बताया गया था। सौर ऊर्जा केन्द्र द्वारा 14.52 लाख रु. का परिहार्य भुगतान करने के लिये किसी को जिम्मेदार नही बताया गया था।

सौर ऊर्जा केन्द्र ने सीमा शुल्क और विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए 14.52 लाख रु. का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान किया

(ii) परियोजना प्रस्ताव के अनुसार, परीक्षण सुविधा की विभिन्न श्रेणियों के अर्न्तगत 21 कार्मिकों को नियेाजित किया जाना था परन्तु अगस्त 1997 तक इन पदों के विपरीत किसी भी स्टाफ को नियोजित नही किया गया था। सौर ऊर्जा केन्द्र ने स्वीकार किया कि प्रशिक्षित जनशक्ति के अभाव में अनुसंधान–विकास, परीक्षण और मूल्यांकन कार्य में रूकावट आयी। मंत्रालय ने तथ्यों को दिसम्बर 1997 में स्वीकार कर लिया था।

परियोजना पर कोई स्टाफ नियोजित नही किया गया था

(ग) संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना

सौर तापीय ऊर्जा में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यातनीकरण के लिये सुविधा स्थापित करने, प्रोटोटाइप विकास और संरचना, सिस्टम इन्जीनीयरी, प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण की स्थापना के लिये, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने "सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र'' नामक एक परियोजना 1981 में शुरू किया था। इस परियोजना को दो चरणों में नियोजित किया गया था।

परियोजना का प्रथम चरण सौर ऊर्जा केन्द्र के वैज्ञानिक स्टाफ को विदेश में विशेषज्ञ सामग्री/उपस्कर में प्रशिक्षण के रूप में 3.72 मिलियन अमरीकी डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता से 1984 में शुरू किया गया था। भारत सरकार को वेतन, भूमि, भवन आदि के लिये 3.25 करोड़ रु. का अंशदान करना था। प्रथम चरण का प्रमुख उद्देश्य सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र की स्थापना, उपस्करों की अभिप्राप्ति और प्रतिष्ठापन तथा प्रशिक्षण थे।

प्रथम चरण से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा के परिणाम निम्ननानुसार थे:

प्रशिक्षित जन शक्ति का गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय को स्थानान्तरण से प्रशिक्षण निष्फल हो गया

(i) सौर ऊर्जा केन्द्र ने 24 वैज्ञानिक स्टाफ को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा। प्रशिक्षित स्टाफ में से, 18 की गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को बदली कर दी गई थी। इन प्रशिक्षित स्टाफ की बदली हो जाने से प्रशिक्षण निष्फल हो गया क्योंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य आयातित उपस्करों के प्रचालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करना था।

1988-93 के दौरान अभिप्राप्त 12.24 लाख रु. मूल्य के उपस्कर अनुपयोगित पड़े थे

(ii) यद्यपि, परियोजना का प्रथम चरण 1984 में शुरू हुआ परन्तु प्रथम चरण (1984-88) के दौरान कोई उपस्कर नही प्राप्त हुआ था क्योंकि सौर ऊर्जा केन्द्र ने उपस्कर के लिये क्रय आदेश विलम्ब से प्रस्तुत किया था और सौर ऊर्जा केन्द्र के भवन के पूरा होने में विलम्ब हुआ। यह उपस्कर 1988 से 1993 के दौरान प्राप्त हुये थे। भंडार अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि इनमें से 12.24 लाख रु मूल्य के कुछ परिष्कृत उपस्कर/फालतू पुर्जे आदि नवम्बर 1997 से भंडार में पड़े थे। मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि सौर ऊर्जा केन्द्र के प्रशिक्षित कार्मिकों की मंत्रालय में बदली कर दिये जाने के कारण उपस्कर और भंडारों का उपयोग नही किया गया।

द्वितीय चरण, सामग्री/उपस्कर के लिये 1.51 मिलियन डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता और बुनियादी सुविधाओं के लिये 3.18 करोड़ रु. के भारत सरकार के अंशदान से मार्च 1988 में शुरू हुआ था। द्वितीय चरण के प्रमुख उद्देश्य (i) सुविधाओं की शुरूआत, (ii) तापीय साधनों के लिये परीक्षण मानकों की तैयारी, (iii) प्रौद्योगिकी अन्तरण आदि थे। यह परियोजना अपनी अनुसूचित अवधि के 2 वर्ष बाद दिसम्बर 1993 तक चालू रही।

मूल्यांकन दल द्वारा यथा संस्तुत्य पर अनुगामी कार्यवाही योजना नहीं शुरू की गई थी

जुलाई 1993 के दौरान, विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों के संयुक्त मिशन ने परियोजना का मूल्यांकन करके बताया कि अयथार्थवादी समय योजना के कारण परियोजना को लागू करने में विलम्ब हुआ। इसने यह भी बताया कि उपस्करों के लिये आदेश प्रस्तुत करने, प्रतिष्ठापन और शुरू किये जाने में सौर ऊर्जा केन्द्र ने विलम्ब किया। सौर ऊर्जा केन्द्र में तकनीकी स्टाफ की कमी थी। मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित 3 वर्ष के लिये अनुगामी कार्य योजना की सिफारिश किया। तथापि, सौर ऊर्जा केन्द्र अनुगामी कार्यवाही करने में विफल रहा।

10.1.10 अन्य महत्वपूर्ण बातें

(क) भंडारों का जारी न होना

19.81 लाख रु. मूल्य के उपस्कर/भंडार पिछले 5 से 10 वर्षों तक जारी नही किये गये

सौर ऊर्जा केन्द्र के केन्द्रीय भंडार द्वारा बनाये गये विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों की समीक्षा से देखा गया कि 19.81 लाख रु मूल्य की मशीनें, उपस्कर, औजार, रसायन आदि 90 मदें उनके खरीदे जाने के बाद से पिछले 5 से 10 वर्षों तक जारी नही किये गये थे। जारी न किये जाने के कारण यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि इन वस्तुओं के खरीदने का कोई औचित्य नहीं था। मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि औजार और पैमाइश के उपकरण जैसी कुछ भंडार मदें कार्यशाला को जब और जैसी आवश्यकता पड़ने पर कर्ज के आधार पर दिये गये थे।

(ख) अतिथि गृह के निर्माण पर निष्फल व्यय

18.47 लाख रु. की लागत से निर्मित अतिथि गृह 5 वर्षों से अधिक तक खाली पड़ा रहा

सौर ऊर्जा केन्द्र, ग्वाल पहाड़ी (गुड़गाँव) में 18.47 लाख रु. की लागत पर प्रशिक्षार्थियों और आगन्तुकों के लिये 6 सूट 1991 में बनाये गये थे तथापि, 5 वर्षों तक यह खाली पड़े रहे और मार्च 1996 से प्रचालनात्मक हुये। सौर

ऊर्जा केन्द्र ने बताया कि आगन्तुक और प्रशिक्षणार्थी इस अतिथि गृह में आना पसन्द नही करते क्योंकि यह दूर स्थित है और लोक परिवहन और भरोसेमन्द दूर-संचार नेटवर्क/आसपास में बाजार अथवा अस्पताल सुविधा की उपलब्धता जैसी सम्बन्धित सुविधाओं की कमी है।

उपरोक्त समस्याओं के बारे में पहले से सोचा जा सकता था। 18.47 लाख रु. के व्यय से वांछित प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई।

(ग) 1.06 करोड़ रु. मूल्य के उपस्कर/फालतू पुर्जो का केन्द्रीय भंडार में लेखांकित न किया जाना

1.06 करोड़ रु. मूल्य के उपस्कर/ फालतू पुर्जे केन्द्रीय भंडार के अभिलेख से बाहर रखे गये

संयुक्त राज्य अर्न्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी और भारो-जर्मन परियोजना के अर्न्तगत खरीदे गये 1.06 करोड़ रु. मूल्य के उपस्कर/फालतू पुर्जों को केन्द्रीय भंडार में लेखांकित नहीं किया गया था जो वित्तीय नियमों का उलंधन है। इससे अप्रभावी वस्तु-सूची नियन्त्रण का पता लगता है

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि भंडार अधिकारी के निलम्बित होने के कारण दो वर्षों से उनकी सेवाये उपलब्ध न होने के कारण वस्तुसूची तैयार करने के काम में विलम्ब हुआ। आगे यह भी बताया गया कि सौर ऊर्जा केन्द्र ने अब यह कार्य शुरू कर दिया था।

(घ) गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय का समीक्षा प्रतिवेदन

गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सलाहकार, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निदेशक की एक समिति का अगस्त 1996 में गठन किया जिसको सौर ऊर्जा केन्द्र के कार्य की समीक्षा करनी थी। उसी महीने में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में सौर ऊर्जा केन्द्र की अनुपयुक्त कार्यशैली के लिए विशेषज्ञ का अभाव, अपर्याप्त स्टाफ, केन्द्र को त्रुटिपूर्ण विद्युत आपूर्ति और सौर ऊर्जा केन्द्र तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक कार्मिकों के आन्तरिक परिवर्तन की नीति को उत्तरदायी ठहराया गया। यद्यपि, इस समिति को गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था, परन्तु नवम्बर 1997 तक गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा इस समिति की टिप्पणियों पर कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि इस मामले पर मंत्रालय की नीति निर्मात्री निकाय 'अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग' द्वारा विचार किया गया था और इस मामले पर अन्तिम कार्यवाही निकट भविष्य में की जायेगी।

नई दिल्ली।
दिनांक :

(तापस कुमार सान्याल)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

8 MAY 1998

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली।
दिनांक :

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

8 MAY 1998

परिशिष्ट I

स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान

(संदर्भ पैराग्राफ सं.1.1.7 पृष्ठ 8)

(करोड रू. में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	1996-97 में प्राप्त अनुदान राशि
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
1.	टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई	33.87
2.	साह नुक्लियर भौतिकविज्ञान संस्थान, कलकत्ता	9.98
3.	भौतिकविज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	6.06
4.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी विद्यालय, बम्बई	3.28
5.	टाटा भौतिक अनुसंधान संस्थान, बम्बई	54.50
6.	मेहता गणितीय भौतिक संस्थान, इलाहाबाद	2.62
	जोड़	110.31
	इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	
7	उन्नत संगणन विकास केन्द्र, पुणे	11.07
8	प्रायोगिक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी अनुसंधान सोसाइटी, बम्बई	7.19
9	इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास केन्द्र, बैंगलौर	1.01
10.	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई	3.88
11.	भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद	0.54
12.	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान	3.08
13.	इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	उपलब्ध नहीं है
14.	लिक्विड क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र	उपलब्ध नहीं है
	जोड़	26.77
	पर्यावरण, वन और वन्यप्राणी विभाग	
15.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	11.63
16.	भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल	2.62
17.	भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून	4.40
18.	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून	52.50
19.	भारतीय केन्द्रीय प्राणीविज्ञान प्राधिकरण, नई दिल्ली	3.30
20.	पद्मजा नायडू हिमालय प्राणीउद्यान, दार्जिलिंग	0.06
21.	जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोडा	4.57
22.	भारतीय प्लाइवुड अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलोर	1.29

23.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	2.15
24.	ऐक्सीलेंन्स केन्द्र	6.04
25.	भारतीय वन उत्पादक्ता संस्थान, रांची	उपलब्ध नहीं है
	जोड़	88.56
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	
26.	श्री चित्रातिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, थिरूअनन्तपुरम	18.05
27.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षी संस्थान, नई दिल्ली	9.20
28.	रमण अनुसंधन संस्थान, बैंगलोर	7.69
29.	बोस संस्थान, कलकत्ता	6.40
30.	भारतीय उष्णप्रदेशीय मौसमविज्ञान संस्थान, पुणे	3.94
31.	भारतीय विज्ञान परिष्करण एसोसिएशन, कलकत्ता	7.68
32.	भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बैंगलोर	13.12
33.	भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, बम्बई	5.84
34.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता	0.74
35.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	5.42
36.	बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान संस्थान, लखनऊ	3.90
37.	वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून	3.80
38.	एस.एन.बोस राष्ट्रीय प्राथमिक विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता	2.62
39.	महाराष्ट्र विज्ञान परिष्करण संघ, पुणे	2.81
40.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलोर	1.35
41.	प्लाजमा रिसर्च संस्थान, अहमदाबाद	9.11
42.	जे.एन.उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	5.17
43.	भारतीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	0.44
44.	प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	4.97
45.	विज्ञान प्रसाार, नई दिल्ली	0.75
46.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	उपलब्ध नहीं है
	जोड़	113.00
	अन्तरिक्ष विभाग	
47.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेन्सी, हैदराबाद	17.50
48.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	उपलब्ध नहीं है
49.	राष्ट्रीय एन.एस.टी. रडार सुविधा	उपलब्ध नहीं है
	जोड़	17.50
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	
50.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	547.62
	जोड़	547.62
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
51.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	63.70

	जोड़	63.70
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
52.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	444.00
	जोड़	444.00
	दूरसंचार विभाग	
53.	दूरसंचार विज्ञान विकास केन्द्र, नई दिल्ली	54.20
	जोड़	54.20
	योजना आयोग	
54.	क्षेत्रीय कम्प्युटर केन्द्र, कलकत्ता	0.20
	जोड़	0.20
	कुल जोड़	**1465.86**

परिशिष्ट II

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(संदर्भ–पैराग्राफ 1.2 पृष्ठ 8)

(लाख रू. में)

मंत्रालय / विभाग	अनुदान की अवधि	मार्च 1997 के अन्त में बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा	1985-86	1	1.50
	1987-88	1	0.86
	1988-89	2	2.96
	1989-90	2	0.57
	1990-91	2	1.14
	1991-92	1	2.51
	1992-93	3	1.82
	1993-94	5	6.39
	1994-95	15	22.38
	1995-96	28	38.46
	जोड़	60	78.59
पर्यावरण और वन	1980-81	20	22.10
	1981-82	60	32.15
	1982-83	81	127.02
	1983-84	215	209.15
	1984-85	209	377.01
	1985-86	245	715.39
	1986-87	204	1306.79
	1987-88	515	11006.02
	1988-89	501	3057.16
	1989-90	635	316.77
	1990-91	79	193.16
	1991-92	112	1748.64
	1992-93	297	3471.44
	1993-94	105	151.62
	1994-95	267	1549.98
	1995-96	89	149.60
	जोड़	3634	24434.00

महासागर विकास	1983-84	23	250.52
	1984-85	25	24.22
	1985-86	50	45.13
	1986-87	33	60.51
	1987-88	33	371.39
	1988-89	91	193.36
	1989-90	160	715.85
	1990-91	53	497.16
	1991-92	99	1258.72
	1992-93	18	13.91
	1993-94	76	1115.19
	1994-95	106	893.48
	1995-96	67	102.43
	जोड़	834	5541.87
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1977-78	1	0.15
	1978-79	2	0.08
	1979-80	2	0.21
	1980-81	5	0.72
	1981-82	7	4.63
	1982-83	21	7.33
	1983-84	13	3.77
	1984-85	27	7.12
	1985-86	15	3.28
	1986-87	16	5.65
	1987-88	14	5.60
	1988-89	9	8.18
	1989-90	4	3.18
	1990-91	7	7.84
	1991-92	7	5.30
	1992-93	10	16.88
	1993-94	27	38.75
	1994-95	40	210.82
	1995-96	19	70.29
	जोड़	247	399.83
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण–खान विभाग	1991-92	1	0.10
	1992-93	2	0.15
	1993-94	1	0.05
	1994-95	3	0.35

	1995-96	29	2.57
	जोड़	36	3.22
इलेक्ट्रॉनिकी	1986-87	26	176.70
	1987-88	31	232.68
	1988-89	59	562.25
	1989-90	138	1459.37
	1990-91	121	1614.73
	1991-92	138	1891.89
	1992-93	140	1932.05
	1993-94	183	1834.36
	1994-95	228	3666.80
	1995-96	247	6441.42
	जोड़	1311	19812.25
गैर–पारम्परिक ऊजो संसाधन	1994-95	310	2404.00
	1995-96	153	556.00
	जोड़	463	2960.00
	कुल जोड़	**6585**	**53229.76**

परिशिष्ट III

बकाया कृत कार्यवाही नोट

(संदर्भ–पैराग्राफ 1.3 पृष्ठ 9-10)

क्र.सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	प्रतिवेदन का अध्याय	पैरा सं.	के सम्बन्ध में	संक्षिप्त विषय
1.	1995 का 6	VI	6.1	भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण	परिहार्य सीमा शुल्क
2.	1996 का 6	III	3.1	गैर–पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय	सुधारी कृत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की लेखापरीक्षा समीक्षा
3.	वही	वही	3.2	वही	निष्फल व्यय
4.	1997 का 5	II	2.1	परमाणु ऊर्जा विभाग	निष्क्रय उपस्कर
5.	वही	वही	2.2	वही	कैपासिटरों के प्रतिष्ठापन में विलम्ब से परिहार्य व्यय
6.	वही	वही	3.1	महासागर विकास विभाग	पोलर बियर 11 की खरीद पर निष्फल व्यय
7.	वही	VI	6.1	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट
8.	वही	वही	6.2	वही	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

परिशिष्ट IV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्टाफ तथा ग्रेडों की श्रेणियां

(संदर्भ–पैराग्राफ 2.1.5 पृष्ठ 15-16)

वैज्ञानिक स्टाफ		
वर्ग / पदनाम	श्रेणी	वेतनमान (रू.)
IV	1	2200-4000
IV	2	3000-4500
IV	3	3700-5000
IV	4	4500-5700
IV	5	5100-6300
IV	6	5900-6700
IV	7	5900-7300
इंजीनियरी स्टाफ		
V(A)	1	1400-2300
V(A)	2	1640-2900
V(A)	3	2000-3500
V(A)	4	2200-4000
V(A)	5	3000-4500
V(B)	1	4500-5700
तकनीकी स्टाफ		
III	1	1400-2300
III	2	1640-2900
III	3	2000-3500
III	4	2200-4000
III	5	3000-4500
III	6	3700-5000
III	7	4500-5700
सहायक स्टाफ		
II	1	950-1400
II	2	1350-2200
II	3	1400-2300
II	4	1640-2900
II	5	2000-3500
I	1	750-940
I	2	800-1150
I	3	950-1400
I	4	1350-2200

प्रशासनिक स्टाफ

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान (रू.)
1.	वरिष्ठ उपसचिव / वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक	4500-5700
2.	उपसचिव / प्रशासन नियंत्रक	3700-5000
3.	अवर सचिव / प्रशासन अधिकारी	3000-4500
4.	अनुभाग अधिकारी (सामान्य)	2000-3500
5.	सहायक (सामान्य)	1640-2900
6.	प्रवर वर्ग लिपिक	1200-2040
7.	अवर वर्ग लिपिक	950-1500
8.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	3000-4500
9.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	2200-4000
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	2000-3200
11.	सहायक (वित्त एवं लेखा)	1640-2900
12.	भंडार एवं क्रय अधिकारी	3000-4500
13.	उपभंडार एवं क्रय अधिकारी	2000-3500
14.	भंडार एवं क्रय सहायक III	1640-2900
15.	भंडार एवं क्रय सहायक IV	1200-2040
16.	भंडार एवं क्रय सहायक V	950-1500
17.	निजी सचिव / वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	2000-3500
18.	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर	1640-2900
19.	कनिष्ठ स्टेनोग्राफर	1200-2040
20.	वर्ग 'घ' पद	950-1500 825-1200 800-1100 750-940

परिशिष्ट v

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्य घटकों की तुलना में जनशक्ति पर खर्च

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.1.6 पर पृष्ठ 16)

(करोड रू. में)

	पांचवीं योजना	योजना अवकाश 1979-80	छड्डी योजना	सांतवी योजना	योजना अवकाश 1990-92	आंठवी योजना
1. जनशक्ति	93.75	20.89	195.04	428.31	248.58	1007.64
2. कार्यालय स्थापना	22.25	4.72	45.05	92.69	56.72	242.84
3. उपस्कर	31.47	9.88	79.72	129.24	55.24	189.42
4. अन्य पूंजीगत शीर्ष	23.64	5.53	70.66	137.10	51.42	176.72
5. खपत योग्य और अन्य अनुसंधान–विकास	22.76	5.42	50.54	82.32	46.56	164.33
6. एक्स–ट्राम्युरल अनुसंधान और वैज्ञानिक पूल	16.26	4.18	30.59	74.04	47.10	148.66
7. अन्य राजस्व खर्च	18.10	3.14	18.48	42.93	25.37	57.61
जोड़	228.23	53.76	490.08	986.63	530.99	1987.22

परिशिष्ट VI

1992-96 के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और छः प्रयोगशालाओं में रिक्तियों की संख्या

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.7 (क) (iv) पृष्ठ सं. 19 }

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	1.4.1992 को संस्वीकृत संख्या	रिक्तियों की संख्या				
			1.4.1992	1.4.1993	1.4.1994	1.4.1995	1.4.1996
1	सी बी आर आई						
i	वैज्ञानिक	197	12	17	23	26	10
ii	तकनीकी	352	18	17	21	28	7
iii	प्रशासनिक	154	8	15	25	25	20
2	सी डी आर आई						
i	वैज्ञानिक	260	43	59	60	69	44
ii	तकनीकी	568	39	51	61	75	25
iii	प्रशासनिक	173	50	46	47	36	53
3	आई आई पी						
i	वैज्ञानिक	190	12	13	61	36	21
ii	तकनीकी	417	68	72	68	115	14
iii	प्रशासनिक	194	41	43	43	50	51
4	आई टी आर सी						
i	वैज्ञानिक	128	17	19	20	23	12
ii	तकनीकी	199	18	20	23	26	6
iii	प्रशासनिक	79	13	18	17	13	12
5	एन पी एल						
i	वैज्ञानिक	330	39	24	33	36	2
ii	तकनीकी	792	81	40	47	68	37
iii	प्रशासनिक	349	33	39	32	30	50
6	एस ई आर सी						
i	वैज्ञानिक	54	22	24	24	26	22
ii	तकनीकी	61	26	27	26	27	22
iii	प्रशासनिक	55	22	25	25	25	26

7	सी एस आई आर मुख्यालय						
i	वैज्ञानिक	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.
ii	तकनीकी	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.
iii	प्रशासनिक	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.	न.द.

न.द. नहीं दिया

परिशिष्ट VII

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की छः प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों और अवैज्ञानिकों का अनुपात

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.7 (ख) पृष्ठ 19 }

प्रयोगशाला का नाम	स्टाफ की स्थिति									
	1.4.1992		1.4.1993		1.4.1994		1.4.1995		1.4.1996	
	एस एस	एम आई पी	एस एस	एम आई पी	एस एस	एम आई पी	एस एस	एम आई पी	एस एस	एम आई पी
सी बी आर आई										
वैज्ञानिक	197	185	197	180	196	173	195	169	176	166
अवैज्ञानिक	506	480	517	485	517	471	516	463	485	458
अनुपात	1:2.57	1:2.59	1:2.62	1:2.69	1:2.64	1:2.72	1:2.65	1:2.74	1:2.76	1: 2.76
सी डी आर आई										
वैज्ञानिक	260	217	260	201	260	200	260	191	234	190
अवैज्ञानिक	741	652	741	644	761	653	760	649	705	627
अनुपात	1:2.85	1:3.00	1:2.85	1:3.20	1:2.93	1:3.27	1:2.92	1:3.40	1:3.01	1:3.30
आई आई पी										
वैज्ञानिक	190	178	190	177	190	129	190	154	172	151
अवैज्ञानिक	611	502	611	496	611	500	617	452	550	485
अनुपात	1:3.22	1:2.82	1:3.22	1:2.80	1:3.22	1:3.88	1:3.25	1:2.94	1:3.20	1:3.28
आई टी आर सी										
वैज्ञानिक	128	111	128	109	129	109	129	106	117	105
अवैज्ञानिक	278	247	278	240	278	238	276	237	257	239
अनुपात	1:2.17	1:2.23	1:2.17	1:2.20	1:2.16	1:2.18	1:2.14	1:2.24	1:2.20	1:2.28
एन पी एल										
वैज्ञानिक	330	291	316	294	318	285	318	282	284	282
अवैज्ञानिक	1141	1027	1076	997	1078	999	1078	980	1007	920
अनुपात	1:3.46	1:3.53	1: 3.41	1:3.39	1:3.39	1:3.51	1:3.39	1:3.48	1:3.55	1:3.26
एस ई आर सी										
वैज्ञानिक	54	32	54	30	54	30	54	28	49	27
अवैज्ञानिक	116	68	116	64	116	65	116	64	111	63
अनुपात	1:2.15	1:2.13	1:2.15	1:2.13	1:2.15	1:2.17	1:2.15	1:2.29	1:2.27	1:2.33

एस एस --- --सैंकशन स्ट्रेंथ
एम आइ पी -- मैन इन पोजीशन

परिशिष्ट VIII

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में संस्वीकृत संख्या से अधिक नियमित स्टाफ

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.7 (ग) पृष्ठ 20}

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	वर्ग IV (वैज्ञानिक)		वर्ग III (तकनीकी)		वर्ग II (तकनीकी)		वर्ग I (तकनीकी)	
		एस एस आई पी	एम	एस एस आई पी	एम	एस एस आई पी	एम	एस एस पी	एम आई
1	सी सी एम बी	85	94	85	115	94	120	61	83
2	सी ई सी आर आई	213	224	118	129	218	224	-	-
3	सी एफ आर आई	-	-	208	277	-	-	-	-
4	सी जी सी आर आई	-	-	144	166	263	273	88	104
5	सी एम ई आर आई	170	186	-	-	220	385	-	-
6	आई टी आर सी	-	-	-	-	75	85	-	-
7	एन बी आर आई	105	122	-	-	121	126	184	187
8	एन ई ई आर आई	173	196	-	-	-	-	-	-
9	एन आई ओ	230	231	100	115	140	142	-	-
10	एन आई एस टी ए डी एस	50	57	-	-	3	12	3	8
11	पी आई डी	90	95	75	93	31	51	15	45
12	आर आर एल भोपाल	42	51	20	23	-	-	-	-
13	आर आर एल जोरहाट	135	139	20	23	-	-	-	-
14	आर आर एल थिरूवनन्तपुरम	65	85	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1358	1480	770	941	1165	1418	351	427
अधिक पद प्रचालित			122		171		253		76

परिशिष्ट IX

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और छः प्रयोगशालाओं में रिक्त स्थानों को समाप्त नहीं किया गया

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.7 (घ) पृष्ठ 20 }

क्रम. सं	प्रयोगशाला का नाम	एक साल या उससे अधिक से रिक्त स्थान न भरे जाने की संख्या			
		1.4.1993	1.4.1994	1.4.1995	1.4.1996
1	सी डी आर आई				
i	वैज्ञानिक	59	60	43	44
ii	तकनीकी	51	61	39	25
iii	प्रशासनिक	39	43	42	46
2	आई आई पी				
i	वैज्ञानिक	13	61	36	21
ii	तकनीकी	72	68	115	114
iii	प्रशासनिक	43	43	50	51
3	एन पी एल				
i	वैज्ञानिक	22	29	36	2
ii	तकनीकी	40	47	68	37
iii	प्रशासनिक	39	30	30	50
4	एस ई आर सी				
i	वैज्ञानिक	24	24	26	22
ii	तकनीकी	27	26	27	22
iii	प्रशासनिक	25	25	25	26
	जोड़	454	517	537	460

नोट : सी बी आर आई, आई टी आर सी और सी एस आई आर मुख्यालय ने सूचना नही दिया

परिशिष्ट X

सी डी आर आई द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर नियमित कर्मचारियों का परिनियोजन
{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.8 (ख) पृष्ठ 26 }

क्रम सं.		योजनाओं का ब्यौरा	
		क्षेत्रीय परिष्कृत उपकरण केन्द्र	क्षेत्रीय सूचना केन्द्र की स्थापना
1	मंजूरी की तिथि	27.2.1975	29.9.1977
2	मंजूरी का प्रारम्भिक समय	5 वर्ष	1 1/2 वर्ष
3	अनुमोदित जनशक्ति		
(क)	वैज्ञानिक	2	1
(ख)	तकनीकी	7	5
(ग)	प्रशासनिक	-	1
4.	परिनियोजित जनशक्ति		
(क)	वैज्ञानिक	4	10
(ख)	तकनीकी	17	23
(ग)	प्रशासनिक	2	5
5.	की गई भर्ती (नियमित)		
(क)	वैज्ञानिक	2	2
(ख)	तकनीकी	14	13
(ग)	प्रशासनिक	-	6
6.	परियोजना के प्रायोजक से प्राप्य राशि की वसूली	रू.49.20 लाख	रू.35.51 लाख

* इसके अतिरिक्त, एन आई सी डी ए पी योजना पर चार आकस्मिक कर्मचारी लगाये गये।

परिशिष्ट XI

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की छः प्रयोगशालाओं में संस्वीकृत संख्या का उलंघन

{ (संदर्भ पैराग्राफ 2.1.8 (ग) पृष्ठ 28 }

	सी एस एस	बी एम आई पी	आर अन्य	आई ज्यादा	सी एस एस	डी एम आई पी	आर अन्य	आई ज्यादा	एस एस	आई एम आई पी	आई अन्य	पी ज्यादा	आई एस एस	टी एम आई पी	आर अन्य	सी ज्यादा
1992-93																
तकनीकी	352	334	63	45	568	529	86	47	417	349	10	--	199	181	--	--
प्रशासनिक	154	146	13	5	173	123	299	249	194	153	61	20	79	66	171	158
1993-94																
तकनीकी	348	331	63	46	568	517	86	35	417	345	18	--	199	179	--	--
प्रशासनिक	169	154	13	--	173	127	299	253	194	151	64	21	79	61	169	151
1994-95																
तकनीकी	345	324	63	42	568	507	86	25	417	349	21	--	198	175	--	--
प्रशासनिक	172	147	13	--	193	146	299	252	194	151	71	28	80	63	127	110
1995-96																
तकनीकी	344	316	63	35	568	493	82	7	417	302	31	--	198	172	--	--
प्रशासनिक	172	147	13	--	192	156	302	266	200	150	91	41	78	65	69	56
1996-97																
तकनीकी	318	311	62	55	512	487	82	57	350	336	59	45	179	173	--	--
प्रशासनिक	167	147	13	--	193	140	302	249	200	149	120	69	78	66	69	57

नोट : एन पी एल और एस ई आर सी ने ज्यादा कर्मचारी नहीं लगाये।

परिशिष्ट XII

वैज्ञानिक एवं औद्यागिक अनुसंधान परिषद में शीघ्रतर पदोन्नतियों के मामले

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.9 (ग)(iv) पृष्ठ 36 }

क्रम सं.	नाम	योग्यता	नियुक्ति		1.2.1981 से 31.3.1997 तक हुई पदोन्नतियों की संख्यां	पदोन्नतियों की तिथि	पद और वेतनमान 31.3.1997 से
			वर्ष	पद संशोधन पूर्व वेतनमान			
1.	क	मैट्रिक	1958	चपरासी रू.70-85	3	4.2.1981 5.2.1987 1.4.1988	तकनीकी अधिकारी -III(4) (जेराक्स ऑपरेटर) रू.2200-4000
2.	ख	मैट्रिक	1959	III डिवीजन लिपिक Rs.60-130	3	20.6.1985 20.6.1990 1.6.1993	तकनीकी अधिकारी -III(4) (जेराक्स ऑपरेटर) 2200-4000
3.	ग	एम एस सी	1978	कनिष्ठ तकनीकी सहायक Rs.425-700	4	1.2.1981 1.2.1984 1.2.1989 1.2.1994	वैज्ञानिक- IV (3) रू.3700-5000
4.	घ	एम ए सी	1965	सर्वेक्षण सहायक Rs.210-425	3	11.11.1983 11.11.1988 11.11.1993	वैज्ञानिक -IV (4) (सम्पादक) रू.4500-5700
5.	ड़	एम ए	1974	कनिष्ठ तकनीकी सहायक Rs.425-700	3	1.2.1981 1.2.1987 1.2.1992	वैज्ञानिक -IV (3) रू.3700-5000
6.	च	एम एस सी	1977	वरिष्ठ प्रयागशला सहायक Rs.550-900	5	1.2.1981 1.2.1982 1.2.1987 1.2.1990 1.2.1995	वैज्ञानिक -IV (4) रू.4500-5700
7.	छ	एम एस सी	1967	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक Rs.110-200	4	19.12.1980 1.2.1981 1.2.1986 1.2.1989	वैज्ञानिक -IV (3) रू.3700-5000
8.	ज	एम एस सी	1981	वरिष्ठ तकनीकी सहायक Rs.550-900	3	1.4.1982 (एक साल से कम) 1.4.1985 1.4.1990	वैज्ञानिक -IV (2) रू.3000-4500
9.	झ	एम एस सी	1972	अनुवादक Rs.325-575	3	1.2.1981 1.2.1986 1.2.1989	वैज्ञानिक -IV (3) रू.3700-5000
10.	ट	एम एस सी	1970	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक Rs.150-300	3	1.2.1981 1.2.1986 1.2.1991	वैज्ञानिक -IV (3) रू.3700-5000

परिशिष्ट XIII

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और उसकी छः प्रयोगशालाओं में पूर्व प्रभाव से पदोन्नति

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.9 (घ) पृष्ठ 36 }

			पांच साल से अधिक			
क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	कुल पदोन्नति	एक साल तक	1-3 साल	3-5 साल	5 साल से अधिक
1	**सी बी आर आई**					
i	वैज्ञानिक	81	-	33	46	2
ii	तकनीकी	199	5	144	49	1
2	सी डी आर आई					
i	वैज्ञानिक	141	-	136	5	-
ii	तकनीकी	290	4	257	29	-
3	आई आई पी					
i	वैज्ञानिक	38	-	-	38	-
ii	तकनीकी	201	-	158	43	-
4	आई टी आर सी					
i	वैज्ञानिक	63	2	51	10	-
ii	तकनीकी	87	8	67	11	1
5	एन पी एल					
i	वैज्ञानिक	117	1	50	66	-
ii	तकनीकी	250	2	151	97	-
6	एस ई आर सी					
i	वैज्ञानिक	16	-	3	11	2
ii	तकनीकी	33	-	4	27	2
7	सी एस आई आर मुख्यालय					
i	वैज्ञानिक	28	2	11	15	-
ii	तकनीकी	123	3	79	33	8

परिशिष्ट XIV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में काडर समीक्षा के पहले और बाद के प्रशासनिक पद

{ संदर्भ पैराग्राफ 2.1.9 (ड.) पृष्ठ 38 }

क्रम सं.	पदों का नाम	वेतनमान रू.	पदों की संख्या	
			समीक्षा के पहले	समीक्षा के बाद
1.	वरिष्ठ उपसचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक	4500-5700	-	8
2.	उपसचिव/प्रशासन नियंत्रक	3700-5000	24	59
3.	अवर सचिव/प्रशासन अधिकारी	3000-4500	36	48
4.	अनुभाग अधिकारी (सामान्य)	2000-3500	111	195
5.	सहायक (सामान्य)	1640-2900	259	1042
6.	प्रवर वर्ग लिपिक (यू डी सी)	1200-2040	640	785
7.	अवर वर्ग लिपिक (एल डी सी)	950-1500	837	306
8.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	3000-4500	24	40
9.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	2200-4000	34	25
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	2000-3200	67	112
11.	सहायक (वित्त एवं लेखा)	1640-2900	उपलब्ध नहीं	103
12.	भंडार एवं क्रय अधिकारी	3000-4500	20	45
13.	उपभंडार एवं क्रय अधिकारी	2000-3500	21	84
14.	भंडार एवं क्रय सहायक III	1640-2900	84	179
15.	भंडार एवं क्रय सहायक IV	1200-2040	146	126
16.	भंडार एवं क्रय सहायक V	950-1500	84	49
17.	निजी सचिव/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	2000-3500	116	149
18.	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर	1640-2900	235	635
19.	कनिष्ठ स्टेनोग्राफर	1200-2040	555	287
20.	वर्ग 'ध' पद			
	(i) रू.950-1500		-	165
	(ii) रू.825-1200		54	-
	(iii) रू.800-1100		331	1078
	(iv) रू.750-940		1332	593
21.	विलग पद		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट XV

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में बेकार पड़े उपस्कर

(संदर्भ - पैराग्राफ 8.1.5 (क) (ii) पृष्ठ 134)

क्रम सं.	संस्थान का नाम	उपस्कर/मशीन का नाम	मुल्य (लाख रू. में)	किस महीने से उपस्कर बेकार है	टिप्पणी
1.	आई.जी.एफ. आर. आई, झांसी	वातानुकूलन संयंत्र	7.30	4/95	इसे ठीक करवाये जाने के लिए संस्थान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी
2.	एन बी ए जी आर करनाल	ए आर आई एस सैल के लिये उपस्कर	11.28	5/96	स्थान का न होना
3.	वही	ट्रांसफार्मर	02.05	6/96	कन्ट्रोल पैनलों की आवश्यक्ता
4.	आई वी आर आई, इज्जतनगर	स्पेक्ट्रोफलेरो मीटर	3.83	9/85	उपस्कर के पुर्जे दोषपूर्ण हालत में प्राप्त हुए थे, फर्म बन्द हो गई
5.	वही	सेल हारवेस्टर	3.80	8/87	भारतीय एजेन्ट उपस्कर को लगाने नहीं आया
6	वही	यू वी माइक्रोप्लेट रीडर	2.76	11/89	प्रिन्टर केबलों की कम आपूर्ति
7.	वही	सीमेट्रिक एनालाइजर	3.79	5/85	पुर्जों का ना बदलना
8.	वही	तास प्लस इमेज एनालिसिस सिस्टम	23.00	9/85	प्रारक्षित कर्मचारियों और आवश्यक साफ्टवेयर की कमी
9.	वही	स्लेज क्रियो माइक्रोटोम	7.72	2/86	खराब कलपुर्जे नहीं बदले गए
10.	वही	फरमेंटर	5.00	1/87	खराबी नहीं ठीक की गई
11.	निदेशालय आई ए आर आई	जनरेटिंग सेट	2.78	3/94	लोह की आवश्यकता थी प्रतिस्थापन के लिए
12.	माईक्लोजी आई ए आर आई	वातानुकूलन संयंत्र	1.45	4/93	स्थान की कमी
13	आई आई एस आर लखनऊ	अपने आप चलने वाला मौसम केन्द्र	2.10	6/95	स्थानिय एजेन्ट उपस्कर को नहीं लगा सका
कुल लागत			76.86		

परिशिष्ट XVI

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थनों में उपस्करों/मशीनरी के प्रतिष्ठापन में विलम्ब

(संदर्भ - पैराग्राफ 8.1.5 ख (ii) पृष्ठ 135)

इकाई	उपस्कर/ मशीनरी	मूल्य (लाख रू. में)	आने का माह	प्रतिष्ठापन का माह	प्रतिष्ठापन में विलम्ब	टिप्पणी
1. सी आई एस एच, लखनऊ	इमेज सिस्टम	4.60	3/94	1/95	10	दोषपूर्ण पुर्जों को बदलनेके लिये प्रतिष्ठापन की प्राप्ति में देरी
2. वही	इंक्यूबेटर प्रतिष्ठापन	0.96	3/92	5/94	26	प्रतिष्ठापन में स्थानीय एजेन्ट नहीं आया
3. वही	एयर जनरेटर	4.02	9/93	1/95	16	पुर्जों के आने में देरी
4. माइक्लॉजी आई ए आर आई	प्रयोगशाला बायो रिएक्टर	4.42	4/92	8/94	28	उपस्करों के प्रतिष्ठापन में भारतीय एजेन्ट की विफलता
5. वही	पानी साफ करने का संयत्र	2.47	7/92	7/93	12	खराब पुर्जों के बदले में नए पुर्जों के आने में देरी
6. वही	स्पेक्ट्रो फोटोमीटर	2.04	7/92	5/93	10	फर्म समय से संयत्र लगाने नहीं आई
7. वही	एच पी एल सी	12.45	7/94	11/95	16	लगाने का स्थान बनाने में देरी
8. एन्टोमॉलॉजी आई ए आर आई	इमेज एनालाईजर	6.38	8/96	2/97	6	कम आपूर्ति
9. डी डबलू आर, करनाल	ओलिम्पस रिसर्च माइक्रोस्कोप	0.75	4/95	12/95	8	कारण नहीं बताये गये
10. बी टी सी, आई ए आर आई	लैमीनार एअर फ्लो	1.70	4/92	1/95	33	बुनियादी सुविधाओं के पूरा होने में देरी
11. बी टी सी	पानी साफ करने का संयत्र	5.45	6/92	6/95	36	वही
12. बी टी सी	आर ओ सिस्टम	5.82	6/92	6/95	36	वही
13. एन बी ए जी आर	सी ओ 2 इंक्यूबेटर	11.10	5/95	12/96	19	सी ओ 2 गैस सिलेन्डरों का न प्राप्त होना
14. वही	मिलिपोर पानी साफ़ करने का संयंत्र	2.94	7/94	2/97	32	कारण नही बताये गए
15. वही	अल्ट्रा सेन्ट्रीफ्यूज	16.84	8/95	7/97	24	वैक्यूम पम्प कार्य नहीं करता

16. सी एस डब्लू आर आई, अम्बिकानगर	घर्षण कताई मील	36.96	5/95	11/95	6	कारण नहीं बताये गए
17. वही	यूनिवर्सल परीक्षण मशीन	17.25	3/95	1/97	22	वही
18. वही	एलिसा रीडर	2.62	3/95	10/96	20	भारतीय एजेन्ट ने उपस्कर को नहीं लगाया
19. वही	सी ओ 2 इंक्यूवेटर	2.90	7/94	11/95	16	कारण नहीं बताये गए
20. सी एस डबलू आर आई	ब्लड सेल एनालाइजर	5.90	6/96	4/97	10	भारतीय एजेन्ट उपस्कर को नहीं लगा सका
21. वही	एच पी सी एल	20.78	1/96	11/97	22	मदें कम प्राप्त हुई
22. आई जी एफ आर आई, झांसी	नाइट्रोजन एनालाइजर	5.02	9/95	2/97	17	कारण नहीं बताये गए
	जोड़	**173.37**				